वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
I	मुख्य उपलब्धियां	2
II	इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप	8
III	भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं संभावनाएं	11
IV	सार्वजनिक क्षेत्र	18
V	निजी क्षेत्र	29
VI	अनुसंधान और विकास	32
VII	ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन	41
VIII	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	54
IX	सुरक्षा	59
X	समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	65
XI	सतर्कता	68
XII	शिकायत निवारण तंत्र	75
XIII	निःशक्तजन व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन	79
XIV	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	81
XV	महिला सशक्तिकरण	87
XVI	इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन	91
XVII	निगमित सामाजिक दायित्व	94
XVIII	इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान	103
XIX	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	107
XX	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	110
XXI	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	112
XXII	भारतीय इस्पात उद्योग के लिए आगे का रास्ता	113
	अनुलग्नक	**115–134**

वर्ष 2016–17 के उत्पादन, वित्तीय और अन्य संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

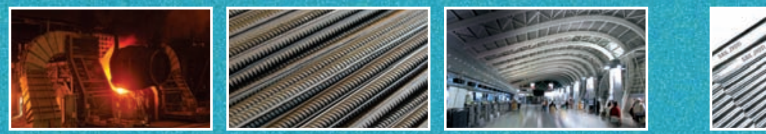

अध्याय–I

मुख्य उपलब्धियां

1.1 इस्पात क्षेत्र में प्रवृत्तियां एवं विकास

- वर्तमान में भारत विश्वभर में कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो 2003 में 8वें स्थान पर था और उम्मीद है कि जल्द हीं यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा।
- भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्वभर में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- कच्चे इस्पात की घरेलू उत्पादन क्षमता 2011–12 के 908.7 लाख टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 2015–16 में 121. 97 एमटीपीए हो गया, इन पांच सालों में सीएजीआर विकास दर 9 प्रतिशत रही है।
- कच्चे इस्पात का उत्पादन 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) की दर से 2011–12 के 74.29 एमटीपीए से बढ़कर 2015–16 में 89.79 एमटीपीए हो गया है।
- देश के जीडीपी में इस्पात क्षेत्र का योगदान 2 प्रतिशत है और करीब 20 लाख लोगों को इस्पात/संबद्ध क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है।
- अप्रैल–दिसंबर, 2016–17 (अनंतिम स्रोतः जेपीसी) के दौरान, उद्योग का परिदृश्य पिछले साल की समान अवधि की तुलना में निम्नलिखित रहा:

  i) कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़कर 723.49 लाख टन रहा। सेल, आरआईएनएल, टीएसएल, ईएसएसएआर, जेएसडब्ल्यूएल एवं जेएसपीएल ने इस दौरान 403.76 लाख टन का उत्पादन किया, जो पिछले साल की तुलना में 15.7 प्रतिशत अधिक रहा है। अन्य उत्पादकों ने इस अवधि के दौरान 319.73 लाख टन उत्पादन किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.1 प्रतिशत अधिक है।

  ii) स्वयं उपभोग/आईपीटी की गणना के उपरांत, बिक्री के लिए पिग आयरन का उत्पादन 70.72 लाख टन (पिछले साल की तुलना में 0.5 फीसदी की गिरावट) रहा। निजी क्षेत्र का योगदान 94 फीसदी रहा जबकि शेष 6 फीसदी का योगदान सार्वजनिक क्षेत्र का रहा।

  iii) कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र + मिश्र/स्टेनलेस) के मामले में:

  ❖ बिक्री के लिए उत्पादन 739.6 लाख टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 10.8 फीसदी अधिक रहा।

  ❖ निर्यात 49.76 लाख टन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 58 प्रतिशत अधिक है।

  ❖ आयात 54.95 लाख टन रहा, इसमें पिछले साल के मुकाबले 37.4 प्रतिशत की गिरावट रही।

  ❖ भारत कुल तैयार इस्पात का एक शुद्ध आयातक था।

  ❖ खपत 615.4 लाख टन रही, जो पिछले साल की तुलना में 3.4 फीसदी अधिक है।

पिछले पांच वर्षों और अप्रैल–दिसंबर 2016–17(अनंतिम) के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) की बिक्री के लिए उत्पादन, खपत, आयात व निर्यात और कच्चे इस्पात के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(मिलियन टन में)

मद	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	अप्रैल–दिसंबर 2016–17*
कुल तैयार इस्पात^						
बिक्री हेतु उत्पादन	75.70	81.68	87.67	92.16	90.98	73.96 (10.8)
खपत	71.02	73.48	74.09	76.99	81.52	61.54 (3.4)
आयात	6.86	7.93	5.45	9.32	1171	5.49 (–37.4)
निर्यात	4.59	5.37	5.98	5.59	4.08	4.98 (57.8)
कच्चे इस्पात का उत्पादन	74.29	78.42	81.69	88.98	89.79	72.35 (8.8)

स्रोतः जेपीसी;*अनंतिम; नोटः ब्रैकेट () में दिए गए आंकड़े पिछले साल की समान अवधि में हुए परिवर्तन % का संकेत हैं; ‘(मिश्र+गैर–मिश्र/स्टेनलेस)

माननीय इस्पात मंत्री और माननीय रेल मंत्री विज़ाग इस्पात समता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए।

1.2 साल के दौरान इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम

- 8 दिसम्बर 2016 को इस्पात मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह और रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने निजामुद्दीन स्टेशन से दैनिक रूप से हजरत निजामुद्दीन–विशाखापटनम के लिए चलने वाली ट्रेन विज़ाग स्टील समता एक्प्रेस को हरी झंडी दिखाई। विज़ाग स्टील समता एक्प्रेस अपने रास्ते में विज़ाग स्टील के प्रचार दृश्यों की ओर लोगों की नजर खींचती है। यह रेलगाड़ी दोनों ओर से चलती है और उत्तर से दक्षिण भारत तक पांच राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ–साथ यह विज़ाग स्टील के ब्रांड का भी प्रचार करती है।
- माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने इस्पात मंत्रालय की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा के साथ 36वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में इस्पात मंत्रालय के पवेलियन का उद्‌घाटन किया। इस्पात पवेलियन में इस्पात बनने की प्रक्रिया और इस्पात के बेशुमार उपयोग को दिखाया गया।
- इस्पात मंत्री ने आरडीसीआईएस में पैलेट बनाने की प्रयोगशाला का उद्‌घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में पैलेट प्लांट में उपयोग करने वाले उपकरण हैं, जो धमन भट्ठी एवं डीआरआई कारखानों में उपयोग के लिए विविध प्रकार के लौह अयस्क से पैलेट बनाने के मानकों के अनुकूल हैं।
- एनईडीओ, जापान के साथ साझेदारी करके हरित तकनीक आधारित बिजली बनाने की परियोजना को आरआईएनएल में शुरू किया गया। यह देश में अपनी तरह की एक मात्र परियोजना है।
- 31 अगस्त 2016 को एमओआईएल के कॉर्पोरेट मुख्यालय, एमओआईएल भवन नागपुर के छत पर पीवी सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट के माध्यम से 48 केवी बिजली उत्पादन शुरू किया गया, जिसे कार्यालय के कामों में लाया जाता है तथा बची हुई बिजली को ग्रिड से जोड़ा जाता है। यह विदर्भ क्षेत्र में छत पर लगाया गया ग्रिड से जोड़े जाने वाला अपनी तरह का प्रथम सोलर प्लांट है जो कॉर्पोरेट कार्यालय की इमारत पर लगाया गया हो।
- मेकॉन (एमईसीओएन) ने भिलाई स्टील प्लांट को आपूर्ति करने के लिए कूलिंग हलमेट की परियोजना को अपने यहां अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मेकॉन में अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकसित किया गया किसी उत्पाद का पहला व्यावसायिक उपयोग था।
- मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन (एमएसटीसी) लिमिटेड एवं इस्पात मंत्रालय ने मिलकर पूरी तरह से तैयार और अर्ध–तैयार स्टील को बेचने के लिए 22 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत 'एमएसटीसी मेटल मंडी' के नाम से ई–प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पोर्टल पर 42 मुख्य कार्यालयों (विक्रेताओं) एवं 460 खरीददारों ने पंजीकरण कराया है और इस पोर्टल के माध्यम से व्यावसायिक लेन–देन सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।
- नीति (एनआईटीआई) आयोग के साथ मिलकर इस्पात मंत्रालय ने 30 नवम्बर 2016 को कैशलेस लेन–देन के लिए वर्तमान में काम कर रही इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था जैसे आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, पेटीएम एवं विभिन्न डेबिट–क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'कैशलेस लेन–देन के माहौल में बने रहना' के ऊपर एक वर्कशॉप आयोजित की।

माननीय इस्पात मंत्री प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2016 में स्टील पेवेलियन का शुभारंभ करते हुए

- इस्पात मंत्री ने 19 दिसंबर, 2016 को नागपुर (महाराष्ट्र) में मैग्नीज संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो देश में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है, जिसमें न केवल 100 सालों से अधिक समय से देश में मौजूद मैग्नीज खानों को दिखाया गया है, बल्कि इस्पात बनाने की प्रक्रिया में इसके उपयोग के बारे में भी बताया गया है। यह संग्रहालय लोगों के लिए भी खोला गया है और खासकर युवाओं के लिए जो इससे माइनिंग में कैरियर बनाने की प्रेरणा ग्रहण कर सकें। यह संग्रहालय भूमिगत माइन्स की स्थितियों को अनुभव कराने के लिए इसकी प्रति कृति पेश करता है और इसके साथ ही एमओआईएल खनिकों की तीन पीढ़ियों के बारे में वीडियो और ओडियो के माध्यम से जानकारी देता है।
- 1 अप्रैल 2016 को आरआईएनएल के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में इस्पात संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय इस्पात उद्योग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेगा और साथ हीं स्कूली बच्चों तथा इंजीनियरिंग को कैरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को इस्पात उद्योग में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
- एमओआईएल (मैग्नीज अयस्क के लिए), आरआईएनएल (इस्पात उत्पादन के लिए) एवं केआईओसीएल के बारे में जागरूकता पैदा करने, कैरियर बनाने, खनन की बारीकियों को जानने, अयस्क उत्पादन एवं इस्पात बनाने की प्रक्रिया की जानकारी के लिए वेबसाईट पर बच्चों के लिए किड्स कॉर्नर शुरू किया गया है।
- इस्पात मंत्रालय ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंकडिन, इंस्टाग्राम, माई गवर्नमेंट आदि पर अपनी उपस्थित दर्ज की है।
- निवेश को बढ़ावा देने व सूचना उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय में एक इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल की स्थापना की गई है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाईट पर दी गई है।
- नागरिकों/ग्राहकों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा 'सेवोत्तम कंप्लेंट सिटीजन्स चार्टर' अपडेट किया गया है।

1.3 पीएसई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण विस्तार/अधिग्रहण/संयुक्त उद्यम

1.3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम में विशेष इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया है। वर्तमान चरण में कच्चे इस्पात की क्षमता 128 लाख टन से बढ़ाकर 214 लाख टन प्रति वर्ष की जा रही है। वर्तमान चरण में लगभग 61,870 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सेल की खानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए (अनुमानित) रखे गए हैं।
- दिसंबर 2016 तक आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के विभिन्न पैकेजों का संचयी व्यय 64562 करोड़ रुपये हो चुका है। इसमें दिसंबर 2016 तक वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 2324 करोड़ रुपये का व्यय भी शामिल है।
- सेलम इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार पूरा किया जा चुका है। नई सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और उत्पादन बढ़ रहा है।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह ने सेल के अध्यक्ष और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में मॉर्डन यूनिवर्सल रेल मिल से लम्बी रेल पटरियों के प्रथम रेक को हरी झंडी प्रदान की

- भिलाई स्टील प्लांट में दुनिया की सबसे लंबी सिंगल–पीस 130 मीटर लंबी रेल की आपूर्ति के लिए यूनिवर्सल रेल मिल और 260 मीटर लंबी रेल के उत्पादन के लिए रेल वेल्डिंग लाइन का काम पूरा कर लिया गया है। लॉन्ग रेल वेल्डिंग कांप्लेक्स का उद्घाटन जुलाई 2016 में माननीय इस्पात एवं खान मंत्री ने किया। अयस्क हैंडलिंग प्लांट पार्ट–अ, सिंटर प्लांट–3 में दूसरी सिंस्टर मशीन और कोक ओवन बैटरी–11 का काम लगातार हो रहा है और इसके अलावा बार एवं रोड मिल, धमन भट्ठी–8 स्टील मेल्टिंग शॉप–3 आदि अंतिम चरण में हैं।

1.3.2 एनएमडीसी लिमिटेड

- एनएमडीसी लिमिटेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नगरनार में एक 30 लाख टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना कर रहा है। सभी बड़े तकनीकी पैकेज और सहायक पैकेज दे दिये गये हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- एनएमडीसी, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स में (अ) कर्नाटक के दोनीमलाई में 1.2 एमटीपीए पैलेट प्लांट (ब) नगरनार में 2 एमटीपीए पैलेट प्लांट के साथ छत्तीसगढ़ में बछेली और नगरनार के बीच गारा पाइपलाइन द्वारा अंतः संबंद्धित बछेली में 2 एमटीपीए बेनिफिशिएशन प्लांट स्थापित करके आगे एकीकरण के जरिए अपना कारोबार विस्तारित करने की प्रक्रिया में है।
- दोनीमलाई में 1.2 एमटीपीए पैलेट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और परीक्षण उत्पादन भी शुरू हो गया है। नगरनार में 2 एमपीटीए पैलेट प्लांट के लिए सभी तरह की वैधानिक अनुमति मिल चुकी है और इसके लिए जगह को विकसित किए जाने का काम शुरू हो गया है। बछेली में स्लरी पाइपलाइन सिस्टम एवं खनिज अयस्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए वैधानिक स्वी.ति प्राप्त की जा चुकी है। कर्नाटक में पवन चक्की (विंड मिल) स्थापित कर तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश करके एनएमडीसी अपनी भूमिका का विस्तार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहा है।

1.3.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- चरण–2 के अंतर्गत दो फिनिशिंग मिलों की कमीशनिंग के साथ कंपनी का 6.3 एमटीपीए विस्तार पूरा हो गया है। ईकाइयां स्थिरीकरण और रेम्प अप की विभिन्न आवश्यकताओं में हैं।
- आधुनिकीकरण/अप्रग्रेडेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लास्ट फर्नेस–1 के श्रेणी–1 के वृहत मरम्मत कार्य और स्टील मेल्ट शॉप–1 के कनवर्टर–1 का रिवेम्प पहले ही पूरा कर लिया गया है तथा यूनिटें प्रचालन कर रही हैं। तरल इस्पात क्षमता को उत्तरोत्तर रूप से 7.3 एमटीपीए तक बढ़ाने के शेष आधुनीकीकरण कार्य चल रहे हैं।

1.4 वर्ष 2015–16 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियां

1.4.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- कंपनी का कुल मूल्य 31.03.2016 को 39281 करोड़ रुपये था।
- वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान सेल द्वारा कोई लाभांश नहीं दिया गया।

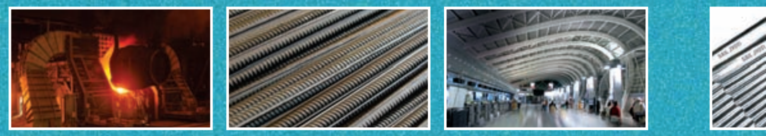

- वित्त वर्ष 2016–17 के प्रथम 6 माह के दौरान बिक्री टर्नओवर 22611 करोड़ रुपये रहा, जो कि इसके पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.9 फीसदी कम है।

1.4.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- वर्ष 2016–17 में दिसंबर 2016 तक 8786 करोड़ रुपये का बिक्री टर्नओवर प्राप्त किया गया है, जो कि सीपीएलवाई में 4 प्रतिशत की वृद्धि है।
- दिनांक 31.12.2016 को कंपनी का शुद्ध मूल्य 8895.83 करोड़ रुपये था।
- आरआईएनएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया गया।
- सचिव (इस्पात) ने आरआईएनएल द्वारा अपने परिसर में अधिस्थापित 5 मेगावाट सोलर प्लांट का दिनांक 20.12.2016 को उद्घाटन किया है जोकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए सरकार के रुझान के अनुसार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश हेतू आरआईएनएल की एक पहल है।

1.4.3 एन एम डी सी लिमिटेड

- एनएमडीसी का वर्ष 2016–17 (दिसंबर 2016 तक) घरेलू बिक्री 328.1 लाख टन थी।
- एनएमडीसी का वर्ष 2016–17 (दिसंबर 2016 तक) निर्यात बिक्री 20.5 लाख टन थी, जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपए है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान कुल बिक्री 258.6 लाख टन थी। (दिसंबर, 2016 तक)
- वर्ष 2016–17 (दिसंबर, 2016 तक) के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन 236.3 लाख टन था।
- एनएमडीसी ने वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसंबर 2016 तक) 3310 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है।
- एनएमडीसी ने कर्नाटक के दोनीमलाई में 12 लाख टन प्रति वर्ष पैलेट प्लांट का निर्माण पूरा किया और 12500 एमटी पैलेट का उत्पादन कर इसे नीलामी के माध्यम से बेचा गया।
- जागरुकता अभियान के माध्यम से कैशलेस लेन–देन के वातावरण की व्यवस्थाः 22.12.2016 तक कुल 21 गांव जिसमें छत्तीसगढ़ के 19 एवं कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं के 5890 घरों को इसके अंतर्गत लाया गया, जहां 25484 लोग रहते हैं।

1.4.4 मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड ने 2016–17 के दौरान (दिसंबर, 2016 तक) 7.21 (अनंतिम) लाख टन मैगनीज अयस्क का उत्पादन किया।
- वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसंबर, 2016 तक) कंपनी की कुल आय 886.06 करोड़ रुपये (अनंतिम) रही।
- वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसंबर, 2016 तक) कंपनी का कर पूर्व लाभ 208.79 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसंबर, 2016 तक) कंपनी का कर के बाद लाभ 183.61 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- मॉयल ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 84 करोड़ रुपए का लाभांश चुकता किया।

1.4.5 एमएसटीसी लिमिटेड

- एमएसटीसी इतिहास की ऐसी पहली कंपनी बन गई है, जिसने पारदर्शी और न्यायोचित तरीके से स्टील, सीमेंट एवं बिजली क्षेत्र तथा राज्य सरकार की कंपनियों को 39 कोयला खादान की नीलामी और 46 को आवंटित किया (कुल 85)।
- गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने एमएसटीसी के साथ संबंधित राज्यों में खनिज ब्लॉक्स की ई–नीलामी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एमएसटीसी ने डायमंड मिनरल ब्लॉक की ई–नीलामी की है। 5 अक्टूबर, 2016 को एमएसटीसी ने मध्यप्रदेश के पन्ना जिले स्थित हातुपुर डायमंड मिनरल ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई–नीलामी की। यह देश का पहला डायमंड मिनरल ब्लॉक है जिसकी नीलामी की जानी थी। इस ब्लॉक की नीलामी काफी दिलचस्प रही और करीब आठ घंटों तक कंपनियों ने इसकी बोली लगाई और अंततः 22.31 प्रतिशत पर इसकी नीलामी हुई।
- एमएसटीसी ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से जब्त लाल सैंडर्स की बिक्री के लिए बहुमुद्राओं में वैश्विक ई–निविदा सह ई–नीलामी का सफलतापूर्वक संचालन किया, जो 352 करोड़ की थी। इस ई–नीलामी में दूसरे देशों के प्रतिभागियों ने भी भागीदारी की थी।
- एमएसटीसी ने बिजली की खरीदारी के लिए ई–नीलामी हेतु राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है, जिसे डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस (डीईईपी) का नाम दिया गया है। इस पोर्टल का उद्घाटन अप्रैल 2016 में कोयला एवं बिजली मंत्री

एमएसटीसी एवं महिंद्रा इंटरट्रेड लि. के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

ने दिल्ली में किया था। इस पोर्टल का उद्देश्य देश के विविध डिस्कॉम के द्वारा खरीदी जाने वाली बिजली में समानता लाना और बिजली खरीद के बिल में कमी लाना है। यूपी, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में बिजली का वितरण करने वाली कंपनियां यह सेवा प्राप्त कर रही हैं।

- एमएसटीसी भारत में पहला मेकैनाइज्ड श्रेडिंग प्लांट स्थापित कर रहा है, जिसके जरिए जीवन समाप्त हो चुके वाहनों (ईएलवी) के टुकड़ों के प्रसंस्करण का नया तरीका लाएगा। ऑटो श्रेडिंग प्लांट की स्थापना के लिए 16 दिसम्बर, 2016 को एमएसटीसी और महिंद्रा इंट्राट्रेड लिमिटेड द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई है। यह भारत में अपनी तरह का अकेला ऑटो श्रेडिंग प्लांट होगा, जो ईएलवी एवं अन्य घरेलू वस्तुओं को तोड़कर लौह संबंधी एवं अलौह संबंधी धातुओं का उत्पादन कर सके। इस प्लांट से निकलने वाली धातुओं का उपयोग द्वितीयक इस्पात उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाएगा तथा भारत के द्वितीयक इस्पात उद्योगों में इसका उपयोग होगा। यह विदेशों से स्क्रैप आयात करने में लगने वाली विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। भारत अब द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए जरूरी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, खनन में ऊर्जा, संसाधनों के स्रोत और वन क्षेत्र को बर्बाद किए बिना ही इस संकट से छुटकारा पाने जा रहा है।

1.4.6 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- एचएससीएल वित्त वर्ष 2014–15 तक हानियां अर्जित कर रहा था। एचएससीएल की वित्तीय पुनर्संरचना और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि. (एनबीसीसी) द्वारा इसके प्रस्तावित अधिग्रहण, जिसे केंद्रीय मंत्री मंडल ने अनुमोदित किया है, के बाद एचएससीएल ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लाभ अर्जित किए हैं तथा उसका शुद्ध मूल्य घनात्मक हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही तक एमओयू में तय किए गए कुल टर्नओवर के लक्ष्य के मुकाबले 935.25 करोड़ रुपये (91.83 फीसदी) की उपलब्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही तक ऑर्डर बुकिंग लक्ष्य के मुकाबले 1521.35 करोड़ रुपये (181.11 प्रतिशत, एमओयू में निर्धारित लक्ष्य के आधार पर) प्राप्त हुए।
- वित्तीय वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही तक परिचालन लाभ 67.96 करोड़ रुपये (108.57 प्रतिशत, एमओयू में निर्धारित लक्ष्य के आधार पर) दर्ज किया गया। (गैर–अंकेक्षित)
- वित्तीय वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही तक गैर–अंकेक्षित शुद्ध लाभ (पीएटी) 41.76 करोड़ रुपये (122.61 प्रतिशत, एमओयू में निर्धारित लक्ष्य के आधार पर) रहा।

1.4.7 मेकॉन लिमिटेड

अंकेक्षित खातों के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 174.71 करोड़ का नुकसान(पीबीटी) हुआ है और टैक्स के बाद यह नुकसान 162.41 करोड़ रुपया रहा है। 31.03.2016 को मेकॉन का कुल मूल्य 235.22 करोड़ रुपया था।

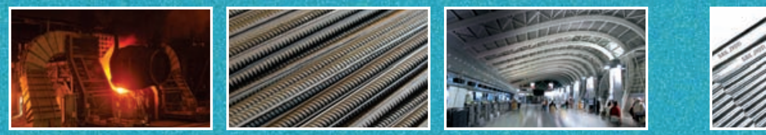

अध्याय–II

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप

2.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्री के अधीन है। यह मंत्रालय लोहा एवं इस्पात उद्योग की योजना और विकास, लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो–अलॉय, स्पंज आयरन आदि आवश्यक सामग्री के विकास तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को आवंटित विषयों का ब्यौरा संलग्नक–1 में देखा जा सकता है। प्रभारी मंत्री की सूची एवं उप–सचिव स्तर तक के अधिकारियों की सूची संलग्नक–2 में दी गई है।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र, री–रोलिंग उद्योग एवं लौह–मिश्र धातु का विकास।
- लौह, इस्पात एवं लौह–मिश्र धातु के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण से संबंधित नीतियों का निर्धारण।
- सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खदानों एवं अन्य अयस्क खदानों जैसे मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन एवं लौह तथा इस्पात उद्योग में प्रयोग होने वाले अन्य खनिजों (खदान पट्टे या इससे जुड़े अन्य मामलों को छोड़कर) का विकास।
- देश में इस्पात के सभी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को परस्पर बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- इस्पात उद्योग के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और संबंधित सुविधाओं की पहचान।
- आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उनकी सहायक कंपनियों एवं एक विशेष उद्देश्य वाहक के कार्य निष्पादन की देखरेख करना।

2.1.2 जिम्मेदारियों का आबंटन

इस्पात मंत्रालय में 31.12.2016 को सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, 04 संयुक्त सचिव, 06 निदेशक, 03 उप सचिव, 01 संयुक्त निदेशक (रा.भा.) और अन्य सहायक अधिकारी और कर्मचारी हैं। मंत्रालय के पास एक आर्थिक सलाहकार एवं एक मुख्य लेखा नियंत्रक भी हैं। उप औद्योगिक सलाहकार के अधीन एक तकनीकी विंग अनुसंधान और विकास योजना जैसे तकनीकी प्रकृति के कुछ सचिवालय स्तर के कार्य करने के अलावा तकनीकी मामलों से संबंधित सलाह देती है।

2.2 मंत्रालय के प्रमुख प्रभाग/अनुभाग

सेल, एमएफएच, परियोजनाएं एवं अंतरराष्ट्रीय निगम, इस्पात विकास (संस्थान), तकनीकी प्रभाग, एनएमडीसी, कच्चा माल, व्यापार एवं कराधान, औद्योगिक विकास, मेकॉन, आरआईएनएल, बर्ड ग्रुप, बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां, केआईओसीएल, मॉयल, बजट एवं वित्त, आर्थिक प्रभाग।

2.3 इस्पात मंत्रालय से संबंधित अन्य संगठन

2.3.1 संयुक्त संयत्र समिति (जेपीसी)

आईएसओ 9001: 2008 से मान्यता प्राप्त, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) देश में एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसे इस्पात मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में आंकड़े एकत्र करने का अधिकार दिया गया है।

जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में है। इसके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो डाटा एकत्रीकरण का कार्य देखते हैं जबकि दिल्ली में स्थित आर्थिक शोध इकाई (ईआरयू) तकनीकी–आर्थिक अध्ययन एवं नीतिगत विश्लेषण के लिए जेपीसी की एक विंग की तरह कार्य करती है। जेपीसी की अध्यक्षता इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव करते हैं तथा इसमें सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधी सदस्य के तौर पर रहते हैं।

जेपीसी के चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता स्थित मुख्यालय के अभिन्न सहयोग से इस प्रकार प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं :

- उत्पादकों से उत्पादन, भंडार और कच्चे माल संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- सीमा शुल्क गृहों से आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों का संग्रह।

- घरेलू बाजार में कीमतों संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- उद्योग के साथ नियमित फॉलोअप/निगरानी और अन्य संपर्क संबंधी गतिविधियां।
- रुग्ण इस्पात उत्पादक यूनिटों का दौरा कर मौके पर आंकड़े एकत्रित करना।
- खंड आधारित सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर सूचना एकत्र करने में सक्रिय भूमिका।
- इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकों और भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में इस्पात पेवेलियन सहित संगोष्ठी/प्रदर्शनियों को संगठनात्मक सहयोग।

2.3.2 आर्थिक अनुसंधान इकाई

नई दिल्ली स्थित जेपीसी की आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) द्वारा शोध में सहयोग, पूर्वानुमान लगाना, नीतिगत मसलों की जांच/ तकनीकी–आर्थिक अध्ययन प्रदान किया जाता है। ईआरयू प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ट्रॉफी और इस्पात मंत्री ट्रॉफी के लिए सचिवालय के तौर पर भी कार्य करती है। हाल के दिनों में, ईआरयू ने इस्पात के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मांग–आपूर्ति के अनुमान पर कार्य पूरा किया है। ईआरयू इस्पात निर्यातकों के फोरम का भी सचिवालय है, जो उद्योग एवं विभिन्न सरकारी निकायों का एक संघ है, जिसे देश में इस्पात के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है। ईआरयू देश के भीतर एवं बाहर स्थित दोनों उद्योग एवं वित्तीय संस्थानों के साथ नियमित संपर्क में रहता है।

2.4 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	सहायक कंपनियां
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 565, सेलम–636005 (तमिलनाडु)
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापत्तनम–530031, (आंध्र प्रदेश)	बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज एजी 104, सौरव अबासन द्वितीय तल, सैक्टर 2, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700091
3	एन एम डी सी लिमिटेड	खनिज भवन, 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद –500028, (आंध्र प्रदेश)	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपारेशन लिमिटेड, 143–ए, गाधी नगर, जम्मू –180004 (जम्मू एवं कश्मीर)
4	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1–ए, काटोल रोड, नागपुर–440013, (महाराष्ट्र)	
5	एम एस टी सी लिमिटेड	225–सी, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता–700020 (पश्चिम बंगाल)	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एफ एस एन एल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई –490001 (छत्तीसगढ़)
6	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	5/1, कमीसेरिएट रोड, (हेस्टिंग्स), कोलकाता–700022, (पश्चिम बंगाल)	
7	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची – 834002 (झारखंड)	
8	के आई ओ सी एल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरामंगला, बेंगलुरू – 560034 (कर्नाटक)	

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

संकेतक

एएस एंड एफए – अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
जेएस – संयुक्त सचिव
सीसीए – मुख्य लेखा नियंत्रक
डीआईआर – निदेशक
डीएस – उप सचिव
जेडी – संयुक्त निदेशक
यूएस – अवर सचिव
डीआईए – उप औद्योगिक सलाहकार
निदेशक / डीएस की स्पष्टता के लिए बताए गए एक से ज्यादा जेएस को एक से ज्यादा बार रिपोर्टिंग

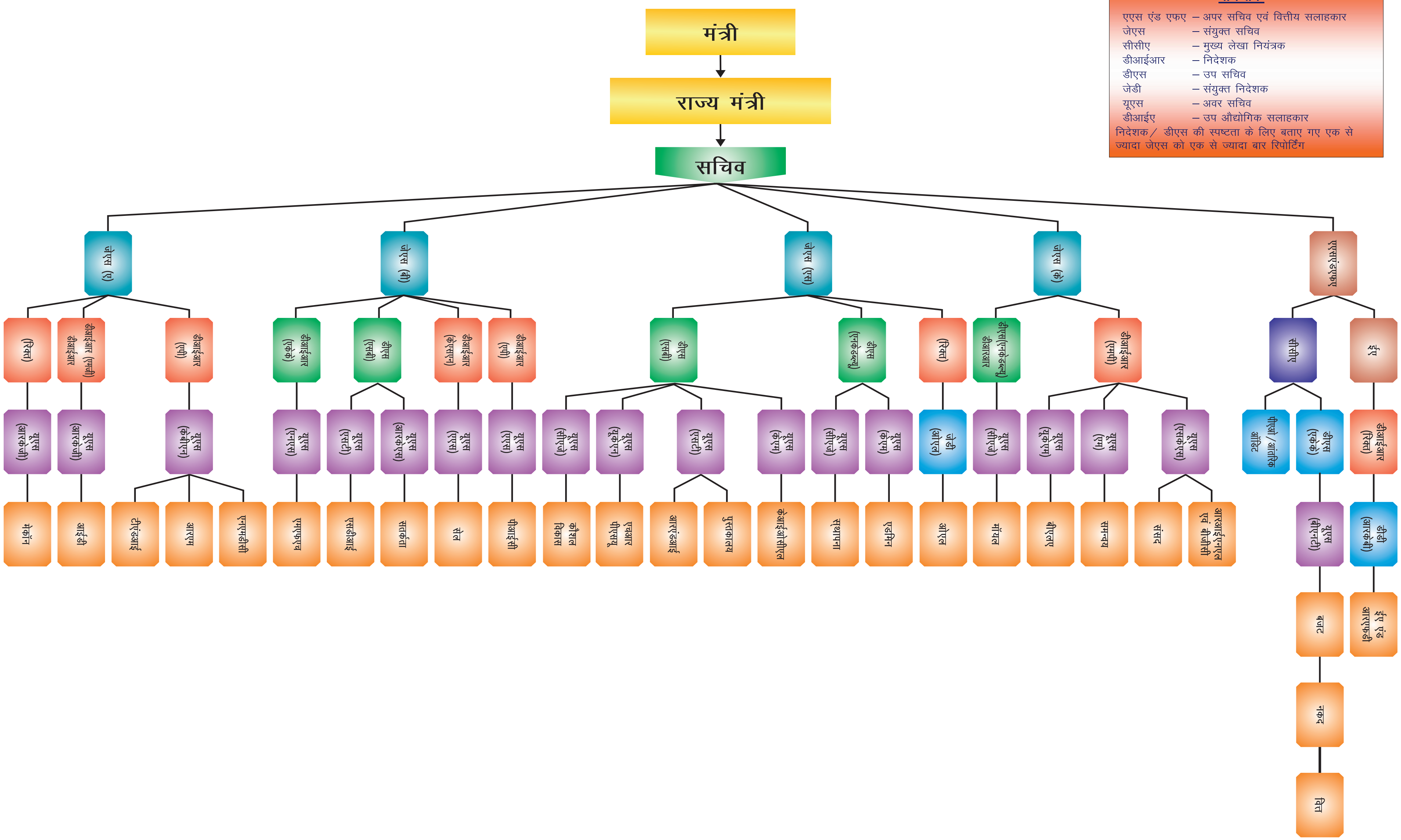

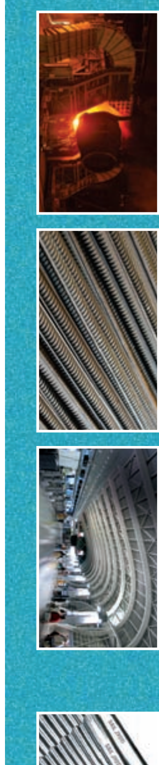

अध्याय–III

भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं संभावनाएं

3.1 प्रस्तावना

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय देश में केवल तीन इस्पात संयंत्र– टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड तथा कुछ विद्युत आर्क भट्टी आधारित संयंत्र भी थे। वर्ष 1947 तक देश में भले ही इस्पात उद्योग का आकार छोटा रहा हो, लेकिन उसका योगदान महत्वपूर्ण था। उस समय इस्पात उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 10 लाख टन थी और यह पूरी तरह निजी क्षेत्र में था। आजादी के समय 10 लाख टन क्षमता के उद्योग से बढ़कर अब भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लौह एवं इस्पात उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब दो प्रतिशत का योगदान है। वैश्विक तौर पर नगन्य मौजूदगी से भारतीय इस्पात उद्योग आज अपने उत्पाद की गुणवत्ता के लिए वैश्विक स्तर पर जानी जाती है। स्वतंत्रता से इसके लंबे इतिहास के दौरान भारतीय इस्पात उद्योग ने व्यवसाय चक्र के उतार–चढ़ाव की सभी चुनौतियों का सामना किया है। पहली बड़ी चुनौती पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं (1952–1970) के दौरान आई जब आर्थिक आदेश के मुताबिक लोहा और इस्पात उद्योग को राज्य के नियंत्रण में लाया गया था। मध्य 50 के दशक से 1970 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में विशाल एकीकृत इस्तपात संयंत्र स्थापित किए। उन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात उद्योग इन सरकारी नियमों के अधीन था:

- क्षमता नियंत्रण के उपाय : क्षमता की लाइसेंसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए आरक्षण।
- दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली : निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बड़े और एकीकृत उत्पादकों के लिए कीमत और वितरण नियंत्रण व्यवस्था थी जबकि शेष उद्योग मुक्त व्यापार व्यवस्था के तहत संचालित था।
- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च शुल्क अवरोध।
- संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए रेलवे मालभाड़ा समकरण नीति।
- प्रौद्योगिकी, पूंजीगत सामान सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और वित्तीय संग्रहण व निर्यात पर पाबंदी।

3.1.1 उन सालों में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने की क्षमताओं के विकास ने भारत को विश्व में इस्पात का 10वां सबसे बड़ा उत्पादक बनाने में योगदान दिया क्योंकि एक दशक के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 1947 के महज 10 लाख टन से बढ़कर 150 लाख टन तक हो गया था। लेकिन, यह स्थिति वर्ष 1970 के बाद बरकरार नहीं रह सकी क्योंकि आर्थिक मंदी का भारतीय इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। हालांकि, यह अवस्था 1991–92 में तब उलट गई जब उदारीकरण और अविनियमन द्वारा नियंत्रण व्यवस्था बदल गई। वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में लाई गई नयी आर्थिक नीति ने देश के इस्पात उद्योग पर निम्न प्रकार से प्रभाव डाला:

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से बड़े पैमाने की क्षमताओं को हटा दिया गया। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता को भी हटाकर स्थानीय प्रतिबंधों का विषय बना दिया गया।
- संपूर्ण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका हो गई।
- कीमत निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण की व्यवस्था भंग कर दी गई।
- लोहा एवं इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश की उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया। इसके तहत 50 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को स्वतः मंजूरी प्रदान की गई, विदेशी मुद्रा और सामान्य तौर पर इस तरह के निवेश को संचालित करने वाले नियमों का विषय था।
- एक समान मालभाड़ा योजना को अधिकतम मालभाड़ा योजना से बदल दिया गया था।
- मात्रात्मक इस्पात प्रतिबंधों को काफी हद तक हटा दिया गया। निर्यात प्रतिबंध वापस ले लिए गए।

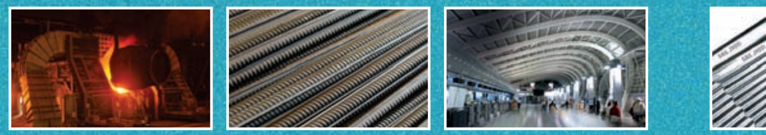

3.1.2 तत्पश्चात इस प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए गए। आर्थिक सुधारों ने इस्पात विनिर्माताओं के लिए विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर आवश्यक कच्चा माल आदि खरीदने के कई रास्ते खोल दिए और साथ ही उन्हें अपने उत्पादों के लिए नए बाजार भी उपलब्ध कराए। उद्योग को विश्व में इस्पात उत्पादन के लिए परिचालन/ तकनीक की जानकारी भी मिलने लगी। इससे उद्योग में वैश्विक बाजारों की प्रतिस्पर्द्धा के दबाव के साथ उत्पादकता और कार्यक्षमता के स्तर में बढ़ोतरी हुई, जिससे उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बन पाया। दूसरी ओर इस्पात उपभोक्ता अब घरेलू और विदेश आपूर्तिकर्ताओं दोनों ओर के विभिन्न उत्पादों में से चुनाव कर सकते थे। वर्ष 1992 में इन आर्थिक सुधारों के कारण देश की इस्पात निर्माण क्षमता में तेजी से विकास हुआ। निजी क्षेत्र में एस्सार स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज एवं प्लांट्स, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। टाटा स्टील ने भी अपनी क्षमता में वृद्धि की। अंत में, उस अवधि के कुछ प्रमुख मील के पत्थर इस प्रकार थे:

- आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के आधार पर 90 लाख टन इस्पात क्षमता होने के साथ निजी क्षेत्र का उत्थान।
- टैरिफ बाधाओं की कमी/निराकरण, व्यापार खाते में आंशिक प्रवाह, वैश्विक प्रौद्योगिकी के अच्छे–अभ्यास तक पहुंच और लागत में क्रमिक कमी– इन सबने वैश्विक निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है।

3.1.3 विगत वर्ष 1996–97 के बाद घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में लगातार गिरावट आने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग की गति सभी निष्पादन संकेतकों के आधार पर धीमी हुई। इनमें क्षमता वृद्धि, उत्पादन, खपत, निर्यात और मूल्य/लाभ के संकेतक शामिल हैं। उद्योग का कार्यप्रदर्शन औसत से कम हो गया। विदेशी कारोबार में भारतीय इस्पात पर डंपिंग रोधी/संरक्षण शुल्क लगाया जाता था क्योंकि अधिकतर विकसित देशों ने गैर–शुल्क अवरोध लगा रखे थे। एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण आर्थिक क्षति हुई तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने व नए इस्पात उत्पादक देशों (पूर्व सोवियत संघ की इस्पात आधिक्य अर्थव्यवस्था) से अतिरिक्त आपूर्तियों द्वारा सृजित भरमार का प्रभाव ऐसे कारक थे, जिन्होंने विकास के स्तरों को कम किया। हालांकि, वर्ष 2002 के बाद वैश्विक उद्योग जगत संकट से उबरा, जिसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी तीव्र आर्थिक वृद्धि और तेजी से विस्तृत होते आधारभूत संरचना क्षेत्र में इस्पात की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई। ठीक इसी समय अन्य प्रमुख बाजारों में भी सुधार हुआ। वहां उत्पादन में इजाफा हुआ, कीमतों में भी सुधार हुआ, मुनाफा दोबारा शुरू हुआ और नए बाजारों का भी आगमन हुआ तथा व्यापार संबंधी अवरोध हटाए गए और अंततः में वैश्विक स्तर पर इस्पात की मांग में वृद्धि हुई। भारतीय बाजारों के लिए भी परिस्थितियां इससे अलग नहीं थीं और अब यहां भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर जोर देकर, घरेलू प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपाय अपनाकर, अन्य बाजार विकास परियोजनाएं शुरू कर, आयात प्रतिस्थापन के उपाय कर, निर्यात प्रोत्साहन एवं कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वैश्विक बाजारों में संभावनाएं तलाश करके भारतीय इस्पात उद्योग परिपक्वता का एक स्तर हासिल कर चुका है।

3.1.4 उद्योग की तीव्र विकास दर और बाजार के रुझानों को देखते हुए कुछ दिशानिर्देशों तथा ढांचे की आवश्यकता थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य देश के इस्पात उद्योग को विकास व प्रगति का रास्ता दिखाना था। एक आत्मनिर्भर व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात क्षेत्र के लिए एक मूल प्रारूप के तौर पर राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) की घोषणा नवम्बर, 2005 में की गई। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 का दीर्घकालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक व किफायती इस्पात उद्योग विकसित हो, जो इस्पात संबंधी विविध जरूरतों को पूरा कर सके। यह नीति उत्पादन व उत्पादकता के विश्वस्तरीय मानकों के मामले में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर को हासिल करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 के तहत प्रक्रियागत और नीतिगत अवरोधों को भी दूर करने का प्रयास किया गया, जिनके कारण उत्पादन के लिए कच्चे माल में कमी, शोध एवं विकास संबंधी निवेश में इजाफा न होने, सड़क, रेल और बंदरगाह संबंधी बुनियादी विकास न होने की समस्याएं सामने आ रही थीं। इस नीति का जोर न केवल घरेलू क्षेत्र पर ध्यान देना था, बल्कि इस्पात उद्योग की वृद्धि दर को घरेलू खपत की वृद्धि दर से आगे ले जाने पर था, जिससे निर्यात के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। नीति को बदलते समय के अनुरूप बनाने की जरूरत है और एक नई राष्ट्रीय इस्पात नीति का निर्माण किया जा रहा है।

3.2 इस्पात का उत्पादन, खपत और विकास

3.2.1 विगत पाँच वर्षों के लिए और अप्रैल–दिसंबर, 2015–16 के दौरान देश में कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र) की बिक्री, आयात, निर्यात और वास्तविक खपत के लिए उत्पादन के रुझान को दर्शाती एक तालिका नीचे दी गई है :

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र) (10 लाख टन अथवा एमटी में)			
	बिक्री हेतु उत्पादन	आयात	निर्यात	वास्तविक खपत
2011–12	75.70	6.86	4.59	71.02
2012–13	81.68	7.93	5.37	73.48
2013–14	87.67	5.45	5.98	74.09
2014–15	92.16	9.32	5.59	76.99
2015–16	90.98	11.71	4.08	81.52
अप्रै.–दिस. 2016–17*	73.96	5.49	4.98	61.54

स्रोतः जेपीसी; * अनंतिम

3.2.2 कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2011–12 के बाद से क्षमता के साथ–साथ लगातार वृद्धि हुई है। गत पांच वर्षों के दौरान एवं अप्रैल–दिसंबर, 2016–17 के लिए कच्चे इस्पात के उत्पादन, क्षमता और क्षमता के उपयोग से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:

वर्ष	कच्चा इस्पात		
	क्षमता (मिलियन टन)	उत्पादन (मिलियन टन)	क्षमता उपयोग (%)
2011–12	90.87	74.29	82
2012–13	97.02	78.42	81
2013–14	102.26	81.69	80
2014–15	109.85	88.98	81
2015–16	121.97	89.79	7
अप्रै.–दिस. 2016–17*	124.77^	72.35	77#

स्रोतः जेपीसी;* अनंतिम; ^वार्षिक आंकड़ा, #यथानुपात, वार्षिक आंकड़ों पर आधारित

- कच्चे माल के उत्पादन में 5 प्रतिशत वार्षिक सीएजी दर से वर्ष 2011–12 में 742.9 लाख टन प्रतिवर्ष से 2015–16 में 897.9 लाख टन प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई।
- उत्पादन में ये वृद्धि क्षमता विस्तार द्वारा संचालित थी, जो पांच वर्ष के दौरान 9 प्रतिशत की सीएजी वृद्धि दर से 2011–12 में 908.7 लाख टन प्रतिवर्ष से 2015–16 में 1219.7 लाख टन प्रतिवर्ष पहुंच गई।
- बिक्री के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) का उत्पादन 6 प्रतिशत की औसत वार्षिक (सीएजीआर) वृद्धि के साथ 2011–12 के 756.9 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 2015–16 में 909.8 लाख टन पहुंच गया।
- कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) की घरेलू वास्तविक खपत पिछले पांच वर्षों के दौरान 4.2 प्रतिशत सीएजी दर से वृद्धि के साथ 2011–12 के 710.2 लाख टन की तुलना में 2015–16 की 815.2 लाख टन रही थी।
- कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) का निर्यात साल 2015–16 के दौरान 40.8 लाख टन (2011–12 में 45.9 लाख टन) था जबकि इसी साल कुल आयात इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) 117.1 लाख टन (2011–12 में 68.6 लाख टन) था।
- भारत वर्ष 2007–08 से हर साल कुल तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक देश रहा है।

3.2.3 ऊपर दिए गए कच्चे इस्पात के कार्यनिष्पादन में बहुत बड़ा योगदान इस्पात निर्माण के वैद्युत मार्ग का, खासतौर पर इंडक्शन फर्नेस मार्ग का रहा। इसका देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में वर्ष 2015–16 के दौरान 30 प्रतिशत और

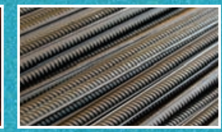

अप्रैल–दिसंबर 2016–17 के दौरान 28 फीसदी योगदान रहा और कच्चे इस्पात के उत्पादन का यह प्रमुख प्रेरक बनकर सामने आया। पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान एवं अप्रैल–दिसंबर, 2016–17 (अनंतिम) के लिए आंकड़ों के साथ देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में विभिन्न प्रक्रिया मार्गों का हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

प्रक्रिया मार्ग द्वारा कच्चे इस्पात का उत्पादन			
प्रक्रिया मार्ग	प्रतिशत हिस्सेदारी (%)		
	2011–12	2015–16	अप्रैल–दिसंबर 2016–17*
बेसिक आक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	42	42	43
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	26	28	29
इंडक्शन फर्नेस (आईएफ)	32	30	28
कुल	100	100	100

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम

3.2.4 भारत कोयला आधारित संयंत्रों के साथ स्पंज आयरन का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये संयंत्र देश के खनिज प्रधान राज्यों में स्थित हैं। बीते वर्षों के दौरान कोयला आधारित मार्ग कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है और देश में कुल स्पंज लौह उत्पादन में इसका योगदान वर्ष 2015–16 में 89 प्रतिशत और अप्रैल–दिसंबर 2016–17 (अनंतिम) के दौरान 80 प्रतिशत रहा। स्पंज आयरन उद्योग में भी बीते सालों के दौरान वृद्धि हुई है और 2015–16 में यह 433.6 लाख टन रहा। भारत वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक बना हुआ है। नीचे दी गई तालिका में पिछले पांच वर्षों और अप्रैल–दिसंबर, 2016–17 (अनंतिम) के दौरान देश में स्पंज आयरन के उत्पादन के आंकड़े और उसमें उत्पादन के कोयला और गैस आधारित मार्ग की भागीदारी का ब्यौरा दिया गया है :

वर्ष	स्पंज आयरन का उत्पादन (इकाईः मिलियन टन)					
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	अप्रैल–दिसंबर 2016–17*
कोयला आधारित	19.80	19.07	20.19	21.89	19.99	14.58
गैस आधारित	5.17	3.94	2.68	2.35	2.44	3.69
कुल	24.97	23.01	22.87	24.24	22.43	18.27

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम

3.2.5 भारत पिग आयरन का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में भी कई इकाइयां स्थापित होने से न केवल आयात में भारी कमी आई बल्कि भारत पिग आयरन का शुद्ध निर्यातक बनकर सामने आया। 2015–16 में बिक्री योग्य पिग आयरन के उत्पादन में 92 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र का रहा। घरेलू बाजार में पिछले पांच वर्षों और अप्रैल–दिसंबर, 2016–17 (अनंतिम) के लिए पिग आयरन की उपलब्धता की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

वर्ष	पिग आयरन की देश में उपलब्धता का परिदृश्य ('000 टन)					
	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	अप्रैल–दिसंबर 2017–17*
बिक्री हेतु उत्पादन	5371	6870	7950	9694	9228	7.072
आयात	8	21	34	23	22	30
निर्यात	491	414	943	540	297	146
खपत	4975	6501	7110	9057	9021	6.932

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम

3.3 विश्व में भारतीय इस्पात की स्थिति

विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2016 के दौरान दुनिया भर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 16285 लाख टन रहा, जो वर्ष 2015 के मुकाबले 0.8 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2016 के दौरान चीन का कच्चा इस्पात उत्पादन 8084 लाख टन पहुंच गया, इसमें वर्ष 2015 के मुकाबले 1.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015 के दौरान चीन विश्व में सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बना रहा और एशिया में उसका 73 प्रतिशत और विश्व में 49 प्रतिशत कच्चे इस्पात उत्पादन में योगदान रहा। वर्ष 2016 के दौरान भारत तीसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक रहा और वर्ष 2015 के मुकाबले 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वैश्विक स्तर पर कच्चा इस्पात उत्पादन			
रैंक	**देश**	**मात्रा 2016* (मी.टन)**	**2015 के मुकाबले अंतर% में**
1	चीन	808.4	1.2
2	जापान	104.8	–0.3
3	भारत	95.60	7.4
4	अमेरिका	78.6	–0.3
5	रूस	70.8	–0.1
6	दक्षिण कोरिया	68.6	–1.6
7	जर्मनी	42.1	–1.4
8	ब्राजील	33.2	5.4
9	तुर्की	30.2	–9.3
10	यूक्रेन	24.2	5.2
	विश्व	**1628.5**	**0.8**

स्रोत : डब्ल्यूएसए; *अनंतिम

3.4 इस्पात : प्रमुख तथ्य

भारतीय इस्पात परिदृश्यः अप्रैल–दिसंबर, 2016–17*		
कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र)	**मात्रा (मिलियन टन)**	**%बदलाव****
बिक्री हेतु उत्पादन	73.96	10.8
आयात	5.49	–37.4
निर्यात	4.98	57.8
खपत	61.54	3.4
कच्चा इस्पात		
उत्पादन	72.35	8.8
क्षमता उपयोग (%)	77	–

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम; **पिछले साल की समान अवधि की तुलना में

2015 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादन करने वाला देश बनने (अनंतिम) के अलावा, भारत ने स्पंज आयरन/डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) के उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित की। इसका कारण देश के खनिज प्रधान इलाकों में कोयला आधारित स्पंज आयरन संयंत्रों का विकास रहा। इससे देश के घरेलू स्पंज आयरन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिससे देश को वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल करने और उसे कायम रखने में मदद मिली। इस समय कई बड़ी परियोजनाएं या तो चलाई जा रही हैं या प्रस्तावित हैं, जो एक बार परिचालन में आने के बाद इस्पात उद्योग की संरचना और उसके स्वरूप की गाथा नए सिरे से लिखेंगी। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को और बल मिलेगा। अतः भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य निश्चित तौर पर बहुत आशावादी है। इस्पात क्षेत्र में उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े अनुलग्नक III-XI में दिए गए हैं।

3.5 निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन का रुख़

देश में गत पांच वर्षों के दौरान और अप्रैल–दिसंबर, 2016–17 (अनंतिम) में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन एवं उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर निम्नलिखित तालिका में प्रकाश डाला गया है:

भारतीय कच्चा इस्पात उत्पादन

क्षेत्र	इकाई	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	अप्रैल–दिसंबर 2016–17*
सार्वजनिक क्षेत्र	मि.टन	16.48	16.48	16.77	17.21	17.92	13.63
निजी क्षेत्र	मि.टन	57.81	61.94	64.92	71.77	71.87	58.72
कुल उत्पादन	मि.टन	74.29	78.42	81.69	88.98	89.79	72.35
सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा	%	22	21	21	19	20	19

स्रोतः जेपीसी; * अनंतिम मि.टन = मिलियन टन

3.6 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए योजना परिव्यय

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए, योजना आयोग ने 91174.64 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को {अर्थात् 90974.64 करोड़ रुपए के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई एंड ईबीआर) और 200.00 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)} मंजूरी दी है।

(करोड़ रुपए में)

क्रम.सं.	सार्वजनिक उपक्रमों के नाम	12वीं योजना (2012–17) मंजूर परिव्यय		
		आईएंडईबीआर	जीबीएस	कुल
क.	**केंद्रीय क्षेत्र की योजना**			
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	45000.00	0.00	45000.00
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड *	13373.00	0.00	13373.00
3	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्र. लि.	0.00	0.00	0.00
4	मेकॉन लिमिटेड	25.00	0.00	25.00
5	एमएसटीसी लिमिटेड	105.00	0.00	105.00
6	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	60.00	0.00	60.00
7	एनएमडीसी लिमिटेड	27872.17	0.00	27872.17
8	केआईओसीएल लिमिटेड	3080.00	0.00	3080.00
9	मॉयल लिमिटेड	1459.47	0.00	1459.47
	कुल (क)	**90974.64**	**0.00**	**90974.64**
ख.	**केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना**			
1	लौह व इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन			
1(i)	जारी आरएंडडी योजना	–	48.00	48.00
1(ii)	प्रौद्योगिकी विकास या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (CRGO) स्टील शीट्स व अन्य मूल्यवर्धित इस्पात उत्पाद (नए घटक)	–	150.00	150.00
1(iii)	अभिनव लौह/इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी (मौजूदा योजना के तहत नई परियोजनाएं) का विकास	–	2.00	2.00
	कुल (ख)	–	**200.00**	**200.00**
	सकल योग (क+ख)	**90974.64**	**200.00**	**91174.64**

* ओएमडीसी लिमिटेड और बीएसएलसी लिमिटेड पूर्ववर्ती बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की सहायक कंपनियां थीं, जो कि आरआईएनएल की सहायक पीएसयू बन गई हैं और उनके आंकड़े आरआईएनएल के साथ मिलाकर दिए गए हैं।

3.7 इस्पात मंत्रालय की भूमिका

विनियमन समाप्त करने से पहले इस्पात मंत्रालय की एक नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो आर्थिक परिदृश्य तथा देश में इस्पात निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की कमी के बीच देश में इस्पात उत्पादन कम होने के कारण आवश्यक थी। आबंटन के मुद्दे पर कुशल और न्यायसंगत निर्णयों के कारण तथा कीमतों आदि से संबंधित नीति निर्माण के कारण इस्पात मंत्रालय ने इस चरण के दौरान इस्पात उद्योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विनियमन समाप्ति के बाद के दौर में इस्पात मंत्रालय की भूमिका मूल रूप से भारतीय इस्पात उद्योग को सुविधा प्रदाता की रही है। यह लौह एवं इस्पात उद्योग संबंधी योजना बनाने व विकास के लिए और लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो एलॉय, स्पंज आयरन जैसे आवष्यक कच्चे माल के विकास व अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार रहा है। मौजूदा समय में अपनी भूमिका में इस्पात मंत्रालय निम्नलिखित मामलों में देश के लौह एवं इस्पात उद्योग को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है, जैसेः

- सक्रिय समन्वय और सही नीतिगत निर्देशों के कार्यान्वयन के जरिए इस्पात क्षमता हेतु निवेश प्रक्रिया में तेजी लाने में सुविधा प्रदान कर रहा है। देश में प्रमुख इस्पात निवेशों की निगरानी और समन्वय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय में एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) काम कर रहा है।
- नए संयंत्र की स्थापना और पुराने संयंत्रों के विस्तार के लिए कच्चे माल की संलग्नता उपलब्ध कराना तथा रेल सुविधा उपलब्ध कराना।
- उत्पादकों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ वैगन की जरूरतों को पूरा करके उन्हें कोयले के अलावा अन्य कच्चे माल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना।
- नए उद्यम लगाने का प्रस्ताव करने वाले उद्यमियों के साथ नियमित चर्चा, कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और कार्यान्वयन में आई समस्याओं का मूल्यांकन करना।
- इस्पात उद्योग की जरूरत के मुताबिक बुनियादी ढांचे एवं संबद्ध सुविधाओं की पहचान करना और इस्पात क्षेत्र की अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग के साथ समन्वय करना।
- इस्पात के संपूर्ण व प्रभावी ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देना, विकसित और प्रचारित करना, विशेषकर कोलकाता स्थित ''इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (इन्सडैग)'' के माध्यम से ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी इलाकों में विनिर्माण क्षेत्र में इसके इस्तेमाल पर जोर देना।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति देश में लौह एवं इस्पात संबंधी अनुसंधान प्रयासों को समग्र दिशा प्रदान करने के लिए और अपने समक्ष प्रस्तुत विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए इस्पात विकास निधि से पूर्णतः अथवा आंशिक वित्तपोषण हेतु मंजूरी देती है। 12वीं योजना अवधि के दौरान सरकार की बजटीय सहायता से देश में शोध एवं विकास की गतिविधियों को और बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

अध्याय–IV

सार्वजनिक क्षेत्र

4.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 08 (आठ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईएस) हैं। इसके अलावा 04 (चार) सहायक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईएस) हैं। इन सीपीएसईएस एवं इनके सहायक कंपनियों का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया हैः

4.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसके पांच एकीकृत इस्पात कारखाने– भिलाई (छत्तीसगढ), राउरकेला (ओडीशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित मिश्र इस्पात कारखाना, (तमिलनाडु), सेलम में सेलम स्टील कारखाना और (कर्नाटक), भद्रावती में स्थित विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र सेल के तीन विशेष और मिश्र इस्पात के कारखाने हैं। इसके अलावा रांची में स्थित लोहे और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस), इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी केंद्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) और सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) के साथ–साथ धनबाद स्थित केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ) भी इसकी कई प्रमुख इकाई हैं। कोलकाता स्थित कच्चा माल डिवीजन (आरएमडी), पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन (ईएमडी) तथा ग्रोथ डिवीजन (जीडी) और बोकारो स्थित सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट भी सेल की महत्वपूर्ण ईकाई हैं। चन्द्रपुर फेरो एलॉय प्लांट महाराष्ट्र में अवस्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी के देश भर में फैले विपणन और वितरण नेटवर्क का समन्वय केंद्रीय विपणन संगठन करता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। सेल परामर्शदात्री विभाग (सेल कंसलटेंसी डिविजन) नई दिल्ली से कार्य करता है।

4.2.1 पूंजी संरचना

सेल की अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए है। 31.12.2016 को कंपनी की चुकता पूंजी (पेड–अप कैपिटल) 4130.53 करोड़ रुपए थी, जिसकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है और शेष 25 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/जीडीआर/धारकों/बैंकों/कर्मचारियों/व्यक्तियों इत्यादि के पास हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के निष्पादन पर पुनर्विचार हेतु माननीय इस्पात मंत्री ने निरीक्षण किया

4.2.2 वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 के पहले 9 महीनों में 35,101 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया। वित्त वर्ष 2016–17 के पहले 9 महीनों में कंपनी को कर देने के बाद कुल 2,062 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए कोई लाभांश चुकता नहीं किया है।

4.2.3 उत्पादन निष्पादन

वास्तविक उत्पादन के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

(मिलियन टन में)

	2015–16	2016–17 (अप्रै.–दिसं. '16)
तप्त धातु	15.7	11.7
कच्चा इस्पात	14.3	10.7
विक्रय योग्य इस्पात	12.4	10.2

4.2.4 कच्चा माल

वित्तीय वर्ष 2016–17 (अप्रैल–दिसंबर, 2016) के दौरान सेल की निजी खानों और कोयला खदानों से लौह अयस्क, फलक्स और कच्चे कोयले का वास्तविक उत्पादन क्रमशः लगभग 196.8 लाख टन, 14.9 लाख टन और 5.0 लाख टन रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सेल ने निजी खानों से लगभग 248.3 लाख टन का उत्पादन करके अपने इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क की आवश्यकता को पूरा किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान निजी खानों से फ्लेक्स का उत्पादन 22.6 लाख टन था। वर्ष 2015–16 के दौरान सेल की निजी कोयला खदानों से कच्चे कोयले का उत्पादन 7.1 लाख टन था।

4.2.5 जनशक्ति

1 अप्रैल, 2016 को सेल के कर्मचारियों की संख्या 88655 थी। दिनांक 01.01.2017 को यह संख्या 84092 थी (13084 कार्यकारी/71008 गैर–कार्यकारी)। इस तरह से वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसंबर 2016 तक) कंपनी ने श्रमिकों की संख्या में 4563 की कमी की।

4.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने की निगमित कंपनी है, जो विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित देश का पहला समुद्र तटीय एकीकृत इस्पात कारखाना है। आरआईएनएल ने प्रतिवर्ष 63 लाख टन की विस्तार क्षमता प्राप्त कर ली है। तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए कई यूनिट्स को स्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है। इसका विस्तार मुख्यतः आंतरिक संसाधनों से किया जा रहा है। इस कंपनी में 01.01.2017 को 17,945 स्थायी कर्मचारी हैं, (जिसमें 5907 कार्यकारी अधिकारी तथा 170 बिना किसी संघ के सुपरवाइजर और 11868 गैर कार्यकारी श्रमिक) हैं।

51 प्रतिशत शेयर के साथ इस कंपनी की सहायक कंपनी ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) है, तथा ईआईएल की दो सहायक कंपनियां क्रमशः मैसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और मैसर्स बिरसा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) हैं। कंपनी की आरआईएनएमओआईएल फेरो एलोयज प्राइवेट लिमिटेड, आरआईएनएल पावर ग्रिड लिमिटेड और इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम के तौर पर क्रमशः 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 14.29 प्रतिशत शेयर के साथ साझेदारी है।

आरआईएनएल का मुख्य काम अपनी विशाखापट्टनम स्थित उत्पादन इकाई में लंबी श्रेणियों में इस्पात उत्पादों का उत्पादन करना और 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, 24 शाखा बिक्री कार्यालयों, 23 स्टॉकयार्डों तथा 6 बिक्री एजेंटों(सीएसए) के विस्तृत मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से उनका देश भर में विपणन करना है।

आरआईएनएल के मुख्य उत्पादों में रिबार्स, वायर रॉड्स, राउंड्स और स्ट्रक्चरल्स शामिल हैं। कंपनी बिलेट्स, ब्लूम्स, कच्चा लोहा और उप–उत्पादों जैसे कोयला रसायन (अमोनियम सल्फेट, बेंजोल उत्पाद इत्यादि) और स्लैग का भी विपणन करती है।

इस्पात मेल्ट शॉप–1 का कन्वर्टर–1 का रिवैंप आधुनिकीकरण एवं रिवैपिंग के हिस्से के रूप में सम्पन्न हो गया है

4.3.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

आरआईएनएल ने वर्ष 2014–15 तक लाभ अर्जित किया था। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष दिसंबर, 2016 तक 8786 करोड़ रुपये का रिकार्ड टर्नओवर किया। कंपनी ने वर्ष 2016–17 में दिसंबर, 2016 तक 975 करोड़ रुपये की कर पश्चात हानि दर्ज की है। कंपनी ने वर्ष 2015–16 में लाभांश का भुगतान नहीं किया है।

4.3.2 उत्पादन कार्यनिष्पादन

कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात के उत्पादन के संदर्भ में कंपनी की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

मद	2015–16	2016–17 (अप्रै.–दिसं.)
तप्त धातु	2991	3230
कच्चा इस्पात (000टन)	3641	2921
विक्रय योग्य इस्पात (000टन)	3513	2763

मूल्य संवर्धित इस्पात का उत्पादन 22.26 लाख टन (अप्रैल 16 से दिसं 16) किया गया जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 19.5 प्रतिशत विकास दिखाता है।

4.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह मुख्यतः खनिजों की खोज तथा खानों को विकसित करने का काम करती है। अभी यह इस्पात निर्माण तथा इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों की ओर अपना विस्तार कर रही है।

15 नवम्बर, 1958 को निगमित यह कंपनी पिछले पांच दशकों से राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे रही है तथा राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा को सुदृढ़ता के साथ जारी रखे हुए है। कभी एक उत्पाद – एक खरीददार वाली यह कंपनी अब स्वदेशी इस्पात उद्योग को लौह अयस्क आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख कंपनी बन गई है। यह कुछ कीमती खनिजों की खानों की खोज जैसे आंध्र प्रदेश में हीरे और तंजानिया में सोने जैसी बहुमूल्य धातुओं की खानों की खोज में लगी है।

एनएमडीसी देश में बैलाडिला (छत्तीसगढ) और दोनिमलाई (कर्नाटक) में लौह अयस्क की बड़ी खदानों का संचालन करती है। एनएमडीसी की हीरा खान, पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। एनएमडीसी की स्पंज लौह इकाई आंध्र प्रदेश के पालोन्चा में स्थित है।

ग्रीनफील्ड विस्तारीकरण/विविधीकरण कार्यक्रम के एक अंग के तौर पर एनएमडीसी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित नगरनार में 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना लगा रहा है। इसके लिए तकरीबन सभी तकनीकी और सहायक कार्य हो चुके हैं तथा अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है।

एनएमडीसी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं में अपने कारोबार का विस्तार करने के उद्देश्य से (क) कर्नाटक के दोनिमलाई में 12 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का पैलेट संयंत्र और (ख) छत्तीसगढ़ के नगरनार में 20 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के पैलेट संयंत्र के साथ–साथ बछेली और नगरनार के बीच स्लरी पाइपलाइन द्वारा जुड़े 20 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाला लाभप्रद संयंत्र भी लगा रहा है।

दोनिमलाई में 1.2 एमपीटीए पैलेट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और परीक्षण उत्पादन भी शुरू हो गया है। नागरनार में 2 एमपीटीए पैलेट प्लांट के लिए सभी तरह की वैधानिक अनुमति मिल चुकी है और इसके लिए जगह को विकसित किए जाने का काम शुरू हो गया है। बछेली में स्लरी पाइपलाइन सिस्टम एवं खनिज अयस्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। कर्नाटक में पवन चक्की (विंड मिल) स्थापित कर तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश करके एनएमडीसी अपनी भूमिका का विस्तार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहा है।

4.4.1 पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपए है। 31.12.2016 को इसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 316.39 करोड़ रुपए है, जिसकी 74.9 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास और शेष 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी वित्तीय संस्थानों/बैंकों/व्यक्तियों/कर्मचारियों आदि के पास है।

4.4.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कंपनी ने 6456 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस दौरान कंपनी का कर देने के बाद कुल लाभ 3028 करोड़ रुपए था। वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी ने प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 1100 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान किया है। दिसंबर, 2016 तक कंपनी का विक्रय कारोबार और कर उपरांत शुद्ध लाभ क्रमशः 5870 करोड़ रुपये (अनंतिम) और 2202 करोड़ रुपये (अनंतिम) था।

4.4.3 उत्पादन कार्यनिष्पादन

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

मद	2015–16	2016–17 (दिसं., 2016 तक)
लौह अयस्क (लाख टन में)	285.74	236.27
हीरा (कैरेट में)	35558	22058
स्पंज लौह (टन में)	6614	5719

4.4.4 जन शक्ति

31.03.16 तक एनएमडीसी में 5773 लोग कार्यरत थे तथा 31.12.16 तक इनकी संख्या बढ़कर 5620 हो गई।

छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन नागरनार आयरन एण्ड स्टील प्लांट का एक विहंगम दृश्य

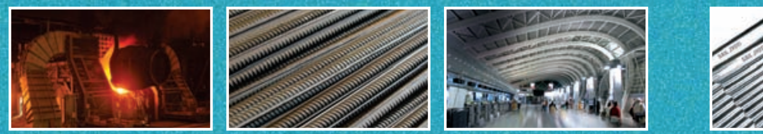

4.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल अनुसूची 'क' की मिनीरत्न श्रेणी– 1 कंपनी है। इसे मूल रूप से वर्ष 1962 में मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से निगमित किया गया था। बाद में, वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान इस कंपनी का नाम मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड से बदलकर मॉयल लिमिटेड (एमओआईएल) किया गया।

कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। इस साल के दौरान कंपनी ने अपने कुछ शेयर वापस खरीदें हैं और इसके बाद भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार का शेयर क्रमशः 66. 21 प्रतिशत, 4.81 प्रतिशत एवं 4.56 प्रतिशत है। शेष 24.42 प्रतिशत शेयर जनता के पास है।

मॉयल (एमओआईएल) विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का उत्पादन और बिक्री करती है, जो निम्न हैं:

- फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी का अयस्क
- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए मध्यम श्रेणी का अयस्क
- तप्त धातु के उत्पादन के लिए अपेक्षित ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी का अयस्क और
- शुष्क बैटरी सेल और रसायन उद्योग के लिए डायऑक्साइड

मॉयल ने 10,000 मि.टन प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता वाले इलेक्ट्रॉलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के निर्माण के लिए देशी तकनीक के आधार पर एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का निर्माण ड्राई बैटरी सैलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा तैयार ईएमडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है तथा बाजार में इसकी अच्छी मांग है। मॉयल लिमिटेड द्वारा मूल्य संवर्धन के लिए 1998 में प्रति वर्ष 10,000 मि. टन उत्पादन क्षमता का एक फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित किया गया।

मॉयल ने गैर–परम्परागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए नागदा हिल्स में 4.8 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म और मध्य प्रदेश के देवास जिले के रतेड़ी हिल्स में 15.2 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है।

4.5.1 पूंजी संरचना

31 दिसंबर 2016 को कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 250 करोड़ और 133.19 करोड़ रुपये थी।

4.5.2 वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 में 172.98 करोड़ रुपये कारोबार किया और उसका कर पश्चात लाभ 628.74 करोड़ रुपये था। साल 2015–16 में कंपनी ने 84.00 करोड़ रुपये का लाभांश दिया।

मॉयल की गुमगाम खान में माननीय इस्पात मंत्री का निरीक्षण

4.5.3 उत्पादन निष्पादन

मद	2015–16	2015–16 (दिसंबर'16 तक) (अंतरिम)
उत्पादन		
क) मैंगनीज अयस्क ('000 टन)	1032	721
ख) ई.एम.डी. (एमटी)	612	501
ग) फेरो मैगनीज (एमटी)	6519	7209

4.6 एम एस टी सी लिमिटेड

पूर्व में मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली एमएसटीसी लिमिटेड की स्थापना सितम्बर, 1964 में देश से फैरो स्क्रैप के निर्यात के नियमन के लिए की गई थी। फरवरी, 1974 में कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन किया गया और इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी बना दिया गया। वर्ष 1982–83 में इसे इस्पात मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया। फरवरी, 1992 तक यह कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज लोहे, हॉट ब्रिक्वेटेड लोहे और पुनर्बेलन स्क्रैप के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी थी। यह पुराने आयातित पोतों के विघटन के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी भी थी, जिसे अगस्त 1991 में डीकेनेलाइज्ड करके ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत लाया गया।

4.6.1 कंपनी की गतिविधियां

ई–कॉमर्सः इसके अंतर्गत कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू), सरकारी विभागों यहां तक कि रक्षा विभाग से भी लौह एवं अलौह धातुओं के स्क्रैप, अधिशेष स्टोर, बंद पड़ी फैक्ट्रियों, खानों, कृषि एवं वन उत्पादों की ई–निलामी और ई–खरीद करती है। इसकी सूची में मुख्यतः रक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, राज्य सरकार, वन विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज्य विद्युत बोर्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा तिरुपति तिरूमला देवस्थानम (टीटीडी) आदि कुछ नाम शामिल हैं। निविदा, नीलामी, ई–नीलामी, ई–रिवर्स नीलामी आदि के माध्यम से यह कारोबार करती है। इसके अलावा एमएसटीसी कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरौली कोलियरीज कार्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीएल), झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (जेएसएमसीडी) से कोयले, एमओआईएल लिमिटेड से फेरो मैंगनीज और मैंगजीन अयस्क, एमएसटीसी कर्नाटक, गोवा और ओडिसा में लौह अयस्क की ई–निलामी कराती हैं। इसके साथ ही एमएसटीसी विभिन्न राज्यों के वन विभाग से लकड़ी उत्पादों तथा लाल चंदन की बिक्री के लिए ई–निलामी आयोजित करती है।

माननीय इस्पात राज्य मंत्री इस्पात सचिव की उपस्थिति में एमएसटीसी की धातु मंडी प्रोक्योरमेंट पोर्टल को प्रक्षेपित करते हुए

सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए यह केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ई–निलामी आदि जैसी कई सेवा प्रदान करती है।

व्यापार: यह आयात/निर्यात और वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिए मुख्यत: थोक औद्योगिक कच्चे माल के घरेलू व्यापार में कार्यरत है। द्वितीय इस्पात क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में खरीददारों की ओर से औद्योगिक कच्चे माल जैसे हैवी मेल्टिंग स्क्रैप, कम राख वाला धातु–कर्मीय कोक, एच आर कॉयल, नाथा, कच्चा तेल, कोकिंग कोल, स्टीम कोयला आदि की खरीद और बिक्री की देखभाल करता है।

4.6.2 पूंजी संरचना तथा शेयरधारण पद्धति

दिनांक 31.03.2016 को कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 5,00,00,000 इक्विटी शेयर है, जिनका मूल्य 50 करोड़ रुपए है। इसकी चुकता पूंजी 8.80 करोड़ रुपए है, जिसमें 10–10 रुपए के 88,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। सितंबर 2015 में हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों ने 1:1 अनुपात में बोनस देने की स्वीकृति प्रदान की। इस तरह कंपनी की चुकता पूंजी बढ़कर 17.60 करोड़ रुपये हो गई।

कंपनी का शेयरधारण पैटर्न निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारण का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	89.85
2.	अन्य	10.15
	कुल	100.00

4.6.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

मदें	2015–16	2016–17* (अनुमानित)
कुल कारोबार	2891.55	1547.29
संचालन लाभ	94.95	60.18
कर पूर्व लाभ	91.34	58.18
कर पश्चात् लाभ	59.88	38.04

* अनंतिम

4.7 फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी चुकता पूंजी 32 करोड़ रुपए है। यह पूरे भारत में कंपनियों को स्क्रैप और स्लैग के प्रबंधन के लिए सेवा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोहा एवं इस्पात उद्योग से निकले स्क्रैप एवं स्लैग को प्रसंस्कृत कर उससे पूंजी इकट्ठा करना है। यह न केवल देश के बहुमूल्य खनिज संसाधनों को सुरक्षित करती है बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी स्टील मिल सेवा जैसे स्लैब को आच्छादित करना, हॉट स्लैग पीट प्रबंधन एवं रखवाली करने आदि की सेवा प्रदान करती है। एफएसएनएल प्लांट व मशीनरी/स्क्रैप/अधिशेष, चल एवं अचल सामान/संपत्ति की कीमत तय करने का काम भी करती है।

एफएसएनल का कॉरपोरेट ऑफिस छत्तीसगढ़ के भिलाई में है तथा यह कंपनी सेल के राऊरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, भद्रावती स्थित इकाइयों के साथ–साथ आरआईएनएल विशाखापट्टनम, एनआईएनएल धुबरी, भेल हरिद्वार, आरडब्लूएफ बंगलुरू और एयर इंडिया मुम्बई को भी अपनी सेवा देती है।

4.7.1 भौतिक कार्यनिष्पादन

मद	2015–16	2016–17 (अप्रैल–दिसंबर)
स्क्रैप की रिकवरी (लाख मीट्रीक टन)	28.20	18.92
उत्पाद का बाजार मूल्य (करोड़ रु. में)	2489.85	1664.67*

*अनंतिम

4.7.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

मद	2015–16	2016–17 (अप्रैल–दिसंबर)
कुल कारोबार, विविध आय सहित सेवा शुल्क आदि	34706.87	23582.38
ब्याज और अवमूल्यन से पूर्व का कुल मार्जिन	4315.83	3278.14
ब्याज और अवमूल्यन	1063.29	945.43
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	3252.54	1539.71

*अनंतिम

4.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

वर्ष 1964 में केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) इस्पात मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है। निगमन के समय इसका उद्देश्य देश में एकीकृत इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए स्वदेशी क्षमता को जुटाना था। यह संगठन समय की कसौटी पर खरा उतरा तथा चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए इसने सक्षम मानव संसाधन और आधुनिक निर्माण उपकरणों को जुटाया। इसके बाद एचएससीएल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने भारत में लगभग सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे–जैसे कंपनी संसाधनों और विशेषज्ञता में आगे बढ़ती गई, इसने विद्युत संयंत्रों, खनन परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं जिनमें बांध और बैराज शामिल हैं, तेल रिफाइनरी, रेलवे, हवाई अड्डे, भवन और वाणिज्यिक कांप्लेक्स, ग्रामीण सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, रेलवे और सड़क यातायात के लिए छोटे और बड़े पुल, शैक्षिक संस्थानों के लिए बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल आदि क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। कंपनी ने अपने कई ग्राहकों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। कंपनी ने सौर ऊर्जा की कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ मिलकर सौर पावर स्थापित करने का व्यवसाय भी शुरू किया है। आज एचएससीएल एक आईएसओ 9001–2008 कंपनी है और सभी तरह की निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हुई है।

वर्तमान में, कंपनी ने सेल और आरआईएनएल के नियमित प्रचालन और अनुरक्षण कार्य के साथ–साथ अपनी क्षमता विस्तार के तहत इनके बहुत से परियोजना पैकेजों को अपने हाथ में ले रखा है।

एचएससीएल ने वर्तमान में केवीएस, एनवीएस, बीएचयू, सारनाथ स्थित सीयूटीएस, भुवनेश्वर स्थित विधि विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के कई आईटीआई एवं इंजीनियरिंग कॉलेज, पश्चिम बंगाल के जंगीपुर स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्र (प्रथम चरण पूरा हो गया) आदि की अवसंरचना बनाने का काम कर रही है एवं अलीगढ़ के एमयू में काम प्रगति पर है। इसके साथ–साथ पुरुलिया के इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन हो गया है। इसके अलावा यह कंपनी मध्य प्रदेश के सागर स्थित श्री हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, खाद्य पदार्थों के गोदाम तथा सरकार और पीएसयू की कई व्यावसायिक इमारतों का निर्माण कर रही है। एचएससीएल के पास रेलवे के कई पुलों तथा अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण का कार्य भी है।

4.8.1 पूंजी संरचना

वर्ष 2015–16 की अवधि और 2016–17 की प्रथम तिमाही (गैर–लेखापरीक्षित) के दौरान कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नवत है:

मद	2015–16	2016–2017 की तीसरी तिमाही तक (अनअंकेक्षित)
कुल कारोबार	1413.02	935.25
परिचालन लाभ (पीबीआईडीटी)	93.82	67.96
शुद्ध लाभ	30.19*	41.76

वित्तीय पुनर्रचना पैकेज के प्रावधानों के प्रभावों के बारे में जानकारी के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति सभी मामलों में सुधरेगी। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 30.19 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कंपनी ने यह मुनाफा पिछले 30 साल से अधिक समय के बाद कमाया है। दिनांक 1.4.2016 को इसकी कुल पूंजी 64.48 करोड़ रुपए रही है और अधिशेष एवं सुरक्षित 31.35 करोड़ रुपए रहे।

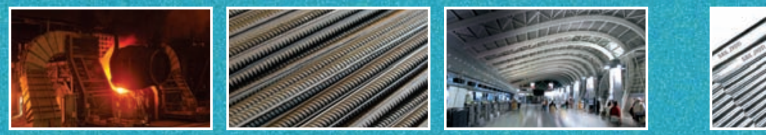

4.9 मेकॉन लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनीरत्न उद्यम मेकॉन लिमिटेड धातु, बिजली, तेल एवं गैस, अवसंरचना, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन्स, सड़क एवं हाइवे, रेलवे, जल प्रबंधन, बंदरगाह, सामान्य इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग तथा कई अन्य क्षेत्रों में अनुभव वाला एक प्रमुख बहुआयामी डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्शदात्री और ठेके पर काम करने वाला संगठन है। मेकॉन टर्नकी क्रियान्वयन समेत अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक का कार्य पूरा करने हेतु ग्रीनफील्ड और ब्राउफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए सभी सेवाएं प्रदान करता है। यह एक आईएसओ:9001–2008 कंपनी है, जो कई वैश्विक वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, एडीबी, अफ्रीकन विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और यूएन औद्योगिक विकास संगठन में पंजीकृत है। इसकी कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी है, जिससे यह अपनी तकनीक के विकास में सहयोग प्राप्त करती है।

मेकॉन ने बहुत सी अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक साकार किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं – श्री हरिकोटा में द्वितीय लांचिंग पैड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का प्रथम देसी लांच पैड, एसएचएआर, इसरो के लिए सेमी क्रायोजेनिक पोपल्सन सिस्टम पर स्टैटिक टेस्ट के लिए महेंद्रगिरि में इंटिग्रेटेडटेस्टिंग फैसिलिटी, भेल के लिए विशेषीकृत ब्लास्ट प्रूफ एवं सुरक्षित भूमिगत अवसंरचना एवं विशेषीकृत ईएमपी सुरक्षित भू–संरचना, सीआरजीओ स्टील के लिए उत्पादन तकनीक के विकास के लिए पाइलट प्लांट की स्थापना, हाल (एचएएल) के लिए नई हैलीकाप्टर फैसिलिटी के लिए एकीकृत अवसंरचना, भारतीय नेवी के लिए कोच्ची एवं गोवा के भारतीय नेवल एयरक्राट यार्ड का आधुनिकीकरण, आरआईएनएल के लिए रेल पहिया प्लांट, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए आर्ट्स कैंपस, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मुंबई में जीओ–टैक्निकल सेंट्रीफ्यूज सुविधा (विश्व में अपनी तरह की छठी सुविधा है, जिसका वित्तपोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डीआरडीओ, मानव संसाधन विभाग द्वारा किया गया है), टीएनईबी पॉवर प्लांट के लिए एन्नोर बर्थ से कोल हैंडलिंग सुविधा, जो 11 किलोमीटर की बेल्ट कन्वेयर व्यवस्था युक्त हार्बर से पावर प्लांट तक एशिया की सबसे बड़ी कोल हैंडलिंग सुविधा है और भारतीय नौसेना की परियोजना सीबर्ड (भारत की पहली जहाज मरम्मत सुविधा)।

मेकॉन ने अपने विश्वस्तरीय डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। विश्व के अलग–अलग देशों में यह 130 परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

4.9.1 वित्तीय उपलब्धि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 317.28 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो पिछले साल की तुलना में 19 प्रतिशत कम है। हालांकि, वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी कोई लाभ नहीं कमा सकी। बाद में स्टील सेक्टर में सामान्य वृद्धि एवं पश्चात वसूली के धीमे विकास ने कंपनी की कुल पूंजी को भी प्रभावित किया है और यह 31.03.2016 को 235.22 करोड़ रुपए है।

मेकॉन मुख्यालय का एक विहंगम परिदृश्य

4.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक लैगशिप कंपनी है, जिसकी स्थापना 02.04.1976 को की गई थी। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य कर्नाटक के चिकमंगलूरू स्थित कुद्रेमुख लौह अयस्क खान से लो ग्रेड मैग्नेटाइट लौह आयस्क का खनन कर इससे फायदा कमाना था। वर्तमान में केआईओएल लिमिटेड लौह अयस्क को लाभकारी बनाने तथा पैलेट बनाने में लगा है और अनुसूची–ए के तहत 1999 में इसे मिनि रत्न कैटगरी–1 का स्टेटस दे दिया गया है। इसके अलावा इसे आईएसओ–9001:2008 और आईएसओ–14001:2004 कंपनी बन गई है तथा ओएचएसएएस–18001:2007 के लिए आवेदन किया है।

भारत सरकार के पास इसकी 98.99 प्रतिशत इक्विटी है। कंपनी के पास प्रति वर्ष 35 लाख टन आयरन ऑक्साइड पैलेट और 2.16 लाख टन पीग आयरन बनाने की क्षमता है। कंपनी के पास मंगलोर में शिप पर चढ़ाने और उतारने के लिए अपनी जगह है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 01.01.2006 से कुद्रेमुख से खनन का कार्य बंद कर दिया गया है। इसके कारण कंपनी को अब अपने पैलेट प्लांट की आवश्यकता के कच्चे मामल जैसे लौह अयस्क आदि के लिए एनएमडीसी एवं अन्य निजी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।

4.10.1 उत्पादन उपलब्धि

साल 2016–17 के लिए 13 लाख टन पेलेट के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साल 2016–17 के दौरान दिसम्बर 2016 तक 9.75 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर 2016 तक 7.25 लाख टन का वास्तविक उत्पादन हुआ जो निर्धारित लक्ष्य का 74.36 प्रतिशत है।

4.10.2 वित्तीय उपलब्धि

बिक्री राजस्व

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पैलेट	पिग आयरन	कुल
2016–17 (अप्रैल–दिसंबर 2016)	399.98	0.07	400.05
2015–16	198.45	1.35	199.80

केआईओसीएल की वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिसंबर 2016 तक) के दौरान की उपलब्धि के साथ–साथ पिछले साल की उपलब्धियां यहां दर्शाई गई हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2016–17 (अप्रै.–दिसं.)	2015–16
बिक्री की कुल कीमत	400.05	199.80
कुल मार्जिन	18.20	–66.46
कर पश्चात् लाभ	0.51	–77.66

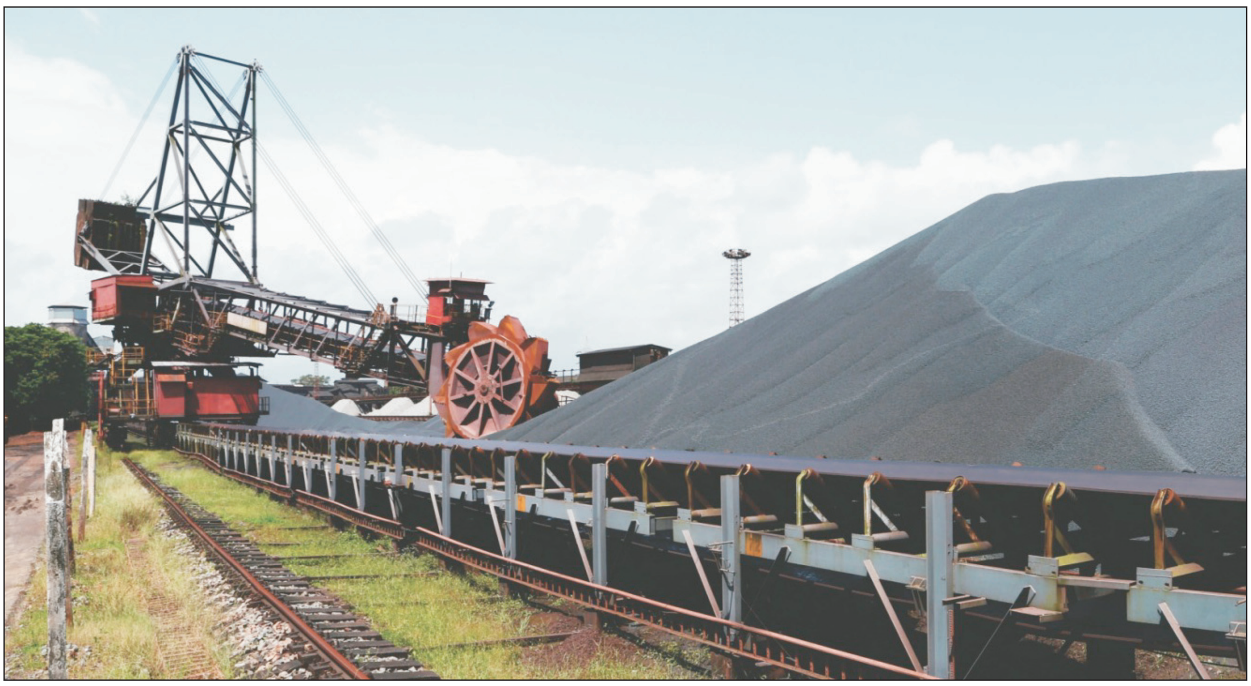

केआईओसीएल में रिक्लेमर पेलेट

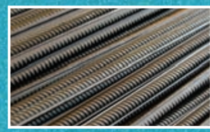

4.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) एक गैर–ब्रोकिंग वित्तीय कंपनी है और आरआईएनएल की एक सहायक कंपनी है तथा ओएमडीसी और बीएसएलसी की धारक कपंनी है। ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी दिनांक 19.03.2010 से पीएसयू बन गई हैं।

(क) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल)

वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2015–16	2016–17 (अप्रै.–दिसं.)
आय	2.24	1.50
व्यय	0.53	0.36
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	1.44	0.84

(ख) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसीएल)

ओएमडीसी लौह अयस्क की सबसे पुरानी खनन कंपनी है और केंद्रीय सरकार के अधीन लौह अयस्क के खनन में एनएमडीसी के बाद दूसरे नंबर पर है। ओएमडीसी की खानें ओडिशा के क्योंझर जिले के जनजातीय बाहुल क्षेत्र में स्थित हैं। वर्तमान मुकदमें बाजी के कारण खानें प्रचालन कार्य नहीं कर रही हैं।

कंपनी की प्राधिकृत और चुकता पूंजी 0.60 करोड़ रुपये है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2015–16	2016–17 (अप्रै.–दिसं.)
अन्य आय	69.97	48.17
कर पश्चात् आय (पीएटी)	10.63	4.95

(ग) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

बीएसएलसी उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में चूना–पत्थर और डोलोमाइट के एक पट्टे पर कार्य कर रही है।

कंपनी की अधिकृत पूंजी 87.50 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 87.29 करोड़ रुपए है।

वास्तविक कार्यनिष्पादन

(टन में)

विवरण	2015–16	2016–17 (अप्रै.–दिसं.)
उत्पादन		
डोलोमाइट	476391	308800
लाइमस्टोन	5636	243
भेजा गया		
डोलोमाइट	531255	381746
लाइमस्टोन	0	9399
माइनर मिनरल	23328	35600

वित्तीय कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2015–16	2016–17 (अप्रै.–दिसं.)
आय	38.91	28.45
कर पश्चात् लाभ/हानि (पीएटी)	(16.17)	(10.27)

अध्याय–V

निजी क्षेत्र

5.1 प्रस्तावना

इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र, देश में इस्पात उद्योग के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र में एक ओर बड़ी इस्पात कंपनियां और दूसरी ओर स्पंज आयरन संयंत्रों, छोटी धमन भट्टी ईकाइयों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रि–रोलिंग मिलों, कोल्ड–रोलिंग मिलों और कूलिंग ईकाइयों जैसी छोटी और मंझोली कंपनियां सम्मिलित हैं। ये कंपनियां गुणवत्ता, नवीकरण और किफायतीपन के मामले में भी व्यापक मूल्य संवर्धन योगदान दे रही हैं।

5.2 निजी क्षेत्र में अग्रणी इस्पात उत्पादक नीचे तालिका में दिए गए हैं :

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	निवेशक	वर्तमान क्षमता*	2017–18 तक प्रस्तावित ब्राउनफील्ड विस्तार क्षमता	2017–18 तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड विस्तार क्षमता	2017–17* में प्रस्तावित कुल क्षमता (कॉलम 3+4+5)
		(मि.टन)	(मि.टन)	(मि.टन)	(मि.टन)
1	2	3	4	5	6
1	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	18	0	0	18
2	टाटा स्टील लिमिटेड	12.50	0.40	0	12.59
3	एस्सार स्टील लिमिटेड	10.00	0	0	10
4	भूषण स्टील लिमिटेड	5.60	0	0	5.6
5	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	2.50	0	0	2.5
6	इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड *	1.88	0	0	1.88
7	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	1.80	0	0	1.8
8	जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड	1.00	0.15	0	1.15
9	जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड	0.78	0.08	0	0.86
10	वीसा स्टील लिमिटेड	0.50	0	0	0.5

ध्यान दें :

1. कॉलम 3 में आंकड़ों का स्रोत जेपीसी (अनंतिम) है।
2. इस्पात कंपनियों के अनुसार आगामी क्षमता पर आंकड़ें 2017–18 से संबंधित हैं।

5.3 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील भारत की एक अग्रणी इस्पात निर्माता और विश्व की प्रतिष्ठित इस्पात कंपनियों में से एक है। इसकी कर्नाटक में विजयानगर, तमिलनाडु में सेलम और महाराष्ट्र में दोलवी, वासिंद व तारापुर में छह आधुनिकतम निर्माण सुविधाएं स्थापित हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील इस्पात उत्पादों की एक बड़ी श्रृंखला पेश करता है, जिसमें हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, इलेक्ट्रीकल स्टील, बेयर और प्रिपेंटेड गेल्वेनाइज्ड एवं गेलवेल्यूम, टीएमटी बार्स, वायर रॉड्स और विशेष इस्पात शामिल हैं।

जेएसडब्ल्यू ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए उच्च शक्ति और उन्नत उच्च शक्ति के इस्पात के निर्माण के लिए जेएफई स्टील समूह, जापान के साथ तकनीकी सहयोग में भागीदार की है। अपने वैश्विक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कंपनी ने अमेरिका में बेटाउन, टेक्सास में एक पाइप और प्लेट निर्मित करने वाले इस्पात कारखाने का अधिग्रहण किया है। अगले दशक के अंत तक जेएसडब्ल्यू का उद्देश्य वार्षिक 400 लाख टन इस्पात का उत्पादन करना है। जेएसडब्ल्यू स्टील को तेजी और नवीनता के साथ उन्नत उच्च शक्ति का ऑटोमोटिव इस्पात विकसित करने के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा स्टीली अवॉर्ड 2016 (अभिनव श्रेणी में) से नवाजा गया है।

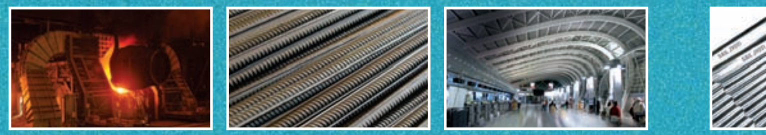

5.4 टाटा स्टील लिमिटेड

टाटा स्टील भारत में इस्पात निर्माण करने वाले बड़े उत्पादकों में से एक है। टाटा स्टील कलिंगानगर संयंत्र ने जून 2016 में अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। कंपनी की वैश्विक स्तर पर उपस्थिति है। टाटा स्टील को 14 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के आयोजन के दौरान लोहा एवं इस्पात क्षेत्र के बीच राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार–2016 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टाटा स्टील को यह पुरस्कार वर्ष के दौरान थर्मल और इलेक्ट्रीकल ऊर्जा की 5 प्रतिशत से ज्यादा खपत कम करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया था।

5.5 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड

हजारिया हाउस स्थित एस्सार इस्पात परिसर 68 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गैस आधारित एकल स्थान स्पंज आयरन प्लांट है। मेडरैक्स (एमआईडीआरईएक्स) प्रत्यक्ष न्यूनीकरण प्रक्रिया आयरन ऑक्साइड को छर्रों या अयस्क के ढेर के तौर पर इस्पात निर्माण के लिए उपयुक्त उच्च स्तर पर न्यून किए गए उत्पाद में परिवर्तित करती है।

हजीरा, गुजरात, भारत में 10 एमटीपीए एस्सार स्टील कॉम्प्लेक्स का हवाई दृश्य

एस्सार स्टील लोहा निर्माण के लिए कॉरेक्स तकनीक वाला भारत में दूसरा एकीकृत इस्पात परिसर है– कॉरेक्स केंद्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिसूचित पर्यावरण हितैषी तकनीक है। कॉरेक्स तकनीक में सिंटर प्लांट और कोक ओवन की जरूरत नहीं होती, इसके चलते इसका प्रदूषण धमन–भट्टी, सिंटर प्लांट और कोक ओवन के मुकाबले कम होता है।

एस्सार स्टील विश्व में कुछ एकीकृत स्टील कंपनियों में से एक है, जिसने कॉम्पैक्ट पट्टी उत्पादन (सीएसपी) तकनीक का उपयोग कर हॉट रोल्ड कॉयल्स (एचआरसी) जैसे उच्च ग्रेड तैयार इस्पात का उत्पादन करने में श्रेष्ठता पाई है।

5.6 जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड

जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड 10 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ भारत में जंगरोधी इस्पात के बड़े एकीकृत निर्माताओं में से एक है। एक नेतृत्वकर्ता और एक नाम जो उद्यम, उत्कृष्टता व सफलता का पर्याय बन गया है। कंपनी का लोकाचार इसके द्वारा उत्पादित धातुओं के ही समान कई गुणों को दर्शाता है; जंगरोधी इस्पात के समान जिंदल स्टेनलैस स्टील लिमिटेड अपनी विचार प्रक्रिया में प्रगतिशील और बहुमुखी है; अपने परिचालन में मजबूत और निरंतर है। कंपनी के जाजपुर स्थित संयंत्र में कैप्टिव पावर प्लांट के साथ खनन से कोल्ड रोलिंग तक संपूर्ण एकीकरण की परिकल्पना की गई है। फेरो अलॉय, कोक ओवन, कैप्टिव पावर प्लांट, स्टेनलैस स्टील मेल्ट शॉप, हॉट रोलिंग मिल और कोल्ड रोलिंग मिल के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापति की गई हैं और वर्ष 2005 से प्रगतिशील तरीके से परिचालन में हैं।

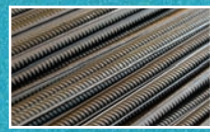

अध्याय–VI

अनुसंधान और विकास

6.0 इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास

भारतीय इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, आरएंडडी प्रयोगशालाओं और अकादमिक संस्थानों द्वारा किया जाता है। इस्पात मंत्रालय (1) इस्पात विकास कोष और (2) योजनागत कोष/सरकारी बजटीय सहायता से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके इस्पात उद्योग के आरएंडडी प्रयासों/निवेश में पूरक का काम कर रहा है। विशेष आरएंडडी परियोजनाओं के अलावा, इस्पात मंत्रालय मानव संसाधन विकास और भारतीय इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी को प्रोत्साहित करने के लिए क्षमता निर्माण की कई पहल में भी सहूलियत दे रहा है जैसे इस्पात मंत्रालय चेयर प्रोफेसर, इस्पात मंत्रालय छात्रवृत्तियां, उत्कृष्टता केन्द्र, स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) आदि।

6.1 लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन के लिए सरकार की पहल

6.1.1 एसडीएफ वित्त पोषित आर एंड डी योजना:

- एसडीएफ से वित्तीय सहायता के साथ इस स्कीम के तहत बुनियादी अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान जैसे उद्योग के समक्ष आ रही प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं के समाधान के रास्ते तलाशने, के लिए प्रख्यात अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमिक संस्थानों और उद्योगों द्वारा आरएंडडी परियोजनाएं चलाई जाती हैं।
- इस स्कीम के तहत अभी तक कुल 950 करोड़ रुपये की लागत के साथ 91 आरएंडडी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिसमें एसडीएफ का योगदान 536 करोड़ रुपये रहा। इन मंजूरशुदा परियोजनाओं में से 55 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 24 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। मध्यावधि समीक्षा के बाद 12 परियोजनाएं रोक दी गई हैं।
- इन आरएंडडी परियोजनाओं में बुनियादी या मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान जैसे उद्योग के समक्ष आ रही प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं के समाधान के रास्ते तलाशना शामिल हैं। विभिन्न आरएंडडी परियोजनाओं के अनुसंधान के नतीजों को सेल के तहत संयंत्रों और टाटा स्टील में पहले ही क्रियान्वित कर लिया गया है जिससे उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा की खपत और प्रदूषण में कमी आई है।

6.1.2 सरकारी वित्त पोषित आरएंडडी स्कीम:

- सरकार ने लोहा एवं इस्पात क्षेत्र से जुड़ी राष्ट्रीय महत्व की आरएंडडी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनागत कोष की मदद से एक नयी स्कीम – लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी संवर्धन शुरू की। ये परियोजनाएं लौह अयस्क, कोयले के बेनिफिसिएशन, इंडक्शन फर्नेस में गुणवत्तापूर्ण इस्पात का उत्पादन तथा सीआरजीओ इलेक्ट्रिकल स्टील के विकास/उत्पादन एवं अन्य राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स के विशेष संदर्भ में हैं।
- इस 11वी पंचवर्षीय योजना में कुल 123.27 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय महत्व की 8 आरएंडडी परियोजनाएं मंजूर की गईं जिसमें सरकारी वित्त पोषण 87.28 करोड़ रुपये रहा। 12वीं योजना में 53.33 करोड़ रुपये की कुल लागत एवं 33.05 करोड़ रुपये के सरकारी वित्त पोषण से और 15 परियोजनाएं मंजूर की गईं।
- अभी तक 7 परियोजनाएं पूरी कर ली गईं और बाकी प्रगति पर हैं। इन पूरी की गई परियोजनाओं के जरिये लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लाभ के लिए लौह अयस्क एवं कोयले के बेनिफिसिएशन एवं एग्लोमरेशन के लिए प्रक्रियाएं/प्रौद्योगिकियां प्रयोगशाला/पायलट स्तर पर विकसित की गई हैं।
- प्रयोगशाला स्तर पर इंडक्शन फर्नेस में कम मात्रा के फॉस्फोरस स्टील के उत्पादन के लिए प्रयोगशाला स्तर पर प्रक्रिया भी विकसित कर ली गई जिसके लिए औद्योगिक परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रयोगशाला/पायलट स्तर पर हाइड्रोजन प्लाज्मा का इस्तेमाल कर लौह अयस्क/फाइन्स के गलने में कमी की संभावना तलाशी गई है।

6.1.3 कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील का विकास:

- इस्पात मंत्रालय सीआरजीओ स्टील शीट्स की प्रौद्योगिकी देश में ही विकसित करने के लिए एक आरएंडडी पायलट प्लांट लगाने के लिए एक संयुक्त गठबंधन में आरएंडडी परियोजना पर काम कर रही है। इस आरएंडडी परियोजना में इस्पात मंत्रालय, डीएसआईआर (सीएसआईआर–एनएमएल), टाटा स्टील और आरआईएनएल भागीदार हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 494.65 करोड़ रुपये है जिसे इन भागीदारों द्वारा वहन किया जाएगा।

- परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है और मेकॉन द्वारा सौंप दी गई है जिसे भागीदारों द्वारा मंजूरी दी गई है।
- परियोजना इन भागीदारों द्वारा आवश्यक कोषों की मंजूरी मिलने और सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद शुरू होगी।

6.1.4 एसडीएफ से वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी में उत्कृष्टता केन्द्रः

- इस्पात मंत्रालय ने इस उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक धातु विज्ञान के क्षेत्र में आरएंडडी और मानव संसाधन को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ विश्वस्तरीय अनुसंधान सुविधाएं तैयार करने के लिए इस देश में अग्रणी अकादमिक संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की एक बड़ी पहल की है।
- इस केन्द्र की शुरुआती स्थापना के लिए और शुरूआती पांच वर्षों तक इसे चलाने के लिए एसडीएफ से कोष दिया जाता है। भवन और संबद्ध ढांचागत सुविधाओं के लिए कोष उन संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
- अभी तक, 20.26 करोड़ रुपये (एसडीएफ से 16.20 करोड़ रुपये और बाकी योगदान डीएसटी से) की कुल मंजूर लागत के साथ आईआईटी खड़गपुर में एक केन्द्र परिचालन में है। दूसरा केन्द्र आईआईटी, बंबई में कुल 33.98 करोड़ रुपये की लागत (100 प्रतिशत एसडीएफ) से स्थापित किया जा रहा है। तीसरा केन्द्र आईआईटी, बीएचयू में कुल 30.98 करोड़ रुपये (100 प्रतिशत एसडीएफ) और चौथा केन्द्र आईआईटी, चेन्नई में 35.55 करोड़ रुपये के वित्त पोषण से मंजूर किया गया है।

6.1.5 इस्पात मंत्रालय चेयर प्रोफेसर एवं छात्रवृत्ति स्कीमः

- अकादमिक संस्थानों में फैकल्टीज़ की कमी की समस्या दूर करने और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ विद्यार्थियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय ने एक अनूठी योजना शुरू की है।
- यह स्कीम चेयर प्रोफेसरों की नियुक्ति और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने वाले प्रत्येक संस्थान में मेटलर्जी के स्नातक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए एसडीएफ से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
- छात्रवृत्ति योजना को वर्तमान में 16 संस्थानों में लागू किया गया है और 12 संस्थानों में चेयर प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है।

6.1.6 भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) :

- इस्पात मंत्रालय, राष्ट्रीय महत्व के आरएंडडी का विस्तार करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की अगुवाई में एक उद्योग को सुगमता प्रदान कर रहा है। एसआरटीएमआई एक उद्योग संचालित पहल है और इसे रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पर स्थापित किया गया है। एसआरटीएमआई के लिए निर्धारित कुल निधि 200 करोड़ रुपये की है जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात 100 करोड़ रुपये एसडीएफ/इस्पात मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराया जाना है।
- प्रतिभागी कंपनियां वर्ष 2013–14 के दौरान उत्पादित कच्चा इस्पात के 25 रुपये प्रति टन की दर पर या 5 करोड़ रुपये जो भी अधिक हो, शुरुआती शुल्क का भुगतान करेंगी।
- यह सोसाइटी 14 अक्तूबर, 2015 को पंजीकृत की गई है। एसआरटीएमआई का पंजीकृत कार्यालय सेल का कॉरपोरेट कार्यालय है। सेल का निदेशक (तकनीकी), नियमित नियुक्ति होने तक एसआरटीएमआई का कार्यवाहक निदेशक और सदस्य सचिव है।

6.1.7 पिछले 3 वर्षों के दौरान आरएंडडी के लिए योजनागत कोष एवं एसडीएफ से खर्च का ब्योरा

क्र.सं.	वर्ष	योजनागत कोष (करोड़ रु में)	एसडीएफ (करोड़ रु में)
1	2013–14	8.00	17.41
2	2014–15	2.03	17.00
3	2015–16	10.26	18.21
4	2016–17 (दिसबर 2016 तक)	10.05	15.09

6.1.8 प्रभावी अनुसंधान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी (आईएमपीआरआईएनटी) और (उच्चतर अविष्कार योजना) यूएआई योजनाओं में भागीदारी:

- इस्पात मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इम्प्रिंट (आईएमपीआरआईएनटी) और यूएवाई योजनाओं में सक्रियता से भाग ले रहा है। इम्प्रिंट योजना के तहत इस्पात मंत्रालय के 50 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ कुल 11.05 करोड़ रुपये लागत की तीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं। यूएवाई योजना के तहत इस्पात मंत्रालय की ओर से 25 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ कुल 10.09 करोड़ रुपये लागत की तीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं।

6.2 इस्पात कंपनियों द्वारा आर एंड डी

6.2.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फार आयरन एंड स्टील (आर डी सी आई एस) चालू वित्त वर्ष 2016–17 में 95 परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिसमें से 51 परियोजनाएं मार्च, 2017 तक पूरी की जानी हैं। इन परियोजनाओं के तहत सेल के संयंत्रों/इकाइयों को तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराए गए जिसमें लागत में कमी लाने, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता में सुधार और नए उत्पादों के विकास पर खास जोर रहा। इस केन्द्र ने अप्रैल–दिसंबर, 2016 के दौरान 18 पेटेंटों और 17 कॉपीराइट्स के लिए आवेदन किया है एवं 49 तकनीकी प्रपत्रों को प्रकाशित किया गया और 91 परिपत्र प्रस्तुत किए गए।

इस केन्द्र द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदानों के मद्देनजर आरडीसीआईएस को अप्रैल–दिसंबर, 2016 के दौरान मेटलर्जिस्ट ऑफ दि ईयर, इंद्रानिल अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए।

अनुसंधान एवं विकास के प्रयास और उपलब्धियां

- लागत प्रतिस्पर्धा/गुणवत्ता सुधार।
- कम लागत की फ्लक्स व्यवस्था का विकास और बीएसपी के एसएमएस–1 में ब्लूम/बिलेट में पाइप के दोष में कमी।
- भूकंप रोधी एचसीआर ग्रेड टीएमटी रीबार्स का विकास एवं बीएसपी में एफई 415 एस/500 एस ग्रेड टीएमटी रीबार्स का स्थिरीकरण।
- आरएसपी में विशेष स्टील उत्पादों (एएसटीएम ए 537 सी1.2, एएसटीएम 517 ग्रेड एफ, हार्डोक्स 400, वेल्डाक्स 700 आदि) का विकास।
- डीएसपी में कोक ओवन की प्रक्रिया के ऑप्टिमाइजेशन के जरिये कोक गुणवत्ता में सुधार।
- डीएसपी में ब्लास्ट फर्नेस 3 के कास्ट हाउस में हॉट मेटल तापमान मापन प्रणाली शुरू।
- आईएसपी में ब्लास्ट फर्नेस # 5 जीसीपी के प्रवाह में साइनाइड और अमोनिया का खोजी अध्ययन।
- आईएसपी में एफई 500एस ग्रेड टीएमटी रीबार्स का विकास।
- एएसपी में ईएएफ छत की रीफ्रैक्टरी लाइनिंग निष्पादन में सुधार।

सेल आरडीसीआई में स्काडा नियंत्रण के विषय में जानकारी लेते हुए केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह

- चासनाला वाशरी, कोलियरीज में निष्पादन सुधार के लिए पीएलसी आधारित इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल प्रणाली।
- सीसीएसओ, धनबाद में नयी देशज कोयला का चरित्रांकन एवं एक कोयला जांच लैब की स्थापना।
- आरडीसीआईएस में वाणिज्यिक ओवन के कोक के गुणों वाले कोक के उत्पादन के लिए पायलट ओवन कार्बनीकरण हेतु प्रक्रिया का विकास।
- आरडीसीआईएस, रांची में सेल के संयंत्रों के विभिन्न इस्पात विनिर्माण धातुमलों के पिघलने के व्यवहार पर डेटाबैंक का निर्माण।

नए उत्पादों का विकास एवं उनका व्यावसायीकरण

सेल के उत्पाद विकास की गतिविधियों में आरडीसीआईएस एक अग्रणी भूमिका निभाता है। विकास के लिए उत्पादों के चयन का मानक उल्लेखनीय मांग, तैयार बाजार, अच्छा मार्जिन और संयंत्र की क्षमता है। आरडीसीआईएस ने सेल के संयंत्रों के साथ मिलकर निम्नलिखित उत्पाद विकसित किए:

- आईएस 1786 एफई 500एस टीएमटी रीबार्स (20मिमी)
- हार्डोक्स 400 क्यूएंडटी प्लेटें (20मिमी)
- सेल फॉर्मिंग 250 ग्रेड एचआर कॉयल
- उच्च शक्ति की एलपीजी (आईएस 15914 एचएस 345)
- डीएमआर 249 ग्रेड ए थिकर प्लेटें (24 मिमी)
- आईएस 1786 एफई 500एस टीएमटी रीबार्स (12 मिमी)
- सेल एचटी 600 एचआर कॉयल
- आईएस 1786 एफई 500 एस टीएमटी रीबार्स (25 मिमी)
- गैर माइक्रो–एलॉयड आईएस 2062 ई 350 बीआर एवं बी0 ग्रेड की प्लेटें (15–30 मिमी)
- एपीआई 5एल एक्स65 पीएसएल 1 ग्रेड एचआर कॉयल
- आईएस 2062 ई 350 बी0 (गैर माइक्रो एलायड) ग्रेड समानांतर लैंज बीम
- एबी3 ग्रेड स्टील की प्लेटें

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सेल का कारोबार	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च			
		पूंजी	राजस्व	कुल	कारोबार का %
2013.14	51866	4.38	106.05	110.43	0.21
2014.15	50627	32.14	232.06	264.20	0.52
2015.16	43337	50.78	225.22	277.00	0.64

दाखिल किए गए पेटेंट: 18

6.2.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरएंडडी की पहल संयंत्र की मौजूदा एवं भावी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में निर्देशित हैं। इस वर्ष (अप्रैल–दिसंबर, 2016) के दौरान आरएंडडी की पहल इस प्रकार हैं:

- कार्बन डाईऑक्साइड के ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एलडी स्लैग का उपयोग कर कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) सिक्वेस्ट्रेशन तकनीकी का विकास।
- सुधरे हुए क्षरण एवं भूकंप रोधी विशेषता वाले थर्मो–मेकैनिकली ट्रीटेड बार्स का विकास।
- बोरोन स्टील ग्रेड्स का विकास।
- हॉट रोलिंग के दौरान बिलेट्स एवं राउंड्स में दरारें पड़ने के कारणों की पहचान।
- कंपाउंड ढकने के लिए करछुल एवं टंडिष के तौर पर लाई ऐश का उपयोग।
- CO_2 वेल्डिंग स्टील ग्रेड का विकास।
- सीओ एवं सीसीपी के कोक कण एवं ठोस अपशिष्ट की ब्रिकेटिंग।
- एसएमएस–2 में इस्पात शोधन प्रक्रिया में एल्युमीनियम की खपत का अनुकूलन।

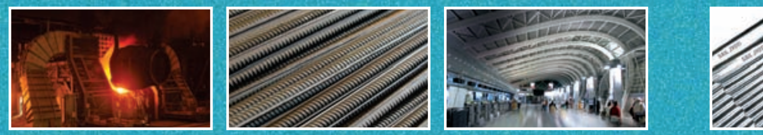

आर एंड डी पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वास्तविक खर्च	कारोबार % के तौर पर खर्च
2013–14	50.27	0.37
2014–15	33.09	0.28
2015–16	21.74	0.18
(2016–17 में दिसंबर, 2016 तक)	13.20*	0.15*

* अनंतिम

6.2.3 एन एम डी सी लिमिटेड

एनएमडीसी के पास अपना आरएंडी केन्द्र है जो उसकी मौजूदा परिचालित खानों, भारत और विदेश में अन्य संगठनों को प्रौद्योगिकी सहयोग उपलब्ध कराता है। यह केन्द्र ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रक्रियागत निष्पादन में सतत सुधार के जरिये लौह एवं खनिजों से संबद्ध उत्पाद एवं प्रौद्योगिकीय विकास मिशनों को चलाने में अपनी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरएंडडी के प्रयास एवं पहलः

- लौह अयस्क चूरे के विस्तृत उपयोग एवं लौह अयस्क अवशेषों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास।
- उसकी खानों की गुणवत्ता और उत्पादकता से संबंधित तकनीकी समाधान।
- खनिज प्रसंस्करण, हाइड्रोमेटलर्जी, एग्लोमरेशन, भारी मात्रा में ठोस के रखरखाव, खनिज विज्ञान एवं रसायन विश्लेषण के क्षेत्र में एनएमडीसी एवं अन्य घरेलू व विदेशी संगठनों की घरेलू परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदान करना।
- नयी परियोजनाओं की पहचान करना और इस कंपनी के दीर्घकालीन उद्देश्यों एवं रणनीतिक योजनाओं के मुताबिक लागत प्रभावी प्रक्रियागत प्रौद्योगिकी विकसित करना।
- भारी मात्रा में ठोस पदार्थों के प्रवाह गुणों पर नमी एवं तापमान के प्रभाव का अध्ययन।
- दोनीमलई खानों से निकलने वाली लिसलिसी मिट्टी पर बेनिफिसिएशन का अध्ययन।
- दोनीमलई पेलेट संयंत्र के लिए फीडिंग प्रणाली में सुधार को लेकर अध्ययन।
- पतले अवशेषों से अति सूक्ष्म संरचित लौह को तैयार करना।
- बैलाडिला से चूरे का इस्तेमाल कर सिंटर निर्माण के लिए मॉडलिंग एवं सिमुलेशन का अध्ययन।
- एनएमआरएल (डीआरडीओ) के लिए विशेष ग्रेड के फेराइट का विकास।
- बैलाडिला से प्राप्त कीचड़ के नमूनों का चरित्रांकन एवं बेनिफिसिएशन अध्ययन।
- बैलाडिला से प्राप्त लौह अयस्क के नमूनों का चरित्रांकन एवं बेनिफिसिएशन का अध्ययन।
- भारत में विभिन्न खानों से लौह अयस्क सारकृत द्रव्य के साथ पेलेटाइजेशन अध्ययन।

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एनएमडीसी का कारोबार	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च			
		पूंजी	राजस्व	कुल	कारोबार का %
2013–14	12058	2.32	14.42	16.74	0.14
2014–15	12356	1.33	17.16	18.49	0.15
2015–16	6456	0.63	16.01	17.64	0.27
2016–17 (दिसंबर, 2016 तक)	3460	0.22	8.85	9.07	0.25

6.2.4 मेकॉन लिमिटेड

आरएंडडी के प्रयास एवं उपलब्धियां:

- वाहनों में उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर स्टील ब्लैंक का इंडक्शन हीट ट्रीटमेंट।
- कोल्ड फॉर्म्ड स्टील ढांचे के साथ नेस्ट–इन छत के ढांचों की डिजाइन का अनुकूलन।
- लैब व्यूव आधारित तापमान स्कैनर का विकास।
- रांची के औद्योगिक क्षेत्र में और इसके आसपास रीयल टाइम ओजोन संकेंद्रण के मापन के लिए देशज पोर्टेबल ओजोन निगरानी प्रणाली।

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी पर खर्च (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च पर कारोबार का %
2013–14	341.29	2.70	0.79
2014–15	389.92	2.07	0.53
2015–16	317.28	2.96	0.93
2016–17			
(अप्रैल–नवंबर)	135.00*	1.39	1.03

6.2.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने सीएसआईआर–आरएंडडी लैबोरेटरी, देश के अकादमिक एवं आरएंडडी संस्थानों के साथ मिलकर आधुनिक प्रौद्योगिकी पेश कर इन खानों में सुरक्षा और उत्पादकता सुधारने हेतु आरएंडडी गतिविधियां की हैं। प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- गमगांव खान के भूमिगत खंडों के सामने के वेंटिलेशन और उत्पादकता सुधारने के लिए गहरे स्तरों हेतु वेंटिलेशन पुनर्गठन अध्ययन।
- उत्खनन के लिए खनन योग्य भंडार बढ़ाने के उद्देश्य से परिवर्तित स्टोप डिज़ाइन।
- उक्वा खान में स्टोपिंग ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम का मशीनीकरण।
- उक्वा खान में हाइड्रोलिक स्टोइंग ऑपरेशन के लिए मलांजखाड कॉपर परियोजनाओं की मिल टेलिंग।
- स्लोप निगरानी उपकरणों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के साथ स्लोप स्थिरीकरण हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम।

अनुसंधान व विकास पर खर्च:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरएंडडी पर खर्च	कारोबारी आय का %
2013–14	9.19	0.90
2014–15	6.00	0.73
2015–16	7.33	1.16
2016–17 अप्रैल–दिसंबर, 16 (अनंतिम)	4.5	0.61

6.2.6 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू के पास एक अच्छी तरह से स्थापित आरएंडडी केन्द्र है और इसने प्रक्रिया सुधार, ऊर्जा अनुकूलन एवं उत्पाद कस्टमाइजेशन के लिए 25 आरएंडडी परियोजनाएं चलाई हैं। इनमें से 18 परियोजनाएं (15 परियोजनाएं प्रक्रिया, ऊर्जा एवं उत्पाद अनुकूलन से जुड़ी और 3 प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं) दिसंबर, 2016 तक पूरी कर ली गई हैं जिससे इस संयंत्र को लाभ हो रहा है।

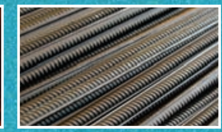

प्रमुख आरएंडडी गतिविधियां प्रक्रिया में

- आईआईटी, मद्रास के गठबंधन में थर्मल ग्रेड कोयले का उपयोग कर निम्न ग्रेड के लौह अयस्कों एवं लिसलिसी मिट्टी से लौह की अधिकतम रिकवरी के लिए द्रवीकृत बेड रिडक्शन रोस्टिंग प्रक्रिया का विकास।
- बीएएसएफ, जर्मनी के गठबंधन में लौह अयस्क में एल्युमिना तैरने की क्रिया के लिए अभिकर्मकों का विकास।
- बिट्स, गोवा के साथ गठबंधन में उत्प्रेरक प्रतिक्रिया द्वारा गैर कोकिंग कोयले में कोकिंग गुणों को भड़काना।
- बिट्स पिलानी–गोवा एवं आईआईटीएच के साथ गठबंधन में औद्योगिक लू गैसों से अलग की गई कार्बन डायऑक्साइड को मेथनॉल में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी का विकास।

वर्ष 2016–17 के दौरान दाखिल पेटेंट

- विजयनगर वर्क्स : 7
- डोल्वी वर्क्स : 3

आरएंडडी पर खर्च

विजयनगर वर्क्स

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वार्षिक कारोबार	आरएंडडी में निवेश	कारोबार का %
2013–14	29897	22.04	0.074
2014–15	31430	17.44	0.055
2015–16	31195	8.06	0.026

डोल्वी वर्क्स

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरएंडडी में निवेश	कारोबार का %
2013–14	2.44	0.02
2014–15	1.445	0.014
2015–16	1ʊ97	0.03

सेलम वर्क्स

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वार्षिक कारोबार	आरएंडडी में निवेश	कारोबार का %
2013–14	3147.20	3.70	0.117
2014–15	3423.34	2.85	0.083
2015–16	2661.41	3.20	0.120

6.2.7 टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल)

टाटा स्टील लिमिटेड के पास जमशेदपुर में अपना खुद का आरएंडडी केन्द्र है और इसने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान दिसंबर, 2016 तक लौह अयस्क, कोयला आदि जैसे कच्चा माल सहित लौह एवं इस्पात से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान के कार्य किए।

प्रक्रिया एवं उत्पाद अनुसंधान विकास के क्षेत्र में 123 नयी परियोजनाएं ली गईं और 71 परियोजनाएं पूरी की गईं।

आरएंडडी पहल:

- स्लिम डैम का जीवनकाल बढ़ाने और जल की रिकवरी के लिए स्लिम का संघनन
- एलडी#2 में निम्न कार्बन ए1 किल्ड ग्रेड का स्वच्छ इस्पात उत्पादन

- उद्योग में कर्मचारी की सुरक्षा के लिए पहनने योग्य सेंसर्स
- अतिरिक्त एल्युमीनियम को जोड़कर आईएफ एवं आईएफएचएस स्टील के आर–बार वैल्यू (ड्राइंग प्रॉपर्टी) में सुधार।
- नयी पीढ़ी के ईंधन टैंक की सामग्री
- सिंटर आरडीआई में कमीः टाटा मेटलिक्स लिमिटेड में सिंटर स्ट्रैंड पर नाइट्रोजन इंजेक्शन के लिए संयंत्र परीक्षण
- साइनाइड हटाने के लिए अपक्षालक कांप्लेक्स कंपाउंड का विकास।
- अल्ट्रासॉनिक आधारित कास्ट स्टील स्टाव थिकनेस मेजरमेंट तकनीकी (विष्व में अपनी तरह की पहली) का विकास
- बीओटी यूनिट के लिए साइनाइड लोडिंग घटाने हेतु अमोनिया स्टिल के निष्पादन में वृद्धि
- टीएससीआर के जरिये निम्न सिलिकॉन हॉट रोल्ड डुअल फेज़ स्टील का विकास
- निसान एवं टाटा मोटर्स के साथ वीए/वीई (मूल्य विश्लेषण/मूल्य अभियांत्रिकी)
- आर्मर ग्रेड स्टील का विकास

राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के साथ आरएंडडी की पहल

- आईआईटी, खड़गपुर में कोयले की राल की गुणवत्ता वृद्धि
- केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में सड़क निर्माण में फेरो क्रोम स्लैग के उपयोग पर संभाव्य अध्ययन
- सीएसआईआर–नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सिंथेटिक कोयले का उत्पादन करने के लिए गैर कोकिंग कोयले के उच्च दाब उत्प्रेरक रूपांतरण का संभाव्य अध्ययन।

अनुसंधान व विकास पर खर्चः

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवर्ती	पूंजी	योग	कारोबार का %
2013–14	68.45	12.06	80.51	0.19
2014–15	107.87	25.93	133.8	0.32
2015–16	116.25	13.06	129.32	0.34

दाखिल किए गए पेटेंट : 57

6.2.8 भूषण स्टील लिमिटेड

भूषण स्टील ने कोल्ड रोलिंग और हीट ट्रीटमेंट के बाद उत्पाद के अंतिम उपयोग के संदर्भ में उच्च कार्बन, 75Ni8, 75Cr1 एवं सी76 स्टील ग्रेड के अनुकूलन के लिए आईआईटी, बंबई के साथ गठबंधन किया है।

आरएंडडी की पहलः

- 3.2 x 1260 - 1700 मिमी और 4.0 x 1260 - 1700 मिमी के विभिन्न आकारों में आंतरिक और बाहरी पैनल के तौर पर ऑटो एप्लीकेशन के लिए आईएफ ग्रेड स्टील का विकास
- कोल्ड रोलिंग एप्लीकेशन के लिए बोरोन ट्रीटेड निम्न कार्बन के स्टील का विकास
- ऑटोमोटिव उद्योग एवं बॉयलर ग्रेड (हल्के तापमान का एप्लीकेशन) के लिए नए स्टील ग्रेड का

6.2.9 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

आरएंडडी संबंधी पहलः

- नए उत्पाद का विकासः R350HT, C43, S355G11, SAE1541, A106GRC, JSL2D, E350BR, EN8A-B, SAE9254-M, R260, AMJ-21B, AMJ-24, 50CrV4, SAE1010, 23MNB4M, SAE1045, ST30AL, MSLI (GR-6) AMD
- नए खंड का विकासः RUBM: NPB500x180x 66 kg/m, NPB500x150x52.2kg/m, Øsu jsy- CR120, Øsu jsy A150, MLSM: WPB 150X150X34.6, UB 152X89XX16, ISMC 100, IPE 160
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हेड हार्डेन्ड रेलों का विकास।
- माइक्रो एलॉय ग्रेड स्टील्स में लीन केमिस्ट्री का क्रियान्वयन
- ब्लास्ट फर्नेस में लेयर स्टैक में अल्ट्रासॉनिक लो मीटर की स्थापना
- सिंटर मशीन के ट्रांसफर चुट की डिजाइन में बदलाव
- घटाने की प्रक्रिया के लिए डीआरआई भट्ठों में ईंधन के तौर पर कोयले की जगह चार का उपयोग
- आरएमएचएस डीआरआईरु2 में ठपटप टेक सिंगल डेक स्क्रीन को डबल डेक स्क्रीन में बदलने के लिए डिजाइन में बदलाव

6.2.10 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड

यह आरएंडडी इकाई एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के हजीरा, सूरत, गुजरात में फैक्टरी परिसरों के भीतर स्थित है।

आरएंडडी की पहलः

- सवारी एवं रक्षा वाहनो के लिए बख्तरबंद सुरक्षा प्लेटों का विकास
- रोल बांडेड क्लैड प्लेटों (माइल्ड स्टील एवं स्टैनलेस स्टील) का विकास
- कृषि में उपयोग के लिए हॉट फॉर्मिंग ग्रेड (30MnB5 / 35 MnB5)
- वाहनों में उपयोग के लिए मीडियम एवं हाई कार्बन स्टील (C45/55/60E/80)/ C55 & C80)
- भार वहन करने वाले ढांचों जहां कम वज़न की जरूरत है, के लिए 900 MPa - S890 QL पर उच्च शक्ति संरचनात्मक इस्पात
- सामान्य स्थिति में उच्च शक्ति (S420N) मोटी प्लेट 110/115 मिमी का विकास
- विभिन्न प्रकार के बाइंडर का उपयोग कर HBI फाइन्स/ CDRI फाइन्स के खुद कम होने वाले ब्रिकेट्स का विकास।

अध्याय–VII

ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन

7.0 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा कार्यकुशलता वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर किसी क्षेत्र या कंपनी का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण मानक हैं। सरकार के विभिन्न नियमों और योजनाओं के द्वारा इस्पात मंत्रालय इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत और प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। विभिन्न मंचों और उपायों के जरिए इस्पात मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम/पहलें इस प्रकार से हैं:

7.1 सरकार की पहलें

7.1.1 पर्यावरण सुरक्षा के लिए निगमित दायित्व चार्टर (सीआरईपी)

पर्यावरण प्रदूषण, जल की खपत व ऊर्जा की खपत घटाने के लिए यह पर्यावरण और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंत्रालय (सीपीसीबी) द्वारा इस्पात मंत्रालय और प्रमुख/बड़े इस्पात कारखानों के सहयोग से की गई एक पहल है जो अपशिष्ट को न्यूनतम कर, संयंत्र के भीतर प्रक्रिया नियंत्रण एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित विभिन्न उपायों जैसे अपशिष्ट न्यूनीकरण, संयंत्र प्रक्रिया नियंत्रण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अभिग्रहण के जरिए प्रदूषण, जल, ऊर्जा क्षय, ठोस अपशिष्ट और खतरनाक जल प्रबंधन इत्यादि को रोकने एवं नियंत्रण के लिए नियामकीय नियमों से परे जाने के उद्देश्य के साथ पारस्परिक सहमति के मुताबिक की गई है। एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन सीआरईपी की सिफारिश से किया गया है। इस्पात मंत्रालय इस्पात संयंत्रों के साथ मिलकर सीआरईपी कार्य बिंदुओं के अनुपालन की सुविधा देता है। एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन हाल ही में किया गया है।

7.1.2 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरू की गई। एनएपीसीसी ने 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित किया जिसमें से एक नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिसिएंसी (एनएमईईई) है। परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) एनएमईईई के तहत एक महती योजना है। पीएटी ऊर्जा बचत के प्रमाणन के जरिए एक बाजार आधारित व्यवस्था है जिसका व्यापार किया जा सकता है। पैट अप्रैल, 2012 से प्रभावी है।

भारत में सन् 2010 में ऊर्जा की खपत लगभग 450 लाख टन तेल (एमटीओई) की खपत के बराबर जो कि लगभग 135 एमटीओई आंकी गई जो कि औद्योगिक क्षेत्र द्वारा लगभग 30 प्रतिशत खपत की गई थी। लौह और इस्पात के क्षेत्र में ऊर्जा की खपत लगभग 33.7 एमटीओई याने कि कुल खतप का 25 प्रतिशत भाग औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा किया गया था।

पैट चक्र–प्रथम (2012–2015) के दौरान 25.32 लाख टन कुल ऊर्जा की खपत के साथ 67 मनोनीत उपभोक्ताओं (डीसी) को कवर किया गया जिसमें स्टील सेक्टर (56 लाख टन) द्वारा कुल ऊर्जा की खपत का 45 प्रतिशत के बराबर कार्य किया था।

पैट–चक्र–द्वितीय (2016–19) के तहत विद्युत मंत्रालय के द्वारा लौह इस्पात के क्षेत्र में 71 मनोनीत उपभोक्ताओं को अधिसूचित किया गया है। इन 71 मनोनीत उपभोक्तओं को कुल ऊर्जा खपत का 72 प्रतिशत हिस्से कार्य करने को मिला है।

7.1.3 एसएमई क्षेत्र में ऊर्जा के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन:

यूएनडीपी–जीईएफ–एमओएस प्रोजेक्ट: "स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा दक्षता" (2004–2013):

यह परियोजना पूरी करके लागू कर दी गई है। ऊर्जा की खपत घटाने एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 25–50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए 34 स्टील री–रोलिंग मिलों (मॉडल ईकाइयों) में कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां लागू की गईं। इससे कई अन्य स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकियों को दोहराने में मदद मिली है।

यूएनडीपी–इस्पात मंत्रालय–ऑसएड परियोजना: भारत में लघु इस्पात उद्योग में स्केलिंग ऊर्जा का कुशल उत्पादन" (जून 2013– जून 2016)

स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा दक्षता को दोहराने एवं इंडक्शन फर्नेस जैसे अन्य एसएमई क्षेत्र में दखल का विस्तार का लक्ष्य। यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है जिसमें 300 मिनी स्टील मिलों (5 इंडक्शन फर्नेस ईकाइयों के साथ) द्वितीय चरण में

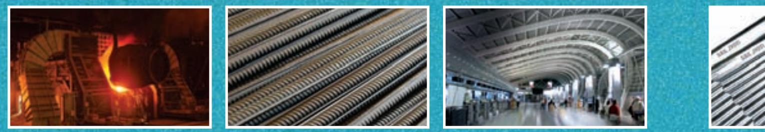

इस्पात मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सेल और नीडो, जपान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

निजी क्षेत्र से 50 करोड तथा इस्पात मंत्रालय, ऑसएड और यूएनडीपी से रुपये 20 करोड़ की लागत से इसे पूर्ण किया गया। तीसरा चरण: 5 वर्ष के तीसरे चरण में 1200 ईकाइयों को कवर किया जाना है जिससे 33 लाख टन कार्बनडाई आक्साइड कम हो जाएगी।

7.1.4 ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए एनईडीओ मॉडल परियोजनाएं

जापान सरकार अपने आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के जरिए कोष उपलब्ध कराती है। उदाहरण के तौर पर वह अपनी पर्यावरण सहायता योजना (जीएपी) के तहत इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श परियोजनाओं के तौर पर ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार में आर्थिक मामलों के विभाग के जरिए विदेश विकास सहायता (ओडीए) उपलब्ध कराती है। इन परियोजनाओं की देखरेख जापान के एनईडीओ (न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) द्वारा की जाती है। इस्पात मंत्रालय, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं का समन्वय कर रहा है। अभी तक निम्नलिखित तीन परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिसमें दो टाटा स्टील में और एक आरआईएनएल में हैं।

- बीएफ स्टोव वेस्ट हीट रिकवरी: टाटा स्टील में पूरी की गई
- कोक ड्राई क्वेंचिंग: टाटा स्टील में पूरी की गई
- सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में पूरी की गई

इसके अतिरिक्त दो और आदर्श परियोजनाओं के दो समझौता ज्ञापनों (i) सेल, राउरकेला में फर्नेस की रीहीटिंग के लिए रिजेनरेटिव बर्नर सिस्टम और (ii) आईएसपी, बर्नपुर, सेल में ऊर्जा निगरानी व प्रबंधन प्रणाली पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

7.1.5 लौह और स्टील लावा उपयोग

एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से सबसे अधिक कचरा उत्पादित होता है जिसमें बीएफ लोहा लावा स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) शामिल है आईएसपी में आधे टन से अधिक स्टील का उत्पादन होता है। अधिकतर स्टील संयंत्र 100 प्रतिशत लोह लावा का उत्पादन करते हैं (अधिकांश सीमेंट निर्माण और कुछ हिस्सा बीआईएस या आईआरसी मानक विनिर्देशों में अनुमति प्राप्त हैं) जबकि अन्य 100 प्रतिशत उपयोग करने के करीब हैं।

एसएमएस के लावे का उपयोग (विशेषतौर पर एलडी) उसके (i) फासफोरस सामग्री (ii) उच्च फ्री चूना सामग्री और (iii) उच्च विशिष्ट वज़न के कारण सीमित हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने बढ़ावा देने और लौह एवं स्टील लावा के उपयोग किए जाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

7.1.6 भारतीय इस्पात उद्योग के लिए इंटेंडेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी)

भारत सरकार ने सन् 2005 के इसके सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता के स्तर की जीडीपी को सन् 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के लिए भारत के इंटेंडेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) प्रस्तुत की है। इसके अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने आईएनडीसी को एमओईएफ एंड सीसी के क्षेत्र में लौह और स्टील से जीएचजी उत्सर्जन कम करने के लिए प्रस्तुत कर दी है ताकि इससे स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सके।

7.2 इस्पात कंपनियों की पहल

7.2.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

ऊर्जा प्रबंधन

प्रति टन कच्चा इस्पात (Gcal/tcs) ऊर्जा की खपतः

संयंत्र	2014–15	2015–16	2015–16 (अप्रैल–नवंबर)
बीएसपी	6.46	6.44	6.59
डीएसपी	6.35	6.42	6.36
आरएसपी	6.57	6.50	6.50
बीएसएल	6.69	6.69	6.71
आईएसपी	–	–	7.33
सेल	**6.53**	**6.51**	**6.63**

पर्यावरण प्रबंधन

- कणिका तत्व (पीएम) उत्सर्जन लोड अधिक से अधिक 6% से कम
- विशिष्ट जल की खपत से अधिक से अधिक 2% से कम
- विशिष्ट प्रवाह लोड अधिक से अधिक 10% से कम
- विशिष्ट प्रवाह को लोड अधिक से अधिक 6% कम
- बीओएफ स्लैग का उपयोग 1% से अधिक बढ़ा

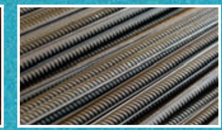

अपनाई गईं कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां/सुविधाएं

CO_2 उत्सर्जन घटाने एवं ऊर्जा दक्षता हासिल करने की दिशा में उपायों के तौर पर सेल के संयंत्रों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने यहां विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को लागू किया, मुख्य तौर पर हाल ही के विस्तारण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के दौरान। उनमें से देखे जाने योग्य निम्न हैं:

- कम्प्यूटरीकृत दहन नियंत्रण प्रणाली (सीसीसीएस) के साथ लम्बे कोक ओवन बैटरी
- कोक ड्राई कूलिंग प्लांट
- सिंटर प्लांट्स में मल्टी भट्ठा बर्नर और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम
- ब्लास्ट फर्नेस में शीर्ष दबाव वसूली टर्बाइन
- ब्लास्ट फर्नेस में कोल डस्ट इंजेक्शन
- ब्लास्ट फर्नेस स्टोव से वेस्ट हीट रिकवरी
- ब्लास्ट फर्नेस के साथ सदन लावा दानेदार बनाने का संयंत्र कास्ट
- इस्पात बनाने के लिए बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के लिए खुले चूल्हा/ट्विन चूल्हा भट्टियां से क्रमिक स्थानांतरण
- स्टील चरणबद्ध भिगोने गड्ढे/पिंड मार्ग के निरंतर ढलाई के लिए क्रमिक बदलाव।
- धीरे–धीरे ढकेलने आरएचएफ प्रकार से वाकिंग बीम प्रकार के फिर हीटिंग फर्नेस (आरएचएफ)।
- बिजली उत्पादन के लिए रिकवरी और पुनः उपयोग के उत्पाद गैस से ईंधन के रूप में उपयोग के लिए
- मोटर जेनरेटर सेटों का थिरिस्टराइजेशन
- वीवीवीएफ ड्राइव की स्थापना

विशेष CO_2 उत्सर्जन इकाई (T/tcs)

(इकाईः T/tcs)

2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (अप्रैल–दिसंबर)
2.69	2.65	2.60	2.65

राष्ट्रीय/सीपीसीबी/एसपीसीबी नियमों/विनियमनों के अनुपालन की मुख्य बातें (अप्रैल–दिसम्बर 2016)

बड़ी चिमनी से उत्सर्जनः सभी प्रमुख उत्पादन शॉप से कणिका तत्व (पीएम) उत्सर्जन के मामले में संबद्ध नियमों का पालन किया जा रहा है।

फ्यूजिटिव उत्सर्जनः सभी संयंत्रों में आसपास के वायु की गुणवत्ता एवं प्रवाह की गुणवत्ता नियमों के दायरे में है।

परिवेश वायु गुणवत्ताः परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर बने रहे।

प्रवाह के निर्वहन की गुणवत्ताः प्रवाह के निर्वहन से गुणवत्ता मानकों के भीतर अच्छी तरह से किया गया था।

ठोस अपशिष्ट सृजन/उपयोगः अप्रैल–दिसंबर, 2016 के दौरान बीएफ स्लैग, एलडी स्लैग और कुल ठोस अपशिष्ट का उपयोग (प्रतिशत में)

बीएफ स्लैग	एलडी स्लैग	कुल ठोस अपशिष्ट
88.75%	76.02%	84.39%

बीएफ स्लैग व एलडी स्लैग का उपयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गएः

बीएफ स्लैगः कास्ट हाउस स्लैग ग्रैन्युलेशन संयंत्रों (सीएचएसजीपी) को स्थापित किया जा रहा है।

एलडी स्लैगः

- मौसम से खराब हुए एलडी स्लैग का रेल की पटरी पर गिट्टी के तौर पर उपयोग
- भाप का उपयोग करते हुए बीओएफ स्लैग का कृत्रिम वेदरिंग

अन्य पहलें:

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन

- बाहरी खनन प्रणाली की पारिस्थितिकी बहाली
- कार्बनडाईआक्साईड का बायो–अधिग्रहण
- गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत
- ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्राप्त करने के लिए पहल

7.2.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

ऊर्जा की खपत (जीसीएएल/टीसीएस) एवं सीओ$_2$ उत्सर्जन (टन/टीसीएस)

वर्ष	एसईसी (जीसीएएल/टीसीएस)	सीओ$_2$ उत्सर्जन (टन/टीसीएस)
2013–14	6.19	2.66
2014–15	6.37	2.793
2015–16	6.40	2.787
2016–17 (दिसम्बर 16 तक)	6.45	2.83

ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए उठाए गए उपाय: (2016–17, दिसंबर 2016 तक)

- 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की कमीशनिंग
- 560.9 किलो/टीएचएम से बीएफ के 539.5 किलोग्राम/टीएचएम करने पर कुल ईंधन दर में कमी।
- 6.75 मेगावाट करने के लिए 2.31 मेगावाट से ऊपर दबाव रिकवरी टर्बाइन (बी एफ–3 टी आर टी) से बिजली उत्पादन में वृद्धि
- एसएमएस–2 से एलडी गैस वसूली में 14.0 एनसीयूएम/टीसीएस से 75 सी एनसीयूएम/टीसीएस में वृद्धि
- सी आर एम पी (1 सं) में ऊर्जा कुशल कार्यक्षेत्र दस्ता भट्टों का स्थिरीकरण
- 14.3 मेगावाट से 120 मेगावाट बीएफ गैस आधारित बिजली संयंत्र से बिजली उत्पादन।
- ब्लास्ट फर्नेस के सुधार
- ब्लास्ट फर्नेस में सुधार के बाद चूर्णित कोयला इंजेक्शन की कमीशनिंग
- सीधी रेखा कूलर से निकली व्यर्थ गर्मी से गर्म सिंटर की बिजली उत्पादन का स्थिरीकरण

वेस्ट हीट रिकवरी प्रणाली (अप्रैल–दिसंबर, 2016)

ऊर्जा बचाने वाली इकाई	इकाई	पुनः प्राप्त ऊर्जा	बचाया गया बॉयलर कोयला (टन)	सीओ$_2$ के उत्सर्जन में कमी (टन)
एलडी गैस रिकवरी प्लांट 1 एवं 2	MNCum	254.296	136811	214794
बैक प्रेशर टर्बाइन स्टेशन (बीपीटीएस)	MWH	151019	120815	189680
गैस एक्सपैंशन टर्बाइन स्टेशन (जीईटीएस) एवं टीआरटी	MWH	44594	35675	56010
सिंटर प्लांट स्ट्रेट लाइन कूलर	MWH	3810	3084	4785

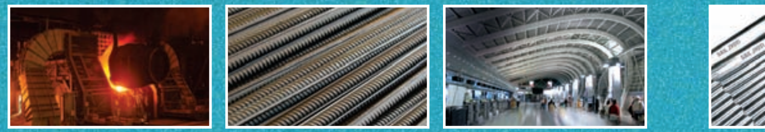

थर्मल पावर प्लांट में उप–उत्पाद गैसों का उपयोग दिसम्बर 2016 तक

यूनिटः MNcum

इस्तेमाल किए गए ईंधन का नाम	मूल्य	बचाया गया बॉयलर कोयला (टन)	सीओ$_2$ के उत्सर्जन में कमी (टन)
सीपीपी –1			
कोक ओवन गैस	288.16	403135	632923
बीएफ गैस	2176.1	554179	870061
सीपीपी –2			
कोक ओवन गैस	23.58	32988	51791
बीएफ गैस	266.82	67950	106681

पर्यावरण प्रबंधन

राष्ट्रीय/सीपीसीबी/एसपीसीबी मानदंड/नियमों के अनुपालन की मुख्य विशेषताएं (अप्रैल–दिसम्बर 16)
सभी पर्यावरण से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं के साथ ढेर उत्सर्जन, परिवेशी वायु गुणवत्ता और क्षणभंगुर उत्सर्जन के संबंध में राष्ट्रीय/सीपीसीबी/एसपीसीबी मानदंड/नियमन का पालन करना। प्रवाह गुणवत्ता, एएमएम की सांद्रता के संबंध में एपीपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा निर्धारित एन 2, फिनोल, तेल, ग्रीस, सीओडी और टीएसएस मानदंडों के भीतर थे।

बीएफ स्लैगः 81.11 प्रतिशत उत्पन्न लावा उद्योगों को बेचकर उपयोग में लाया गया था।

एलडी स्लैगः 17.37 प्रतिशत के लगभग कुल एलडी लावा उत्पन्न होता है और लाइम स्टोन/डोलोमाइट के लिए निसाद के एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है।

अन्य कचरेः अन्य धातु कचरे यानी डीई प्रणालियों और ईएसपी से निकली धूल, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों से निकला कीचड़ और मिल स्केल को पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है।

कार्यान्वयन के तहत पर्यावरण पहलः

- ब्लास्ट फर्नेस – 2 के लिए स्टॉक हाउस धूल निकासी प्रणाली के सुधार में 33.83 करोड़ रुपये की लागत लगी है ताकि 115 मिलीग्राम/एनएम3 से 50 मिलीग्राम/एनएम3 ढेर उत्सर्जन को कम किया जा सके।
- ब्लास्ट फर्नेस –2 के लिए कास्ट हाउस धूआं निकासी प्रणाली के सुधार में 39.50 करोड़ रुपये की लागत लगी है ताकि 115 मिलीग्राम/एनएम3 से 50 मिलीग्राम/एनएम3 ढेर उत्सर्जन को कम किया जा सके।

आरआईएनएल में 5 मेगावाट पावर प्लांट का उद्घाटन करते सचिव, इस्पात

- सुधार और एयर सफाई संयंत्र और सिंटर प्लांट –1 के गैस सफाई संयंत्र के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के उन्नयन में 76.76 करोड़ रुपये की लागत लगी है ताकि 115 मिलीग्राम /एनएम3 से 50 मिलीग्राम/एनएम3 ढेर उत्सर्जन को कम किया जा सके।
- दो बॉयलर के लिए थर्मल पावर प्लांट की ईएसपी के संशोधन/वृद्धि के लिए 68.0 करोड़ रुपये की लागत से भेल के साथ लिया गया है ताकि उत्सर्जन को 50 मिलीग्राम/एनएम3 के नीचे लाया जा सके।
- 31 दिसंबर 2016 तक इस कार्यक्रम के तहत 2,75,400 पेड़ लगाए गए और संतुलित वृक्षारोपण को पूरा करने की प्रक्रिया में है।
- जीरो डिस्चार्ज

7.2.3. एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी खान कंपनियां एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र के अंतर्गत (क्यूएमएस) आईएसओ 9001:2008, (ईएमएस) आईएसओ 14001:2007 और (ओएचएसएमएस) ओएचएसएएस 18001:2007 और एसए 8000:2008 मानकों प्रत्यायित है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एनएमडीसी द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैः

वायु प्रदूषण

- खान की ढलान वाली सड़कों पर धूल का दमन और डंपर प्लेटफॉर्म पर एवं फ्यूजिटिव डस्ट को दबाने के लिए ट्रांसफर प्वाइंटों पर स्वचालित जल के फुहारे से छिड़काव।
- ब्लास्ट होल ड्रिल्स की ड्रिलिंग के लिए गीली ड्रिलिंग का उपयोग।
- क्रशिंग प्लांट से स्क्रीनिंग प्लांट और वहां से लोडिंग प्लांट तक लौह अयस्क ले जाने के लिए पूरी तरह से ढके हुए कनवेयर्स का उपयोग।
- PM10, PM2.5, SO2, NOx और CO की ऑनलाइन निगरानी के लिए बैलाडिला भंडार–14/11सी परियोजना, डिपोसिट–5 और 10/11ए परियोजना खानों में ऑटोमैटिक एंबिएंट एयर क्वालिटी सिस्टम की स्थापना।

जल प्रदूषण

- निलंबित ठोस एवं तेल व ग्रीस वाले बेकार जल के ट्रीटमेंट के लिए सभी परियोजनाओं पर ऑटो वर्कशाप एवं सर्विस सेंटरों में एफ्एलूएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं।
- वेट स्क्रीनिंग परिचालनों के दौरान पैदा हुए कीचड़ को जब्त करने के लिए सभी परियोजनाओं पर टेलिंग बांध बनाए गए हैं।
- घरेलू सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए की सभी टाउनशिप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- मानसून सीज़न में दूषित पानी को नालों में जाने से रोकने के लिए विभिन्न नालों पर चैक डैम व चैक बंदों का निर्माण हो चुका है।
- सभी लौह अयस्क खानों में बारिश के सीज़न के दौरान बेकार सामग्री का प्रवाह रोकने के लिए अपशिष्ट के ढेरों के सामने के सिरों पर दीवारों के पुश्ते बनाए जाते हैं।

ध्वनि प्रदूषण

- अनुचित ध्वनि प्रदूषण पैदा होने से रोकने के लिए ट्रांसफर प्वाइंटों पर रबड़ की परत चढ़ी स्क्रीनों और रबड़ लाइनिंग का उपयोग।
- टेरटियरी क्रशिंग प्लांट के इलाकों में जहां ऑपरेटर सह मैकेनिक बैठकर संयंत्र का परिचालन देख सकता है, ध्वनि रोधी चैंबर बनाए गए हैं।

वनीकरण

- छत्तीसगढ़ हरिहर पौधा रोपण कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के माध्यम से 15 करोड़ रुपये का वित्त दिया गया है।

टिकाऊपन से जुड़ी पहल

- सभी लौह अयस्क खान परियोजनाओं में प्रत्येक वर्ष कार्बन फुट प्रिंट अध्ययन कराया और कार्बन डिसक्लोज़र परियोजना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों का खुलासा किया।
- सभी लौह अयस्क खनन परियोजनाओं के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार की गई है।

ऊर्जा संरक्षण

- सभी उत्पादन परियोजनाओं के लिए ऊर्जा अंकेक्षण बेचली, किरनडुल, डोनीमालाई, पन्ना और पलोंचा में क्रियाशील हैं और ऊर्जा संरक्षण के लिए की गई सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।
- एलईडी प्रकाशग्रह सभी उत्पादन परियोजनाओं और अन्य कार्यालयों में लगाए जा रहे हैं।
- एचटी व एलटी साइड पर स्टैटिक कैपिसिटरों के साथ ऊर्जा फैक्टर को 0.96 से ऊपर बनाए रखा जा रहा है।

7.2.4 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन अपने सतत विकास (एसडी) नीति और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- ऊर्जा कुशल एसी सिस्टम के साथ आईटी सुविधाओं के लिए मौजूदा एसी प्रणाली का प्रतिस्थापन
- सीलिंग फैन और एक्जॉस्ट फैन को स्थाई रूप से काटना
- टी 5 एफ टी एल के साथ मौजूदा टी 12 एफ टी एल के प्रतिस्थापन – एल ई डी
- आवासीय कॉलोनी में वनीकरण
- आवासीय कॉलोनी में एलईडी के साथ सड़क रोशनी का चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापन
- इस्पात अस्पताल, रांची के सौर जल तापन प्रणाली आधारित ईटीसी की स्थापना
- सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड मुक्त लाइट पोस्ट

7.2.5 मॉयल लिमिटेड

प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए विभिन्न उपाय:

वायु प्रदूषण नियंत्रण:

- विस्फोट छेद के लिए गीला ड्रिलिंग
- बुझाने की व्यवस्था के साथ ट्रक पर रखे पानी के टैंकरों से ढुलाई सड़कों पर पानी का छिड़काव।
- ड्रिलिंग गति को बनाए रखने के लिए गहरी बड़े छेद में विस्फोट के दौरान उत्पादित धूल को नियंत्रित करना
- उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए वाहनों और मशीनरियों का नियमित रखरखाव।

जल प्रदूषण:

- खनन ऑपरेशन में इस्तेमाल भूमिगत पानी को पूरी तरह से वृक्षारोपण और रेत नौभरण के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है।
- धूल दमन और वृक्षारोपण गतिविधि के लिए बारिश के पानी का संग्रह करना।
- आस–पास के जल स्रोतों में खान में से निकले पानी को बहाया नहीं जाना।

ध्वनि प्रदूषण:

- ध्वनि मशीनरी और उपकरण का उपयुक्त चयन करके, उपकरण और वेंटिलेशन सिस्टम के समुचित स्थापन द्वारा चयन करके और जहां साध्य होता है वहां बाड़ों या गद्दी इन्सुलेट को लगाकर कम किया जा सकता है।

मॉयल के मुख्य कार्यालय में सौलर पैनल की स्थापना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः

- ठोस अपशिष्ट को अलग करने के लिए प्रणाली अपनाई है जिसे दो श्रेणियों नामतः (i) सफेद अपशिष्ट (ii) ब्लेक अपशिष्ट में बांटा गया है।
- स्थिरीकरण के बाद, सफेद अपशिष्टों को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के साथ परामर्श में वृक्षारोपण के साथ कवर किया जाता है।
- ताजा और सक्रिय अपशिष्टों के संरक्षण के लिए मैदान स्तर पर दीवार के साथ 1 मीटर ऊंचाई में बेंचिंग, ट्रेंच–कटिंग/स्टोन पिचिंग किया जाता है।

पेड़ लगानाः

पिछले 23 वर्षों में सभी खानों में अधिक से अधिक 18.66 लाख पेड़–पौधे, 75 प्रतिशत जीवित रहने की एक औसत दर के साथ लगाए गए।

7.2.6 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील संगठन ने हरियाली पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक ऊर्जा नीति तैयार की है। जिसमें कुशल उपयोग, ऊर्जा और लौह एवं इस्पात बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न कचरे को पुनः प्राप्त करने के लिए परिष्कृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पर ज़ोर दिया गया है।

विजय नगर का कार्य

ऊर्जा प्रबंधन

वर्ष	एनर्जी (Gcal/tCS)	CO_2 उत्सर्जन) (Tons/tCS)
2014–15	6.423	2.58
2015–16	6.397	2.52
2016–2017 (नवम्बर, 2016 तक)	6.437	2.56

नवम्बर 2016 तक ऊर्जा प्रबंधन की जानकारियांः

- 5 मेगावाट क्षमता की शीर्ष दबाव वसूली टरबाइन / बीएफ 1 स्थापित
- गैस की खपत में वृद्धि से जगमगाता हुआ कम ढेर
- जीएमएस 1 की गैस मिश्रण क्षमता 180 केएनएम3/घंटा से 240 केएनएम3/घंटा तक बढ़ा दी गई

सीपीसीबी/एसपीसीबी मानदंड/विनियम और वृक्षारोपण परियोजनाओं के बारे में जानकारी

- जेएसडब्ल्यू स्टील ढेर उत्सर्जन के लिए सीपीसीबी/केएसपीसीबी मानकों के अनुपालन में है और यह भी सीआरईपी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

पर्यावरण विशेषताएं

वायु प्रदुषणः

- अतिरिक्त बैग फिल्टर की स्थापना
- रूफ के ऊपर उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रणाली का कार्यान्वयन

जल प्रदूषणः

- कम महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में गिरते हुए पानी को उपयोग करने के माध्यम से प्रक्रियागत पानी का पुनः उपयोग।
- आरओ पौधों को दूषित पानी की प्रक्रिया का इस्तेमाल करने और पानी के रूप में श्रृंगार के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है।
- कोल्ड रोलिंग मिलों में तेल दूषित क्षारीय पानी का उपचार।
- शून्य पानी मुक्ति को प्राप्त करना।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः

- "वेस्ट टू वैल्थ" को काम में लाने के लिए लोह वहन धूल और कीचड़ के प्रसंस्करण के लिए संयंत्र स्थापना।
- नदी रेत के एक विकल्प के रूप में संसाधित दानेदार ब्लास्ट फर्नेस लावा प्रदान करने के लिए प्रयास।
- इस्पात लावा के त्वरित अपक्षय में भाप का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता समुच्चय में इस्पात लावा को परिवर्तित करने के लिए विकसित भाप उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का विकास किया गया।

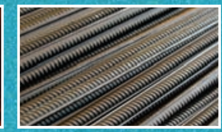

डोल्वी वर्क्स

ऊर्जा खपत में कमी की मुख्य विषेषताएं

- बिजली उत्पादन के लिए बीएफ गैस का उपयोग
- प्राकृतिक गैस (एनजी) का आंशिक प्रतिस्थापन ताकि प्रत्यक्ष कम आयरन (डीआरआई) को उत्पादित किया जा सके।
- स्लैब हीटिंग के लिए सुरंग भट्टी में कोक ओवन गैस को प्राकृतिक गैस में बदला गया।
- बीएफ में पीसीआई कोयला इंजेक्शन और ऑक्सीजन संवर्धन में वृद्धि हुई है।
- वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में सिंटर 1 की स्थापना और प्रवर्तन में लाना।
- मिश्रण फीड का उपयोग विशिष्ट बिजली, ईंधन और पेलिट संयंत्र में परिचालन उपभोग को कम करने के लिए किया जाना।
- बेंटोनाइट पेच फीडर का उच्च क्षमता (40 टीपीएच) के साथ प्रतिस्थापन किया जाना।
- 2000 किलो कैलोरी/एसएम3 की कैलोरिफिक मूल्य प्राप्त करने के लिए बीएफ गैस के साथ प्रोपेन के लिए इग्निशन भट्टी बर्नर का डिज़ाइन।

सेलम वर्क्स

विशिष्ट ऊर्जा खपत

वर्ष	(Gcal/tCS)
2013–14	7.194
2014–15	7.485
2015–16	7.517
2016–17	7.253

ऊर्जा हाइलाइट्स

- कोक ओवन बैटरी में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर की कमीशनिंग।
- प्रक्रिया और कम्प्रेशर ऑपरेशन के अनुकूलन के माध्यम से गैस निकालने में कमी।
- गर्म विस्फोट के तापमान में वृद्धि से कोक की खपत में कमी।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

- 70 स्टेक मापदंड केयर एयर सेंटर (सीएसी), टीएनपीसीबी के वास्तविक समय से निरंतर ऑन लाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली से जुड़ी हुई है।
- स्ट्रीट लाइट के लिए 5 किलोवाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना।
- मुख्य कच्चे जल उपचार संयंत्र में रासायनिक खपत में 10 प्रतिशत की कमी।
- पलायक उत्सर्जन को कम करने के लिए सेकेंडरी डी–डस्टिंग प्रणाली की कमीशनिंग।

7.2.7 टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल)

ऊर्जा की खपत और कम कार्बन उपयोग प्रौद्योगिकियों में कमी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

जमशेदपुर स्टील वर्क्स (टीएसजे)

- ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन (प्रक्रिया नियंत्रण और इन–हाऊस में सुधार) के अनुकूलन के द्वारा 454 किलो/टीएचएम से 451 किलो/टीएचएम दर में कमी।
- बाय–उत्पाद गैसों की रिकवरी और उपयोगिता में बढ़ोत्तरी।

संकेतक	2014–15	2015–16	2016–16 (दिसं. 16 तक)
विशिष्ट ऊर्जा की खपत (Gcal/Tcs)	6.01	5.78	5.70
विशिष्ट CO_2 उत्सर्जन (Tons/tCS)	2.46	2.29	2.31

पर्यावरण प्रबंधन हाईलाइट

संकेतक	2014–15	2015–16	2016–17 (दिसं. 16 तक)
धूल उत्सर्जन (Kg/tcs)	0.57	0.51	0.45

सीआरईपी अनुपालन

- ईएसपी और बैग फिल्टर का उन्नयन
- विभिन्न स्थानों पर डीई सिस्टम का उन्नयन
- 225 धूल उत्पत्ति स्थानों को कवर करने के लिए धूल दमन (डीएस) प्रणाली का उन्नयन।
- धातु रिकवरी और लावा प्रसंस्करण संयंत्र, कच्चे माल के बैडिंग और ब्लेंडिंग संयंत्र, सिंटर प्लांट 3 और ब्लास्ट फर्नेस में औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर (आईवीसी) का उन्नयन।
- सड़कों पर धूल उत्सर्जन कम करने के लिए टायर धोने की सुविधाओं की स्थापना।
- भूमि आधारित धुआं निकासी, निर्गंधीकरण सुविधाएं, एचपीएलए (उच्च दाब लिकर आकांक्षा) के लिए ऑनलाइन चार्ज, कोक ओवन बैटरी में पलायक उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्‌गम पाइपों पर वाटर सील कैप और उत्सर्जन नियंत्रण सुविधाओं (चार्ज और ढकेलने वाले पक्षों) की स्थापना।
- कोक ओवन बैटरी से कोक ओवन गैस का डी–सल्फराइजेशन।

वायु प्रदूषण, परिवेशी वायु गुणवत्ता, प्रवाह निर्वहन

वर्ष	परिवेशी वायु गुणवत्ता (µg/m3)				प्रवाह निर्वहन m^3/tcs	विशिष्ट पानी खपत m^3/tcs
	PM10	PM2.5	SOx	NOx		
2013–14	79.5	–	43.7	44.8	2.3	5.6
2014–15	74.0	–	43.0	38.0	2.3	5.5
2015–16	78.5	50.6	24.7	47.7	1.2	4.4
2016–17 (दिसं. 16 तक)	128.9	70.6	29.5	41.5	1.0	3.9

अपशिष्ट प्रबंधन

पैरामीटर	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 दिसं. 16 तक
उत्सर्जन (kg/tcs)				
बीएफ स्लैग	351	350	366	389
एलडी स्लैग	183	185	161	182
कुल कचरा	662	670	659	669
उपयोग (%)				
बीएफ स्लैग	93	99	99	96.9
एलडी स्लैग	98	44	43	53.2
कुल कचरा	95	78	78	79.9

कलिंगनगर स्टील वर्क्स (टीएसके)

ऊर्जा खपत : 2.9 जीसीएएल/टीसीएस

सीओ2 उत्सर्जन : 8 टन/टीसीएस

दांव कण उत्सर्जन : 1.7 किलो/टीसीएस

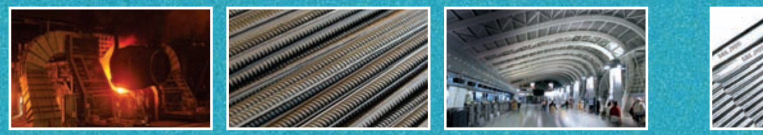

7.2.8 केआईओसीएल लिमिटेड

ऊर्जा प्रबंधन

- पैलेट संयत्र के विभिन्च्न स्थानों में परम्परागत लाईट फिटिंग्स और 24 वॉट के पुराने दोषपूण लाईट फिटिंग्स के स्थान पर 24 वॉट की 10 एलईडी वेल ग्लास नॉन फ्लैम प्रूफ इंडस्ट्रियल फिटिंग्स लगाई गई है।
- पैलेट संयत्र के विभिन्न स्थानों में 4x40 वॉट के 9 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाईट्स फिटिंग्स और 70 वॉट की 02 मेटल हैलिड लाईट फिटिंग्स के स्थान पर 64 वॉट की 10 एलईडी मिडियम बे लाईट फिटिंग्स लगाई गई है।
- 4x40 वॉट की 20 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाईट्स फिटिंग्स के स्थान पर 45 वॉट की 20 सीएफएल लाईट फिटिंग्स लगाई गई है।
- पैलेट संयत्र के एलसीजी प्लांट में कंप्रेसर ड्राइव सीए 3.1.1 के लिए 35 किलोवाट, 415 वी, 3 पीएच, 50 हर्टेज, 315 एल, 750 आरपीएम की एक कम विद्युत खपत वाली एससीआई मोटर लगाई गई है।
- ब्लॉस्ट फर्नेस क्षेत्र और कैप्टिव पॉवर प्लांट (सीपीपी) दोनों में पंखा रहित कूलिंग टावर्स लगाये गये है।

7.2.9 भूषण स्टील लिमिटेड

ऊर्जा संरक्षण की पहल

- स्टील स्लैब की 100% हॉट चार्जिंग
- ब्लास्ट फर्नेस में टॉप गैस रिकवरी
- एलईडी लैंपों की स्थापना
- सोलर लाइटिंग सिस्टम की स्थापना
- सीडीक्यू की स्थापना

पर्यावरण प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन और उपयोग करना

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
कुल अपशिष्ट उत्सर्जन (t/tcs)	0.9	0.75	0.72
कुल अपशिष्ट उपयोग (t/tcs)	0.73	0.72	0.67
अपशिष्ट उपयोग का प्रतिशत	80.9	96	93.18

विशिष्ट पानी की खपत (एम3/टीसीएस)

2013–14	2014–15	2015–16
5.9	4.7	4.44

7.2.10 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

पर्यावरण प्रबंधनः

वर्ष	ऊर्जा (Gcal/Tcs)	CO_2 उत्सर्जन (Tons/tCS)
2013–14	9.021	4.052
2014–15	9.099	4.182
2015–16	8.745	3.982
2016–17 (दिसं. 16 तक)	8.625	3.912

पर्यावरण प्रबंधन

- इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का नई ऑक्सीजन फर्नेस में बदला गया है
- बिजली संयंत्र में एलवी वीएफडी की स्थापना
- डीसीपीपी में 15 किलोवॉट पीवी सोलर पावर पैनल की स्थापना
- डीसीपीपी के कूलिंग टॉवर फेन ब्लेडस् जीआरपी से एफआरपी में स्थापना
- डीसीपीपी में एएचपी की ओर साधन हवा हेडर की वायु को नियंत्रित करने के लिए वाल्व की स्थापना
- सभी सीआरईपी कार्य बिन्दु पूरे हो चुके हैं।

स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना

- कोयला वाशरीज़ की ठोस अपशिष्ट (मध्यम और पोंड फाइंस) से 134 मेगावाट बिजली उत्पादन
- डीआरआई भट्टियों और कोक ओवन के बॉयलर से निकली अपशिष्ट हीट की प्राप्ति से 165 मेगावाट बिजली का उत्पादन
- बॉयलर और भट्टियों में ईंधन के तौर पर ब्लास्ट फर्नेस गैस का लगभग 95 प्रतिषत
- लाई ऐष और लावा का उपयोग करने के लिए कैप्टिव ईंट संयंत्र
- जैव–मैथेनेषन संयंत्र (3 टीपीडी) को जैव–नश्ट योग्य कचरे को वैज्ञानिक निपटान तथा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए
- महत्वपूर्ण लावा बॉलस् को स्लेग ऑटोमाइज़ प्रौद्योगिकी (एसएटी) में एसएमएस लावा के उपयोग के द्वारा निर्माण करना।
- उचित उपचार के बाद घरेलू अपशिष्ट के साथ साथ औद्योगिक जल को भी 100 प्रतिशत पुनः उपयोग करना।
- जैव–मैथेनेशन संयत्र की स्थापना के द्वारा रसोई कचरे को 100 प्रतिशत पुनः उपयोग हेतु बनाना। इस संयंत्र से उत्पादित गैस को वैकल्पिक एलपीजी गैस के रूप में उत्पादित करना।
- जेएसपीएल रायगढ़ में जिंदल केन्द्र के लिए आईजीबीसी से ही ग्रीन बिल्डिंग प्लेटिनम अवार्ड।

वनीकरण

जेएसपीएल रायगढ़ में 5.10 लाख पेड़, सीमेंट संयंत्र में 32500 पेड़ और पुंजीपत्रा के औद्योगिक एस्टेट में 4.73 लाख पेड़ लगाए गए।

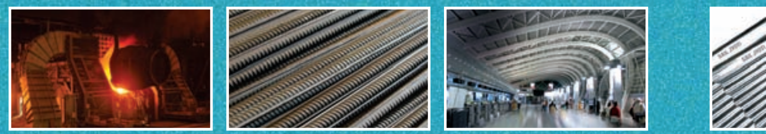

अध्याय–VIII

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

8.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय और इसके तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ढांचे के विकास और संचालन को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

- मंत्रालय में कंप्यूटर सेंटर, हाई एंड सर्वर, क्लाइंट सिस्टम्स, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) और वाईफाई सेटअप से लैस है जिससे इस मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को आईसीटी सपोर्ट उपलब्ध होता है।
- गीगाबिट मुख्य माध्यम के साथ करीब 250 नोड्स का एक लैन मंत्रालय में परिचालन में है और इसका निम्नलिखित कार्यों के लिए व्यापक उपयोग किया जा रहा है:
    - ❖ ईऑफिस फाइल प्रबंधन एवं निगरानी, ज्ञान प्रबंधन एवं अवकाश प्रबंधन प्रणाली।
    - ❖ वार्षिक रिपोर्ट, संसद के प्रश्नों पर सूचना सामग्री का संग्रह, प्रभागों से लंबित कार्य, पता लगाने व निगरानी के कार्य (वीआईपी/पीएमओ के संदर्भ, कैबिनेट नोट्स, अदालती मामलें, अंकेक्षण व संसद के आश्वासन आदि)।
    - ❖ ई–मांग, स्टॉक व वस्तु सूची प्रबंधन प्रणाली, यात्रा पर रहे अधिकारी की सूचना प्रणाली मंत्रालय में इंट्रानेट पोर्टल पर परिचालन में हैं।
- एनआईसी जीओवी डोमेन में ईमेल सुविधा के साथ इंटरनेट संपर्क इस मंत्रालय में सभी अधिकारियों/प्रभागों को उपलब्ध कराई गई है।

ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग और इस मंत्रालय में कागजरहित कार्यालय की अवधारणा को प्रोत्साहन

- डीएआरपीजी की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत इस मंत्रालय में कम कागजी कार्रवाई की पहल के अंतर्गत 'ई–ऑफिस' सॉफ्टवेयर (भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना) मॉड्यूल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, लीव मैनेजमेंट सिस्टम और स्पैरो (eAPAR) लागू किया गया है।
- ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत मंत्रालय में एक इंटरनेट पोर्टल भी परिचालन में है। यह पोर्टल कार्य योजनाओं, नकदीरहित लेनदेन वातावरण तैयार करने, अदालती मामलों, महत्वपूर्ण संदर्भों, कैबिनेट नोट्स एवं संसदीय आश्वासनों आदि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
- ई–मांग पत्र, स्टॉक एवं इनवेंटरी प्रबंधनी प्रणाली लागू की गई है और एडमिन जनरल सेक्शन द्वारा इसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है एवं मंजूरी प्रदान की जाती है जिससे स्टॉक और इनवेंटरी बनाए रखने में मदद मिलती है।
- अवकाश और अग्रिमों की मंजूरी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मंजूरी के लिए फॉर्मों, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फार्मों, पहचान पत्र को डाउनलोड करने की सुविधा, पहचान पत्र, कर्मचारियों के लिए कार बुकिंग, आयकर, मंत्रालय में अधिकारियों/प्रभागों की टेलीफोन डायरेक्टरी, संगठन का चार्ट आदि भी इस मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है।
- इस मंत्रालय में रीयल टाइम निगरानी के साथ आधार प्रमाणीकरण पर बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली परिचालन में है।
- माननीय प्रधानमंत्री को मासिक प्रगति वीसी उपलब्ध कराने के लिए इस्पात कान्फ्रेंस रूम और इस्पात सचिव कार्यालय में हाई डेफिनिशन वीसी की व्यवस्था की गई है।
- ई–गवर्नेंस योजना के तहत इस मंत्रालय में निम्नलिखित केन्द्रीकृत नागरिक केन्द्रित वेब आधारित प्रणालियां भी लागू की गई हैं:
    - ❖ इस मंत्रालय एवं इसके सार्वजनिक उपक्रमों में आम लोगों और पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान की सुविधा के लिए केन्द्रीकृत जन शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) लागू की गई है।

- ❖ सूचना का अधिकार अधिनियम – आरटीआई कानून 2005 के तहत प्राप्त अनुरोधों एवं अपीलों की निगरानी की सहूलियत के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई–एमआईएस)। यह प्रणाली इस मंत्रालय एवं इसके सार्वजनिक उपक्रमों में लागू की गई है।
- ❖ एसीसी वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम (एवीएमएस), ई विजिटर मॉनिटरिंग सिस्टम (ईवीएमएस), ई समीक्षा पोर्टल, एपीएआर ऑनलाइन दाखिल करने के लिए स्पैरो और वार्षिक संपत्ति रिटर्न्स को भी लागू किया गया है।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

- इस्पात मंत्रालय के लिए द्विभाषी वेबसाइट (http://steel.gov.in) परिचालन में है।
- एनआईसी के कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) के तहत इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट को नए सिरे से डिजाइन करने का काम प्रगति पर है।

8.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल का कारोबार उसके जबरदस्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचे पर किया जाता है जिसका उद्देश्य कंपनी के परिचालन में कुशलता एवं पारदर्शिता लाना है।

- सेल अपने सतत प्रयासों के साथ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के तहत कारोबारी परिचालनों के व्यापक क्षेत्र को कवर करने में समर्थ रही है। सेल के 4 एकीकृत संयंत्रों जैसे भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) पहले ही ईआरपी को लागू कर चुके हैं। पांचवे एकीकृत इस्पात संयंत्र मसलन इस्को स्टील प्लांट और कॉरपोरेट कार्यालय में प्लांट/यूनिट के एकीकरण के जरिये डेटा एकीकरण के लिए ईआरपी का क्रियान्वयन प्रगति पर है।
- प्रभावी नकदी वसूली एवं वित्तीय सुलह के लिए ई–भुगतान एवं ई–प्राप्ति के जरिये नकदी रहित लेनदेन का अधिक से अधिक उपयोग।
- 'डिजिटल इंडिया पहल' को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:
  - ❖ कर्मचारियों, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ संचार के लिए स्वचालित एसएमएस/ईमेल सुविधा।
  - ❖ ई–खरीद का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।
  - ❖ ग्राहकों की ओर से पूछताछ का जवाब देने के लिए ऑनलाइन ग्राहक पूछताछ प्रणाली।
  - ❖ कर्मचारी संबद्ध सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए विभिन्न मोबाइल एप्स लांच किए।
- पूरे सेल में कार्यकारियों के अप्रेजल के लिए एक्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (ईपीएमएस) पहले से ही परिचालन में है और अब इसका विस्तार कर सेल के महाप्रबंधकों और कार्यकारी निदेशकों को इसके तहत ला दिया गया है।

माननीय इस्पात मंत्री, श्री बीरेन्द्र सिंह डॉ. एन. मोहपात्रा, निदेशक (कार्मिक) सेल को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआर) एवं सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट (एसआरएम) मॉड्यूल्स के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए मान्यता प्रमाण पत्र देते हुए

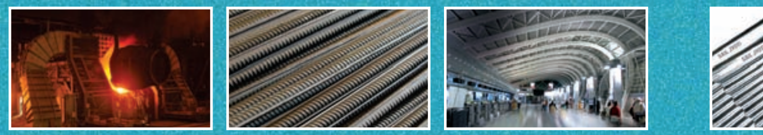

- मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऐतिहाती सतर्कता हेतु एमआईएस लागू किया गया है।
- व्यवहार के स्तर पर आईटी प्लेटफॉर्म पर भारतीय लेखा मानकों (आईएएस) और वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के लिए प्रारंभिक गतिविधियां की जा रही हैं।
- सेल ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) को संयंत्रों में पेरोल सिस्टम के साथ एकीकृत कर इसके लाभ का विस्तार किया है।
- सुरक्षा भंग के प्रभाव को सक्रिय रूप से सीमित कर जोखिम को न्यूनतम करने एवं कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सेल के प्रमुख संयंत्रों/ईकाइयों ने आईएसओ 27001:2013, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) प्रमाणन हासिल किया है।

8.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल कुल संगठनात्मक कार्यकुशलता सुधारने के लिए आईटी आधारभूत ढांचा एवं विभिन्न आईटी प्रणालियां/एप्लीकेशंस के विकास में सतत रूप से प्रयासरत रही है। इस संबंध में वर्ष 2016–17 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- ईआरपी में पेरोल मार्च, 2016 से लाइव हो गया। पेरोल के साथ एचसीएम मॉड्यूल का क्रियान्वयन भारतीय इस्पात उद्योग में प्रथम है।
- एक्जिक्यूटिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (ईपीएमएस) को विकसित कर लागू किया गया।
- एंटरप्राइज प्लांट प्रोडक्शन परफॉर्मेंस सिस्टम, उत्पादन एवं विलंब के लिए मोबाइल एप भी विकसित किया गया।
- विपणन, एमएम और निर्माण के ठेकों में ई–निविदा शुरू की गई। पोत सुविधा के लिए ई–नीलामी शुरू की गई। सभी विपणन शाखाओं में हिंदी में वाणिज्यिक बीजक लागू किया गया और बिक्री आदेश पर ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भी शुरू किया गया।
- आईटी और ईआरपी सेवाओं में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) क्रियान्वयन के लिए आईएसओ 27001 प्रमाणन हासिल किया।
- आरआईएनएल को उसकी आईटी पहल के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा सराहा गया है और इन संस्थानों में भारत सरकार के डीएआरपीजी द्वारा ई–गवर्नेंस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2016–17 और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा बिग डेटा वर्ग में एक्सप्रेस इंटेलिजेंट पीएसयू अवार्ड शामिल है जो कंपनी को प्रतिस्पर्धी लाभ की स्थिति हासिल करने और परिचालन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के अनूठे उपयोग हेतु दिया गया।

8.4 एनएमडीसी लिमिटेड

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और वित्तीय लेखा प्रणाली में निम्नलिखित मॉड्यूल्स जोड़े गए हैं:

- परिचालन का लाइसेंस
- निगमित सामाजिक जिम्मेदारी
- पेलेट प्लांट के लिए बिक्री लेखांकन
- ऑनलाइन भर्ती
- बेहतर प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली
- कॉरपोरेट एवं इंट्रानेट वेबसाइटों को द्विभाषी बनाया गया

8.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने कंपनी के सभी कार्य क्षेत्रों के प्रभावी कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण सिस्टम्स सेल स्थापित किया है। पर्याप्त आईटी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विभाग द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- 500 कंप्यूटरों की स्थापना जिसमें से 260 कंप्यूटर मुख्यालय में और 240 कंप्यूटर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्थित खानों में स्थापित किए गए।
- विभिन्न विभागों जैसे सेल्स व मार्केटिंग, क्रय एवं स्टोर्स, कर्मचारियों के भुगतान एवं एचआर, उत्पादन एवं गुणवत्ता और कंपनी की लागत एवं वित्त की गणना एवं डेटा प्रोसेसिंग जरूरतें पूरी करने के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशंस को डिजाइन किया, विकसित किया और लागू किया।

- मुख्यालय, नागपुर में विंडोज़ और लाइनक्स प्लेटफॉर्म पर इथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क्स (लैन) चालू। कंपनी की सभी नौ खानों में भी लैन को डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
- एनआईसी सर्वर पर एक क्रियाशील इंटरनेट वेबसाइट को डिजाइन, विकसित एवं चालू किया गया।
- नियमित आधार पर एप्लीकेशंस, डेटाबेस/सूचना एवं अन्य संसाधनों को प्रभावी ढंग से साझा करने के लिए सभी खानें और मुख्यालय लीज्ड लाइन एवं ब्रॉडबैंड पर एमपीएलएस वीपीएन एवं वीपीएन के जरिये जुड़े हैं।
- सतत ज्ञान अर्जन, ई–मेल एवं इंटर यूनिट डेटा ट्रांसफर सुविधाओं के लिए मुख्यालय से संबद्ध सभी अधिकारियों को ओएफसी पर 8एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन के जरिये इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। सभी नौ खानों को लीज्ड लाइन/ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
- दो लाख रुपये और इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं की खरीद एमएसटीसी के ई–खरीद पोर्टल के जरिये जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके।
- कंपनी में ईआरपी के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पहल की गई।

8.6 एमएसटीसी लिमिटेड

जहां तक आईटी ढांचे का संबंध है, एमएसटीसी लिमिटेड में घटनाक्रम इस प्रकार से हैं:

- ई–खरीद सेवाओं पर एसटीक्यूसी प्रमाणन प्राप्त किया गया।
- आईएसओ 27001 प्रमाणन प्रभावी है और इसे आईएसओ 27001:2005 से 27001:2013 की ओर अपग्रेड किया गया और इस उन्नयन का अंकेक्षण एसटीक्यूसी द्वारा किया गया।
- आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन बनाए रखा गया।
- कोयला के लिए बोली लगाने वाले उन बोलीकर्ताओं के लिए ईएमडी प्रबंधन एवं कुछ अन्य सुविधाओं हेतु कंपनी के भीतर ही एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया जो सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगियों की ओर से एमएसटीसी द्वारा की जा रही कोयले की ई–नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं।
- कंपनी के भीतर विकसित इनवेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को एमएसटीसी मुख्यालय में लागू किया गया।
- कंपनी के भीतर बिल निगरानी प्रणाली विकसित कर इसे 01–01–2016 को एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में लागू किया गया।

8.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

- एक संपूर्ण एकीकृत पैकेज एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वयन के चरण में है।
- fsnl.nic.in डोमेन आधारित वेब मेल सेवा एफएसएनएल के सभी कार्यकारियों के लिए लागू की गई है।

8.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल के पास अपनी वेबसाइट www.hscl.co.in है जिसके जरिये वह एक पारदर्शी तरीके से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित करती है। एचएससीएल की देशभर में 25 से अधिक इकाइयां फैली हैं। सभी इकाइयां प्राप्ति एवं खर्च का अलग से लेखाजोखा रखती हैं। अंततः प्रत्येक इकाई के खाते एकत्र किए जाते हैं और कंपनी का एक संपूर्ण लेखाजोखा तैयार किया जाता है। वित्तीय परिचालनों को दुरुस्त करने और कंपनी के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित वित्तीय प्रणाली शुरू की गई है:

- केन्द्रीकृत नकदी प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)
- कांट्रैक्ट रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम (सीआरएमएस)
- लाभप्रदता की रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली (पीआरएमएस)
- बिलिंग प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) और
- सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस)

एचएससीएल एक पूर्ण ई–खरीद का अनुपालन करने वाला संगठन है जहां सभी निविदाओं पर सीपीपी पोर्टल के जरिये ऑनलाइन निर्णय किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी की कारोबारी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिल भुगतान की स्थिति इस वेबसाइट पर परिलक्षित होती है।

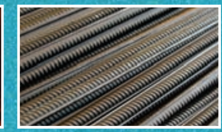

8.9 मेकॉन लिमिटेड

रांची, बेंगलूरू और दिल्ली में मेकॉन के कार्यालय अत्याधुनिक हार्डवेयर, नेटवर्क और विभिन्न इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयरों जैसे REBARCAD, TEKLA, AERMODVIEW, STAAD.PRO, AUTOCAD, ETAP, CAESAR, PVLITE, AUTOPLANT, PDS आदि से युक्त हैं जिनसे गुणवत्ता डिजाइन और विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुगम हो जाता है।

मेकॉन वर्तमान में चल रहीं विभिन्न परियोजनाओं के नियोजन और निगरानी के लिए प्राइमवेरा, एमएस प्रोजेक्ट्स जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल कर रही है और कंपनी के भीतर विकसित किए गए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है।

कंपनी के भीतर विकसित एप्लीकेशंस जैसे एचआर, कॉरपोरेट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, एमआईएस, कंपीटेंसी मैपिंग, ई–अर्काइव दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उपयोग किए जा रहे हैं।

8.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में आईटी का इस्तेमाल 1976 में इसकी स्थापना के समय से ही प्रचलन मे रहा है और यह इसके सभी संयंत्रों और कार्यालयों में फैला है। कंप्यूटरीकरण का मुख्य क्षेत्र इस प्रकार है:

- **वस्तुसूची एवं सामग्री प्रबंधन:** कंपनी 1980 के दशक से ही कंप्यूटीरकृत वस्तुसूची लेखा एवं नियंत्रण प्रणाली का उपयोग कर रही है। कनाडाई खनन कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही यह डिजाइन अपनाई गई जिसमें विशेष प्रक्रिया, प्रारूप और चेक डिजिट के साथ संहिताकरण की खूबी है। बाद में इस प्रणाली को उन्नत किया गया और एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया।
- **वित्त एवं लेखा:** पे रोल का लेखा और पे स्लिप निकालने के काम का कंप्यूटरीकरण 80 के दशक में किया गया। वित्त एवं लेखा प्रणाली की सभी प्रमुख गतिविधियां अब पूरी तरह से एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटेड हैं जिसमें आवश्यक रिपोर्टिंग की विशेषताएं हैं। सभी प्रमुख भुगतान आरटीजीएस के जरिये किए जाते हैं।
- **आईटी ढांचा:** ढांचागत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपग्रेड किया जाता है और इनका रखरखाव किया जाता है। कंपनी ने मंगलोर और बेंगलूरू में एक फाइबर ऑप्टिक व्यवस्था के साथ संपूर्ण आईपी सुगठित यूटीपी आधारित डेटा नेटवर्कों को स्थापित किया है। सभी स्थानों पर इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने के लिए मंगलोर और बेंगलूरू में 8 एमबीपीएस लीज्ड लाइन और कुद्रेमुख में वीपीएन के जरिये इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यह वीपीएन कनेक्टिवटी इस कंपनी के विभिन्न स्थानों के जरिये सभी एप्लीकेशंस को एक एकल नेटवर्क पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** मंगलोर और बेंगलूरू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इंटरनेट आधारित लीज्ड लाइन एवं आईएसडीएन कनेक्शनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुविधा समय समय पर सभी स्थानों पर होने वाली बैठकों से ऑनलाइन जुड़ने की सहूलियत प्रदान करती है।
- **ई–कॉमर्स:** ई–निविदा, ई–खरीद और आरटीजीएस शुरू होने से कागजी कार्रवाई घटी है, पारदर्शिता बढ़ी है और समय की बर्बादी घटी है। पेलेट्स की बिक्री एसक्यूटीसी प्रमाणन के साथ Class i/ii RSA/SA एजेंसी द्वारा ई–निविदा के माध्यम से की जाती है। इससे मूल्य खोज समय में उल्लेखनीय कमी आई है। एक निश्चित सीमा से ऊपर की सभी खरीद ई–निविदा के जरिये की जाती है।
- **प्लांट प्रोसेस ऑटोमेशन:** केआईओसीएल के सभी संयंत्र पूर्ण ऑटोमेटेड हैं और सेंट्रल कंप्यूटर रूम से नियंत्रित हैं। इससे कर्मचारियों की जरूरत घटी है, मानव एवं मशीन की सुरक्षा बढ़ी है और उपकरणों का जीवनकाल बढ़ा है। कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के जरिये संग्रह किए गए आंकड़ों का उपयोग समय–समय पर ऐतिहाती रखरखव करने, उपकरण के जीवनकाल का अनुमान लगाने में किया जाता है जिससे उत्पादकता बढ़ी है।

8.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

इन कंपनियों ने सभी निविदाएं इच्छा पत्र को कंपनी की कॉरपोरेट वेबसाइट एवं सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) पर प्रकाशित करने की पहल की है। लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क की बिक्री की प्रक्रिया केवल ई–नीलामी माध्यम से करने के लिए डिजाइन की गई है। बायोमीट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली और सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली कॉरपोरेट कार्यालय में लगाई गई है। अवकाश के रखरखाव का रिकॉर्ड और वेतन की प्रोसेसिंग कस्टमाइज्ड पे रोल सिस्टम के जरिये किया जा रहा है। वेंडर बिलों का भुगतान करने के लिए टैली आधारित लेखा पैकेज इस्तेमाल किया जा रहा है और कर्मचारियों को विभिन्न पात्रता का भुगतान आरटीजीएस एवं ई–भुगतान माध्यम से किया जा रहा है।

अध्याय–IX

सुरक्षा

9.1 प्रस्तावना

किसी भी उद्योग के संचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न सिर्फ इसके कर्मचारियों और कामगारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उत्पादन जटिल और जोखिम वाली गतिविधि है इसलिए कर्मचारियों को जख्मी होने से रोकने और दुर्घटना रोकने के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण और सभी तरह के खतरों और जोखिम के प्रति पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

सेल में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और व्यवस्था के मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

9.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

9.2.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

इस्पात कारखानों में दुर्घटना मुक्त कामकाज सुनिश्चित करना सेल प्रबंधन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। यह ''शून्य दुर्घटना'' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है।

सेल में सुरक्षा प्रबंधन की शीर्ष स्तर पर निगरानी की जाती है अर्थात सुरक्षा, जागरूकता पैदा करने एवं सुरक्षा के प्रति मानवीय व्यवहार सुधारने के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक स्तर के साथ–साथ संबंधित कारखानों/इकाइयों के प्रमुख कार्यपालकों द्वारा बल दिया जाता है। सुरक्षा सभी समुचित मंचों पर प्रथम मद के रूप में परिचर्चा का विषय होता है और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

सेल की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ओएचएसएएस–18001 कार्यान्वित करने के साथ–साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति भी है।

9.2.2 सेल में सुरक्षा व्यवस्था

सेल के सभी कारखानों/इकाइयों के संबद्ध कार्य प्रमुख के तहत पूर्णतः सुसज्जित सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सुरक्षा प्रबंधन पहलुओं की देखरेख की जाती है। इसके अतिरिक्त सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ), रांची के नाम से एक निगमित सुरक्षा यूनिट भी कार्य कर रही है जो विभिन्न कारखानों/इकाइयों में परिचालन/अग्नि सुरक्षा गतिविधियों के साथ समन्वय और निगरानी करती है तथा संगठन स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन पर उचित ध्यान देती है।

9.2.3 प्रणाली एवं प्रक्रिया

- ओएचएसएएस–18001:2007 और एसए 8000:2008 जैसी प्रबंधन प्रणालियों के साथ अनुरूपता
- सुरक्षा पहलुओं को मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), मानक रखरखाव प्रक्रियाओं (एसएमपी) और सुरक्षित कार्य निर्देशन (एसडब्ल्यूआई) के तौर पर शामिल किया जाता है और उसका अनुपालन किया जाता है।
- कार्यों के सुरक्षित निष्पादन के लिए वर्क परमिट प्रणाली लागू की गई है।
- पूंजीगत/प्रमुख मरम्मत कार्यों के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए और अनुपालन किया गया।
- ऐतिहातन निरीक्षण/औचक जांच के दौरान असुरक्षित कार्यों एवं परिस्थितियों की पहचान की जाती है और नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं तथा इनका पालन किया जाता है।
- केबल गैलरीज़, ऑयल सेलर्स सहित अग्नि संभावित क्षेत्रों के लिए संयुक्त निरीक्षण किए जाते हैं और अग्नि का पता लगाने व बचाव प्रणालियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, इस पर पैनी नजर रखी जाती है। आपात स्थिति में तैयारी के लिए मॉक ड्रिल कराए जाते हैं।
- संयंत्रों/इकाइयों में शीर्ष विभागीय सुरक्षा समितियों के जरिए सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात उद्योग के स्तर पर भी इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई) के जरिए एसएसओ द्वारा सचिवालय के कामकाज का प्रबंधन किया जाता है।
- ऊंचाई पर कार्य करने वालों को व्हाइट पास जारी करने के लिए और क्रेन ऑपरेटरों और मोबाइल इक्विपमेंट ऑपरेटरों के लिए विशेष चिकित्सा जांच अनिवार्य।
- समन्वय एवं निगरानी के लिए एसएसओ द्वारा पेशेवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में इंटर प्लांट नेटवर्किंग स्थापित की गई जिसके लिए एनओएचएससी, बीएसपी केन्द्रीय एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है।

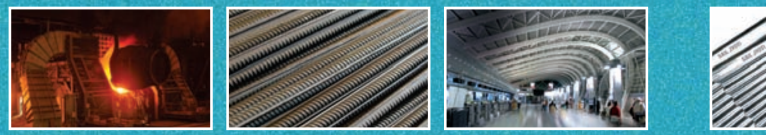

9.2.4 सुरक्षा अंकेक्षण/निगरानी

संयंत्रों और इकाइयों में सुरक्षा अंकेक्षण निम्नलिखित ढंग से किए जा रहे हैं:

- संबंधित कारखानों के सुरक्षा इंजीनियरी विभाग द्वारा आंतरिक सुरक्षा अंकेक्षण।
- सहयोगी कारखानों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से सेल सुरक्षा संगठन द्वारा सुरक्षा अंकेक्षण।
- क्षेत्रीय सांविधिक प्राधिकारियों, ओएचएसएएस अंकेक्षकों आदि द्वारा अनुशंसित बाहरी एजेंसियों जैसे कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा अंकेक्षण।
- ओएचएसएएस–18001, एसए 8000 आदि को सतत मान्यता के लिए प्रबंधन समीक्षा।
- निर्धारित अंतराल पर संयंत्रों/इकाइयों के सुरक्षा प्रमुखों और अग्नि सेवा प्रमुखों की बैठक आयोजित की जाती है।
- सुरक्षा और अग्नि सेवा गतिविधियों के लिए एपीपी का प्रत्येक संयंत्र/इकाई एवं एसएसओ के लिए निर्धारण किया जाता है।
- कार्यों को सुरक्षित पूरा करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख मशीनों की मरम्मत/शटडाउन कार्यों के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा निगरानी की जाती है।
- एसएसओ द्वारा सभी संयंत्रों/इकाइयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की गई।

9.2.5 जागरूकता एवं प्रशिक्षण

- सुरक्षा, पेशेवर स्वास्थ्य एवं कार्य वातावरण का मानक बढ़ाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ी सूचना का संयंत्रों के स्थानीय टीवी नेटवर्क के जरिए प्रसारण किया जाता है।
- नियमित अंतराल पर संयंत्रों/इकाइयों में कौशल उन्मुखी कार्य विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण दिए जाते हैं।
- सुरक्षा प्रशिक्षण देने के दौरान ऑडियो विजुअल सहायता व सुरक्षा फिल्मों का उपयोग किया जाता है।
- संयंत्रों एवं इकाइयों के विभागीय सुरक्षा अधिकारियों/लाइन मैनेजरों/सुरक्षा निरीक्षकों के लिए एसएसओ द्वारा बाहरी फैकल्टी की मदद से आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे सुरक्षा प्रबंधन, रसायन से सुरक्षा, हैज़ोप अध्ययन, सुरक्षा अंकेक्षण और प्रोसेस सुरक्षा प्रबंधन का आयोजन किया गया।
- 'महाप्रबंधकों/विभागाध्यक्षों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां' पर कार्यशाला शुरू की गई।

9.2.6 कर्मचारी बचावपरक उपकरण व सुरक्षा उपकरणों का उपयोग

- कर्मचारी अनुकूल सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध कराए जाते हैं और इसके उपयोग पर नज़र रखी जाती है।
- ऊंचाई पर सुरक्षा के लिए डबल लैनयार्ड के साथ फुल–बॉडी कवच का उपयोग किया जाता है।
- समय समय पर उन्नत पीपीई, सुरक्षा उपकरण, गैस निगरानी उपकरण भी पेश किए जाते हैं।

9.2.7 ठेकेदार के कर्मचारियों की सुरक्षा

चिन्हित क्षेत्रों में ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। परियोजनाओं और वर्क्स से जुड़े कार्यों में उनकी तैनाती को देखते हुए यह प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को कारखाने में सुरक्षित ढंग से काम करने के बारे में प्रशिक्षण और शिक्षा देने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए दिशानिर्देशों में अनुबंध दस्तावेज में सुरक्षा और दंड के उपबंध, स्थल निरीक्षण की प्रणाली और काम शुरू करने से पहले सुरक्षा मंजूरी का मुद्दा, सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती आदि शामिल है। सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है।

9.2.8 दुर्घटना विश्लेषण, जांच एवं मुआवजा

- अप्रैल, 2016–दिसंबर, 2016 की अवधि के लिए रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजुरी फ्रिक्वेंसी रेट (RLTIFR) : 0.11
- सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है, विश्लेषण किया जाता है और दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऐहतियाती उपाय किए जाते हैं।
- घातक दुर्घटनाओं के घटनास्थल पर अध्ययन की सिफारिशें सभी संयंत्रों व इकाइयों को की गई जिससे इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित कार्रवाई की जाए। प्रत्येक घातक दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाती है और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती है।
- नियमित कर्मचारियों के मामले में कंपनी की नीति के मुताबिक मुआवजे का भुगतान किया जाता है, जबकि ठेका श्रमिक के लिए मुआवजे का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रावधानों के मुताबिक किया जाता है।

9.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

9.3.1 प्रबंधन की प्रतिबद्धता

सुरक्षा मानकों, जोखिम नियंत्रण की मॉनीटरिंग और अन्य सहक्रियात्मक उपायों के कार्यान्वयन में आरआईएनएल के सतत प्रयासों से संभावित जोखिम कम/समाप्त हुए हैं। शून्य दुर्घटना का उद्देश्य प्राप्त करने तथा कंपनी में एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। विस्तार क्षेत्र सहित कारखाने में रोजमर्रा और रोजमर्रा से परे गतिविधियां चिन्हित की गयी हैं जिनमें ओएचएसएमएस, जोखिम पहचान और जोखिम आक्कलन (एचआईआरए) किया गया है। सभी सुरक्षा नियंत्रण एवं उपायों को चिन्हित कर लिया गया है और समस्त गतिविधियों में इनकी निगरानी और कार्यान्वयन किया जा रहा है।

9.3.2 आरआईएनएल में सुरक्षा तंत्र

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों से समान भागीदारी के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा समिति और 30 विभागीय सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं।

9.3.3 सुरक्षा प्रोत्साहन

वर्ष 2016–17 (दिसंबर, 2016 तक) के दौरान किए गए प्रमुख उपायः

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों की तर्ज़ पर आपदा/आपात प्रबंधन योजना संशोधित की गई है। खानों, स्कूलों, टाउनशिप और मार्केट यार्डों आदि के लिए अलग–अलग आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई गई हैं।
- गैस सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा टीम गठित की गई है जो सभी संयंत्रों में गैस लाइनों, युटिलिटी लाइनों को देखेगी।
- सभी विभागों को शामिल करते हुए सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए गए।
- कार्मिक सुरक्षा उपकरण के सुरक्षित उपयोग पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक पदयात्रा निकाली गई जिसमें ईडी, विभागाध्यक्ष, सुरक्षा अधिकारियों, कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
- कार्य दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के नियंत्रण अधिकारियों की काउंसिलिंग शुरू की गई।
- 'गाड़ी चलाते समय सेलफोन का इस्तेमाल नहीं करें' विषय के साथ एक विशेष अभियान चलाया गया और नियंत्रण कक्षों में 1000 स्टिकर्स प्रदर्शित किए गए।
- एसईडी की क्रॉस फंक्शनल टीमों द्वारा ऊंचाई पर काम की औचक जांच शुरू की गई।
- संयंत्र के भीतर होम गार्डों के लिए फैब्रिकेटेड केबिन उपलब्ध कराए जाते हैं।
- वर्ष 2014 एवं 2015 के लिए मिलों एवं कोक ओवन जोन्स में कोई घातक दुर्घटना नहीं होने के लिए वर्ष 2016 में इस्पात सुरक्षा पुरस्कार मिला।

9.3.4 सुरक्षा ऑडिट एवं जांच

संबंधित विभागीय अधिकारी और अर्हता प्राप्त आंतरिक ओएचएसएएस अंकेक्षकों द्वारा सभी प्रमुख एवं छोटे विभागों में समय सारणी के अनुसार आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किये गये। ओएचएसएएस प्रमाणीकरण निकाय के प्रमुख अंकेक्षकों द्वारा छह महीने में एक बार बाह्य सुरक्षा ऑडिट भी किये गये। अंकेक्षकों द्वारा उठाये गये बिंदुओं का अनुपालन किया गया। सांविधिक अपेक्षा के अनुरूप, बाह्य ऑडिट का संचालन सुरक्षा के क्षेत्र में बाह्य विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जा रहा है।

सभी दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच की गई और सभी विभागों में उपचारात्मक उपायों को लागू किया गया। मशीनों की मरम्मत और संयंत्र में प्रमुख गतिविधियों के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है।

9.3.5 आपातकालीन प्रबंधन योजना

आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आपातकालीन तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में एक व्यापक आपातकालीन प्रबंधन योजना तैयार की गयी है और किसी भी आपातकालीन स्थितियों के दौरान विभिन्न गतिविधियों में समन्वय के लिए प्लांट कंट्रोल में एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष चिन्हित किया गया है।

9.3.6 सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान

नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित कर्मचारियों को शामिल किया गया। ठेका कामगारों को सुरक्षा प्रवेश प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रबंध, कानूनी और अन्य अपेक्षाओं, सामग्री हैंडलिंग में सुरक्षा, इत्यादि के क्षेत्र में नियमित रूप से विशिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

9.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। उन्हें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत जरूरी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है। ये केंद्र मौलिक प्रशिक्षण, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, कुशल कामगारों और ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले कामगारों के लिए भी प्रशिक्षण की जरूरतें पूरी करते हैं। एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन कार्यों और यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिक संस्थापनाओं के लिए कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों का नामांकन/नियुक्ति की जाती है। हर चालू खान के लिए सुरक्षा समिति गठित की गई है और हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां कार्य वातावरण से संबंधित सुरक्षा मामलों और सुधारात्मक कार्रवाइयों पर चर्चा की जाती है।

वर्ष 2016–17 में (दिसंबर, 2016 तक), प्रति 1000 मानव कार्य दिवसों पर 0.27 मानव कार्य दिवसों का नुकसान हुआ।

9.4.1 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

एनएमडीसी की सभी परियोजनाएं जैसे बीआईओएम, किरन्दूल कॉम्प्लेक्स, बीआईओएम, बछेली कॉम्प्लेक्स एवं दोणिमलै लौह अयस्क खान और डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट, पन्ना एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के साथ मान्यता प्रदान की गई है जिसमें (क्यूएमएस) आईएसओ 9001:2008, (ईएमएस) आईएसओ 14001:2004, (ओएचएसएमएस) ओएचएसएएस 18001:2007 और एसए 800:2008 मानक शामिल हैं।

9.4.2 सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

एनएमडीसी की सभी खानों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है और नियमित तौर पर जोखिम आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं।

9.5 मॉयल लिमिटेड

सभी खानों में कामकाज का नियमित तौर पर सक्षम पर्यवेक्षकों जैसे माइन मेट, माइन फोरमैन और योग्य खनन इंजीनियरों द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। काम की पाली के दौरान कामगारों, निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, खान प्रबंधक और एजेंटों द्वारा सुरक्षा निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक (सुरक्षा) की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा संगठन, डीजीएमएस के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है और समय–समय पर इन खानों का निरीक्षण कर रहा है।

मॉयल में खानों में सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन

नियमित सुरक्षा समिति की बैठक खानों में की जाती है जहां कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ दिन प्रतिदिन सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की जाती है। किसी भी दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए असुरक्षित कार्यों और खान दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है।

9.5.1 जोखिम आकलन एवं जोखिम प्रबंधनः सभी प्रमुख मैग्नीज खानों, भूमिगत एवं खुली खानों में विशेषज्ञों द्वारा जोखिम आकलन अध्ययन किया गया है और डीजीएमएस की आवश्यकता के मुताबिक सुरक्षा प्रबंधन योजना बनाई गई है। जोखिम प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों में जोखिम की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन का विश्लेषण करना और जोखिम प्रबंधन की प्राथमिकता एवं जोखिम घटाने की योजना तय करना है।

9.5.2 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन (ओएचएसएएस 18001:2007): व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में मॉयल को बालाघाट, डोंगरी बुजुर्ग, चिकला, खांडरी, मनसार और गुमगांव, टिरोडी और उकवा खानों के लिए ओएचएसएएस 18001 : 2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

9.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी एक व्यापारिक संगठन है तथा इसका कोई संयंत्र/कार्यशाला नहीं है। हालांकि, कार्यालय के घंटों के दौरान एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में एक डॉक्टर की उपस्थिति सहित आवश्यक उपाय किए गए हैं।

9.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

सतर्कता और सुरक्षित कार्य प्रणालियां अपनाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के वास्ते नियमित निगरानी करते हुए उन्हें सतत अभिप्रेरित किया जाता है। कर्मचारियों को सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे वर्ष के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर में सुरक्षा और संबद्ध विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। कर्मचारियो को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् आदि जैसी प्रतिष्ठित एवं जानी–मानी एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण के अलावा, कंपनी द्वारा सुरक्षा दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं जिनके अंतर्गत वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध/ स्लोगन प्रतियोगिताएं, इत्यादि शामिल की जाती हैं। कर्मचारी ऐसी प्रतियोगिताओं में उत्साहित होकर भाग लेते हैं।

9.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने अपने क्रियाकलापों की प्रकृति के अनुरूप सुरक्षा प्रबंधन और प्रविधियों को पुख्ता बनाया है और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठाए हैं:

- कंपनी के सुरक्षा मैनुअल का प्रकाशनः यह मैनुअल उन निर्माण एजेंसियों के सुरक्षा व्यवहारों की न्यूनतम जरूरतों की पहचान करने के लिए विकसित किया गया है जिन्हें निर्माण गतिविधियां करने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता पड़ती है।
- निर्माण कामगारों के लिए सुरक्षा हैंड बुक का प्रकाशन, जिसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया है जिन पर निर्माण स्थल पर ध्यान देना जरूरी होता है।
- कंपनी ने देश भर में फैली अपनी 25 से अधिक इकाइयों की सुरक्षा पहलुओं की निगरानी के लिए अपने मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसका प्रमुख एक नोडल अधिकारी (सुरक्षा) है जो सीधे सीएमडी को रिपोर्ट करता है।
- एक अधिकारी को प्रभारी सुरक्षा का जिम्मा देते हुए, कंपनी की प्रमुख इकाइयों में पूर्ण रूप से समर्पित सुरक्षा अधिकारियों के पद स्थापित किए गए हैं। छोटी इकाइयों में प्रत्येक में दो–दो सुरक्षा अधिकारी हैं और भिलाई स्थित बड़ी इस्पात इकाई में जहां प्रमुख क्षमता विस्तारीकरण पैकेजों पर काम चल रहा है, वहां एक सुरक्षा सलाहकार के साथ 11 सुरक्षा अधिकारी हैं।
- सुरक्षा से जुड़े मसलों पर विचार–विमर्श करने और सुधार के लिए कार्रवाई करने एवं सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाएं, यदि कोई होती हैं, उनकी जांच करने के लिए विभिन्न प्रमुख इकाइयों में सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।
- आपातकालीन तैयारी योजना, जोखिम की पहचान और जोखिम का आक्कलन पर परियोजना के निष्पादन से जुड़े कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के लिए प्रमुख इस्पात संयंत्र इकाइयों में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

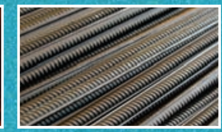

9.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के डिज़ाइन और परामर्शदात्री कार्यालय हैं और इसकी कोई निर्माण इकाई नहीं है। मेकॉन ने सुरक्षा नीति विवरण तैयार किया है जिसे अभिविन्यास प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नियमित रूप से सम्प्रेषित किया जाता है। सुरक्षा नीति विवरण की कुछ विशेषताओं को कंपनी के आचरण और अनुशासन तथा अपील नियमावली में शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके फलस्वरूप, मेकॉन में वर्ष के दौरान कोई अवांछित दुर्घटना नहीं हुई है।

9.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल का प्रशिक्षण और सुरक्षा विभाग तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र नामक अलग विभाग है जिसमें संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं की देखभाल करने के लिए एक इंजीनियर और योग्य डाक्टर मिलकर प्रभारी हैं।

- केआईओसीएल व्यावसायिक जोखिमों और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणन के अनुरूप है।
- पेलेट प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस यूनिट दोनों के लिए ही फैक्टरी निदेशक द्वारा मंजूर ऑनसाइट आपात योजना विद्यमान है।
- संबंधित विभाग के इंजीनियरों और सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ सुरक्षा अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार नियमित रूप से सुरक्षा जांच की जाती है। हर तिमाही में आयोजित होने वाली सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा पहलुओं पर विचार–विमर्श किया जाता है और खामियों को दूर करने के लिए समुचित कार्रवाइयां की जाती हैं।
- सुरक्षा प्रबंध प्रणाली में कामगारों की सहभागिता कंपनी द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण पद्धति है। क्षेत्रवार सुरक्षा समितियां बनाई जाती हैं। इन सुरक्षा समितियों में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान नियमित अंतराल पर जैसे 07.04.2016, 07.07.2016 और 07.10.2016 को सुरक्षा समिति की बैठकें की गईं।
- ढांचों को तोड़ने और अन्य संबंधित कार्यों से जुड़े ठेका कामगारों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि उनमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता की भावना का संचार हो सके। सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) मैन्युअल तैयार किया गया और उन्हें प्रकाशित किया गया एवं अन्य इकाइयों में वितरित किया गया। आवश्यकता के अनुसार रिफ्रैशर प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, अग्निशमन और सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन आवश्यकता के आधार पर किया गया। उपरोक्त कहे गए विषयों पर नियमित कर्मचारियों को कुल 1571 मानवदिवस का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है और कार्यस्थल सुरक्षा पर ठेका कर्मियों के लिए 380 मानवदिवसों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।
- पेलेट प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस इकाई मे 6 महीने में एक बार ऑनसाइट आपातकालीन मॉक ड्रिल्स का संचालन किया जाता है।

9.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ये कंपनियां खनन एवं सहायक गतिविधियों में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा की दिशा में नियमों, नियमनों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में खान कानून, 1952 के प्रावधानों के मुताबिक सुरक्षा के उपाय करती हैं। संबद्ध कर्मचारियों को सुरक्षा के आवश्यक उपकरण और क्रियान्वयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खनन परिचालनों में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थानीय तौर पर एवं क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले कामगारों के जरिये प्रदर्शित की जाती हैं। इसी तरह की खानों का दौरा कर नये व्यवहारों को भी नियमित तौर पर अपनाया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में कामगारों को मौलिक एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इन खानों से विभिन्न विषयों और परिचालन गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

अध्याय–X

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

10.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। मंत्रालय में 31.12. 2016 को कुल 186 कर्मचारियों में से 33 अनुसूचित जाति (17.74 प्रतिशत), 7 अनुसूचित जनजाति (3.76 प्रतिशत) और 18 अन्य पिछड़े वर्ग (9.67 प्रतिशत) के थे। 01.04.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान 01 अनुसूचित जाति के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। सचिवालय सेवा से संबंधित ये पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे जाते हैं।

10.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करता है। 01.12.2016 को कुल 84,092 की जनशक्ति में से 13,687 अनुसूचित जाति (16.28 प्रतिशत), 12,168 अनुसूचित जनजाति (14.47 प्रतिशत) और 10,533 अन्य पिछड़े वर्गों (12.53 प्रतिशत) के थे।

सेल की खानों सहित इसके संयंत्र और इकाइयां देश के आर्थिक रूप से पिछड़े अजा/अजजा बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के संपूर्ण विकास में योगदान किया है। इसके कुछ योगदानों का विवरण इस प्रकार हैः

- गैर–कार्यकारी कर्मचारियों की भर्ती, जो कि कुल कर्मचारियों का 84 प्रतिशत होता है, मुख्यतः क्षेत्रीय आधार पर संचालित की जाती हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में अजा/अजजा तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ प्राप्त होता है।
- पिछले वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों के आसपास अनुषंगी उद्योगों के बड़े समूह भी विकसित हुए हैं। इसने नौकरियों और उद्यमवृत्ति विकास के लिए स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी एवं उद्यम के अवसर प्रदान किए हैं।
- अस्थायी और अनिरंतर प्रकृति के रोजगारों के लिए सामान्यतः ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से कामगारों को तैनात करते हैं, इससे भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
- सेल के इस्पात संयंत्रों की आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली सहायक जनसंख्या लाभांवित हो रही है।
- सेल द्वारा विकसित इस्पात नगर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकीय, शैक्षणिक और नागरिक सुविधाओं से युक्त हैं। ये स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि का लाभ उठा रहे अन्य लोगों के लिए उम्मीद की किरण हैं।

सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि :

- सेल के पांच एकीकृत इस्पात कारखानों के क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। यहां दी जा रही सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, दोपहर का भोजन, जूतों सहित यूनिफॉर्म, किताबें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतल और कुछ मामलों में परिवहन सुविधाएं भी हैं।
- कंपनी द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ रहे अजा/अजजा के विद्यार्थियों से कोई ट्यूशन शुल्क नहीं लिया जाता, चाहे वे सेल के कर्मचारी के बच्चे हों या गैर–कर्मचारियों के बच्चे हों।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर (गुटगुटपारा) में गरीब लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाएं आदि आसपास की आबादी विशेषकर अजा/अजजा एवं समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- सेल के संयंत्रों ने 306 आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। इन्हें निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, अध्ययन सामग्री, रहने–खाने की सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। रहने के लिए इन्हें किरिबुरू में सारंडा सुवान छात्रावास, भिलाई में ज्ञानोदय हॉस्टल और विलुप्तप्राय बिरहोर जनजाति के लिए ज्ञान ज्योति योजना की सुविधा भी है।

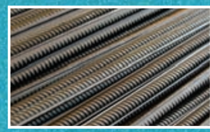

- आसपास के गांवों के करीब 3330 युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए आईटीआई, नर्सिंग एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक एवं विषेश कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए हैं।

अजा/अजजा के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का क्रियान्वयन

- सेल कारखानों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु संपर्क अधिकारियों एवं अन्य डीलिंग अधिकारियों के लिए बाह्य विशेषज्ञ के जरिये नियमित अंतराल पर आंतरिक कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं ताकि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण नीति और अन्य संबंधित मसलों पर जानकारी रख सकें।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशंस हैं, जो आरक्षण नीति एवं अन्य मुद्दों के क्रियान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के मसलों का समन्वित आधार पर प्रतिनिधित्व करने के लिए सेल एससी/एसटी एंप्लाईज फेडरेशन नाम का एक शीर्ष निकाय भी सेल में मौजूद है।

10.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार आरआईएनएल की कुल जनशक्ति 17945 थी, जिसमें से 2984 अनुसूचित जाति (16.63 प्रतिशत), 1326 अनुसूचित जनजाति (7.39 प्रतिशत) तथा 2456 अन्य पिछड़े वर्ग (13.69 प्रतिशत) थे।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर योग्यता पुरस्कार योजना के तहत अनुदान – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियां

आरआईएन अनुदान मतलब केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं। इसके तहत 1500 रुपये प्रतिमाह का पुरस्कार पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि तक ऐसे बच्चों को दिया जाता है, जिन्होंने बारहवीं या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और वे इंजीनियरिंग/वास्तुकला/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/दंत रोग/कृषि विज्ञान/औषधि शास्त्र/विधि डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। इस तरह के आठ पुरस्कार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के बच्चों को और चार पुरस्कार अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को दिए जाते हैं।

10.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में 31.12.2016 को कुल 5620 कर्मचारी थे, जिनमें से 965 कर्मचारी अनुसूचित जाति (17.17 प्रतिशत), 1200 अनुसूचित जनजाति (21.35 प्रतिशत) और 1011 अन्य पिछड़े वर्ग (17.99 प्रतिशत) के थे। एक नीति के तहत सतत आधार पर यदि कोई पिछली रिक्तियां रह गई हैं तो उन्हें अगले साल भरने के प्रयास किए जाते हैं और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सफल रही है।

10.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक श्रम प्रधान संगठन है, जिसमें 31.12.2016 को 6239 कर्मचारी थे। इसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 79.63 प्रतिशत थे, जिसमें से 45.89 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं। मॉयल देश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खानों के आसपास रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास में भी काफी रुचि ले रहा है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

- खानों के निकट गांवों को गोद लिया गया तथा उन्हें पेयजल, सड़क अनुरक्षण, समय–समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तिपहिया साइकिलें उपलब्ध कराई गईं।
- खनन क्षेत्र से लगे स्कूलों को वित्तीय सहायता, लेखन सामग्री, पुस्तकें आदि दी जा रही हैं।
- महिलाओं के विकास एवं स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीनें प्रदान की गईं।
- स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया गया।

10.6 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2016 को एमएसटीसी लिमिटेड में कुल कर्मचारियों की संख्या 312 थी, जिनमें से अनुसूचित जाति के 56 (17.94 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के 17 (5.44 प्रतिशत) और अन्य पिछड़े वर्ग के 61 (19.55 प्रतिशत) थे। वर्ष के दौरान भर्ती किए गए 11 व्यक्तियों में से 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति संबंधित थे।

कमजोर वर्ग के चयन और पदोन्नति से संबंधित मामलों में निर्देषों का विधिवत पालन किया गया है। सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण, रियायत आदि के संबंध में समय समय पर जारी अन्य निर्देशों और सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं का उचित ढंग से पालन किया जाता है। सभी विभागीय पदोन्नति

समितियों व चयन समितियों (भर्ती के मामले में) के गठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व रखा जाता है।

वर्ष के दौरान भर्ती अनुसूचित जाति के 11, अनुसूचित जनजाति के 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग से 26 कर्मचारियों को कंपनी के भीतर और संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया जिसमें से 4 कर्मचारी पीडब्ल्यूडी थे। इसके अलावा, एमएसटीसी अजा/अजजा कर्मचारी परिषद को हर संभव सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई गई। यह परिषद इस कंपनी के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए मुख्य रूप से काम करती है।

10.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

दिनांक 31.12.2016 को कंपनी की कुल जनशक्ति 854 में से 167 अनुसूचित जाति (19.55 प्रतिशत), 98 अनुसूचित जनजाति (11.47 प्रतिशत) और 123 अन्य पिछड़े वर्ग (14.40 प्रतिशत) के कर्मचारी थे। एफएसएनएल द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति तथा विभिन्न कल्याणकारी उपायों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों के कमजोर वर्गों से संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त लाभ मिल रहा है।

10.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

दिनांक 31.12.2016 को कंपनी के 44 कर्मचारियों में से 05 अनुसूचित जाति (11.36 प्रतिशत), और 07 अन्य पिछड़े वर्ग (15.91 प्रतिशत) के थे। एचएससीएल ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी रहते हैं, में स्कूल खोलने में सहायता प्रदान करता रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को परियोजनाओं में स्कूल के मामले में यथोचित तरजीह प्राप्त होती है। कर्मचारियों को झोपड़ियां बनाने के लिए ग्राहक की साइटों पर भूमि दी गई है तथा इन स्थानों पर बिजली, पानी और साफ–सफाई की व्यवस्था आदि की गई है। पेयजल की आपूर्ति के लिए भी सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। कंपनी देश में निचले तबके के लोगों के लाभ के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से सीएसआर परियोजनाएं भी कार्यान्वित करती है।

10.9 मेकॉन लिमिटेड

दिनांक 31.12.2016 को कंपनी में 1486 कर्मचारियों में से 261 अनुसूचित जाति (17.56 प्रतिशत), 142 अनुसूचित जनजाति (9.55 प्रतिशत) एवं 172 अन्य पिछड़े वर्ग (11.57 प्रतिशत) के थे। मेकॉन समाज के कमजोर वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूर्णतः सजग है। कंपनी ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए श्यामली कालोनी, रांची में सामुदायिक शिक्षण योजना, संसाधन सृजन योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और चेशायर होम में विकलांग लोगों की सहायता, ग्राम आधारित कार्यक्रमों, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं इत्यादि जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

10.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में दिनांक 31.12.2016 को कर्मचारियों की कुल संख्या 925 थी, जिनमें से 141 कर्मचारी अनुसूचित जाति (15.24 प्रतिशत), 51 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति (5.51 प्रतिशत) और 154 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्ग (16.64 प्रतिशत) के थे।

कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलोर में एक आधुनिक शहर, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराकर पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई हैं। यहां 10 प्रतिशत ''ए'' और ''बी'' टाइप के क्वार्टर एवं 5 प्रतिशत ''सी'' और ''डी'' टाइप के क्वार्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

कुद्रेमुख, मंगलोर और बेंगलूरू में प्रबंधन और एससी/ एसटी वेल्फेयर एसोसिएशन के साथ निरंतर बातचीत होती है। अनुसूचति जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा के साथ–साथ शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

10.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

इन कंपनियों में 31.12.2016 को कर्मचारियों की कुल संख्या 1195 थी। कुल संख्या का (1195 में से 970) करीब 81.17 प्रतिशत अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं जिसमें से 265 कर्मचारी अनुसूचित जाति (22.18 प्रतिशत), 612 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति (47.11 प्रतिशत) और 142 कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग (11.88 प्रतिशत) से हैं।

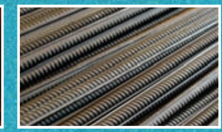

अध्याय–XI

सतर्कता

11.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर नियुक्त संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा मंत्रालय की सतर्कता इकाई का नेतृत्व किया जाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक उप सचिव, एक अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के अंतर्गत प्रमुख केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं। सतर्कता इकाई अन्य बातों के साथ इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसई के संबंध में निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है :

- सरकारी कामकाज में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील कदाचार/प्रलोभन के क्षेत्रों की पहचान करना और निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और उपयुक्त अन्वेषण उपायों की शुरुआत;
- इनका निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अन्वेषण रिपोर्टों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणियां प्रेषित करना;
- सीवीसी या अन्य प्रकार के परामर्श पर विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करना;
- जहां कहीं भी आवश्यक हो, सीवीसी का प्रथम और द्वितीय चरण का परामर्श लेना;
- सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श से सीपीएसई में सीवीओ की नियुक्ति;
- मंत्रालय के अधीन पीएसयू के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में शिकायतों की उपयुक्त कार्रवाई हेतु जांच करना;
- इस मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति रिटर्नों का रखरखाव एवं जांच;
- मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आठ सीपीएसई कार्य कर रहे हैं। सभी सीपीएसई में सतर्कता इकाई का एक सीवीओ प्रमुख होता है जिनकी नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाती है।

मंत्रालय व्यक्तिगत बैठकों के माध्यम से और मासिक जाँच सूची, आवधिक रिटर्नों और सीवीओ द्वारा भेजे गए विवरणों के माध्यम से इस्पात सीपीएसई में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करता है । इसके अतिरिक्त, विचाराधीन मामलों के न भरे गए पदों के आधार पर, मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर संबद्ध सीपीएसई के सीवीओ के साथ विचार–विमर्श भी आयोजित करता है । सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सीवीसी से प्राप्त निर्देश और दिशा निर्देश युक्त सभी परिपत्रों को सीपीएसई के सीवीओ को भी अनुपालन के लिए भेजा गया। उस पर हुई प्रगति पर अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में की गई कार्यवाई पर निगरानी रखी गई ।

वर्ष 2016–17 के दौरान (01.04.2016 से 31.12.2016 तक) सीवीसी से 20 संदर्भ प्राप्त किए गए, इनमें से 18 को निपटा दिया गया है। अन्य स्रोतों से, 67 शिकायतें प्राप्त हुईं और 62 को निपटा दिया गया है।

अवधि के दौरान, इस्पात सीपीएसई के सीवीओ के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, उचित पदोन्नति नीति अपनाने, सरकारी खरीद में पारदर्शिता, ई–खरीद को बढ़ाने, क्रय नियमावली का नियमित रूप से नवीनीकरण करने, निर्धारित समय के अंदर डीपीसी का आयोजन, सीपीएसई में संवेदनशील पद धारितों को रोटेशन, सभी अधिकारियों के एपीएआरएस के खुलासे के संबंध में चर्चा की गई और इस्पात सीपीएसई के सभी सीएमडी/सीवीओ को आवश्यक निर्देश जारी किए गए । इस्पात सीपीएसई के सभी सीएमडी से अनुरोध किया गया कि वे सीवीसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और डीपीई द्वारा विभिन्न मुद्दों पर समय–समय पर जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें ।

सभी सीएमडी/सीवीओ से यह भी अनुरोध किया गया कि 100% खरीददारी ई–खरीद में विस्थापित की जानी चाहिए और सभी माध्यमिक वस्तुएं/सामग्री डीजीएस एण्ड डी के जीईएम पोर्टल के माध्यम से क्रय/प्राप्त किया जाना चाहिए और अन्य सभी वस्तुएं एमएसटीसी मंच के उपयोग द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। उनसे भारत सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था की हॉल ही में पहल के अनुरूप अपने सीएसआर निधियों से डिजिटल भुगतान हेतु पीओएस जैसी मशीनें स्थापित करने प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया था।

11.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल सतर्कता विभाग जांचों, छानबीन, परीक्षण और मौजूदा प्रणालियों की नियमित समीक्षा और पद्धति पर जोर देता है और संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि के फलस्वरूप प्रणाली में सुधार का सुझाव देता हैं । प्रणालीगत परिवर्तन और पारदर्शी प्रणाली के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर निरंतर जोर देना है । निम्नलिखित प्रमुख जोर डालने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई और अप्रैल 2016 – दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान निम्नलिखित दायित्व लिया गया:

- बस्ती अनुबंधों सहित अनुबंध सेल (कार्यों और गैर–कार्यों) में ई–खरीदी ।
- सतर्कता के संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना।
- रसीद, नमूने और उच्च मूल्य के कच्चे मालों के परीक्षण के क्षेत्रों में निगरानी।
- एकीकृत इस्पात संयंत्रों में मौजूदा ईआरपी प्रणाली में खुफिया व्यापार मॉड्यूल का विकास और अनुबंधों और खरीदी के क्षेत्रों में विश्लेषण के लिए सीएमओ, सुधारात्मक कार्यवाई / प्रणाली में सुधार के लिए अपवाद सचेतक और लाल झण्डे के रूप में उत्पन्न करने के लिए। बी आई मॉड्यूल विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता कर रहे हैं जहां सतर्कता हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।
- प्रवादी/डम्परों की आवाजाही की निगरानी के लिए जीपीआरएस/जीपीएस प्रणाली का उपयोग करके भू–घेराबंदी का प्रारंभ जो कि रेलवे साइडिंग पर ठेकेदारों द्वारा लौह अयस्क की ढुलाई के लिए उपयोग किया जाएगा, जो कि बहुत दूर के स्थानों पर हैं । भू–घेराबंदी का उपयोग कर नौसेना निगरानी प्रणाली का शुभारम्भ काल्टा खदान में किया गया है और इसे चिरिया खदान तक बढ़ाया जा रहा है ।
- कर्मचारियों साथ ही ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को 100% ई–भुगतान प्राप्त करने के लिए सतर्कता द्वारा एक व्यापक अध्ययन का आयोजन किया गया है और आवश्यक कार्यवाई का सुझाव दिया गया है ।
- सेल के विभिन्न संयंत्रों और इकाईयों में सेल में पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कुल 120 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 2574 प्रतिभागी शामिल हुए ।
- सेल के विभिन्न संयंत्रों /इकाईयों के अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में कुल 1912 आवधिक जांच फाइल छानबीन और संयुक्त जांचों के साथ आयोजित किए गए, इनमें से 29 जांचों को विस्तृत जांच के लिए लिया गया, निवारक/प्रशासनिक सिफारिशें 406 मामलों में की गईं और 5 मामलों में सुधार की सिफारिश की गईं ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2016 के उद्घाटन समारोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री पी.के. सिंह

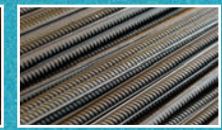

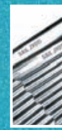

- सेल के विभिन्न संयंत्रों / ईकाइयों पर प्रणाली के संबंधित क्षेत्रों की पहचान और निर्णय लेने के बाद 24–प्रणाली सुधारात्मक परियोजनाओं (एसआईपी) का दायित्व लिया गया ।
- ''सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनता की भागीदारी'' मूल विषय पर सेल के सभी संयंत्रों/इकाईयों में 31/10/2015 से 05/11/2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2016 मनाया गया।

11.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए निवारक सतर्कता पर मूल रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए आरआईएनएल ने विभिन्न उपाय किए हैं । ई–पहलों जैसे ई–नीलामी, ई–रिवर्स नीलामी और ई–भुगतान, इत्यादि के माध्यम से अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आईटी लाभान्वित हुआ था । निविदाओं (एकल निविदाओं के अलावा/मालिकाना मामले) के माध्यम से 100% खरीददारी ई– रिवर्स नीलामी से की गई जहां मूल्य रुपये 2 लाख से कम और एक से अधिक एजेंसी ने अर्हता प्राप्त की और ई–नीलामी ने स्टोर द्वारा 100% निपटान जमा किया। रिवर्स ई–नीलामी के माध्यम से 100% विपणन परिवहन ठेकों को अंतिम रूप दिया गया और 99.95% अदायगी ई–भुगतान के माध्यम से की गई।

आरआईएनएल में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016–दिसम्बर 2016 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं :

- 257 प्रणाली निगरानी निरीक्षण संचालित किए गए जिनमें 36 गुणवत्ता निरीक्षण और 45 रेल/सड़क पर भार की जांच कार्य शामिल हैं।
- निवारक सतर्कता/नैतिकता पर 24 सतर्कता जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
- ''सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनता की भागीदारी'' मूल विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2016 बड़े जोशपूर्ण ढंग से मनाया गया। 'ईआरपी पैकेज में ऑन लाइन सतर्कता स्पष्टीकरण मॉड्यूल' का शुभारम्भ किया गया।
- आरआईएनएल के दो सतर्कता अधिकारियों को राष्ट्रीय सतर्कता उत्कृष्टता अवार्ड–2016 प्रदान किया गया।

11.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी सतर्कता विभाग सक्रिय उपायों के साथ, मार्गदर्शन और तटस्थ, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय लेने की सुविधा और निवारक सतर्कता को प्राथमिकता प्रदान करता है। विभाग ने वर्ष के दौरान अनेकों पहल की थी। निगम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों पर जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप एनएमडीसी में सतर्कता विभाग के तहत प्रमाणित है ।

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा (अप्रैल–दिसंबर 2016 तक), 70 बार औचक जांच, 67 नियमित निरीक्षण और 07 सीटीई प्रकार का निरीक्षण किया गया। प्राप्त शिकायतों की जांच की गयी और जहां जरूरी था वहां आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गयी।

सभी लेन–देनों में ''पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना'' के कार्यान्वयन के ध्येय से 30 लाख रुपए से ऊपर की सीमित निविदा पूछताछ के बारे में सूचना, 10 लाख रुपए के ऊपर के संपन्न किए गए ठेकों के ब्यौरे, नामांकन के आधार पर प्रदान किए गए कार्य, 1 लाख रुपए से ऊपर के एकल निविदा आधार, ठेकेदारों को बिलों के भुगतान के संबंध में सूचना इत्यादि, कंपनी की वेबसाइट पर दी जा रही है। ई–खरीद, ई–निविदा और ई–नीलामी को प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

एनएमडीसी ने नवम्बर, 2007 से सत्यनिष्ठा समझौते का क्रियान्वयन कर अपनाया है। सिविल निर्माण कार्यों और ठेकों के मामले में 20 करोड़ रुपए और खरीद के मामले में 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सीमा का पालन किया जा रहा है। आज तक सत्यनिष्ठा समझौता ने 19,102 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 109 ठेकों में प्रविष्ट किया गया है। इस प्रकार ठेकों के कुल मूल्य के 90% प्रतिशत से अधिक को सत्यनिष्ठा समझौते के तहत कवर किया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016, 31.10.2016 को सभी कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा लेने के साथ 31.10.2016 से 05.11.2016 तक ''सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनता की भागीदारी'' के मूल विषय के साथ मनाया गया ।

मॉयल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह

11.5 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कामकाज में निवारक के साथ–साथ अग्रसक्रिय सतर्कता शामिल है जिसका मुख्य बल संगठन में ''प्रणाली सुधार'' पर है। वर्ष 2016 के दौरान सतर्कता विभाग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैं :

- सतर्कता विभाग के आईएसओ – 9001:2008 प्रमाणपत्र की ऑडिट जांच मई 2016 मे की गई।
- 2016 दौरान, 52 सामयिक एवं औचक निरीक्षण और समीक्षा की गई।
- सीमा मूल्य से अधिक खरीद एवं कार्य ठेकों के लिए ई–खरीद की जा रही है। खरीद के लिए सीमा मूल्य 10 लाख रुपये और कार्य ठेकों के लिए 20 लाख रुपये है। स्क्रैप एवं अधिशेष मदों का निपटान एवं मैंगनीज अयस्क की बिक्री ई–नीलामी के माध्यम से की जा रही है।
- वेबसाइट और नियामक, प्रवर्तन गतिविधियों के निर्वहन में और शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। मुख्य जोर डालने वाले क्षेत्र माल की खरीदी और ठेके हैं। इसी प्रकार ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिल अदायगी की स्थिति को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। सभी निविदा दस्तावेज, भर्ती और स्थिति के लिए आवेदन, सूचनाएं और अन्य प्रपत्रों को वेबसाइट पर डाला जाता है।
- विभिन्न मैन्युअलों जैसे खरीद मैन्युअल, कार्य एवं ठेका मैन्युअल, कार्मिक मैन्युअल, विपणन मैन्युअल इत्यादि तैयार किये गये हैं और अभ्यास में डाला गया है । खरीद मैन्युअल, कार्य और ठेका मैन्युअल, कार्मिक मैन्युअल कंपनी की वेबसाइट/इंटरनेट पर डाले गए हैं ।
- 30 लाख रुपये से अधिक सीमा मूल्य के जारी निविदाओं/ठेकों को नियमित रूप से प्रतिमाह वेबसाइट पर डाला जा रहा है और निगरानी की की जा रही है ।
- पदों की संवेदनशीलता को देखते हुए जॉब रोटेशन के लिए 265 पद चिन्हित किए गये हैं और प्रबंधन के द्वारा रोटेट किए जा रहे हैं।
- मॉयल लिमिटेड की सभी खदानों/कार्यालयों में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने ''सुचिता'' सतर्कता पत्रिका के पांचवें वार्षिक अंक का विमोचन किया।

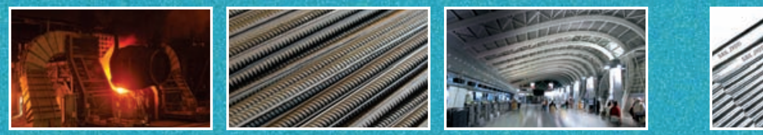

11.6 एमएसटीसी लिमिटेड

प्रौद्योगिकी के लाभ के माध्यम से एमएसटीसी के सतर्कता विभाग का निवारक सतर्कता पर प्रमुख बल रहा है । भ्रष्टाचार के चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रणालीगत सुधार पर प्रमुख बल दिया जा रहा है ताकि कंपनी के व्यापारिक सौदों में मानवीय दखल कम की जा सके ।

वर्ष 2016–17 के दौरान इस संबंध में किए गए उपायों का मुख्य आकर्षण निम्नानुसार हैं:

- सीवीओ द्वारा सीएमडी के साथ ढांचागत बैठकों का तिमाही रूप से आयोजन किया जा रहा है ।
- 256वीं निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा सतर्कता कार्य / अनुशासनिक मामलों की समीक्षा की गई।
- मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता लाने के लिए विचार संवादात्मक सत्रों का आयोजन किया जाता रहा है।
- सतर्कता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है।
- संवेदनशील पदों की दो श्रेणियों की पहचान की गई है। संवेदनशील पदों की एक श्रेणी जिसे घुमाया जाना है और अन्य वर्ग जिन्हें निगरानी के तहत रखा जा रहा है लेकिन घुमाने के लिए नहीं ।
- संगठन का जोखिम प्रालेख तैयार कर लिया गया है और शांति योजना निरूपित की जा रही है ।
- स्वतंत्र बाह्य निगरानी के साथ बैठक सत्यनिष्ठा समझौते के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए वर्ष में आयोजित की गई थी। आईपी एनआईटी दस्तावेज का हिस्सा है, एजेंसी अनुबंध बेचने के लिए जो कि एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है डाउनलोड किए जाने के रूप में है और सभी बोली लगाने वालों आवश्यक रूप से हस्ताक्षरित आईपी उनकी बोली के साथ जमा करें । आईपी के तहत निविदाओं और ठेकों के मामले में अब तक कोई भी प्रतिनिधित्व/शिकायत/विवाद प्राप्त नहीं किया गया है।

11.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

वर्ष के दौरान एफएसएनएल के सतर्कता विभाग ने निवारक सतर्कता एवं संगठन में प्रणालीगत सुधार हेतु बहुत सारी पहल के साथ विशेष जोर दिया है, जो संक्षेप में निम्नवत हैं:

- 6 शिकायतें प्राप्त हुईं, उसमें से 4 शिकायतों की जांच की गयी एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। शेष 2 शिकायतों की जांच की जा रही है।
- इस अवधि के दौरान सीवीओ और एमडी के मध्य ढांचागत बैठकों का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2016 की सहमत सूची को अंतिम रूप दिया गया।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31.10.2016 से 05.11.2016 तक "सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनता की भागीदारी" के मूल विषय के साथ मनाया गया।
- कार्यकारिणी के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन ऑनलाइन कर दिया गया है।
- विक्रेताओं के लिए भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाता है। कर्मचारियों के खर्च की प्रतिपूर्ति भी आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से की जाती है।

11.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी का सतर्कता विभाग सीवीओ के नेतृत्व में है ।

- एचएससीएल ने 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक पूरे देश में एचएससीएल की विभिन्न इकाईयों में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2016 का आयोजन किया ।
- अच्छी पहलें जैसे ई–खरीद, ई–भुगतान, ई–प्राप्ति और ऑनलाइन विक्रेता पंजीयन प्रणाली पेश की गई जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आई।
- छमाही आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा की गई ।
- स्वतंत्र बाह्य निगरानी के साथ समय–समय पर सत्यनिष्ठा समझौते की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अब तक कुल 243 सत्यनिष्ठा समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए गये हैं । आज दिनांक तक आईईएम द्वारा कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।
- आईएसओ प्रमाणन (निगरानी लेखा परीक्षण) 17/08/2016 को कर लिया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर शपथ समारोह

11.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड के सतर्कता विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनका संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया हैः

- रांची स्थित मेकॉन मुख्यालय के साथ–साथ मेकॉन के विभिन्न क्षेत्रीय/कार्यस्थलों पर 31 अक्तूबर 2016 से सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 मनाया गया।
- दिसंबर 2016 तक, मेकॉन ने 113 आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किए हैं (सीमा मूल्य व्यापक कवरेज के लिए कम किया गयाः ईपीसी परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए और ऊपर और इनहाउस खरीद के लिए साथ ही नगरीय प्रशासन के लिए 25 लाख रूपए से अधिक)।
- सतर्कता विभाग सुस्थापित गुणवत्ता प्रणाली आईएसओ – 9001 : 2008 का अनुसरण करता है और इसका अपना सतर्कता गुणवत्ता मैन्युअल है ।
- संगठन में संवेदनशील विभागों की पहचान की गई है और इन क्षेत्रों में औचक/नियमित निरीक्षण और फाइलों की जांच पर जोर दिया गया है ।
- अधिक पारदर्शिता के लिए, कुछ छोटी आपात्कालीन खरीद को छोड़ कर, बिना मूल्य का ध्यान किए सभी निविदा दस्तावेज, ड्राईंग और डाटा, तकनीकी विनिर्देशन इत्यादि डाउनलोड किए जाने वाले रूप में मेकॉन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। सभी निविदाएं सीपीपी पोर्टल पर भी अपलोड की गई हैं ।
- स्थानीय विक्रेताओं की छोटी राशि के बिलों को छोड़कर, विक्रेताओं को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी/ आरटीजीएस मोड) के माध्यम से किए जा रहे हैं।

11.10 केआईओसीएल लिमिटेड

- केआईओसीएल में सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम (आईपी) 1 जनवरी, 2008 से लागू किया गया। आई पी के तहत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।
- सतर्कता विभाग का आईएसओ–9001:2008 प्रमाणपत्र पुनः वैध किया गया है।
- मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और विचलनों को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसम्बर, 2016 तक), 3 सीटीई निरीक्षण, 29 औचक जांच, 28 सामान्य निरीक्षण और 36 छानबीन की गई थी।

- सितम्बर 2004 से स्क्रैप/ अधिशेष मदों का निपटान ई–नीलामी से हो रहा है। सितम्बर, 2010 से ई–रिवर्स नीलामी प्रारम्भ हुई। ई–खरीदारी की सीमा 5 लाख रुपए व अधिक पर नियत है। वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसम्बर,2016 तक), सीमा मूल्य से अधिक 99.33% ठेके ई–रिवर्स नीलामी के तहत सम्पन्न किये गये । इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सीमा मूल्य एक लाख रूपए से अधिक के भुगतान किए जा रहे हैं । वर्ष 2016–17 के दौरान (दिसम्बर,2016 तक), सीमा मूल्य से अधिक 99.6% भुगतान ई– भुगतान के माध्यम से किया गया।
- केआईओसीएल 2001 से विभिन्न क्षेत्रों में वेबसाइट का उपयोग कर रहा है । मुख्य क्षेत्रों में ठेके और खरीददारियां, ठेकेदारों /आपूर्तिकर्ताओं/सलाहकारों/विक्रेताओं इत्यादि के लिए आवेदन–पत्र और ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं की बिल अदायगी स्थिति से संबंधित है । सभी प्रकार के निविदा दस्तावेज, सूचनाएं और अन्य प्रपत्रों को वेबसाइट पर डाल दिया जाता है।
- लेखा, ठेके, परियोजनाओं, तकनीकी सेवा, मानव संसाधन, खरीद और स्टोर मैन्युअल कंपनी की वेबसाइट पर डाले गए हैं। मैन्युअल का अपडेशन सतत् आधार पर किया जाता है।
- सीवीसी के परिपत्र के अनुसार, निविदाएं/ठेके नियमित रूप से प्रति माह वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं, सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाई की गई और निगरानी रखी जा रही है ।
- 2016–17 के दौरान (दिसम्बर, 2016 तक), सतर्कता विभाग ने तीन अलग–अलग स्थानों में 536 कर्मचारियों को कवर करने के लिए, 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।
- केआईओसीएल लिमिटेड के सभी कार्यालयों / स्थानों में 31 अक्टूबर,2016 से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

11.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

इन कंपनियों का सतर्कता विभाग के प्रमुख आरआईएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं, और उनकी सहायता कोलकाता मुख्यालय में एक सतर्कता अधिकारी और सीवीओ के पीएसओ करते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ओएमडीसी खानों, ठकुरानी और बीएसएलसी खान, बिरमित्रापुर के लिए दो सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता विभाग के कार्यों में कंपनी की सभी खानों के लिए और कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय के लिए निवारक और दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। कंपनी का सतर्कता विभाग अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रणालीगत सुधार के लिए अपने प्रयास कर रहा है और कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का सृजन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत परस्पर विचार विनिमय सत्र चला रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार कंपनी हर वर्ष ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाती है।

अध्याय–XII

शिकायत निवारण तंत्र

12.1 केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) लागू की गई है। सी पी जी आर ए एम एस एनआईसीनेट पर एक ऑनलाइन वेब प्रणाली है जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की शिकायतों का तेजी से निपटारा करना और उनकी प्रभावकारी मॉनीटरिंग करना है। शिकायत निवारण कार्य का पूरा चक्र है : (i) नागरिक द्वारा शिकायत को दर्ज करना; (ii) संगठन द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि; (iii) आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतों का आकलन; (iv) आगे बढ़ाना और हस्तांतरण; (v) स्मरणपत्र और स्पष्टीकरण तथा (vi) मामले का निपटारा।

01.04.2016 से 31.12.2016 तक सी पी जी आर ए एम एस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है:

01.04.2016 को शेष शिकायतें	01.04.2016 से 31.12.2016 तक प्राप्त	01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान निपटाई गई	31.12.2016 तक लंबित शिकायतें
143	1613	1640	116

इस्पात मंत्रालय में संशोधित सेवोत्तम अनुरूप नागरिक/ग्राहक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया है और क्रियान्वित किया गया है। मंत्रालय और इस्पात पीएसयू में ''सात उपाय आदर्श नागरिक केंद्रिक–सेवोत्तम'' को अपनाने की ब्यौरेवार स्थिति अनुबंध–XVI में दी गई है।

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसलों/आदेशों पर कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध–XII में दी गई है।

12.2 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में एक प्रभावकारी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। इसमें कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए अलग–अलग व्यवस्था है। सेल में शिकायत की प्रक्रिया कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत और उनकी सहमति के बाद शुरू की गई।

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में शिकायतों से 3 स्तरों में निपटा जाता है और कर्मचारियों को हर चरण में एक मौका दिया जाता है ताकि वे वेतन अनियमितताओं, कार्य परिस्थितियों, तबादले, छुट्टी, उन्हें सौंपे गए कार्य और कल्याणकारी सुख–सुविधाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को हर स्तर पर उठा सकें। शिकायत प्रबंधन की व्यवस्था के जरिए इनसे कारगर तरीके से निपटा जाता है। हालांकि इस्पात कारखानों के सहयोगपूर्ण वातावरण को देखते हुए अधिकतर शिकायतों को अनौपचारिक तरीके से ही निपटा दिया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंधों को संवर्धित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

01.04.2016 से 31.12.2016 के बीच जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

शिकायतों के प्रकार	01.04.2016 को शेष शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2016 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	17	929	928	18
कर्मचारी शिकायतें	1	280	268	13

12.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल में, कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्यपालकों तथा गैर–कार्यपालकों के लिए पृथक सुनियोजित एवं औपचारिक शिकायत निवारण प्रणालियां हैं। गैर–कार्यपालकों की औपचारिक शिकायत सुधार प्रणाली के

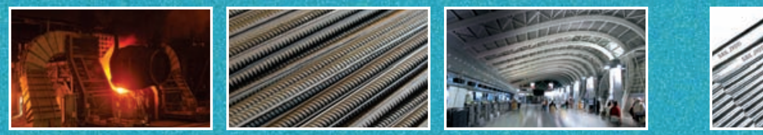

अंतर्गत समिति में कामगारों का एक प्रतिनिधि उपस्थित होता है। इसके अलावा, कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक दोनों की शिकायत निवारण प्रणालियों में शिकायतों का निवारण करने के लिए समय–सीमा निश्चित की गई है।

01.04.2016 से 31.12.2016 तक की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

शिकायतों के प्रकार	01.04.2016 को शेष शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2016 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	48	47	1
कर्मचारी शिकायतें	0	0	0	0

12.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एन एम डी सी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्यालय में एक महाप्रबंधक और चार उत्पादन परियोजनाओं में प्रत्येक के परियोजना प्रमुख के नेतृत्व में काम करता है। सीवीओ को शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। शिकायतें दर्ज करने के लिए एन एम डी सी की वेबसाइट के होम पेज पर जन शिकायतों के लिए भारत सरकार के पोर्टल के लिए "लिंक" दिया गया है।

01.04.2016 से 31.12.2016 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति:

शिकायतों के प्रकार	01.04.2016 को शेष शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2016 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	37	37	0
कर्मचारी शिकायतें	18	67	84	1

12.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में कार्यपालक तथा गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की अपनी प्रक्रिया है। मॉयल में शिकायतों की निपटान व्यवस्था में प्रत्येक इकाई के लिए एक शिकायत अधिकारी मनोनीत किया जाता है। मुख्यालय में मनोनीत शिकायत अधिकारी कारगर तरीके से काम करने के लिए प्रत्येक इकाई के शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय रखता है।

01.04.2016 से 31.12.2016 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2016 को शेष शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2016 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	0	0	0
कर्मचारी शिकायतें	0	05	05	0

12.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी के प्रत्येक कार्यालय में एक लोक शिकायत निवारण सेल है। प्रत्येक सेल में तीन अधिकारी हैं। संस्थान के मुख्यालय, क्षेत्रों और शाखाओं में कुल 8 सेल हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। एमएसटीसी ने लोक शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति और निपटारे के लिए केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) लागू की है ताकि शिकायतों का जल्द निपटारा किया जा सके और मामले को सुलझाने के लिए कार्रवाई की जा सके। कार्रवाई संगठन के बाहर या स्टाफ से मिलने वाली शिकायतों को संबोधित करने और निपटारे के लिए की जाती है। शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नियमित तौर पर बैठकें की जाती हैं। लोक शिकायत निवारण की मासिक और तिमाही रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है।

मौजूदा प्रणाली संतोषजनक तरीके से कार्य कर रही है। कर्मचारियों की शिकायतों का विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय/शाखा प्रबंधकों द्वारा ध्यान रखा जाता है। कुछ शिकायतें डाक द्वारा केंद्रीय शिकायत कक्ष में भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, एचआर विभाग दैनिक कार्य के दौरान कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक शिकायतों की विभागाध्यक्ष और स्टाफ यूनियनों, जहां कहीं भी आवश्यक हो, के साथ परामर्श करके जांच करता है। संगठन अपने ग्राहक और आम आदमी को अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और संगठन के लोक शिकायत प्राधिकरण के संपर्क विवरण का सक्रिय प्रकटीकरण करता है।

01.04.2016 से 31.12.2016 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2016 को शेष शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2016 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	34	31	3
कर्मचारी शिकायतें	0	0	0	0

12.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

01.04.2016 से 31.12.2016 की अवधि में प्राप्त जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति:

शिकायतों के प्रकार	01.04.2016 को शेष शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल से दिसंबर, 2016 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2016 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	1	0	1	0
कर्मचारी शिकायतें	0	1	1	0

12.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

वर्ष 2016–17 के दौरान जन/कर्मचारी शिकायतों के निपटान के संबंध में अनुपालन किया गया है। वर्ष के दौरान 68 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका समय पर जवाब दिया गया।

12.9 मेकॉन लिमिटेड

जन शिकायतें

आमतौर पर मेकॉन का जनता से कार्य व्यापार नहीं होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार के उत्पीड़न से जुड़ी कोई निश्चित शिकायत मिलती है तो उसे एक शिकायत के रूप में लिया जाता है। उपभोक्ता की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। सामान्य तौर पर ठेकेदारों/उपभोक्ताओं या जनता की कोई शिकायत लंबित नहीं है। मेकॉन ने जन शिकायतों के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामजद किया है तथा इस नोडल अधिकारी का नाम कार्मिक एवं जन शिकायत मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है।

कर्मचारियों की शिकायतें

मेकॉन में कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए तीन स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनके निपटारे की सिफारिश कार्यपालक और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक शिकायत सलाहकार समिति करती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अलग से एक प्रकोष्ठ है। फिलहाल कहीं से भी किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। सामान्य तौर पर गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी अपने मुद्दों/शिकायतों को उनके द्वारा निर्वाचित मेकॉन कर्मचारी यूनियन (एमईयू) के माध्यम से और कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में मेकॉन एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन (एमईए) के माध्यम से रखने को प्राथमिकता देता है जिन्हें कंपनी ने मान्यता दे रखी है।

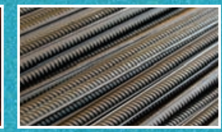

12.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल मे विवाद समाधान तंत्र सहित अच्छी तरह से संचरित तथा बहुपरती जन शिकायत समाधान तंत्र है। के आई ओ सी एल में लोक समाधान स्थापना बंगलौर में निगमित कार्यालय से लेकर सभी उत्पादन यूनिटों और संपर्क कार्यालयों में लागू की गई है। ग्राहक तथा स्टैकहोल्डर शिकायत होने पर अथवा संगठन के साथ शिकायतो के लिए निम्नलिखित द्वारा जन शिकायत/विवाद निपटान कर सकते है:

- सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी नामित किया जाता है। शिकायतकर्ता इन अधिकारियों तक अपनी शिकायत निजी तौर पर या लिखित रूप में या ई–मेल या टेलिफोन के जरिए पहुंचा सकता है।
- ग्राहकों की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

सेवोत्तम शिकायत नागरिक चार्टर में कोई बदलाव हमारी कॉरपोरेट वेबसाइट www.kioclltd.in पर दिया गया है। कंपनी ने शिकायतें दर्ज करने और उनके निवारण के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के पोर्टल के लिए लिंक दिया है।

01.04.2016 से 31.12.2016 की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2016 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2016 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2016 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2016 तक लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	0	0	0	0
कर्मचारी शिकायतें	0	3	3	0

12.11 ईआईएल, ओएमडीसी एवं बीएसएलसी

इन कंपनियों में निगमित और इकाई स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था लागू है। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किए गए है। 01.04.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान कोई कर्मचारी अथवा जन शिकायतें प्राप्त नही हुई है।

अध्याय–XIII

निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

13.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से जुड़े सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। इस्पात मंत्रालय में 31.12.2016 की स्थिति अनुसार, तीन (एक नेत्र से निःशक्त, एक सुनने से निःशक्त और एक हड्डियों से निःशक्त) व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। सचिवालय सेवा से संबंधित पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे जाते हैं।

13.2 स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की दृष्टि से निःशक्त जन के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का सेल के संयंत्रों/ईकाइयों में अनुसरण किया जा रहा है।
- सेल अपने कर्मचारियों के निःशक्त बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता देने के लिए छात्रवृत्तियां दे रहा है।
- वर्क्स प्रभाग में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों, जो सेवाकाल में निःशक्त हो जाते हैं, को प्रशिक्षण देने के पश्चात् पहचान किए गए पदों पर पुनः नियुक्त किया जाता है। उन्हें जयपुर फुट और व्हील चेयर जैसी उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
- निःशक्त कर्मचारियों को आवास के आवंटन में विशेष छूट दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को आवंटन के समय निचले तल पर आवास दिया जाता है।
- हकदार न होने पर भी, सेल कर्मचारी के आश्रित निःशक्त भाई और बहन को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- सेल के कारखानों में निःशक्त व्यक्तियों को दुकान, एसटीडी बूथ, दूध के बूथ, छोटी–मोटी दुकानें भी आवंटित की जाती हैं।
- कारखाना स्थलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विभिन्न खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कारखाने के कुछ स्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से खेल के मैदान निश्चित किए गए हैं।

13.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल के निगमित कार्यालय/प्रमुख प्रशासनिक भवन में स्थित विभिन्न कार्यालयों में आने वाले निःशक्त लोगों की सुविधा के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं :

- रैम्प मार्ग प्रदान करना
- प्रशासनिक भवन की दोनों लिफ्टों में स्पीकरों की व्यवस्था
- प्रमुख प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर स्थित स्वागत कक्ष में व्हील चेयर का प्रावधान
- मुख्य प्रवेश द्वार के आगे विस्तृत पार्किंग स्थान का प्रावधान
- निःशक्त कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजित करते हैं जैसे (i) निबंध लेखन (ii) स्लोगन (iii) वाद–विवाद (iv) विभिन्न खेलकूल। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम विकलांग अंतरराष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित किया जाएगा।

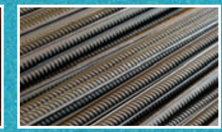

13.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एन एम डी सी लिमिटेड एक खनन संगठन है तथा इस पर खनन अधिनियम तथा इसके नियम एवं विनियम लागू होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से निःशक्त व्यक्तियों को खानों/कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी, निःशक्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर भर्ती करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बाहर काम करने की जरूरत नहीं होती है और एन एम डी सी में इस समय विभिन्न पदों पर 100 निःशक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ग्रुप डी के पदों में कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और 63 पदों पर भर्ती की गई।

एनएमडीसी ने कंपनी के प्रषासनिक कार्यालय में आने वाले निःशक्तजनों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे रैम्प का रास्ता बनाना, लिफ्ट में श्रवण संकेत आदि। वर्ष के दौरान, इन सुविधाओं का परीक्षण किया जाता है और जहां कमी हो उसे ध्यान में रखकर सुधार किया जाता है। निःशक्तजनों को एनएमडीसी योजना या केंद्र सरकार की योजना के अनुसार वाहन भत्ता जैसे भत्ते दिए जाते हैं। परियोजना में कार्य कर रहे वो कर्मचारी जो कार्य के दौरान निःशक्त हो गए हैं, उन्हें चयनित पदों पर पुनःनियुक्त किया जाता है।

13.5 मॉयल लिमिटेड

कंपनी ने ''निःशक्त जन अधिनियम, 1995'' के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है।

13.6 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार एम एस टी सी में निःशक्तता वाले 09 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

13.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफएसएनएल एक सेवा संगठन है, स्क्रैप प्रबंधन एवं संबद्ध कार्यों के लिए संयंत्र के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। एफ एस एन एल की गतिविधियां सभी मौसमों में खुले क्षेत्र में की जाती हैं। यहीं नहीं, परिचालन गतिविधियों के लिए बालिंग क्रेन, मेग्नेटिक सेपरेटर, डोजर, डम्परों आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः एफ एस एन एल का वातावरण/कार्य परिस्थितियां निःशक्त व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं हैं। अतः निःशक्तों को काम में लगाना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा।

फिर भी, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक दोनों वर्गों में तीन–तीन पद चिन्हित किये गये हैं जिनमें से मंत्रालयी संवर्ग में समूह–ए और समूह–सी के तहत एक–एक दृष्टि से निःशक्त, श्रवण निःशक्त और शारीरिक निःशक्त के लिए हैं। एफएसएनएल सेवा संगठन होने के नाते, जो स्क्रैप रिकवरी और कार्यों को प्रोसेस करने के क्षेत्र में एकीकृत इस्पात संयंत्रों को विशेष सेवाएं प्रदान कर रहा है, एफएसएनएल में भर्ती जरूरत पर आधारित है और इस्पात संयंत्रों को मिलने वाले कार्यों पर निर्भर करती है।

13.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार एच एस सी एल में निःशक्तता वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया।

13.9 मेकॉन लिमिटेड

कंपनी ने ''निःशक्त जन अधिनियम, 1995'' के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। मेकॉन के कुल कर्मचारियों की संख्या 31.12.2016 को 1486 थी, जिनमें से निःशक्त लोगों की विभिन्न पदों पर संख्या 10 थी।

13.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में 31.12.2016 को विभिन्न समूहों में निःशक्तता श्रेणी से संबंधित 13 व्यक्ति हैं।

13.11 ईआईएल, ओएमडीसी एवं बीएसएलसी

ईआईएल केवल एक शेल कंपनी है जिसकी जनशक्ति में केवल एक कर्मचारी है। ओएमडीसी और बीएसएलसी खनन संगठन है जो कि खनन अधिनियम और इसके नियम एवं विनियमों के प्रावधानों से शासित होते है। सुरक्षा घटक पर विचार करते हुए खान/संयंत्र में विकलांग व्यक्तियों को कार्य पर लगाना संभव नहीं है।

अध्याय–XIV

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

14.1 प्रस्तावना

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के तहत राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार और जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2016–17 के दौरान शासकीय कार्यों में हिन्दी के व्यापक उपयोग में काफी प्रगति की है।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासकीय नियंत्रण में है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के सीधे नियंत्रण में हिंदी अनुभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य और हिंदी अनुवाद कार्य देखता है और इसमें एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, दो कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, एक निजी सचिव, एक एएसओ तथा अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

14.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में संयुक्त सचिव के अधीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। यह समिति मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती हैं। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान ऐसी चार बैठकें आयोजित की गईं।

14.1.2 हिन्दी सलाहकार समिति

केन्द्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परामर्श देना है। पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक 19.11.2016 को आयोजित की गई थी।

14.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में पत्र भेजना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में जांच बिन्दु बनाए गए हैं।

माननीय इस्पात राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

14.1.4 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु माननीय इस्पात मंत्री ने 14 सितम्बर, 2016 को हिन्दी दिवस के अवसर पर एक अपील जारी की। मंत्रालय में 01 सितम्बर 2016 से 15 सितम्बर 2016 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान, कार्यालयी कामकाज में हिन्दी के उपयोग के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए आठ हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 29.12.2016 को सचिव (इस्पात) द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

14.1.5 हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना

इस्पात मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित विषयों में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना प्रचलन में है, जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार स्वरूप क्रमशः 25000/– रुपये, 20000/– रुपये, और 15000/– रुपये की राशि दी जाती है । इस योजना का उद्देश्य हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए नकद पुरस्कार योजना के लिए प्रविष्टियों को पहले से ही आमंत्रित किया गया है।

14.1.6 मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राजभाषा निरीक्षण

मंत्रालय के अधिकारियों ने दिनांक 23.01.2017 तक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न 36 कार्यालयों में राजभाषा का प्रगामी उपयोग की जांच करने के लिए दौरा किया तथा इन कार्यालयों में केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए निदानात्मक उपायों के सुझाव दिये।

14.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर जोर देना जारी रखा है। सेल द्वारा हिन्दी के प्रचार के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दी कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में 53 नौकरियां सी एण्ड आईटी विभाग (सॉफ्टवेयर समूह) की सहायता से एकीकृत प्रणाली के जरिए संपन्न किये गये। मासिक हिंदी प्रोत्साहन के लिए प्रपत्र को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा सेल कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जा रहा है।

सेल को इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार बैठक के दौरान नई दिल्ली में 19 नवंबर, 2016 को माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के लिए इस्पात राजभाषा ट्रॉफी (तृतीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2014–15 के लिए सेल को राजभाषा ट्रॉफी (तृतीय पुरस्कार) प्रदान किया गया

सेल की हिन्दी गृह पत्रिका 'इस्पात भाषा भारती' को ई–पत्रिका के रूप में भी डिजाइन किया गया और यह अब सेल पोर्टल पर उपलब्ध है, फलस्वरूप इस पत्रिका को अब सेल संयंत्रों/इकाइयों के सभी कार्मिक देख सकते हैं।

14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2016 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत निबंध लेखन, श्रुतलेख, संस्मरण लेखन, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी, आदि का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों की बड़ी संख्या ने भाग लिया। इसके अलावा, इस साल कविता पाठ प्रतियोगिता को सेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था जिसमें बच्चों की भारी भागीदारी थी। यह पहला प्रयास कर्मचारियों के परिवारों को "राजभाषा पखवाड़ा" से जोड़ने के लिए किया गया था। समापन दिवस पर एक "डिजिटल माध्यमः हिंदी की सार्थकता एवं संभावनाएं" कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों को आधुनिक हिन्दी उपकरण और उनके उपयोग के बारे में बताया गया।

सेल की अध्यक्षता में नराकास उपक्रम, दिल्ली को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा 6 अक्टूबर, 2016 को आगरा में आयोजित "क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह" में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में उत्कृष्ट कार्य के लिए क्षेत्र 'क' में वर्ष 2015–16 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

14.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में राजभाषा नीति और विनिर्दिष्ट नियमों का अनुपालन करने के लिए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का अनुसरण किया जाता है ।

कंपनी की वर्ष 2016–17 (दिसंबर 16 तक) के दौरान प्राप्त हिंदी और सम्मान के प्रगामी प्रयोग की दिशा में उठाये गये कदम नीचे दिए गए हैं

- 198 कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विभाग द्वारा आयोजित हिंदी प्रबोध/ प्रवीण / प्रज्ञा पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- 47 कर्मचारियों को यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में कंप्यूटर पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- ई–7 के 47 कार्यकारी अधिकारियों को विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा राजभाषा नीति और नियम के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2015–16 के लिए आरआईएनएल को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया

- मुख्यालय और क्षेत्रीय / शाखा बिक्री कार्यालयों / संपर्क कार्यालयों / खानों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जहां 545 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- एक विशेष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विशाखापट्टनम के सदस्य संगठनों के लिए संसदीय प्रश्नावली पर कार्यशाला और आरआईएनएल की महिला कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- आरआईएनएल के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के उपयोग पर 14 आरओ / बीएसओस् में आयोजित समय–समय पर निरीक्षण करने के अलावा, गृह मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों ने देश भर में फैले कार्यालयों में से कुछ में निरीक्षण किया।
- त्रैमासिक हिंदी पत्रिका 'सुगंध' हिंदी के उपयोग को लागू करने और तकनीकी लेख लिखने में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय पर प्रकाशित किया जा रहा है।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए गृह पत्रिका श्रेणी के अंतर्गत गृह हिंदी पत्रिका 'सुगंध' के लिए प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 2014–15 के लिए इस्पात राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए इस्पात राजभाषा ट्रॉफी का द्वितीय पुरस्कार दिया गया।
- टीओएलआईसी, विशाखापट्टनम द्वारा वर्ष 2015–16 में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया।

14.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड ने अपने मुख्यालय, अपनी समस्त परियोजनाओं एवं इकाइयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित नियमों और अधिनियमों के तहत राजभाषा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की दिशा में प्रयास जारी रखे।

कर्मचारी अपना कार्यालयी कामकाज राजभाषा में कर सकें, इसके लिए वर्ष के दौरान मुख्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। यूनीकोड हिन्दी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। हिन्दी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन किया गया।

राजभाषा का उपयोग बढ़ाने के लिए मुख्यालय में विभिन्न विभागों से नामित राजभाषा प्रतिनिधियों की बेठकों का आयोजन किया जाता है । राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग करने, कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने, हिन्दी में श्रुतलेख के लिए नकद पुरस्कार योजनाएं हैं। हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का संचालन किया गया और पुरस्कार वितरित किये गये। हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, "हिन्दीतर भाषी कार्मिकों हेतु "मासिक हिन्दी प्रतियोगिता" नामक योजना शुरू की गयी है।

मुख्यालय और विभिन्न परियोजनाओं/इकाइयों में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उसमें सुधार करने के तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं और इकाइयों का निरीक्षण किया गया और ऐसे निरीक्षणों के दौरान डेस्क प्रशिक्षणों का भी संचालन किया गया। मुख्यालय के कई विभागों भी निरीक्षण किया गया।

वर्ष के दौरान राजभाषा तकनीकी सेमिनारों का आयोजन किया गया। मुख्यालय एवं परियोजनाओं से हिन्दी/द्विभाषी पत्रिकाओं यथा 'सर्जन, तकनीकी सोपान, तकनीकी क्षितिज, बैला समाचार, बछेली समाचार, दोणि समाचार, निस्प पत्रिका और एनएमडीसी समाचार, शी न्यूज का प्रकाशन किया जा रहा है।

एनएमडीसी लिमिटेड को वर्ष 2015–16 राजभाषा के कार्यान्वयन क्षेत्र में कार्य करने के लिए, इस्पात मंत्रालय द्वारा 'इस्पात राजभाषा शील्ड' (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), हैदराबाद – सिकंदराबाद द्वारा एनएमडीसी मुंख्यालय को राजभाषा नीति कार्यान्वित करने में सराहनीय कार्य करने के लिए राजभाषा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

14.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल की सभी इकाइयों में अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली है। मॉयल कम्प्यूटरों में हिंदी भाषा संबंधी सॉफ्टवेयर प्रदान कर रहा है और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि वे अपने दैनिक के काम करने में इसका इस्तेमाल करें।

कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के "हिंदी शिक्षा योजना" के तहत फिर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 312 कर्मचारियों को पहले से ही प्राज्ञ (उच्च स्तर) के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर ने मॉयल की गृह पत्रिका 'संकल्प' की सराहना की है जिसमें उत्कृष्ट हिंदी के क्षेत्र में कंपनी द्वारा किया गया काम शामिल है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा नागपुर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं में भी मॉयल के कर्मचारी हिस्सा लेते हैं । कर्मचारियों को अन्य संस्थानों द्वारा हिंदी में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

14.6 एमएसटीसी लिमिटेड

राजभाषा त्रिमास का उद्घाटन 14 सितम्बर 2016 को किया गया। इस अवधि के दौरान, मुख्यालय और अंचल और शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिताएं और हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कुल 23 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी प्रतियोगिताओं में विजयी होने और हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर पुरस्कृत किया गया। कुल 16 कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के लिए आयोजित हिन्दी परीक्षा हेतु नामित किया। 07 कर्मचारियों को वर्ष के दौरान कंप्यूटर पर हिंदी में काम प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

हिन्दी सलाहकार समिति दिनांक 19.11.2016 को आयोजित बैठक में पत्रिका "संगति" को माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा जारी किया गया। स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में, सचिव, इस्पात की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2016 का हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

टीओएलआईसी बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया गया। अधिकारियों वर्ष के दौरान आयोजित इस्पात मंत्रालय की ओएलआईसी बैठकों में भाग लिया। ओएलआईसी बैठकों की कार्यालय में व्यवस्था की गई। राजभाषा अधिनियम के अनुसार, निरीक्षण प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में किया गया।

राजभाषा विभाग के आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन का नवीकरण किया गया है।

14.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

राजभाषा नीति को लागू करने के संबंध में समय–समय पर सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का एफएसएनएल द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है।

कार्पोरेट कार्यालय और एफएसएनएल की सभी इकाइयों में सितंबर 2016 में हिन्दी पखवाड़े की जगह महीने भर चलने वाले "हिन्दी माह" का आयोजन किया गया। हिंदी माह के दौरान हिंदी निबंध लेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिताएं, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता आदि जैसी प्रतियोगिताओं, का आयोजन किया गया।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने एफएसएनएल को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 14 सितंबर 2016 को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत (तीसरा पुरस्कार) से सम्मानित किया।

"नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति," राउरकेला, ने एफएसएनएल राउरकेला इकाई को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए 18.10.2016 को राजभाषा शील्ड 2015 से सम्मानित किया।

19.11.2016 को नई दिल्ली में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के अवसर पर एफएसएनएल के हिंदी गृह पत्रिका "फेरो ज्योति" (अप्रैल–सितंबर 16 प्रकाशन) को माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा जारी किया गया।

14.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के विभाग के कार्यक्रम को लागू करने के लिए एचएससीएल में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी की वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है, सदन पत्रिकाओं और परिपत्रों को हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहे हैं। हिंदी दिवस वाद–विवाद और अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ प्रधान कार्यालय और कंपनी की इकाइयों में मनाया जाता है। एचएससीएल भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू), कोलकाता के एक सक्रिय सदस्य है सभी टोलिक गतिविधियों में भाग और नियमित रूप से योगदान दे रहा है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार हिंदी के प्रगामी प्रयोग और राजभाषा नीति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कंपनी को टीओएलआईसी द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया। इस के अलावा, कंपनी इस्पात राज्य मंत्री द्वारा 2014–15 और 2015–16 के लिए इस्पात राजभाषा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। राजभाषा अधिकारी को कंपनी में राजभाषा के कार्यान्वयन में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए सम्मानित किया गया। एचएससीएल में हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर 2016 से 28 सितंबर 2016 तक आयोजित किया गया। कर्मचारियों की लेखन क्षमताओं पर विभिन्न श्रेणियों में

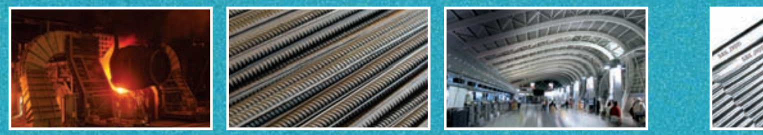

कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। सफल प्रतिभागियों को पखवाड़ा के समापन दिवस पर सम्मानित किया गया। हिंदी में कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत आवेदनों का लेखन अनिवार्य बना दिया गया है।

14.9 मेकॉन लिमिटेड

भारत सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन अपने सरकारी कार्य में करने के लिए मेकॉन प्रभावी उपाय कर रहा है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। मेकॉन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची का एक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा सभी कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर भाग लेता है।

12.08.2016 को केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, नई दिल्ली के तत्वावधान में महानगर समन्वय समिति, कोलकाता द्वारा कोलकाता में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में मेकॉन को "सर्वोत्कृष्ट राजभाषा श्रील्ड" और पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया ।

कंपनी के मुख्यालय के साथ–साथ साइट कार्यालयों में 14.09.2016 से 28.09.2016 तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' मनाया गया । इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने दिन प्रतिदिन के कार्यालयी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का उपयोग करने की प्रतिज्ञा ली। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जिसमें हिंदी में हिंदी निबंध और धारा प्रवाह भाषण शामिल हैं, मुख्यालय और कंपनी के अन्य कार्यालयों में आयोजित की गईं। एक विशेष हिंदी कार्यशाला और "यूनिकोड के द्वारा हिन्दी में काम–काज" एक राजभाषा संगोष्ठी पखवाड़ा के दौरान आयोजित किए गए। इसके अलावा, मेकॉन ने हिन्दी पखवाड़े के दौरान 'राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ''दिनकर'' जयंती' का भी आयोजन किया ।

हिन्दी गृह पत्रिका ''मेकॉन भारती'' भी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है, जो तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी में सृजनात्मक लेखन के लिए कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करती है।

14.10 केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करती है।

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु 04 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

केआईओसीएल के सभी केन्द्रों पर सितम्बर 2016 में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी कार्यक्रम एवं विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

केआईओसीएल, बंगलूरू नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की संयोजक है तथा बंगलौर में सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नियमित बैठकों तथा संयुक्त हिन्दी माह कार्यक्रमों का आयोजन करती है। बैठकें 27 जुलाई, 2016 तथा 28 दिसम्बर, 2016 को आयोजित की गईं।

कम्पनी ने 11 जुलाई 2016 से 10 अगस्त 2016 के बीच नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के सदस्यों के लिए एक संयुक्त हिन्दी माह का आयोजन किया। इसके तहत 17 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिनमें बंगलूरू में सार्वजनिक क्षेत्र उद्‌यम के अधिकांशतः अधिकारियों ने हिस्सा लिया ।

शहर के स्तर पर राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन वर्ष 2014–15 के दौरान कोच्चि में दिनांक 19.02.2016 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव द्वारा क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

14.11 ईआईएल, ओएमडीसी एवं बीएसएलसी

कंपनियों के कर्मचारियों के बीच हिंदी के प्रति जागरूकता और उपयोग को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए है। कंपनियों ने सितंबर, 2016 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा" मनाया था। इन कंपनियों ने राजभाषा अधिनियम के निर्देशों के चरणों तहत हिंदी का उपयोग और अपने सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया। द्विभाषीय बोर्डों और विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। हर रोज नए शब्दों के साथ कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के लिए ''राजभाषा शिक्षण बोर्ड" को प्रधान कार्यालय में डाल दिया है। कर्मचारियों के बीच हिंदी के प्रति जागरूकता और उपयोग को बढ़ाने के लिए कंपनी में सकारात्मक कदम उठाए हैं। 'राजभाषा प्रशिक्षण कक्षाएं हिन्दी और सरकारी उपयोग के लिए हिंदी भाषा के उपयोग सीखने के लिए' के तहत हिंदी शिक्षण योजना का आयोजन किया गया। उपस्थिति रजिस्टरों और प्रेषण रजिस्टर में हस्ताक्षर हिंदी में किया जाता है। प्रवीण/प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षा पूरी हो चुकी हैं।

अध्याय–XV

महिला सशक्तिकरण

15.1 प्रस्तावना

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अपने फैसले में महिलाओं को लिंग समानता से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों और मानदंडों को उनके कार्य के संबंध में वैधता प्रदान करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को उनकी गरिमा के खिलाफ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी नियोक्ताओं, चाहे वे निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के, को यौन प्रताड़ना रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। इस व्यवस्था के भाग के रूप में, संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों की सदस्यता युक्त एक शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम) का गठन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों की छानबीन करने और उनका समाधान करने के लिए उप–सचिव स्तर की महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक पांच–सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें तीन महिला सदस्य हैं। समिति को वर्ष 2016–17 में एक भी शिकायत नहीं मिली है और यही मंत्रालय में महिला वर्क फोर्स के लिए उत्कृष्ट वातावरण की एक व्यापक सूचना देता है।

महिला सशक्तिकरण

वित्त मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस्पात मंत्रालय में एक जेंडर बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य इस मंत्रालय में इस अवधारणा को लागू करने के लिए पहल करना है।

15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल महिला कर्मचारियों को तकनीकी एवं गैर–तकनीकी दोनों क्षेत्र में नियुक्त करता है। इनमें प्रबंधकीय, तकनीकी (इंजीनियर्स) पदों, चिकित्सा, अर्द्ध चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक क्षेत्रों में महिलाएं हैं। कंपनी में चयन, भर्ती और स्थापना अथवा पदोन्नति स्तरों पर स्त्री–पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं।

अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास की दिशा में सेल की नीति की मुख्य विशेषता स्त्री–पुरुष सभी कर्मचारियों के करियर विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या इस तथ्य की ओर संकेत है कि आने वाले वर्षों में, महिलाएं सेल में कुछ शीर्ष पदों पर विराजमान होंगी ।

सेल में महिला कर्मचारी हर्ष से कार्य करती हुई

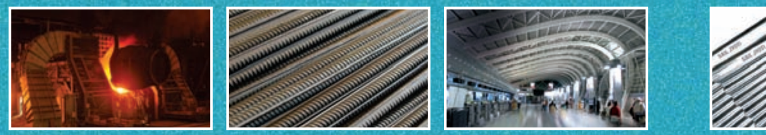

कंपनी की प्रशिक्षण नीति में प्रशिक्षण जरूरतों के विश्लेषण के जरिये महिला कर्मचारियों सहित अपने समस्त कर्मचारियों की प्रशिक्षण एवं विकास जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। महिला कर्मचारियो के करियर विकास एवं उनका जॉब प्रोफाइल को देखते हुए उनको विशिष्ट/तकनीकी/प्रबंधकीय सभी क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

महिला कर्मचारियों को हित लाभ

तकनीकी के साथ–साथ गैर–तकनीकी दोनों क्षेत्रों में पदस्थापित/कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा प्रदान की गयी है। कंपनी के संयंत्रों एवं इकाइयों के समस्त कर्मचारियों के लिए वाशरूम एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध की गयी हैं। कार्यस्थल पर समस्त कर्मचारियों, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए स्वच्छता परिस्थितियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किये जाते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश, बाल देखभाल अवकाश हितलाभ जैसी कंपनी की नीतियों में भी सांविधिक अनुपालन परिलक्षित होता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

सेल के संयंत्रों/इकाइयों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गयी हैं और समिति के गठन की जानकारी संबंधित संयंत्रों/ इकाइयों के मौजूदा इंटरानेट/वेब पोर्टल पर डाली गयी है।

महिलाओं का कल्याण

महिला समाज के व्यापक हितलाभ के लिए भी सेल ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कदम उठाये हैं। इन गतिविधियों में बालिका साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, बवल एवं प्रसूति सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, एड्स नियंत्रण पर सूचनाप्रद कार्यक्रम शामिल हैं। सेल के संयंत्रों और इकाइयों में महिला समितियां सामाजिक मसलों पर जागरूकता पहल जैसे बाल श्रम/दहेज,महिलाओं का शोषण और स्वरोजगार, शिक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में जुड़ाव इत्यादि के जरिये भी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के कार्य में लगी हुई हैं।

15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल की कुल जनशक्ति में लगभग 3 प्रतिशत महिला कर्मचारी है जो कि कुल संख्या के लगभग 6 प्रतिशत कार्यपालक है और 1.4 प्रतिशत गैर–कार्यपालक के रूप में है। महिला कर्मचारी एचआर, वित्त और स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि में परम्परागत कार्यों से हटकर प्रचालन एवं परियोजना जैसे विधि एवं चुनौती भरे क्षेत्रों में कार्य कर रही है।

आरआईएनएल ने 'वीमेन इन पब्लिक सेक्टर' (विप्स), मंच के स्थानीय प्रकोष्ठ के माध्यम से महिला कर्मचारियों को एक मजबूत ताने–बाने से संबद्ध किया है। यह प्रकोष्ठ महिला कर्मचारियों के विकास के लिए अनेक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिला कर्मचारियों का विकास कार्यक्रम, नेटवर्किंग और सामाजिक कौशल पर आधारित कार्यक्रम और महिलाओं के रोजगार से जुड़े मसलों पर अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रम शामिल हैं। यह कुछ सामाजिक मदद गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है जिसमें कलोनियों का पुनर्वास भी शामिल हैं।

कंपनी ने कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (बचाव, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न रोधी नीति तैयार की है और यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

अप्रैल–दिसंबर 2016 के दौरान कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- देश में तकनीकी एवं प्रबंधकीय विकास, संगोष्ठियों, सम्मेलनों विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रिकार्ड के लिए 700 महिला कर्मचारियों को नामित किया गया। विदेश में प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने के लिए 2 महिला कर्मचारियों को नामित किया गया। महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम दिसंबर '16 तक आयोजित किए गए जिनमें शामिल हैं – महिला विकास, व्यक्तिगत सुरक्षा, लिंग संवेदनशीलता, संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, महिला सशक्तिकरण। ''महिला सशक्तिकरण'' पर महिला ठेका मजदूरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- महिला कर्मचारियों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और प्रेरित करने के लिए केंद्रीय लाइब्रेरी में प्रख्यात लेखिकाओं द्वारा लिखी पुस्तकों वाले विशेष काउंटर का नवंबर 2016 को उद्घाटन किया गया।
- कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं सहित एक क्रैच, हैप्पी ऑवर्स भी चला रहा है ।
- कंपनी की वेबसाइट पर एक विशेष ''पोर्टल'' है जहां विश्वव्यापी महिलाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियां सूचना और महिला कर्मचारियों की उपलब्धियां भी शेयर की गई हैं। प्रकोष्ठ प्रत्येक वर्ष **''दिशा''** – एक न्यूजलेटर भी प्रकाशित करता है।

- महिला कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रतिष्ठित महिला अचीवर्स के व्याख्यान आयोजित किये गये। इस अवधि के दौरान महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

15.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड में 280 महिला कर्मचारी नियोजित हैं जो इसकी 5635 कुल कर्मचारी संख्या (30.11.2016 की स्थिति) का करीब 4.96 प्रतिशत है। पुरुष एवं महिलाओं दोनों को कंपनी चयन, भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति सभी स्तरों पर समान अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।

अलग शौचालय, विश्राम गृह आदि जैसी सुविधाएं मुख्यालय एवं परियोजनाओं में प्रदान की गई हैं। एनएमडीसी ने स्वास्थ्य सेवा में जागरूकता, परिवार नियोजन आदि पर प्रशिक्षण के लिए महिला कर्मचारियों को प्रायोजित किया है। हाल ही में, एनएमडीसी ने दो महिला अधिकारियों को व्यापार प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा। महिला कर्मचारियों के लिए अपनी नीतियों में परिलक्षित कंपनी की सभी वैधानिक दायित्वों में शामिल है।

अपने 62वें प्रतिवेदन में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार विप्स प्रकोष्ठ सभी परियोजना के लिए गठित की गई है।

इसके सीएसआर कार्यक्रम के तहत एनएमडीसी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- बालिका शिक्षा योजना एक नवीन सीएसआर पहल है जिसके तीन उद्देश्य हैं समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से लड़कियों की शिक्षा में सहायता, महिला सशक्तिकरण में योगदान और बस्तर क्षेत्र में मेडिकल एवं पेरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी को कम करना। एनएमडीसी द्वारा आज की तारीख में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 225 विद्यार्थियों को प्रायोजित किया गया है।

योजना के तहत जीएनएम कोर्सो वाला 19 विद्यार्थियों का पहला बैच इस स्कीम से लाभान्वित हुआ है, जिन्होंने हाल ही में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। एनएमडीसी नए नर्सिंग पेशेवरों द्वारा ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण के बीच समानता प्राप्त करने और अपने स्थानीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कदम उठा रही है। इससे महिला सशक्तिकरण के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

- एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना, जिसके तहत बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासी और अनु. जाति के छात्रों को 8वीं श्रेणी से आगे स्नातक स्तर तक शैक्षिक परिशीलन जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

15.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में 791 महिला कर्मचारी नियोजित हैं जो 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार कुल 6239 कार्यबल का 12.68 प्रतिशत है।

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न निवारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1999 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिस में एक महिला चिकित्सक सहित तीन सदस्य हैं तथा जून 2014 में इसका पुनर्गठन किया गया। अभी कंपनी की खानों और मुख्यालय में उत्पीड़न का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। महिला कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए निर्देशों का व्यापक प्रसार किया गया है।

कंपनी की सभी खानों में महिला मण्डल सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। दूरदराज के खान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर और परिवार नियोजन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी मातृत्व अवकाश तथा परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देती है।

इसकी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत खानों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें दूरस्थ गांवों में रहने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मोमबत्ती, वाशिंग पाउडर, साबुन, बांस की टोकरियां बनाने, सिलाई सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

15.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) का कारपोरेट जीवनपर्यन्त सदस्य है और महिला कर्मचारियों को विप्स द्वारा आयोजित समारोहों में नामित किया गया था। आंतरिक शिकायत समितियां एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। समिति द्वारा विधिवत आयोजित नियतकालीन बैठकें और शिकायत निवारण, जागरूकता कार्यक्रम आदि समय–समय पर आयोजित की जाती हैं।

15.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल में महिला कर्मचारियों को सभी गतिविधियों में आवश्यक महत्व दिया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनके कौशल, क्षमताओं व सफलता के मुताबिक पहचान भी दी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न समितियों जैसे यौन उत्पीड़न की रोकथाम आदि के लिए बनी समिति में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व रहे।

15.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल में 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार एक महिला कर्मचारी हैं। कंपनी प्रबंधन महिला कर्मचारियों के हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य स्थलों पर वे किसी भी किस्म के यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनें।

15.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक हैं। मेकॉन महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में समय–समय पर मंत्रालय/मानव संसाधन अनुभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश/दिशा–निर्देशों का पालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे एचआरडी अनुभाग द्वारा महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किए जाते हैं।

15.10 केआईओसीएल लिमिटेड

वेतन का भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के पहलुओं, मातृत्व लाभ इत्यादि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक सभी उपायों/सांविधिक प्रावधानों का केआईओसीएल पालन करती है।

केआईओसीएल में दिनांक 31.12.2016 की स्थिति अनुसार 29 महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों/अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए बैंगलौर, मैंगलुरू और कुद्रेमुख इकाइयों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समितियां गठित की गयी हैं। शिकायत समिति में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कार्यपालक, एक पुरुष कर्मचारी और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) से एक महिला कर्मचारी बतौर तीसरी पार्टी और सदस्य के रूप में होते हैं।

केआईओसीएल में वीमेन इन पब्लिक सेक्टर नामक एक महिला संगठन कार्य कर रहा है और अधिकांश महिला कर्मचारी इसकी सदस्य हैं। केआईओसीएल विप्स (WIPS) का आजीवन सदस्य है। विप्स से सम्पर्क रखने के लिए केआईओसीएल से संयोजक बारी–बारी से नामांकित किए जाते हैं। और महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को कंपनी द्वारा विप्स की वार्षिक/क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाता है। कंपनी में 8 मार्च, 2016 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समुचित रूप से मनाया गया।

वर्ष 2016–17 के दौरान स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के अतिरिक्त डब्ल्यूआईपीएस सेल ने विभिन्न गतिविधियों जैसे मेडिकल कैम्प लगाना, उच्चा शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की छात्रा की आर्थिक मदद, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरुकता क्लास, कैशलैस लेन–दने पर कार्यशाला, लिंग संवेदीकरण कार्याशाला और अन्य सीएसआर गतिविधियों पर सक्रियता से काम शुरू किया।

15.11 ईआईएल, ओएमडीसी एवं बीएसएलसी

इन कंपनियों में में जेंडर समानता को उपयुक्त महत्व दिया जाना जारी है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए कम्पनी में एक महिला शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। ये कंपनियां समान अवसर देने वाला नियोक्ता है और लिंग भेदभाव नहीं करता हैं।

इन कंपनियों में दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, इसके 1195 कर्मचारियों के कुल कार्यबल में महिला कर्मचारी लगभग 15.18 प्रतिशत हैं। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए, महिला प्रतिनिधियों को शामिल कर 'जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ' गठित किए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में महिलाओं के लिए एक शिकायत कक्ष कार्य कर रहा है ताकि महिला कर्मचारियों की शिकायतों समाधान किया जा सके।

अध्याय–XVI

इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन

16.1 घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपाय

यद्यपि अधिकांशतः भारतीय शहरी क्षेत्र में इस्पात की खपत में भारी वृद्धि हुई है, ग्रामीण जीवन में यह दिखायी नहीं दिया है। हालांकि धीरे–धीरे शहरीकरण बढ़ने और जीवन शैली में आ रहे बदलाव से, समय के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्र में इस्पात का उपयोग बढ़ा है, फिर भी यहां इस्पात की खपत बढ़ाने की अथाह संभावनाएं हैं। इस्पात विकास और प्रगति संस्थान (इंसडैग) ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने और इस्पात का अधिक उपयोग करने के लिए जागरूकता लाने के लिए पर्याप्त संख्या में गतिविधियां चलायी/पहल की हैं।

16.2 ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग के आक्कलन हेतु अध्ययन

मंत्रालय की मांग अनुदान पर संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, इस्पात मंत्रालय ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का आक्कलन करने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के जरिये एक सर्वेक्षण/अध्ययन करवाया है। संयुक्त संयंत्र समिति ने इस सर्वेक्षण की अपनी अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2011 में प्रस्तुत की। सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत, ग्रामीण भारत में इस्पात के उपभोग की प्रवृत्तियों और इस्पात की भावी सम्भावनाओं का पता चला है। सर्वेक्षण के लिए विश्लेषण उद्देश्य से आंकड़े तीन वर्षों अर्थात् 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए एकत्रित किये गए और ग्रामीण इस्पात मांग का आंकलन 2011–12, 2016–17 और 2019–20 की अवधियों के लिए किया गया। ग्रामीण भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत 2007 से 2009 की अवधि के दौरान 9.78 किलोग्राम आंकी गई जिसके इस्पात उत्पादों के अधिक उपयोग के आधार पर 2020 में बढ़कर लगभग 12 कि. ग्रा. होने का अनुमान लगाया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों, अधिकतर घरेलू स्तर पर उपयोग के कारण हुई है । साथ ही, व्यावसायिक उपयोग, फर्नीचर व वाहनों जैसी इस्पात वाली मदों की खरीद से भी खपत बढ़ेगी। यह भी आशा है कि घरेलू मदों के लिए मांग कुछ वर्षों में कम हो जाएगी। इसका मुख्य कारण इस श्रेणी की कुछ प्रमुख मदों के स्थान पर प्लास्टिक का अधिक उपयोग होना है। सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी की गई हैं तथा मकानों की संरचनाओं की किस्म में बदलाव, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इस्पात डिजाइनों का विकास, सामुदायिक संरचनाओं में निवेश, छोटे और मंझोले इस्पात उत्पादों का विनिर्माण, इस्पात उपयोग के फायदों पर प्रकाश, इस्पात के स्वरूप में सुधार, इस्पात के लिए संभार तंत्र तथा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार तथा इस्पात के गुणवत्ता संबंधी मामलों पर ध्यान देना। इस्पात मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है और वह उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

16.3 सेल द्वारा इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

सेल के पास देश भर में शाखा बिक्री कार्यालयों और मालगोदामों का एक व्यापक नेटवर्क है। 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार, सेल के नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 10 सक्रिय ग्राहक सम्पर्क कार्यालय, 25 विभागीय वेयरहाउस तथा कन्साईनमेंट एजेंसियों द्वारा प्रचालित 21 वेयरहाउस हैं। देश भर में फैले विशाल नेटवर्क से उपभोक्ताओं की विभिन्न जरूरतों को उनके घर–घर पहुंचाने में मदद मिलती है ।

अपने उत्पादों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने के लिए, सेल ने 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार 1500 जिला स्तरीय डीलरों के अलावा, 642 ग्रामीण डीलरों की नियुक्ति करते हुए ब्लॉक, तहसील और तालुका स्तर पर भी अपनी पैठ बनायी है।

डीलरों को अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के साथ–साथ सेल इस्पात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही है। उच्च निष्पादनकारी डीलरों को सम्मानित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अवार्ड समारोहों का आयोजन किया जाता है।

सेल और उसके डीलरों सक्रिय रूप से डीलरों या राजमिस्त्री और आर्किटेक्ट मिलन समारोह, दीवार लेखन, होर्डिंग, ऑडियो, वीडियो और प्रिंट विज्ञापन, प्रोमोशनल आइटम का वितरण, स्थानीय मेलों आदि के माध्यम से अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास किये जा रहे हैं। 2016–17 में शुरू किए गए प्रचार गतिविधियों में से कुछ नीचे दिए गए हैं:

- अप्रैल–दिसम्बर 16 के दौरान, 136 डीलरों की बैठक, आर्किटेक्ट्स की बैठक और मेसन की बैठक (125 डीलर की बैठक, 7 मेसन की बैठक और 4 आर्किटेक्ट्स / इंजीनियर की बैठक) का आयोजन किया गया।

माननीय इस्पात मंत्री 25वीं स्टील कंज्यूमर काउंसिल की मीटिंग को संबोधित करते हुए

- अप्रैल–दिसम्बर 16 के दौरान 221,500 वर्ग फुट दीवार पेंटिंग किया गया था।
- अहमदाबाद (गुजरात) में ऑटो हुड ब्रांडिंग।
- इंदौर में प्रसिद्ध सिंहस्थ मेला और पंजाब रोडवेज के अधीन चलने वाली बसों की ब्रांडिंग।
- मुंबई / नवी मुंबई / बेलापुर मार्ग 105 में एसी बस ब्रांडिंग।
- कोटा (राजस्थान) में मिनी वैन की ब्रांडिंग।
- कोलकाता मेट्रो स्टेशनों में विज्ञापन।
- रेडियो और टीवी में सेल का विज्ञापन ।
- सेल के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए सिनेमा स्लाइड्स अभियान।

पदोन्नति के अलावा, उत्पाद विकास ग्राहकों के विशिष्ट आवेदन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेल में एक सतत प्रयास रहा है। आवेदन के नए क्षेत्रों के लिए उत्पाद विकास स्टील उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है। अप्रैल–दिसम्बर 2016 के दौरान, 18 नए उत्पादों के आवेदनों की एक विस्तृत विविधता के लिए विकसित किया गया है। कुछ विकसित उत्पाद नीचे दिए गए हैं:

- हर्दोक्स 400 क्यू एंड टी 20 मिमी, अर्थमोवेर्स और भारी मशीनरी के लिए प्लेट्स।
- सेल ने वाणिज्यिक वाहनों की डमी एक्सल 250 ग्रेड एचआर कॉइल्स को बनाने में योग्य है।
- सेल एचटी 600 एचआर कॉइल्स वाणिज्यिक वाहनों की बॉडी के लिये।
- डीएमआर 249 ग्रेड ए की मोटी प्लेट (24 मिमी) विमान वाहक जहाजों के लिए।
- गहरे पानी की पनडुब्बियों के लिए एबी3 ग्रेड स्टील प्लेट।
- आईएस2062 ई350 बीओ (नॉन माइक्रो एलॉयड) ग्रेड समानांतर निकली हुई कड़ियां आईपीई 450 (एनपीबी 450 गुणा 190 गुणा 77.57) निर्माण के लिए।

16.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल लगातार इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए उत्पादों का विकास व आपूर्ति तथा विस्तृत कवरेज हेतु वितरण नेटवर्क में सुधार का प्रयास करता है। आरआईएनएल देशो के मूल्य वर्धित इस्पात उत्पादकों के बीच एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित किया है। विशेष स्टील्स मै उच्च कार्बन स्टील ग्रेड, मध्यम कार्बन स्टील ग्रेड, मध्यम, उच्च मैंगनीज स्टील, स्प्रिंग इस्पात, कम मिश्र धातु इस्पात ग्रेड आदि राउंड और चौकों की तरह नॉन–फ्लैट या लंबे स्टील उत्पादों में उत्पादित कर रहे हैं। विशिष्ट अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नये उत्पादों के विकास का प्रयास किया जाता है जिससे इस्पात के उपयोग को संवर्धित करने में सहायता मिलती है। उपभोक्ताओं के साथ बार–बार बातचीत करके उनकी नए इस्पात उत्पादों/ग्रेडों/आकारों की जरूरत का अध्ययन किया जाता है। यदि यह प्रौद्योगिकीय रूप से व्यावहारिक पाया जाता है तो इन उत्पादों का विकास कर उपभोक्ताओं को इनकी आपूर्ति की जाती है।

आरआईएनएल का एक वितरण नेटवर्क है जिसमें 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 24 शाखा कार्यालय, 23 स्टॉकयार्ड और 6 कन्साइनमेंट सेल्स एजेंट्स शामिल हैं। विपणन चैनल के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को पहुंच का विस्तार करने के लिए, आरआईएनएल अतिरिक्त 5 सीए और अतिरिक्त 19 सीएसए के लिए योजना बना रहा है।

वर्ष 2016–17 के दौरान अपने उपभोक्ता आधार को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया । एक उद्देश्य के साथ बाजार की क्षमता का अनुमान है और उत्पादों की आपूर्ति की सुविधा में उत्पादन की योजना पर फैसला करने के लिए, आरआईएनएल वार्षिक उत्पादन योजना को 83 प्रतिषत तक करने के लिए उत्पाद की श्रेणी के आधार पर समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। वित्त वर्ष की शुरुआत में 1472 से 1655 नग), परियोजनाओं (3693 से 4129 नग) और रिटेलर्स (365 से 445 नग) निर्माताओं में आरआईएनएल के उत्पादों के लिए ग्राहक आधार में वृद्धि हुई है।

ग्रामीण इलाकों में इस्पात की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए, एक नया ग्रामीण डीलर स्कीम (आरडीएस) 2016–17 के दौरान शुरू की है जिसमें ग्रामीण डीलरों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। (क) नकदी ले जाने के लिए छूट (ख) दरवाजे पर डिलीवरी (ग) वार्षिक मात्रा आधारित प्रोत्साहन (घ) आरआईएनएल उत्पादों को बढ़ावा। ग्रामीण डीलरशिप के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प संख्यकों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष के प्रारम्भ में आरआईएनएल ने देश भर में ग्रामीण डीलरों/डीएलडीएस को 399 नग से बढाकर 431 (दिसम्बर 16 तक) कर दिया है।

16.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे मे विकास के क्षेत्रों की खोज के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा जनादेश दिया गया है। एचएससीएल सही मायनों में पहल की है और शहरी आवास के लिए स्टील गहन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए शुरुआत कर दिया है और कम लागत सामूहिक आवास, सड़क, पुल, औद्योगिक अवसंरचना, खाद्य गोदाम, पहाड़ी इलाकों और भूकंपीय जोन और स्टेडियमों और खेले आधारित संरचना में बुनियादी ढांचे के विकास के लिये अग्रसर हैं। ऐसा करने में, विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के बाद, पारंपरिक आरसीसी संरचनाओं के स्थान पर मिल में बना हुआ और पूर्वनिर्मित संरचनाओं को प्रस्तुत किया गया है।

एचएससीएल कम लागत सामूहिक आवास के लिए विभिन्न तकनीकी विकल्प और समाधान खोजने के लिए कोलकाता में एक पूरा दिन कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के मिशन "2022 तक सभी के लिए आवास" को ध्यान में रखते हुए और देश में इस्पात के उपयोग में वृद्धि के उद्देश्य हेतु वर्कशॉप चलाई गयी। कार्यशाला के दौरान, पारंपरिक आरसीसी संरचनाओं के स्थान पर स्टील गहन औद्योगिक संरचनाओं और इस्पात पुलों का उपयोग करने की संभावना पर भी चर्चा हुई। एचएससीएल ने विभिन्न तकनीकी विकल्पों के साथ कार्यशाला की कार्यवाही पर एक कार्यकारी सारांश प्रस्तुत कर दी है जो कार्यशाला के दौरान निर्माताओं और निष्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, एचयूपीए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और मानव संसाधन विकास जैसे उपयोगकर्ता मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आवास और अन्य औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूर्वनिर्मित / मिल में बना हुआ संरचनाओं के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कर सके। एक व्यापक सूची भी आगे देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने की पहल करने के लिए विभिन्न तकनीकी विकल्पों और लाइव परियोजनाओं पर एचएससीएल द्वारा बनाया गया है। आवास के लिए मिल में बना हुआ / पूर्वनिर्मित संरचनाओं के उपयोग सीमांत रूप से अधिक पूंजी निवेश के लिए कहता है लेकिन निर्माण, तेजी से व्यवसाय उच्च स्थान की उपलब्धता, कम रखरखाव लागत, और कम जीवन चक्र लागत के लिए कम समय को धयान में रखते हुए अंततः किफायती है। एचएससीएल पहले से ही पारंपरिक आरसीसी संरचनाओं के साथ तुलना में जी+ 5 आवासीय भवन के लिए पूर्व निर्मित इस्पात संरचनाओं का उपयोग कर एक मामले का अध्ययन प्रस्तुत कर चुका है। सभी प्रभाव कारकों को लेते हुए आईएस 13174 और सीपीडब्ल्यूडी के मानदंडों के अनुसार डीपीएआर 2012 लागत सूचकांक के साथ, जीवन चक्र लागत के साथ पूर्व निर्मित संरचना के बाहर काम करने के लिए काफी कम है, प्रति वर्तमान मूल्य विधि ा के साथ ही वार्षिक लागत विधि के रूप में गणना की थी। पीएमएवाय के तहत जी+ 3 बिल्डिंग के लिए इसी तरह के अध् ययन आरसीसी संरचनाओं की तुलना में एक स्कूल भवन और इस्पात पुल प्रारम्भ किए गए हैं।

16.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी स्क्रैप की ई–नीलामी के संगठित और पारदर्शी प्रक्रिया से स्टील और अन्य सामग्री की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देता है। यह ऊर्जा की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन को कम कर देता है और देश में सतत विकास को बढ़ावा देता है।

बिक्री और विशेष रूप से छोटे और मध्यम क्षेत्र निर्माताओं के लिए लोहा स्टील और नॉन फेरस उत्पादों की खरीद के लिए एमएसटीसी ने एक ई–शॉपिंग मॉल का शुभारंभ किया। एमएसटीसी धातु मंडी बी2बी और बी2सी खंड के लिए एक आभासी बाजार की जगह है।

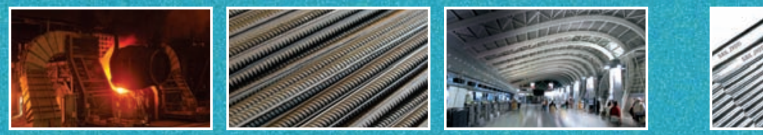

अध्याय–XVII

निगमित सामाजिक दायित्व

17.1. प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत संगठन उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण पर अपने कार्य क्षेत्र के प्रचालनों के सभी पहुलओं के प्रभाव का उत्तरदायित्व लेकर समाज के हित का संरक्षण करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कुल मिलाकर समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः सीएसआर का स्थायी विकास के साथ सीधा संबंध है।

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 बनाया । कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 135 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बारे में है। इसमें कंपनियों के लिए शुद्ध मूल्य, कारोबार, और शुद्ध लाभ के आधार पर वे अर्हक मानक निर्धारित किये गये हैं, जिनकी सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए जरूरत होती है और साथ–साथ, जो कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन की व्यापक कार्य प्रणालियों, कार्यान्वयन और निगरानी को निर्देशित करती हैं। अपनी सीएसआर नीतियों में कंपनियों द्वारा शामिल की जा सकने वाली गतिविधियों को इस अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 135 और अनुसूची VII के प्रावधान सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित कार्य मंत्रालय ने सीएसआर नियमावली तैयार की है और इसे 27.2.2014 को जारी किया है। सीएसआर नियमावली 1.4.2014 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होती है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अक्टूबर 2014 में निगमित सामाजिक दायित्व और स्थायित्व पर दिशा–निर्देश जारी किये हैं। इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सीएसआर के तहत निधियो के आवंटन एवं व्यय करते समय उपरोक्त अधिनियम/नियमावली/ दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया है।
निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निधियो के आवंटन एवं व्यय के ब्यौरे अनुबंध XV पर दिए गए हैं।

17.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल का सामाजिक ध्येय निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अनुरूप है। कंपनी का ध्येय इस्पात उत्पादन व्यवसाय के अलावा, अपने व्यवसाय का इस तरह से संचालन करना है जिससे अपने प्रचालन क्षेत्र में रह रहे समुदाय को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक हितलाभ मिल सके। किसी भी संगठन के लिए, अपने व्यवसाय का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव

सेल समर्थित दिव्यांग लोगों का दुर्गापुर हैण्डीकैप्ड हैप्पी होम में अपंगों के लिए एक क्रैच–कम–होम

से अवगत होने से सीएसआर की शुरूआत होती है। लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के अपने दर्शन एवं मूल मंत्र को रेखांकित करते हुए, सेल अपनी स्थापना से ही सीएसआर पहल का गठन और कार्यान्वयन कर रहा है। इन प्रयासों से सेल कारखानों के आसपास स्थित बहुत छोटे गांवों को आज विशाल औद्योगिक केंद्रों में परिवर्तित किया जा सका है।

सेल सीएसआर पहल का संचालन सदैव प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे सीएसआर और स्थायित्व –2014 पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुरूप तथा कंपनी अधिनियम–2013 / सीएसआर नियम 2014, के अनुसार किया गया है। सेल की सीएसआर परियोजनाएं देश भर में रुझान वाले क्षेत्रों के अंदर आने वाले इस्पात नगरियों, खानों और दूरदराज के स्थानों में अनुसूची –VII, कंपनी अधिनियम–2013 में उल्लिखित गतिविधियों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, ग्राम विकास, पानी की सुविधा के लिए प्रवेश, परिधीय ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, विकलांग लोगों के लिए सहायता, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सतत् आय कमाना, खेल, कला, संस्कृति और धरोहर के संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है ।

स्वच्छ भारत अभियान–स्वच्छ विद्यालय अभियान

सेल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये "स्वच्छ भारत अभियान" में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। शौचालय निर्माण के अलावा, पूरे संगठन में सफाई अभियान की शुरूआत की गई । स्वच्छता अभियान नियमित रूप से विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ कर दिया गया है, साथ ही कार्य परिसरों, जागरूकता अभियानों जैसे प्रतियोगिता क्विज़, प्रतियोगिताओं और शपथ 'स्वच्छता पखवाड़ा' के दौरान आयोजित और उचित साफ–सफाई का कंपनी में व्यापक रूप से अभ्यास किया जा रहा है ।

मॉडल स्टील ग्रामों का अभिग्रहण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए और दोनों भौतिक और सामाजिक ढांचों को व्यापक विकास प्रदान करने के लिए, देश भर में (आठ राज्यों में) 79 गांवों को "मॉडल स्टील ग्रामों" के रूप में अपनाया गया था । इन गांवों में किए गए विकसात्मक गतिविधियों के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क और संयोजकता, स्वच्छता, सामुदायिक केन्द्रों आजीविका सृजन, खेल सुविधाओं, इत्यादि का भी दायित्व लिया गया । इन एमएसवी में विकसित सुविधाएं नियमित रूप से चलाई व बरकरार रखी जा रहीं हैं।

सीएसआर गतिविधियां

शिक्षाः शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के ध्येय से, सेल 55000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्पात नगरियों में 145 से अधिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है तथा यह लगभग 63,000 बच्चों के साथ 500 से अधिक स्कूलों को भिलाई और राउरकेला में अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ जुड़कर मध्याह्न भोजन प्रदान करने के द्वारा सहायता कर रहा है। निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, यूनिफार्म के साथ जूते, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतलें तथा परिवहन की सुविधाओं वाले 21 विशेष विद्यालय (कल्याण और मुकुल विद्यालय) के 3000 से अधिक गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) विद्यार्थियों के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के स्थानों में संचालित किए जा रहे हैं।

306 ग्रामीण बच्चों सरंदा सुवन छात्रावास, किरीबुरू; आरटीसी आवासीय पब्लिक स्कूल, मनोहरपुर; ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी स्कूल राजहरा, भिलाई; कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंसेस, भुवनेश्वर; ज्ञानज्योति योजना बोकारो द्वारा निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन और यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें इत्यादि प्राप्त किए जा रहे हैं ।

संयत्र के उपनगरों में 1825 से अधिक विद्यालय के विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ।

ज्ञान ज्योति योजनाः बोकारो स्टील प्लांट ने बिरहोर जनजाति जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, के बच्चों के लिए शिक्षा और समग्र विकास प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरूआत की है । 15 बिरहोर बच्चों को गोद लिया गया है और एक अनुकूल माहौल में उन्हें भोजनव्यवस्था, ठहरना, पौष्टिक और संपूर्ण भोजन, कपड़े, निःशुल्क चिकित्सा उपचार, खेल और सांस्कृतिक अवसरों के साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। वे अपने समुदाय के बीच पहले मैट्रिक और 12वीं पास हैं। उनकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर, बिरहौर के 15 नए बच्चों के एक बैच को अपनाया गया है, वे सभी नए परिवेश में उनका जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं । बोकारो प्राइवेट आईटीआई में आवास और भोजन–कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए बिरहोर के 9–लड़कों को आईटीआई प्रशिक्षण हेतु "वेल्डर ट्रेड" में 2500 / –रुपए प्रति छात्र मासिक वृत्ति के साथ ज्ञान ज्योति योजना के अंतर्गत अपनाया गया है ।

स्वास्थ्य देखभालः सेल ने 2011–16 की अवधि के दौरान, गहन एवं विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के जरिये अपने कारखानों एवं इकाइयों के आस–पास रहने वाले 96 लाख से अधिक लोगों को विशिष्ट एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की है। सर्जरी जैसे मोतियाबिन्द और लैंस प्रत्यारोपण, कटे होंठ और मसूढ़ों के विकास, पोलियो पांव का सुधार, इत्यादि संचालित किए जाते हैं। श्रवण बाधितों, एनीमिया और सिकल सेल की पहचान और सलाह और थैलीसीमिया के मरीजों, महिलाओं में स्त्री संबंधी रोग विकारों, कोढ़ और टीबी के मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है ।

जरूरतमंद लोगों को उनके घर पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने के लिए संयंत्रों/इकाइयों/खानों और दूरदराज़ के क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न गांवों में निश्चित दिनों पर नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाये जाते हैं। 2016–17 के दौरान (दूसरी तिमाही तक) 1960 स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिनसे 52,000 से अधिक ग्रामवासी लाभान्वित हुए। संयंत्र के उपनगरों में 6 मोबाइल स्वास्थ्य इकाई(एमएमयू) शुरू किये गये जिनमें उनके घर के पास प्रति वर्ष लगभग एक लाख नितांत रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को दवाइयों सहित निःशुल्क चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है।

संयंत्रों में 24 विशेष स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रतिवर्ष लगभग 100,000 गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा देखभाल और दवाइयों से लाभान्वित किया जा रहा है । 2016–17 के दौरान, (दूसरी तिमाही तक), इन स्वास्थ्य केन्द्रों में 81,000 ग्रामवासियों को निःशुल्क चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई गई ।

स्थायी आय सृजनः व्यावसायिक और विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण स्थायी आय सृजन की ओर लक्षित उपनगरीय क्षेत्रों के 1764 युवाओं और 1020 महिलाओं को जैसे नर्सिंग, फीजियोथेरेपी, एलएमवी ड्रायविंग, कम्प्यूटर, मोबाइल मरम्मत, वेल्डर, फिटर और विद्युतकार प्रशिक्षण उन्नत कृषि, मशरूम खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, अचार/पापड़/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, ऊन बुनाई, कपड़ा सिलाई, सिलाई और कढ़ाई, दस्ताने, मसाला, तौलिए, चटाई बैग, कम लागत की सैनिटरी नैपकीन, मिठाई के डिब्बे, साबुन, निर्धूम चूल्हा बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

546 युवकों को आईटीसी बोलानी, बड़गांव, बलियापुर, बोकारो प्राइवेट आईटीआई और राउरकेला इत्यादि में आईटीआई ट्रेनिंग के लिए प्रायोजित किया गया । आर एम डी द्वारा सार्वजनिक सुनवाई प्रतिबद्धताएं बनाने के अवसर पर आईटीआई बोलानी, और बरसुआ को उन्नत और सेल द्वारा चलाए जाने के लिए अपनाया गया । उपरोक्त के अलावा, बोकारो प्राइवेट आईटीआई बोकारो में पहले से ही संचालित है, जहां उपनगरों से युवा विद्युतकार, वेल्डर और फिटर वर्ग में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, सेल मनोहरपुर और गुआ की आईटीआई को भी उन्नत और चलाने की प्रक्रिया में है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकासः सेल ने अपनी स्थापना से ही सड़कों का निर्माण और मरम्मत करके 435 गांवों में 77.84 लाख से अधिक लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा है। विगत चार वर्षों में सेल ने 7907 से अधिक जल स्रोतों की स्थापना करके दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले 45.96 लाख से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई है।

पर्यावरण संरक्षणः ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइट स्थापित की गई है, सौर लालटेन और निर्धूम चूल्हे सरंदा और अन्य स्थानों के ग्रामीण लोगों में वितरित किए गए । पार्कों का रखरखाव, जल निकायों, और बुटानिकल बाग, उसके बस्तियां और वृक्षारोपण और 3.85 लाख से अधिक पेड़ों का विभिन्न स्थानों में रखरखाव की शुरूआत की गई।

सेल ने झारखण्ड में जरी, गुमला में 100 किलावाट क्षमता की सौर ऊर्जा संयंत्र के संचालन का समर्थन किया है ।

17.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सीएसआर के तहत आरआईएनएल द्वारा विभिन्न पहल ने वंचित समुदायों की सख्त जरूरतों को संबोधित करने और उनके जीवन में एक ठोस परिवर्तन लाने के लिए एक प्रयास किया है। एक वार्षिक बजट वर्ष 2016–17 की सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित की गई थी। इस संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्र हैंः शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल वृद्धि, पर्यावरण देखभाल, सेनीटेशन, स्वच्छ भारत, खेल इत्यादि इनके विवरण निम्नानुसार हैं :

शिक्षाः

- विशाखापत्तनम के आस–पास के गांवों में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 500 प्रौढ़ लाभान्वित हुए।
- संयंत्र और खानों के आस–पास के गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के 1800 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है ।
- सरकारी स्कूलों में अक्षयपात्रा फाउंडेशन के माध्यम से मध्याह्न भोजन में, भोजन, वाहन और बरतन प्रदान करके विशाखापट्टनम में 438 सरकारी स्कूलों में 60,500 बच्चों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भोजन को प्रभावी बनाने के द्वारा योगदान दिया ।
- अरुणोदय विशेष विद्यालय के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

स्वास्थ्य देखभालः

- सरकारी अस्पताल, केजीएच को विशाखापट्टनम में बहुमंजिला अस्पताल भवन निर्मित करने के लिए इस्पात प्रदान किया गया ।

''कौशल''– अ.जा. समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास के लिए आरआईएनएल की एक सीएसआर पहल

- गांवों /ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास सुदूर क्षेत्रों में पहुंचने के लिए और जागरूकता पैदा करने/दुर्भाग्यपूर्ण कॉर्नियल अंधेपन से पीड़ितों के लिए कॉर्निया के समय पर निकालने और प्रत्यारोपण हेतु – विशाखापट्टनम के नेत्र बैंक और अनुसंधान प्रशिक्षण ट्रस्ट में एक एम्बुलेंस और ऑडियो सिस्टम प्रदान किया गया ।
- आरआईएनएल ने सरकारी स्कूल की छात्राओं द्वारा मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को समझाने के लिए एक क्षमता निर्माण गोष्ठी साथ ही जागरूकता कार्यक्रम – ''परिवर्तन'' प्रारंभ किया है । विभिन्न स्कूलों की लगभग 400 छात्राएं इससे लाभान्वित हुईं ।
- 'नेत्र ज्योति' की मोबाइल आईकेयर वैन का प्रयोग कर 156 नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए जिसमें 12,562 मरीज लाभान्वित हुए और लगभग 750 शल्य चिकित्सा की गयी।
- ग्रीष्म ऋतु के दौरान पुनर्वास बस्तियों/आसपास के गांवों में 1,30,000 लीटर पेयजल प्रतिदिन मुहैया कराई जा रही है।
- खदानों के आसपास चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं ।

कौशल विकासः

- "परियोजना सक्षम" – खदान क्षेत्रों में 275 ग्रामवासियों को परिधान बनाने, फैब्रिक पेंटिंग, दो–पहिया यंत्र रचना, नलसाजी, कार चालन, कम्प्युटर का बुनियादी ज्ञान, कपड़े के थैले इत्यादि पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जा रही है ।
- "परियोजना कौशल" – के माध्यम से आस–पास के क्षेत्रों के अनुसूचित जाति की 200 महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत वस्त्र निर्माण तकनीकों और औद्योगिक सिलाई मशीन चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 139 लाभान्वितों को स्थानीय कपड़ा बनाने की इकाईयों में उचित रोजगार प्रदान किया गया।

स्वच्छताः

- ''स्वच्छ विसाखा'': कचरा प्रबंधन की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान दिलाने के लिए स्थानीय नगर निगम के लिए 30 डम्पर बिन की व्यवस्था की गई ।
- "स्वच्छ ग्राम": सोलर पावर पेय जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना की गई और ग्रामवासियों को 24 x 7 आपूर्ति की जा रही है। विशाखापट्टनम जिले के ग्रामीण गांवों में घरेलू शौचालयों को निर्माण किया गया है ।

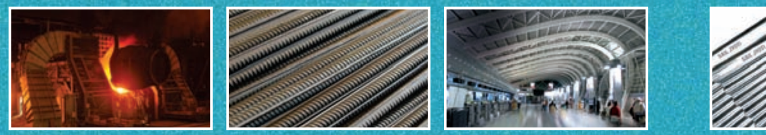

स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ विद्यालयः

- आरआईएनएल के विभिन्न विभागों में 1241 स्वच्छ भारत गतिविधियां जिसमें 20603 कर्मचारियों को शामिल करके की गईं ।
- लम्बा पखवाडे का स्वच्छता अभियान ''स्वच्छ भारत पखवाड़ा'' आयोजित किया गया जिसमें गतिविधियों जैसे स्वच्छता वाक्कथन, पोस्टर और नारा प्रतियोगिता, समुदायों के बीच में जागरूकता निर्माण के लिए स्वच्छता रथ, जीरो प्लास्टिक अभियान इत्यादि को शामिल किया गया ।
- आसपास के क्षेत्रों के स्कूली बच्चों के लिए बाल स्वच्छ जागृति के तहत ऑडियो विजुअल माध्यम से अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं पर 10 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

खेलः

प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एक राष्ट्रीय स्तर के शूटर को नवीनतम सामान खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई ताकि सफलता के अवसर को बढ़ाया जा सके।

17.4 एनएमडीसी लिमिटेड

कंपनी द्वारा चलाये गये/शुरू किये गये सीएसआर कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :

शिक्षाः

- एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भागीदारी की इस योजना को ''उज्जर'' कहा जाता है, जो उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए जिला–दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ से 100 आदिवासी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एनएमडीसी इस कार्यक्रम को गत वर्ष से सफलतापूर्वक समर्थन दे रही है ।
- एनएमडीसी राष्ट्रीय विद्या केन्द्र (आरकेवी), हैदराबाद में स्थित एक संस्था का समर्थन करती है, जो सामाजिक–आर्थिक रूप से समाज के पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने मे लगी हुई है उसके स्कूल और छात्रावास के लिए सोलर ऊर्जा प्रणालियां प्रदान की गई ।
- नगरनार में 2010 में शुरू किया गया आवासीय स्कूल भी 513 विद्यार्थियों के साथ कक्षा–9 तक सफलतापूर्वक चल रहा है ।
- एनएमडीसी ने आस्था गुरूकुल स्कूल और 1000 सीट वाला ऑडिटोरियम का दंतेवाड़ा में एक साथ निर्माण किया है और 770 अनाथ बच्चों के साथ सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और इसमें कक्षा –1 से कक्षा–7 तक हिंसा प्रभावित बच्चे पढ़ते हैं ।
- अजा/अजजा विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना ''एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना'' चलायी जा रही है और 2015–16 के दौरान, 18000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं ।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 8000 ग्रामीण स्कूली बच्चों को कवर करता है और डोनिमलाई परियोजना के आसपास सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है और एनएमडीसी इस पहल को अपना समर्थन करता है ।
- दिव्यांग बालक और बालिकाओं के लिए संचालित सक्षम–1 और सक्षम 2 को एनएमडीसी अपना समर्थन प्रदान करता है, जहां 206 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। उपरोक्त संस्थान एक शिक्षा केन्द्र के रूप में जवांगा, गीदम, दंतेवाड़ा जिले में संचालित किए जा रहे हैं।

कौशल विकासः

- नगरनार में आईटीआई में हर वर्ष 28 छात्रों के प्रवेश के साथ वैल्डर और राजमिस्त्री ट्रेड्स की पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी है।
- भांसी में आईटीआई में हर वर्ष 76 छात्रों के प्रवेश के साथ 5 ट्रेड्स की पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी है।
- दांतेवाड़ा में वर्ष 2010 में स्थापित 126 छात्रों के प्रवेश क्षमता वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज दो स्ट्रीम्स जो कि मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल हैं, के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पॉलिटेक्निक के लिए लगभग 8 एकड़ जमीन आवंटित की है। हॉस्टल ब्लॉक्स और आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ में यह एकमात्र ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो छत्तीसगढ़ सरकार से बिना किसी योगदान के पूर्ण रूप से किसी पीएसयू द्वारा चलाया जा रहा है।
- बस्तर जिले के 1260 बेरोजगार युवाओं को नलकूप लगाने, मरम्मत और रखरखाव में एक आजीविका उपार्जन प्रशिक्षण कार्यक्रम को एनएमडीसी ने पूरा कर लिया है ।

- इस वर्ष में एनएमडीसी द्वारा एनएसडीसी के सहयोग से 1200 गैर एनएमडीसी के साझेदार जैसे खान क्षेत्र संबंधी कौशल में संविदा मजदूर के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कुल 400 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य में से अभी तक कार्यक्रम ने 310 प्रशिक्षणार्थियों को कवर कर लिया है। कार्यक्रम बचेली, किरंदुल (छत्तीसगढ़) और डोनिमलाई (कर्नाटक) में संचालित है ।

स्वास्थ्य देखभालः

- वर्ष 2016–17 (नवंबर तक) के दौरान क्रमशः 57851 एवं 18801 स्थानीय आदिवासियों को निःशुल्क बाह्य–रोगी और अंतःरोगी चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई ।
- वर्ष 2016–17 (नवंबर तक) के दौरान पहियों पर अस्पताल के संचालन के माध्यम से 37 गांवों में घर के पास 17068 आदिवासी ग्रामीणों का उपचार किया गया।

ग्रामीण विकास :

- बैलाडिला के 19 गांवों में एकीकृत विकास कार्य महत्वपूर्ण सफलता के साथ प्रगति पर है ।
- एनएमडीसी बस्तर में 1500 लाख रुपये की लागत से किसानों की जमीन की चारदीवारी, बोरवेल्स की खुदाई और हैण्डपम्प लगाने के लिये किसान विकास योजना चलाया जा रही है।

महिला सशक्तिकरणः

- बालिका शिक्षा योजना एक अनूठी सीएसआर पहल है, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान और बस्तर क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी को कम करने में मदद करने के लिए समाज के वंचित सामाजिक–आर्थिक वर्गों से लड़कियों की मदद करने का एक तिहरा उद्देश्य रहा है। आज की तारीख में, 225 विद्यार्थी एनएमडीसी द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए 2011–12 से प्रायोजित हैं ।
- एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत बस्तर क्षेत्र के लिए गरीब आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, अकादमिक कोशिश को जारी रखने के लिए 8वीं से आगे स्नातक स्तर की पढ़ाई तक सफलतापूर्वक वर्तमान वर्ष में भी लागू किया गया है ।

पेयजल एवं स्वच्छता :

- एनएमडीसी ने रुपए 77.70 लाख की कुल लागत पर जी आर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और माधवराव सिंधिया जिला अस्पताल, ग्वालियर, म.प्र. में दो शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए सुलभ इंटरनेशल के लिए वित्तीय योगदान दिया है ।
- एनएमडीसी ने म.प्र. के पन्ना में जिला अधिकारियों को पन्ना शहर में पानी की कमी के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से धरम सागर झील के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रूपए वित्तीय योगदान प्रदान किए हैं, और उक्त कार्य जल निकाय की बहाली के लिए नेतृत्व की एक पहल के साथ और पन्ना शहर में पानी की समस्या के समाधान हेतु सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है ।

17.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने निदेशक मण्डल की स्वीकृति से एक सीएसआर नीति बनाई है। वर्तमान वित्त वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अनेक योजनाएं ली गयी हैं और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं:

शिक्षा एवं कौशल विकासः

- शिक्षा तथा कौशल विकास पहल के अंतर्गत, कंपनी पांच स्कूलों की मदद कर रही है। दो स्कूल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में और 3 स्कूल महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हैं। दोनों ही जिले भारत के पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित हैं। इन स्कूलों में आस–पास के क्षेत्र के गांवों में रहने वाले और अधिकांशतः गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को गुणवत्तामय शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग में एमओआईएल ने सितासवंगी, भंडारा जिला में शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2014 में एक बड़े स्कूल का निर्माण किया है। स्कूल इस सुदूर पिछड़े क्षेत्र में कई गांवों की शैक्षणिक जरूरतों का ध्यान रखता है। स्कूल में 35 कक्षाओं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी आदि के साथ आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं हैं। स्कूल डीएवी प्रबंधन द्वारा प्रबंधित और मॉयल द्वारा वित्तपोषित किया जाता है.

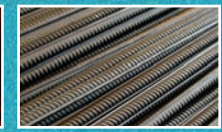

पेयजल एवं स्वच्छता:

- दूरदराज़ के क्षेत्रों में ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, मॉयल ने 35 बोर वेल खोदने का प्रस्ताव किया है।

स्वास्थ्य देखभाल:

- कंपनी लाईट टू लाईव्स कार्यक्रम के तहत, जरूरतमंद ग्रामीण निर्धन लोगों की निःशुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा, शिशु शल्य चिकित्सा, इत्यादि प्रदान की जा रही है।

ग्रामीण विकास:

- कंपनी ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी – मॉयल फाउंडेशन को बढ़ावा दिया है और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान (एमआईटीआरए) के साथ एक एमओयम में प्रवेश किया, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हेतु बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन का एक सहायक संगठन है, के साथ सहमति की है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं : कृषि विकास, पशुपालन (मुर्गी एवं बकरी पालन), महिला सशक्तिकरण, जीवन शैली में सुधार कार्यक्रम, इत्यादि, जिनसे इस क्षेत्र के समग्र विकास करने में मदद मिलेगी।
- यह योजना ग्रामीण स्तर पर जीवन स्तर सुधारने के लिए संसाधन विकसित करने का प्रयास करेगी । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के नागपुर, भण्डारा जिलों और मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित मॉयल खानों के आस–पास 21 गावों को चिन्हित किया गया हैं ।

पर्यावरण संरक्षण:

- कंपनी ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण, सामुदायिक हॉल्स, स्कूलों की मरम्मत, और पौधरोपण के लिए सहयोग, इत्यादि विभिन्न बुनियादी विकास कार्यों का जिम्मा लिया है।

17.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड ने सीएसआर पहल के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए खर्च किया है :

- गरीब तबके के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर, कॅप्यूटर्स इत्यादि की खरीददारी।
- पश्चिम बंगाल में शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण ।
- प्राथमिक स्कूल भवन की मरम्मत और जीर्णोद्धार ।
- पेयजल के लिए ट्यूबवेल्स की स्थापना ।
- प्राथमिक स्कूल के गरीब बच्चों और गरीब ग्रामवासियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल चिकित्सा वैन और अन्य चिकित्सा यंत्रों की खरीद।

17.7 फेरो स्क्रैप निगम लि. (एफएसएनएल)

कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष में, विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उपधारा (1) के तहत यथा वर्णित लगातार तीन वित्त वर्षों के मानक को यदि कोई कंपनी पूरा नहीं करती तो उस कंपनी पर उपरोक्त लागू नहीं होता। किसी वर्ष विशेष में सीएसआर कोष खर्च न होने/उपयोग में न आने की स्थिति में उसे अगले वर्ष में डाल दिया जाता है अर्थात् सीएसआर बजट कभी लैप्स नहीं होता। सीएसआर बजट का कम से कम 75 प्रतिशत परियोजनाओं पर खर्च होना अनिवार्य है और अन्य गतिविधियों पर अधिकतम 20 प्रतिशत ही आवंटित किया जा सकता है। सीएसआर समिति (निदेशक मंडल स्तरीय) द्वारा सीएसआर और स्थायी विकास गतिविधियों के लिए आवंटित की जाने वाली राशि की सिफारिश करती है। बजटीय आवंटन का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

17.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन 60' के दशक से आसपास के इलाकों में ग्रामीण/सामुदायिक विकास क्रियाकलाप संचालित कर रहा है। वर्ष 1976 में, एक समर्पित समूह का गठन किया गया तथा उसका नाम "सामुदायिक विकास समिति (सीडीसी)" रखा गया तथा उसे 'निगमित सामाजिक दायित्व' के क्रियाकलापों की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया। तत्पश्चात्, वर्ष 2010 में, संगठन के

सीएसआर क्रियाकलापों का समन्वय आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों से लिए गए अन्य कर्मचारियों के सहयोग से करने के लिए 'सीएसआर प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई।

वित्त वर्ष 2016–17 में मेकॉन द्वारा संचालित प्रमुख विकास क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

स्वच्छता

- झारखण्ड के खूंटी जिले में अनमोल बसेरा (नक्सल–प्रभावित गांव–सुंगी) में अनाथ आश्रम में लड़कों के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया ।
- झारखण्ड, रांची के खूंटी जिले में पसरा टोली (नक्सल–प्रभावित गांव–पंचा) में शौचालय का निर्माण प्रगति पर है।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं :

- अपनाए गए गांव –पंचा, तहसील,–बुण्डु, जिला–रांची में आंगनवाड़ी केन्द्र की उन्नति ।
- नए अखरा का निर्माण और छत के स्लैब का निर्माण और अपनाए गए गांव –पाण्डु टोली, तहसील–नगरी, जिला–रांची, के सामुदायिक भवन का कार्य समाप्ति की ओर है ।

स्वास्थ्य देखभाल निवारक सेवाएं :

- झारखण्ड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन और दवाइयां वितरण। 64 चिकित्सा शिविरों में लगभग 4530 मरीज कवर किए गए ।
- परियोजना स्माइलः अपोलो अस्पताल, विशाखापट्टनम में 10 गरीब/दलित/जरूरतमंद मरीजों की कटे होंठ और तालू सर्जरी की गई ।

शिक्षा

- रांची (झारखंड) और उसके आसपास के स्लम क्षेत्र/पिछड़े इलाकों में 13 साक्षरता केन्द्रों में गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन केन्द्रों में करीब 350 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
- सरकारी स्कूल – मिडिल स्कूल, गांव नगरी, जिला – रांची, को ''विद्यालय चलें चलाएं अभियान'' के अंतर्गत खेल का सामान प्रदान किया गया ।

महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास

- झारखंड के स्लम/पिछड़े इलाकों के 10 केन्द्रों में निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन केन्द्रों में 140 विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक केन्द्र को सिलाई मशीनें तथा प्रैक्टिस के लिए कपड़ा/अन्य अपेक्षित साजो–सामान दिया जाता है।
- ऐसे पिछड़े युवाओं को, जो उच्च शिक्षा जारी नहीं रख सकते, निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए रांची में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है। यह संस्थान नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के साथ सम्बद्ध है। वर्तमान में, संस्थान पांच प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित करता है – रेडियो और टीवी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, वैल्डिंग टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और योग।

दिव्यांग (दृष्टि एवं शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए) लोगों के लिए परियोजनाएं

- कॉल सेंटर ऑपरेशन के लिए ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, रांची की दृष्टि दिव्यांग बालिकाओं को प्रशिक्षण।

वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, इत्यादि के लिए परियोजनाएं

- रांची जिले के नागरी गांव में वृद्धाश्रम में टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण।

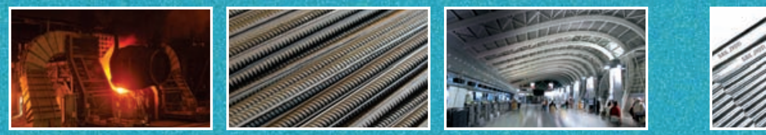

17.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए 43.50 लाख रुपये रखे हैं। सीएसआर के तहत कुछ प्रमुख क्रियाकलाप निम्न प्रकार हैं:

शिक्षा

- बीपीएल से संबंधित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकारी उच्च विद्यालयों में गरीब/गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 20 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चिन्हित किया गया ।
- लगभग 400 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना जो समाज में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, केआईओसीएल उन्हें शिक्षा सामग्री जैसे स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, पुस्तकें इत्यादि प्रदान करता है ।
- शासकीय पीयू कॉलेज कावूर, मंगलौर में कॉलेज भवन का नवीनीकरण और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। लगभग 170 गरीब विद्यार्थी इस परियोजना का लाभ उठाते हैं ।
- केशव शिशु मंदिर, विद्या नगर, कुलाई—मंगलौर में वर्तमान भवन के लिए बुनियादी सुविधाएं, नवीनीकरण और पुनर्सज्जा करना ।

पेय जल और स्वच्छता

- कर्नाटक के करवर जिले में कुम्बरवड़ा और उलावी गांवों में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र (दो) की स्थापना।
- कुलुर उच्चतर प्रायमरी स्कूल और हाई स्कूल, मंगलौर के लिए स्टेनलेस स्टील का पेयजल शोधन प्रणाली के साथ भण्डारण सह वितरण इकाईयां प्रदान करना ।
- पुरी जगन्नाथ मंदिर में तीर्थ करने वालों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए केआईओसीएल रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ शुद्ध पीने के पानी की सुविधा प्रदान करता है ।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान को बढ़ावा देने के लिए, केआईओसीएल चन्द्रकांता एडेड हायर सेकेण्डरी स्कूल, नूरलबेट्टू गांव, करकला ताल्लुक में शौचालय ब्लॉक का निर्माण कर रहा है ।
- शासकीय हायर प्रायमरी स्कूल, पंजीमोगारू, मंगलौर में स्कूल की इमारत के अंदर से लड़कों को नया पहुंच मार्ग प्रदान करने और लड़कियों के लिए शौचालय ब्लॉक का नवीनीकरण/मरम्मत का काम लिया है ।
- कलियापानी, ओडीशा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण ।
- बंगलूरू, मंगलौर और चिकमंगलूर जिलों में विगत वर्षों के दौरान स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत स्कूलों में निर्मित शौचालयों को स्थायी बनाये रखने के लिए, केआईओसीएल ने तीन वर्षों की अवधि के लिए इन शौचालयों के रख—रखाव की जिम्मेदारी ली है।

स्वास्थ्य देखभाल

- समाज के गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में रहने वाले परिवारों को कलियापानी, ओडीशा में चिकित्सकीय सहायता।
- निःषुल्क दवाइयों के वितरण और चिकित्सा शिविरों के द्वारा कुद्रेमुख और मंगलौर में समाज के गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चिकित्सा सहायता ।

17.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ओएमडीसी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति और सामुदायिक विकास जैसे सीएसआर कार्यों पर जोर देता है। सीएसआर कार्य डीपीई के दिशा—निर्देशों के अनुसार किये जाते है।

सामुदायिक शौचालयों का निर्माण उड़ीशा के देनकनाल जिले में कामाख्या नगर के अधिसूचित क्षेत्र परिषद और भूबन के अधिसूचित परिषद में पूरा हो गया है तथा उड़ीशा सरकार को सौंप दिया गया है।

ओएमडीसी भवन निर्माण करके, अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करके, फर्नीचर एवं स्कूल बसें प्रदान करके तथा स्वरोजगार हेतु महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान करके सहायता प्रदान करता है।

अध्याय–XVIII

इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान

18.1 प्रस्तावना

इस्पात क्षेत्र में कामगारों की तकनीकी कुशलता को लगातार निखारने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थानों के सराहनीय कार्य एवं योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है:

18.2 बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्यबल द्वारा विकसित अवधारणा योजना के आधार पर पुरी में एक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (एनएसआई) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसे एक प्रशिक्षण–सेवा–शोध एवं विकास केन्द्र के तौर पर स्थापित किया गया है। यह संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 से काम करना शुरू किया। जेपीसी के चेयरमैन ही बीपीएनएसआई के चेयरमैन भी हैं। इसकी स्थापना वैश्विक एवं भारतीय इस्पात उद्योगों में हो रहे तेज बदलाव के अनुरूप घरेलू द्वितीयक इस्पात उद्योग को ढालने में मदद देने के उद्देश्य से की गई थी। मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2004 को जेपीसी के पूंजीगत मदद से पुरी में एक पूर्णकालिक संस्थान के तौर पर बीपीएनएसआई की स्थापना किए जाने को मंजूरी दी। वर्ष 2025–26 तक परिकल्पित 300 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए क्षमता निर्माण की ओर एक पहल के रूप में, बीपीएनएसआई के उन्नयन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि यह लोहा और इस्पात उद्योग के लिए शैक्षणिक आधार–स्तंभ प्रदान कर सके। इस संस्थान का उन्नयन केन्द्र सरकार, ओडीशा राज्य सरकार और इस्पात उद्योग सभी के मिले–जुले प्रयास से होगा। ओडीशा राज्य सरकार ने पहले ही बीपीएनएसआई के उन्नयन के लिए 300 करोड़ रुपये के योगदान और इसके लिए जरूरी जमीन मुफ्त देने का वायदा कर लिया है ।

टास्क फोर्स सभी आधुनिक सुविधाओं से लगभग 1500 छात्रों के एक परिसर तैयार करने का प्रस्ताव किया है। नवंबर 2016, ओडिशा सरकार के इस्पात मंत्री ने केंद्रीय इस्पात मंत्री के साथ एक बैठक की थी और BPNSI का उन्नयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विचार–विमर्श किया। बाद में, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर मेकॉन BPNSI के उन्नयन के लिए एक अध्ययन में लगे हुए है और एक व्यवहार्यता रिपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट आगे लेने के लिए तैयार करते हैं।

18.3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

गौण इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन की जरूरत लंबे समय से अनुभव की जाती रही है। जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) या प्रेरण फर्नेस (IF) और रोलिंग इकाइयों के साथ स्टील मेल्टिंग इकाइयों लंबे समय के बाद महसूस की गई है। सन् 1984 में इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित स्टील रोलिंग इंडस्ट्रीज से संबद्ध सलाहकार समिति ने भी ऐसी ही राय प्रकट की थी। भारत सरकार ने भी उसी की आवश्यकता व्यक्त की। तदनुसार, द्वितीयक इस्पात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। तदनुरूप, 18 अगस्त, 1987 को तत्कालीन लोहा एवं इस्पात विकास आयुक्त एवं वर्तमान रूप से इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसायटी के तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी का निम्न ध्येय और उद्देश्यों के लिए गठन किया गया:

एनआईएसएसटी के ध्येय और उद्देश्य

- अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों का संचालन करते हुए एवं उनका ज्ञान आधार निरंतर उन्नत बनाते हुए द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध करना।
- सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करते हुए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता लाना ।
- विभिन्न औद्योगिक सेवाएं और परीक्षण सुविधाएं मुहैया करना ।
- प्रौद्योगिकीय समस्याओं के निदान, ऊर्जा दक्षता सुधारने एवं प्रदूषण स्तर घटाने की दृष्टि से उद्योगों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना ।
- इस क्षेत्र को अद्यतन टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और डिजायन कार्य का संचालन करना ।

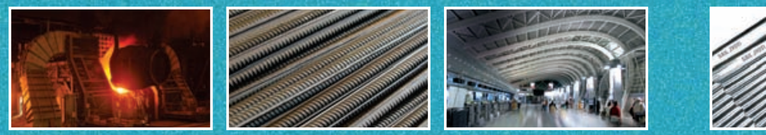

- उद्योग को डाक्यूमेंटेशन और सूचना प्राप्ति सेवाएं सुलभ करना ।
- उद्योग और शैक्षणिक के साथ–साथ अनुसंधान संस्थानों में परस्पर विचार–विनिमय के लिए एक मंच प्रदान करना ।

इस संस्थान के क्षेत्राधिकार में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के निम्न क्षेत्र आते हैंः

- वैद्युत आर्क और इन्डक्शन भट्टियां
- लैडल रिफाइनिंग
- रोलिंग मिलें (हॉट और कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट

वर्ष 2016 के दौरान संस्थान द्वारा हासिल उपलब्धियां और की गयी पहल निम्नानुसार हैंः

- एनआईएसएसटी ने सीएलएल के द्वारा प्रायोजित नौसिखिये के लिए फोर्जिंग.काले लोहार का काम और पीस मशीनरी का काम दो ट्रेडों में पटना और रोहतास में आईआईआईएम कोलकाता के साथ कौशल विकास कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल 124 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया और सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण–पत्र दिए गए।
- एनएमडीसी आयरन एंड स्टील (एनआईएसपी) नागरनारए छत्तीसगढ़ के भूमि हारों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के संचालन के लिए समझौते के ज्ञापन एनएमडीसी और एनआईएसएसटी छत्तीसगढ़ के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- मैटलर्जिकल और यांत्रिक परीक्षण विभिन्न सरकारी एजेंसियों/भवन निर्माताओं/नियमित आधार पर सेवा प्रदाताओं के लिए आयोजित किया गया है।
- एनआईएसएसटी लगातार माध्यमिक इस्पात क्षेत्र के गुणवत्ता सुधारने के लिए, उपज, मूल्य संवर्धन और लागत में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
- मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों/अंदरूनी प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को सुधारने के लिए निरंतर मानव संसाधन विकास गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।
- देश के विभिन्न भागों में इस्पात उद्योग के लिए संगोष्ठियां, अंदरूनी प्रशिक्षण, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गयीं ।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा एनआईएसएसटी को अपने अर्हक तथा पंजीकृत ऊर्जा लेखापरीक्षकों के जरिए ऊर्जा लेखापरीक्षण करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्र की सेवा में ऊर्जा संरक्षण हेतु उपायों का सुझाव देने के साथ, उद्योगों तथा भवनों का ऊर्जा लेखा परीक्षण किया जा रहा है।
- एनआईएसएसटी ने नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) से प्रमाणन (एक्रेडिटेशन) प्राप्त कर लिया है । राष्ट्रीय संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी (NISST) मंडी गोबिंदगढ़ के तीन साल से आयरन एंड स्टील से संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार विशिष्ट उत्पादों के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में 15 टेस्ट शुरू करने के लिए सम्मानित किया गया।
- संस्थान अनुसंधान एवं विकास उत्पादए प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के विकास पर आर एण्ड डी परियोजना भी चला रहा है। अतीत में इस तरह की दो परियोजनाओं को पूरा कर लिया है और कंप्यूटर सिमुलेशन और भट्टियों पुनः गर्म किए जाने का ई.प्रदर्शन' परियोजना को वर्तमान में किया जा रहा है।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजना शीर्षक इंडक्शन फर्नेस गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन के लिए उपयुक्त पिघलने के लिए लागत प्रभावी दुर्दम्य अस्तर सामग्री का विकास प्रगति पर है
- इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत निम्नलिखित दो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं सक्रिय रूप से विचार में हैंः
    - ''एसएएफ में एक लागत सुरंग भट्ठा में क्रोमाइट अयस्क की पूर्व कमी के लिए प्रभावी हरित प्रौद्योगिकी और हाई कार्बन फेरो क्रोम के उत्पादन के विकास''
    - ''सुरक्षित हैंडलिंग और स्क्रैप के पूर्व हीटिंग बिक्री के लिए अपशिष्ट गैसों का उपयोग कर और एसएमई में पिघलती स्टील का कम कार्बन उत्सर्जन''
- एनआईएसएसटी इस्पात उत्पादों से संबंधित विभिन्न मानकों को तैयार करने/संशोधन करने हेतु विभिन्न बीआईएस मानकीकरण समितियों में भी प्रतिनिधित्व करता है। एनआईएसएसटी कोयला मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय की विभिन्न तकनीकी समितियों का भी सदस्य है ।

- डीआईपीपी के तहत केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी (सीसीआईएस) दावों पर विचार करने के लिए, एनआईएसएसटी पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेष प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी) 2007 का एक अग्रणी सदस्य है ।

फाउंड्रीज, इस्पात उत्पादन और रोलिंग प्रौद्योगिकियों में क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए, एनआईएसएसटी और एमएसएमई संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं ।

18.4 इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवेलपमेंट एंड ग्रोथ (इंसडैग)

- आईएनएसडीएजी को इस्पात निर्माण संस्थान, यूके के साथ एक पंक्ति में निर्माण में इस्पात की गहन संरचनाओं को बढ़ावा देने और गोष्ठी, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनों और प्रकाशनों को बाहर लाने के माध्यम से इस्पात संबंधी जानकारी का प्रसार करने के लिए इस्पात और भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा उन्नत किया गया था।
- इस्पात उत्पादकों के अलावा शिल्पकार, संरचनात्मक यंत्री, डिजाइनर, निर्माता, शैक्षणिक संस्थानों और विद्यार्थियों (आर्किटेक्ट और सिविल यांत्रिकी) की शामिल कुल आधारभूत सदस्यता 31/12/2016 तक 300 छात्र सदस्यों सहित 800 है ।
- वर्ष के दौरान आईएनएसडीएजी द्वारा तीन तकनीकी किताबें प्रकाशित की गईं (क) गाइडबुक ऑन वेल्डिंग एण्ड फेब्रिकेषन, (ख) गाइडबुक ऑन यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील इन कंस्ट्रक्षन, (ग) आईएनएसडीएजी ईयरबुक और (घ) इस्पात की उन्नति के लिए कई रिपोर्ट और अखबार ।
- स्थानीय यंत्रियों, षिल्पकारों और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के द्वारा इस्पात के लाभ और सुदृढ़ीकरण छड़ों के इस्तेमाल और अन्य सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले इस्पात के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात अभियान का आयोजन किया। सेल, टाटा स्टील, आरआईएनएल और जेएसडब्ल्यू के साथ मिलकर आईएनएसडीएजी द्वारा अब तक, इस तरह के 56 प्रशिक्षण कार्यक्रम 2994 स्थानीय यंत्रियों, शिल्पकारों और राजमिस्त्रियों के लिए संचालित किए गए। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखत हैः

वित्तीय वर्ष	कार्यक्रमों की कुल संख्या	द्वारा आयोजित	उपस्थित नहीं
2015–2016	6	सेल	615
2016–2017	7	सेल, आरआईएनएल	578

- स्टील के साथ मॉडल ग्रामीण घरों, पुलिया, आंगनबाड़ी पंचायत हॉल, सामुदायिक शौचालय, आदि की डिजाइन विकसित की गई। आईएनएसडीएजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संरचनाओं पर संक्षिप्त डिजाइन के प्रकाशनों को बाहर लाया है और स्थानीय भाषाओं हिन्दी, तेलुगु और बंगाली में अनुवाद किया और सभी राज्यों की पंचायतों को वितरित किया है ।
- आईएनएसडीएजी ने कम लागत के आदर्ष मकान बेलनाकार इस्पात फ्रेम और फेरो–सीमेंट पैनल छत के रूप में और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में छतों को विकसित किया है । इस प्रकार के घरों की लागत 750/–रूपए प्रति वर्ग फुट होगी।
- निर्माण के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर आगे प्रोत्साहन देने के लिए, आईएनएसडीएजी सूक्ष्म और लघु और कपड़ा उद्योगों, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ पश्चिम बंगाल के 6 जिलों (कूचबिहार, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मालदा, पश्चिम मेदिनीपुर व पूर्व मेदिनीपुर) में समन्वय कर रही है। आगे विकसित करने के लिए 30 और सीएफसी चिन्हित किए गए हैं। आईएनएसडीएजी प्रारंभिक चरण में नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट (डीएसआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूर्ण किया है। अब चयनित केन्द्रों को औद्योगिक सूमहों की स्थापना के लिए हाथ पकड़कर समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
- इस्पात आधारित संरचनाएं बनाने के मूल विषय पर इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों एक सिविल और स्ट्रक्चरल विद्यार्थियों के लिए और दूसरा आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आईएनएसडीएजी भी पेशेवरों के लिए किसी भी पिछले वर्ष से प्रतिष्ठित इस्पात संरचनाओं के लिए प्रति वर्ष अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन करता है।
- तकनीशियनों और निर्णयकर्ताओं के लिए इस्पात संबंधी विषयों पर विभिन्न विषय के पाठ्यक्रम/व्याख्यान संचालित करता है। आई एस 800:2007 (सीमा राज्य विधि) के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल –पेशेवरों और प्राध्यापकों के लिए।

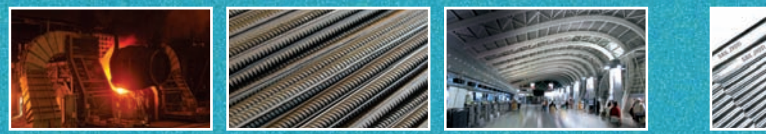

- नया कोड और अधिक तर्कसंगत और व्यावहारिक हैं ।
- संरचनात्मक डिजाइनरों के लिए नई अवधारणा ।
- सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ गठबंधन ।
- परिचियात्मक और उन्नत प्रषिक्षण प्रदान करना ।
- थ्योरी स्पष्टीकरण और हल किए हुए उदाहरण ।

2016–17 के दौरान 103 पेशेवरों और प्रध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है ।

- कक्षा व्याख्यान देने, इस्पात आधारित परियोजना प्रायोजित करने और सम्मेलनों और संगोष्ठियों के संयुक्त रूप से आयोजन द्वारा दोनों शैक्षिक संस्थानों सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ बातचीत।
- आईएनएसडीएजी ने जंग मानचित्र बनाया और देश में पहली बार इस्पात संरचनाओं की निष्क्रिय आग अशुद्धि जांच का सत्यापन कराया और पेशेवरों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ।
- आईएनएसडीएजी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का एक सदस्य है लगातार नए कोड की आवष्यकता का आंकलन कर रहा है और इस्पात आधारित निर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यह भी पुराने लोगों को अपडेट भी कर रहा है।
- प्रारूप आई एस 808 (गरम लपेटी हुई इस्पात किरण, कॉलम, चैनल और कोण वर्गों का आयाम) बीआईएस को प्रस्तुत किया।
- संशोधन आईएस 11384 – सामान्य निर्माण के लिए समग्र निर्माण के लिए अभ्यास का कोड – संशोधन 11,384 है। प्रारूप का भाग सीईडी 38 को टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया ।
- आई एस 801 (ठण्डे रूप में इस्पात) प्रारूप बीआईएस को प्रस्तुत किया है । बीआई एस ने सूचित किया है कि एक विषेशज्ञ पैनल के साथ डॉ. एस. अरूल जयचंद्रन –आईआईटी, मद्रास कोड का अंतिम प्रारूप तैयार कर रहा है ।
- आईएनएसडीएजी तीन महत्वपूर्ण कोड में संषोधन पर काम कर रहा है, जैसे आईएस 2830 (सामान्य संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए इस्पात में फिर से घूमने के लिए कार्बन इस्पात बिलेट की सिल्लियां, बिलेट, ब्लूम्स और स्लैब), आईएस 15911 (संरचनात्मक इस्पात–साधारण गुणवत्ता) है और आईएस 2062 है एमडीटी–4 समिति से ।

इस्पात की मांग बढ़ाने के लिए आईएनएसडीएजी द्वारा हाल में की गई पहल

- स्थानीय यंत्रियों, षिल्पकारों और राजमिस्त्रियों को प्रषिक्षण देने के द्वारा इस्पात के लाभ और सु.ढ़ीकरण छड़ों के इस्तेमाल और अन्य सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले इस्पात के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात अभियान का अयोजन किया। वर्तमान वर्ष 2017 तक सेल के सहयोग से आरआईएनएल ने 578 उम्मीदवारों के लिए सात ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए।
- स्टील के साथ मॉडल ग्रामीण घरों, पुलिया, आंगनबाड़ी पंचायत हॉल, सामुदायिक शौचालय, आदि की डिजाइन विकसित की गई।
- आईएनएसडीएजी ने कम लागत के आदर्श मकान बेलनाकार इस्पात फ्रेम और फेरो–सीमेंट पैनल छत के रूप में और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में छतों को विकसित किया है।
- निर्माण के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर आगे प्रोत्साहन देने के लिए, आईएनएसडीएजी सूक्ष्म और लघु और कपड़ा उद्योगों, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) विकसित करने के लिए पष्चिम बंगाल सरकार के साथ पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में समन्वय कर रही है। आगे विकसित करने के लिए 30 और सीएफसी चिन्हित किए गए हैं।
- इस्पात आधारित संरचनाएं बनाने के मूल विषय पर इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों की एक सिविल और स्ट्रक्चरल विद्यार्थियों के लिए और दूसरा आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रतियोगिता का आयोजन आईएनएसडीएजी द्वारा किया गया।
- तकनीशियनों और निर्णयकर्ताओं के लिए इस्पात संबंधी विषयों पर विभिन्न विषय के पाठ्यक्रम/व्याख्यान संचालित कर रहा है और आई एस 800:2007 (सीमा राज्य विधि) के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यल विकसित करने के द्वारा । 2016–17 के दौरान 103 पेशेवरों और प्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।
- विभिन्न प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईएनएसडीएजी सिविल/मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इस्पात के उपयोग पर कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। 2016–17, में इस प्रकार की 8 कार्यशालाएं (प्रत्येक 3–दिन) 665 विद्यार्थियों के साथ आयोजित की गईं।

अध्याय–XIX

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

19.1 प्रस्तावना

प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और देश का सुशासन करने के ध्येय से, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 15 जून, 2005 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और देश में सुशासन की व्यवस्था करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुरक्षित करना भी है ताकि हर नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त कर सके। फलस्वरूप, ऐसी सूचना की जानकारी देना सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों का दायित्व हो गया है ।

19.2 इस्पात मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन और इसकी निगरानी के लिए अवर सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया गया है। इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव/सहायक निदेशक (राजभाषा)/सहायक औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष स्तर, के अधिकारी को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पदनामित किया गया है और इस्पात मंत्रालय के निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक (राजभाषा)/उप औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर पदनामित किया गया है। मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों और अन्य संगठनों में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रगति/क्रियान्वयन पर भी नज़र रखता है। 17 मदों के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकारी/केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों, सहायक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने भी 17 मदों के मैनुअल अपने संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी हैं और संबंधित जन सूचना अधिकारियों/सहायकजन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी नामित कर दिये हैं। ऑन लाइन फाईलिंग के लिए वेबपोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा शुरू किया गया है तथा इस्पात मंत्रालय 25.06.2013 से ऑनलाईन वेबपोर्टल का एक भाग है। वर्ष 2016–17 (31 दिसंबर, 2016 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय को भौतिक रूप सें 147 ऑफलाईन आरटीआई आवेदन तथा आरटीआई वेबपोर्टल पर 256 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें नियत अवधि में विधिवत निपटा दिया गया।

19.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए अपने प्रत्येक संयंत्र और इकाई में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 19 (1) के तहत जन सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों एवं पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति की है। सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है ।

सेल के लिए एक अनन्य आरटीआई पोर्टल तैयार करके सेल की वेबसाइट पर इसका लिंक उपलब्ध कर दिया गया है। सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों ने 17 मैनुअल, इस अधिनियम के तहत प्राधिकारियों का विवरण सेल की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध कराया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की तिमाही विवरणियां, वार्षिक विवरणियां सीआईसी पोर्टल के जरिये ऑनलाइन भेजा जा रहा है । सेल में ऑनलाइन आवेदन कार्यान्वित करने की शुरुआत 1 मई, 2015 से हुई है। सेल की वेबसाइट पर कॉरपोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों की रिकॉर्ड प्रतिधारण नीति का संकलन भी अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीआईसी, डीओपीटी के सर्कुलर्स और हाई कोर्ट के मामलों का संकलन भी सेल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

1.4.2016 से 31.12.2016 की अवधि के दौरान कम्पनी में कुल 2607 आवेदन और 471 अपील आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुईं और सभी का निपटारा आरटीआई अधिनियम के अनुसार नियत समय–सीमा में किया गया। सीआईसी ने 81 मामलों को लिया और सीआईसी द्वारा इन सबका भी निपटारा सेल के पक्ष में किया गया ।

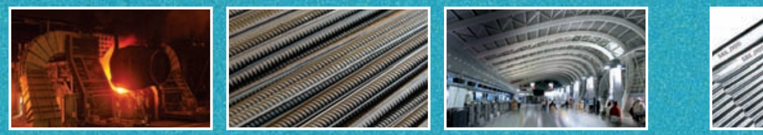

19.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरटीआई के 17 मैनुअलों में उपलब्ध सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) की अपेक्षा के अनुरूप कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की तिमाही विवरणियां, वार्षिक विवरणियां नियमित रूप से सीआईसी पोर्टल पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

आरआईएनएल को 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 463 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सभी अनुरोधों और अपीलों का निपटान समय सीमा के भीतर कर दिया गया है।

19.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत सूचना को अपनी वेबसाइट www.nmdc.co.in पर प्रकाशित किया है। सूचना मांगे गए प्रारूप में अधिकतम सीमा तक और आवश्यक होने पर स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराई जाती है। अपैल, 2016 से दिसंबर, 2016 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

01.04.2016 को लंबित आवेदन	01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2016 को लंबित आवेदन
03	67	70	0

19.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने अपने निगमित कार्यालय में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की हैं और इसकी सभी खनन इकाइयों में भी जन सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस अधिनियम के तहत कार्यपालक निदेशक (तकनीकी) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/नामित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर सभी जन सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं। आरटीआई अधिनियम के अनुच्छेद 4 (1) (ख) के तहत यथा निर्धारित 17 शीर्षों के अंदर कम्पनी, इसके कर्मचारियों इत्यादि के संबंध में सूचना तैयार की गई है और उसे कम्पनी के पोर्टल पर डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक सूचना तथा विवरणियां प्रस्तुत करता है और इसे नियमित रूप से अद्यतन करता है।

अपैल, 2016 से दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन, उनके निपटान का विवरण निम्नवत है:

01.04.2016 को लंबित आवेदन	01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2016 को लंबित आवेदन
03	52	52	03

19.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने मुख्यालय में एक अपीलीय अधिकारी, एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और एक नोडल अधिकारी नामित किया है । कंपनी के विभिन्न स्थानों पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में जन सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी हैं । आरटीआई आवेदनों का निपटारा करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है । सभी तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल की जाती हैं।

1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसबर, 2016 के दौरान कुल 35 आवेदन तथा 06 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई। इनमें से 31 आवेदन तथा सभी अपीलो का निपटान कर दिया गया। शेष 04 आवेदनों की निपटान प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीकरण सुविधा विकसित की गई थी। ऑनलाइन आरटीआई आवेदन/अपीलें https://rtionline.gov.in नामक आरटीआई वेब पोर्टल द्वारा प्राप्त हुई।

19.8 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने एक जन सूचना अधिकारी और एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति कारपोरेट कार्यालय में तथा अपनी सभी 8 यूनिटों में एक–एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है। प्रबंध निदेशक, एफएसएनएल आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। कम्पनी ने अधिनियम के अनुच्छेद 4 (1) (ख) के तहत यथापेक्षित 17 विभिन्न टेम्पलेटों/संहिताओं/स्वैच्छिक/स्व–प्रेरणा प्रकटन के लिए संहिताओं के तहत अधिनियम का

अनुपालन किया है तथा उसे कम्पनी की वेबसाइट "fsnl.nic.in" पर डाला है एवं इस प्रकार प्रकाशित सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। तिमाही रिपोर्टों को सीआईसी को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या 30 थी। इनमें से, 29 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

19.9 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने सूचना के अधिकार कानून, 2005 को लागू किया और इसके तहत मुख्यालय में एक मुख्य सूचना अधिकारी और विभिन्न इकाइयों में 16 सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उपर्युक्त कानून के प्रावधान के तहत अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। इस अधिनियम के अनुपालन में कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.hscl.co.in पर धारा 4 (1) (बी) के तहत 17 नियमावलियां डाली हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, इस अधिनियम के प्रावधान के तहत सूचना मांगने के लिए 79 आवेदन आए और उनका निपटारा किया गया।

19.10 मेकॉन लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 के सभी संगत मैनुअलों को 19 सितंबर, 2005 से मेकॉन की वेबसाइट www.meconlimited.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में नियुक्त किया गया है और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को विभिन्न क्षेत्रीय और स्थल कार्यालयों में नामित किया गया है। जनता की ओर से मेकॉन को मिलने वाले ऐसे आवेदनों को ये नामित अधिकारी निपटाते हैं और नियत अवधि में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा इसका जवाब दिया जाता है। संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक) को मेकॉन लिमिटेड में पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, वर्ष 2016–17 (दिसंबर 2016 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन एवं उनके निपटारे की स्थिति निम्नवत है:

01.04.2016 को लंबित आवेदन	01.04.206 से 31.12.2016 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2016 को लंबित आवेदन
04	44	45	03

19.11 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने निगमित कार्यालय में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है और अपने सभी संयंत्रों/अन्य इकाइयों में भी जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है । अधिनियम के तहत शीर्ष स्तरीय कार्यपालकों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी के नाम केआईओसीएल की वेबसाइट www.kioclltd.com पर दिये गये हैं। अधिनियम के अनुच्छेद (4) के उप–अनुच्छेद (1) की धारा (ख) में निर्धारित मैनुअल तैयार करने के दायित्व का अनुपालन कर लिया गया है और उसे केआईओसीएल के पोर्टल पर डाल दिया गया है तथा उसकी नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है तथा उसे अद्यतन किया जाता है।

01.04.2016 को लंबित आवेदन	01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2016 को लंबित आवेदन
शून्य	17	17	शून्य

19.12 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ये कम्पनियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन कर रही हैं। आरटीआई प्रश्नों की प्राप्ति एवं उत्तर देने के लिए एक जन सूचना अधिकारी व उप जन सूचना अधिकारी को नामित किया गया है।

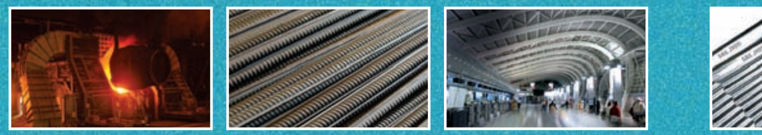

अध्याय–XX

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

20.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय को इस उद्देश्य हेतु अपना 10 प्रतिशत बजटीय आवंटन निर्दिष्ट करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

20.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

गुवाहाटी, असम में इस्पात प्रसंस्करण इकाई (एसपीयू) की स्थापना का प्रस्ताव सेल बोर्ड ने अप्रैल 2008 में सिद्धान्त रूप में मंजूर किया था। प्रस्तावित सुविधाओं तथा उत्पाद–मिश्र में 80,000 टन प्रति वर्ष टीएमटी बार मिल की परिकल्पना की गई है। गुवाहाटी आईआईटी के पास उत्तरी गुवाहटी में तिलिनगांव में इस परियोजना के लिए सेल को 7.97 करोड़ रुपये की लागत पर 31 एकड़ जमीन आबंटित कर दी गई है।

भूमि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। कंटीली तार युक्त चारदीवारी, सुरक्षा कक्ष एवं प्रवेश द्वार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य सरकार से मांगी गई रियायतें तथा हितलाभ अभी भी प्रतीक्षित हैं।

इसी बीच अक्तूबर 2015 में सेल द्वारा किए गए एक नए अध्ययन ने दर्शाया है कि गुवाहाटी में एसपीयू रूट के जरिए टीएमटी की रूपान्तरण व्यवस्था वाणिज्यिक दृष्टि से एक व्यवहार्य प्रस्ताव हो सकता है। तद्नुसार, मार्च 2016 में सेल ने इस परियोजना की लंबे समय तक अनुमति नहीं मिलने के कारण इसके लिए छूट और लाभ देने की बात असम सरकार के सामने उठाई है।

20.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न ग्राहकों की मांग की पूर्ति सीधे कोलकाता स्थित अपने शाखा बिक्री कार्यालय (बीएसओ) और गुवाहाटी तथा अगरतला में नियुक्त कंसाइन्मेंट बिक्री एजेन्टों (सीएसए) के मार्फत करती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विक्रय को बढ़ावा देने के लिए, बीएसओ, कोलकाता द्वारा क्षेत्र के परियोजना उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। आरआईएनएल सीधे कोलकाता स्थित अपने स्टॉकयार्ड और खुदरा विक्रेताओं और ग्रामीण डीलरों की मार्फत भी पूर्वोत्तर में हाइड्रो–इलेक्ट्रिक, सड़क और दूसरी परियोजनाओं को इस्पात उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है।

20.4 एमएसटीसी लिमिटेड

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) वन संसाधनों से परिपूर्ण है और पूरे देश के 22.21 प्रतिशत वन क्षेत्र यहीं हैं। यहां की कृषि पर्यावरणीय स्थिति विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों एवं मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देती है।

एमएसटीसी ने उत्तर पूर्वी राज्यों के उत्पादकों को सीधे बाजार तक पहुंच दिलाने के लिए एक ई–कॉमर्स सेवाओं की शुरुआत की है। एमएसटीसी एक इकोसिस्टम बनाने की राह पर है, जहां नार्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एनईआरएएमसी) (डीओएनईआर मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी) एग्रीगेटर के तौर पर काम करेगी एवं सामान उपलब्ध कराने वाली कंपनी सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) इसके लिए भंडारण, परिवहन और खरीददारों के घरों तक सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी लेगी। इसके अलावा सीआरडब्ल्यूसी के साथ–साथ अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसके पास छोटी और बड़ी नौकाएं है, नदी या समुद्र के रास्ते सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध करा सकती है।

इन कंपनियों की परिवहन और लौजिस्टिक अवसंरना, एमएसटीसी मेटल मंडी, एम3 पोर्टल के माध्यम से होने वाले लेनदेन के लिए पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लौह एवं अलौह धातुओं के उत्पादों को इसके उत्पादकों से खरीददारों तक पहुंचाएगी।

एमएसटीसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्य और केंद्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, रक्षा इकाइयों तथा अर्द्ध–सैनिक बलों के स्क्रैप का विक्रय करने का काम करती है। आमतौर पर इन इकाइयों का स्क्रैप स्थानीय व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है जिससे परोक्ष रूप से यह क्षेत्र लाभान्वित होता है।

20.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पूर्वोत्तर के त्रिपुरा राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भारत सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का गौरवपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है। एचएससीएल वहां पर एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से लेकर सड़कों के निर्माण के बाद 5 वर्षों तक उसके रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी उसी की है।

यह कार्य 250 से 1000+ से अधिक की आबादी सघनता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन सड़कों के निर्माण तथा विद्यमान सड़कों के उन्नयन के लिए त्रिपुरा सरकार के लोक निर्माण विभाग के तहत चरणों में एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में एचएससीएल द्वारा शुरू किया गया है। इसके कार्य में मृदा परीक्षण, सर्वेक्षण तथा निर्माण–उन्नयन के क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनमें सौंपने के बाद पांच वर्ष के लिए निर्मित सड़कों का अनुरक्षण शामिल है। एचएससीएल वर्तमान में दो जिलों – धलाई और उत्तरी जिले में कार्यरत है। त्रिपुरा में पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं का सारांश निम्न प्रकार हैः

कार्य का कुल मूल्य	:	885.72 करोड़ रुपए
पूर्ण कार्य का मूल्य	:	732.02 करोड़ रुपए
एनआरआरडीए द्वारा स्वीकृत संपर्क सड़क की संख्या	:	232
पूर्ण हुई संपर्क सड़क की संख्या	:	184
कुल लंबाई	:	1080.24 किमी
पूर्ण कार्य	:	741.86 किमी
पुलों की कुल संख्या	:	62
पूर्ण हुए पुलों की संख्या	:	52

पांच चरणों 4,5,6,7,8 एवं 9 के तहत त्रिपुरा के दो जिलों – उत्तरी तथा धलाई में पीएमजीएसवाई कार्य कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और कठोर पर्यावेक्षण के अधीन चल रहा है। 184 संपर्क सड़क जनता के लिए पहले ही खोल दी गई हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में कई अवसंरचनात्मक विकास की परियोजनाएं कंपनी के हाथ में है, जिसमें आईटीबीपी, एसएसबी, गृह मंत्रालय के अधीन एनडीआरएफ, युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन खेल सुविधाएं, एफसीआई के गोदाम, टीआईएसएस एवं एनआईईएलआईटी के लिए शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कला एवं संस्कृति प्रदर्शन केंद्र, आदि शामिल है।

पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के अलावा, एचएससीएल ने उदयपुर, कैलाशहर तथा कुलाई में तीन 150 बिस्तर वाले जिला अस्पताल और तेलियामूरा में संबद्ध सुविधाओं से युक्त 100 बिस्तर वाला अस्पताल सफलतापूर्वक पूरा करके सौंपा। पीडब्ल्यूडी के तहत फूलकुमारी में पॉलीटेक्नीक पूरी हो चुकी है तथा शहरी विकास निदेशालय के तहत जल निकासी कार्य भी अब पूरा होने वाला है।

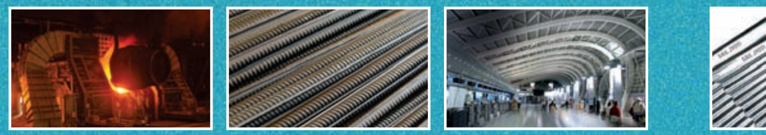

अध्याय–XXI

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस्पात के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक लाने एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं साझेदारी महत्वपूर्ण है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस्पात मंत्रालय ने लोहा एवं इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लिया, जिसका विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है:

- माननीय इस्पात मंत्री के साथ मोजामबिक के परिवहन मंत्री महामहिम इंज. कार्लोस अलबर्टो फोरटेस मैसक्यूटा की बैठक।
- दिनांक 27–30 अगस्त, 2016 के दौरान माननीय इस्पात मंत्री का लग्जमबर्ग और लंदन का दौरा।
- लक्जमबर्ग के उपप्रधानमंत्री तथा आर्थिक वित्त मंत्री श्री एटने श्नीदर के दिल्ली दौरे के समय 2 मार्च 2016 को माननीय इस्पात एवं खान मंत्री के साथ बैठक।
- 21–22 जनवरी 2016 को ट्यूनिशिया सरकार के ऊर्जा एवं खान मंत्री श्री मोंगी मार्जोक के नेतृत्व में आए शिष्ट मंडल के साथ माननीय इस्पात एवं खान मंत्री की बैठक।
- आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हरिन्दर सिंधू के साथ माननीय इस्पात एवं खान मंत्री की बैठक।
- 23–27 मई 2016 को डॉ. इदरिस जहरूदीन मोहम्मद के नेतृत्व वाले इथियोपियाई शिष्टमंडल के साथ संयुक्त सचिव (इस्पात) की बैठक।
- 20–23 जुलाई 2016 को रूसी संघ के पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री श्री अलेक्जेंडर गलुशका के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल के साथ माननीय इस्पात एवं खान मंत्री की बैठक।
- कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री जेम्स गोर्डन कैर के साथ इस्पात मंत्री की बैठक।
- उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल का आईसीवीएल, मोजाम्बिक का दौरा।
- इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों ने निम्न में भाग लिया:
  - (क) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग (आईयू–डब्ल्यूजीटीईसी) के ऊपर भारत–यूक्रेन के कार्यदल का तीसरा अधिवेशन।
  - (ख) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के ऊपर भारत–अजरबेजान अंतर–सरकारी आयोग (आईए–आईजीए) की चौथी बैठक।
  - (ग) आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक तकनीक एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत–बेलारूस अंतर–सरकारी आयोग की सातवीं बैठक।
  - (घ) जवाहर भवन में 21 जून 2016 को सचिव (पश्चिम) की अध्यक्षता में अंतर–मंत्रालीय बैठक।
  - (ड.) 29–30 सितंबर 2016 को भारत–ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र बैठक का चौथा अधिवेशन।

मोजाम्बिक परिवहन मंत्री एच.ई. इंजीनियर कारलोस अलबर्टो फोरटेस मेसक्वीटा का भ्रमण

अध्याय–XXII

भारतीय इस्पात उद्योग के लिए आगे का रास्ता

- साल 2016 में भी भारत ने विश्व के तीव्र वृद्धि वाली महत्वपूर्ण इस्पात अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाए रखा और वैश्विक इस्पात उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 2015 के 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 5.9 प्रतिशत हो गई। विश्व इस्पात उद्योग में भारत वृद्धि की प्रवृति का नेतृत्व करेगा और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनने के रास्ते पर है। साल 2015 में भारत और जापान के बीच उत्पादन का अंतर 16 मिलियन टन था, जो 2016 में घटकर 9 मिलियन टन हो गया।
- पांच महत्वपूर्ण दवाब वाले क्षेत्र हैं, जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। संक्षिप्त शब्द 'प्राइड' (पीआरआईडीई) इस्पात उद्योग के लिए आगे बढ़ने के रास्ते को प्रदर्शित करता है।
  - 'पी' (प्रोडक्शन) का मतलब उत्पादन एवं उत्पादकता
  - 'आर' (रिसर्च) का मतलब अनुसंधान एवं विकास
  - 'आई' (इंडिया मेड स्टील) का मतलब भारत में उत्पादित इस्पात
  - 'डी' (डिमांड) का मतलब इस्पात की मांग
  - 'ई' (एक्सिलेंस) का मतलब गुणवत्ता में उत्कृष्टता
- इस्पात मंत्रालय संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए इस्पात के फायदों के प्रदर्शन के लिए कदम उठा रहा है। जीवन चक्र विश्लेषण के माध्यम से इस्पात मंत्रालय यह दिखाएगा कि इस्पात संरचना अत्यधिक किफायती है और इससे ढांचा खड़ा किए जाने में समय कम लगता है। इस्पात सुविधाजनक डिजायन के साथ अत्यधिक टिकाऊ भी है। इस्पात मंत्रालय ने सभी संबंधितों को प्रतिरूप दिखाने एवं इस उद्देश्य के लिए इस्पात का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं।
- इस्पात मंत्रालय इस संदेश को पहुंचाने के लिए विपणन एवं ब्रांडिंग के सभी सभागारों का उपयोग करेगा। अल्युमिनियम, कंक्रीट, प्लास्टिक, ग्लास आदि उत्पाद विकल्पों की चुनौतियों का सामना करने का यही एक मात्र रास्ता है।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति के प्रारूप में इस्पात मंत्रालय का लक्ष्य अपनी क्षमता को दोगुना करके 300 मिलियन टन करना है। इसका मतलब है कि इसके लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करना पड़ेगा। इसके अलावा मंत्रालय का लक्ष्य प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाकर 160 किलोग्राम करना है।.
- इस्पात मंत्रालय उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव इस्पात और घरेलू स्तर पर उत्पादित विशेष इस्पात की संपूर्ण घरेलू मांग की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। ये उत्पाद भारत में आयात किए गए इस्पात का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- इस्पात मंत्रालय भारत में स्क्रैप आधारित इस्पात इकाई स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। यह अमेरिका के 'मेल्ट एवं मैनुफैक्चर' तकनीक पर आधारित होगा। स्क्रैप आधारित इस्पात इकाई पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा कुशल और किफायती होती है। इन इकाइयों में विशेष उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात बनाने की क्षमता होती है, जो इस्पात निर्माण की पहली आवश्यकता है। उत्तर एवं पश्चिम भारत के क्षेत्र स्क्रैप उपलब्धता और इस्पात आयात केंद्रों के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- एमएसटीसी–महिंद्रा इंटरट्रेड अत्याधुनिक ऑटो श्रेडिंग प्लांट साल 2018 में शुरू होने वाला है। भारतीय बाजार के पास ऑटो श्रेडिंग के लिए विशाल संभावनाएं हैं।
- भारतीय इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए इस्पात मंत्रालय का लक्ष्य काफी ऊंचा है और यह आंतरिक स्रोतों का उपयोग कर सबसे अलग समाधान एवं तकनीकों के उपयोग पर काम कर रही है।
- भारतीय इस्पात उद्योग अभी भी आयातित कच्चे माल और बेहतर इस्पात उत्पादों पर निर्भर है। अधिक कोयला वॉशरीज की स्थापना करके घरेलू कोकिंग कोयला के इस्तेमाल को बढ़ाने की संभावनाएं हमारे पास हैं और इस्पात मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है।
- इस्पात मंत्रालय अपने सभी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को सार्वजनिक–निजी भागीदारी के तहत एक साथ एसआरटीएमआई (स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया) के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहा है।

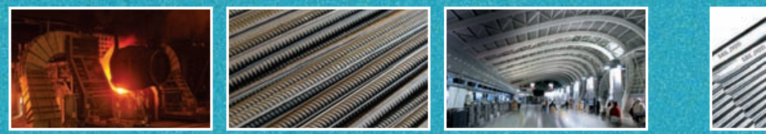

- इस्पात मंत्रालय इस्पात आधारित संरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए नियामकों, परामर्शों एवं कुछ ऐसे ही अन्य कदमों के माध्यम से इस्पात के उपयोग करने वाले विविध मंत्रालयों के सतत संपर्क में है। इस्पात मंत्रालय पहाड़ी राज्यों के साथ क्रैश बैरियर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत कर रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रायल ने पहले ही ग्रामीण बसावटों में इस्पात आधारित संरचना के उपयोग की अनुशंसा कर दी है।

- इस्पात मंत्रालय इस बात का प्रयास कर रहा है कि 'भारतीय इस्पात' को वर्तमान सार्वजनिक खरीद विधेयक के आलोक में परिभाषित किया जाए। यह घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कंपनियों से इस्पात की खरीद को आवश्यक बनाएगा। दरअसल, इसका लक्ष्य परियोजनाओं के मूल्यांकन के समय अग्रिम कीमत की जगह निम्न जीवन चक्र कीमत पर ध्यान देना है।

- इस्पात मंत्रालय भारत में इस्पात की मांग को बढ़ावा देने की दिशा में सतत कार्य कर रहा है। जनवरी 2017 में एमओएस ने नव स्थापित इस्पात उपभोक्ता परिषद के साथ बैठक की थी। मंत्रालय ने भारत में बढ़ती इस्पात खपत के लिए माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सलाह मांगी थी तथा इसमें से कार्यान्वित किए जाने योग्य सलाहों के ऊपर मंत्रालय काम कर रहा है। एमओएस ने भारत में इस्पात खपत को बढ़ाने की रणनीति को प्रतिपादित करने के लिए चार कार्यबल एवं विशेषज्ञों व इस्पात उपयोकर्ताओं की समिति बनाई है।

- हमारा विशेष ध्यान कुछ क्षेत्रों जैसे बंदरगाह, सड़क, सस्ते मकान, भौतिक अवसंरचनाओं में इस्पात क्षेत्र के अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने का है।

- साल 2017–18 के बजट में आवास को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है और इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है, जिससे घरेलू इस्पात की मांग को पुनर्जीवन मिलने की उम्मीद है क्योंकि यह विनिर्माण श्रेणी के इस्पात (विशेषकर छत बनाने के उद्देश्य के लिए) की मांग को बढ़ावा देगा। वर्तमान में इस्पात की 40 प्रतिशत खपत विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में होती है और इस्पात मंत्रालय लंबे समय में इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना चाहता है।

- भारतीय इस्पात उद्योग को इसके अंतिम उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 100 प्रतिशत गुणवत्ता व्यवस्था प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए, इस्पात मंत्रालय अधिकांश उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणन होना आवश्यक करने के ऊपर काम कर रहा है।

- उपरोक्त सारे उपाय देश में इस्पात की मांग पैदा करने की विस्तृत रणनीति के एक हिस्से के तौर पर किए जा रहे हैं।

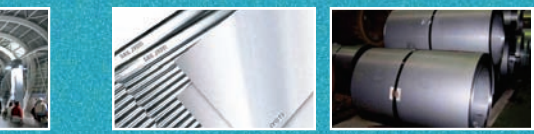

अनुलग्नक–I

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस्पात मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाइयों, रिरोलर्स, फ्लैट उत्पादों (हॉट/कोल्ड रोलिंग इकाइयों), कोटिंग इकाइयों, वायर ड्राइंग इकाइयों और शिप ब्रेकिंग समेत स्टील स्कैप प्रसंस्करण जैसी प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ लोहा और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए आयोजना, विकास और सहायता।

2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों एवं अन्य अयस्क खानों का विकास (मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कॉयनाइट और लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त अन्य खनिज, परन्तु इनमें खनन लीज या तत्संबंधित मामले शामिल नहीं हैं)।

3. लोहा और इस्पात एवं फेरो एलॉयज का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात एवं निर्यात।

4. निम्न उपक्रमों की सहायक कंपनियों समेत उनसे संबंधित मामले, नामतः

   (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);

   (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);

   (iii) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (केआईओसीएल);

   (iv) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड);

   (v) नेशनल मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन लि. (एनएमडीसी);

   (vi) मैटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि. (मेकॉन);

   (vii) जे एण्ड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईआईएल);

   (viii) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल);

   (ix) सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट;

   (x) मेटल स्क्रैप ट्रेंड कारपोरेशन (एमएसटीसी);

   (xi) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड; तथा

   (xii) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज।

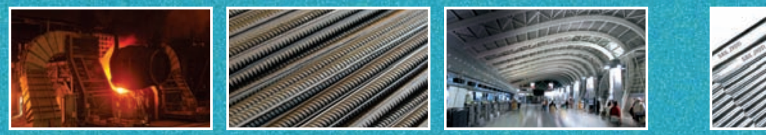

अनुलग्नक – II

इस्पात मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण

(उप सचिव स्तर तक)

इस्पात मंत्री	श्री बीरेन्द्र सिंह
इस्पात राज्य मंत्री	श्री विष्णु देव साय
सचिव	श्रीमती अरुणा शर्मा
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री सरस्वती प्रसाद
संयुक्त सचिव	श्री सुनील बड़थ्वाल श्री एस. अब्बासी श्रीमती उर्विला खाती श्री टी. श्रीनिवास
आर्थिक सलाहकार	श्री सूरज भान
मुख्य लेखा नियंत्रक	श्री भूपाल नन्दा
निदेशकगण	श्री अनुपम प्रकाश श्री महाबीर प्रसाद श्री के.एस. समरेन्द्र नाथ श्री मानवेन्द्र गोयल
उप सचिव/संयुक्त निदेशक	श्री नरेश कुमार वधवा श्री सुभाष भट्टाचार्य श्री ए.के. कैलू श्री शैलेश कुमार सिंह, सं. निदे. (रा.भा.)

अनुलग्नक – III

आईएसपी एवं अन्य उत्पादकों के उत्पादन का सारांश

('000 टन)

क्र.सं.	मद / उत्पादक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	अप्रै.–दिस. 2016–17*
उत्पादन						
I.	**कच्चा इस्पात :**					
	सेल, टीएसएल, आरआईएनएल ईएसएल, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल					
	ऑक्सीजन रूट	32999	35067	36610	36174	30932
	ई.ए.एफ. यूनिट्स	10037	9174	9473	8914	9444
	अन्य उत्पादक					
	ऑक्सीजन रूट	350	455	961	2221	1708
	ई.ए.एफ. यूनिट्स (कोरेक्स एवं एमबीएफ / ईओएफ सहित)	9345	9419	13652	15685	10111
	इंडक्शन फर्नेस	25685	27579	28283	26796	20154
	कुल (कच्चा इस्पात)	**78416**	**81694**	**88979**	**89790**	**72349**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	44.7%	45.3%	47.1%	47.3%	41.8%
II.	**कच्चा लोहा (बिक्री के लिए):**					
	सेल, टीएसएल, आरआईएनएल ईएसएल, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	674	552	920	1186	676
	अन्य उत्पादक	6196	7398	8774	8041	6396
	कुल (कच्चा लोहा)	**6870**	**7950**	**9694**	**9227**	**7072**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	90.2%	93.1%	90.5%	87.1%	90.4%
III.	**स्पंज आयरन:**					
	गैस आधारित	3940	2683	2354	2440	3695
	कोयला आधारित	19067	20189	21889	19987	14577
	कुल (स्पंज आयरन)	**23007**	**22872**	**24243**	**22427**	**18272**
	प्रक्रिया द्वारा प्रतिशत अंश (कोयला आधारित)	82.9%	88.3%	90.3%	89.1%	79.8%
IV.	**बिक्री के लिए तैयार इस्पात**					
	(मिश्र / गैर–मिश्र):					
	सेल, टीएसएल, आरआईएनएल ईएसएल, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	42466	45160	46820	48527	41565
	अन्य उत्पादक	47156	50417	53862	54376	39907
	घटाएं आईपीटी / स्वयं की खपत	7940	7902	8525	11923	7509
	कुल (तैयार इस्पात)	**81682**	**87675**	**92157**	**90980**	**73963**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	57.7%	57.5%	58.4%	59.8%	54.0%

स्रोतः जेपीसी, *अप्रै.–दिसं. (अनंतिम)

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन
(उत्पादकों द्वारा)

('000 टन)

उत्पादक	2012–13			2013–14			2014–15			2015–16			अप्रै.–दिसं. 2016–17*		
	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग
सार्वजनिक क्षेत्र															
बीएसपी	3925	5008	128	3925	5136	131	3925	4807	122	3925	5058	129	3925	3552	121
डीएसपी	1802	2034	113	1802	2019	112	1802	2063	114	1802	1975	110	1802	1571	116
आरएसपी	1900	2209	116	1900	2291	121	4400	2792	63	4400	2730	62	4400	2079	63
बीएसएल	4360	3757	86	4360	3776	87	4360	3831	88	4360	3392	78	4360	2318	71
आईएसपी	500	135	27	500	127	25	2500	141	6	2500	871	35	2500	1000	53
एएसपी	234	131	56	234	122	52	234	104	44	234	91	39	234	68	39
एसएसपी	180	73	41	180	91	51	180	125	69	180	120	67	180	83	61
वीआईएसएल	118	64	54	118	13	11	118	46	39	118	42	36	118	35	40
कुल (सेल)	13019	13411	103	13019	13575	104	17519	13909	79	17519	14279	82	17519	10706	81
आरआईएनएल	2910	3071	106	2910	3202	110	2910	3296	113	6300	3640	58	6300	2921	62
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र)	15929	16482	103	15929	16777	105	20429	17205	84	23819	17919	75	23819	13627	76
निजी क्षेत्र															
टाटा स्टील लि.	9600	8130	85	9600	9155	95	9600	9331	97	9600	9960	104	12400	8478	91
एस्सार स्टील लि.	8540	4163	49	8540	3245	38	8540	2854	33	10000	3685	37	10000	3927	52
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	14600	11230	77	14600	12227	84	14600	13136	90	16600	12679	76	16600	11803	95
जेएसपीएल	2400	3031	126	2400	2836	118	4000	3557	89	4850	3177	66	4850	2541	70
अन्य ईएएफ इकाइयां/	12010	9695	81	14697	9874	67	15888	14613	92	18802	15574	83	18801	11819	84
कॉरेक्स–बीओएफ/ एमबीएफ–इओएफ															
इंडक्शन फर्नेस यूनिट	33945	25685	76	36494	27579	76	36794	28283	77	38300	26796	70	38302	20154	70
कुल (निजी क्षेत्र)	81095	61934	76	86331	64916	75	89422	71774	80	98152	71871	73	100953	58722	78

स्रोतः जेपीसी, *अप्रै.–दिसं. (अनंतिम)

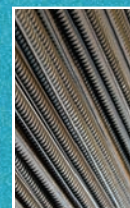

अनुलग्नक – V

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन (मार्ग द्वारा)

('000 टन)

श्रेणी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17*
ऑक्सीजन मार्ग					
बीएसपी	5008	5136	4807	5058	3552
डीएसपी	2034	2019	2063	1975	1571
आरएसपी	2209	2291	2792	2730	2079
बीएसएल	3757	3776	3831	3392	2318
आईएसपी	135	127	141	871	1000
एसएसपी	73	91	125	120	83
वीआईएसएल	64	13	46	42	35
आरआईएनएल	3071	3202	3296	3641	2921
टीएसएल	8130	9155	9331	9960	8478
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	8518	9257	10178	8385	8895
अन्य ऑक्सीजन मार्ग	350	455	961	2221	1708
कुल ऑक्सीजन मार्ग	**33349**	**35522**	**37571**	**38395**	**32640**
इलेक्ट्रिक मार्ग					
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस					
एएसपी	131	122	104	91	68
एस्सार स्टील लि.	4163	3245	2854	3685	3927
जेएसडब्ल्यू इस्पात लि./जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	2711	2971	2958	1961	2908
जिंदल स्टील एंड पावर लि.	3032	2836	3557	3177	2541
जिंदल स्टेनलेस लि.	1107	1111	1907	1258	952
भूषण स्टील लि.	-	1084	2180	3078	2315
भूषण पावर एंड स्टील लि.	-	1714	1213	1832	1410
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	8238	5510	8352	9517	5434
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसः	**19382**	**18593**	**23125**	**24599**	**19555**
इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेसः	**25685**	**27579**	**28283**	**26796**	**20154**
कुल इलेक्ट्रिक मार्गः	**45067**	**46172**	**51408**	**51395**	**39709**
कुल योगः	**78416**	**81694**	**88979**	**89790**	**72349**

स्रोतः जेपीसी, *अप्रै.–दिसं. (अनंतिम)

अनुलग्नक – VI

तप्त धातु का उत्पादन

('000 टन)

	संयंत्र	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17*
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र**					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	5202	5377	5072	5317	3771
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2241	2191	2297	2170	1810
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	2366	2538	3157	3042	2200
	बोकारो इस्पात संयंत्र	4124	4100	4253	3700	2511
	इस्को इस्पात संयंत्र	231	220	566	1431	1329
	विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	94	21	68	60	47
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	3814	3769	3780	3975	3230
	उप योग (क):	**18072**	**18216**	**19193**	**19695**	**14898**
ख.	**निजी क्षेत्र**					
	टाटा स्टील लिमिटेड	8858	9898	10164	10655	9542
	मिनी ब्लास्ट फर्नेस	21764	24342	27055	28353	23533
	उप योग (ख):	**30622**	**34240**	**37219**	**39008**	**33075**
	कुल (क+ख):	**48694**	**52456**	**56412**	**58703**	**47973**
	निजी क्षेत्र का % अंश	**62.9%**	**65.3%**	**66.0%**	**66.4%**	**68.9%**

स्रोतः जेपीसी, *अप्रै.–दिसं. (अनंतिम)

अनुलग्नक – VII

कच्चे लोहे का उत्पादन (विक्रय के लिए)						
						('000 टन)
	संयंत्र	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17***
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र**					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	14	0	3	0	0
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	3	38	54	53	85
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	0	87	143	131	40
	बोकारो इस्पात संयंत्र	84	40	105	36	20
	इस्को इस्पात संयंत्र	65	55	364	388	199
	विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	15	5	12	8	2
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	493	327	239	116	105
	उप योग (क):	**674**	**552**	**920**	**732**	**451**
ख.	**निजी क्षेत्र**					
	अन्य ब्लास्ट फर्नेस/कोरेक्स इकाई	6196	7398	8774	8495	7054
	उप योग (ख):	**6196**	**7398**	**8774**	**8495**	**7054**
	कुल (क+ख):	**6870**	**7950**	**9694**	**9227**	**7505**
	निजी क्षेत्र का % अंश	**90.2%**	**93.1%**	**90.5%**	**92.1%**	**94.0%**

स्रोतः जेपीसी, *अप्रै.–दिसं. (अनंतिम)

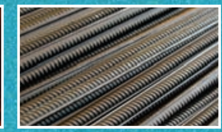

अनुलग्नक – VIII

तैयार इस्पात का विक्रय के लिए उत्पादन (गैर–मिश्र एवं मिश्र इस्पात)

						('000 टन)
	संयंत्र	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17***
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र**					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	3614	3470	3321	3271	2306
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	612	620	573	503	397
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	2111	2057	2110	2168	1784
	बोकारो इस्पात संयंत्र	3274	3330	3207	2472	2295
	इस्को इस्पात संयंत्र	134	186	120	436	606
	अलॉय इस्पात संयंत्र	40	9	11	16	11
	सेलम इस्पात संयंत्र	270	375	359	390	322
	विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	47	25	26	46	24
	सेल–कन्वर्जन एजेंट	-	556	553	909	738
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2717	2811	2552	2766	2257
	उप योग (क):	**12819**	**13439**	**12832**	**12977**	**10740**
ख.	**निजी क्षेत्र**					
	टाटा स्टील लि.	6427	8756	8967	9527	8020
	आईएसपी–प्रमुख	23220	22965	25021	26023	22811
	अन्य	47156	50417	53862	54376	39907
	घटाएं: स्वयं खपत (प्रमुख एवं अन्य)	**7940**	**7902**	**8525**	**11923**	**7509**
	उप योग (ख):	**68863**	**74236**	**79325**	**78003**	**63229**
	बिक्री के लिए कुल उत्पादन (क+ख):	**81682**	**87675**	**92157**	**90980**	**73969**
	निजी क्षेत्र का % अंश	**84.3%**	**84.7%**	**86.1%**	**85.7%**	**85.5%**

स्रोत: जेपीसी, *अप्रै.–दिसं. (अनंतिम)

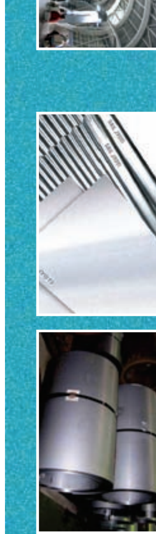

अनुलग्नक – IX

विक्रय हेतु तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

('000 टन)

श्रेणी	2012–13				2013–14				2014–15				2015–16			
	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्व–खपत	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्व–खपत	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्व–खपत	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्व–खपत	कुल
1. गैर–फ्लैट उत्पाद																
बार्स एंड रॉड्स	5803	23128	137	28794	7399	22686	535	29550	7023	25398	170	32251	11064	22583	135	33512
स्ट्रक्चरल्स/विशेष सेक्शन	661	5271	0	5932	864	6032	0	6896	819	6688	11	7495	1614	5898	52	7460
रेल व रेलवे सामग्री	881	57		938	822	65		887	760	75	0	835	882	54	0	937
कुल (गैर–फ्लैट उत्पाद)	7345	28456	137	35664	9085	28783	535	37333	8602	32160	181	40581	13560	28535	187	41909
2. फ्लैट उत्पाद																
प्लेट्स	2426	1831	95	4162	2497	1481	82	3896	2603	2112	14	4700	4078	198	137	4140
एचआर क्वॉयल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स	6678	16418	3706	19390	7686	17333	4213	20806	7567	17784	5146	20205	20192	6409	7150	19451
एचआर शीट्स	195	391	31	555	197	724	2	919	192	945	0	1138	1504	12	0	1516
सीआर क्वायल्स/शीट/स्ट्रिप्स	1584	9564	3494	7654	1721	8945	2944	7722	1933	8624	3048	7509	4773	4871	3774	5869
जीपी/जीसी शीट्स	710	5650	73	6287	739	6235	75	6899	738	6265	111	6892	3348	4418	582	7183
इलेक्ट्रिक शीट	72	83		155	69	57		126	69	71	0	140	92	56	0	148
टिन प्लेट्स	8	293		301	7	337		344	0	354	0	354	0	331	0	331
टीएमबीपी	0	5		5	0	3		3	0	0	0	0	0	2	0	2
टिन फ्री इस्पात	0	16		16	0	12		12	0	0	0	0	0	8	0	8
पाइपें (बड़ा व्यास)	75	1931		2006	63	1915		1978	56	2038	0	2094	265	1968	70	2163
कुल (फ्लैट उत्पाद)	11748	36182	7399	40531	12979	37042	7316	42705	13158	38191	8318	43031	34251	18272	11712	40811
कुल (तैयार गैर–मिश्र)	19093	64638	7536	76195	22064	65825	7851	80038	21760	70352	8500	83613	47811	46807	11899	82719
कुल तैयार इस्पात (मिश्र/स्टेनलेस)	151	5738	404	5485	132	7557	52	7637	39	8530	25	8544	690	7595	24	8261
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	19244	70376	7940	81862	22196	73382	7903	87675	21799	78882	8525	92157	48501	54402	11923	90980

अनुलग्नक – IX (जारी)

विक्रय हेतु तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

('000 टन)

2016–17*				
श्रेणी	**मुख्य उत्पाद**	**अन्य उत्पाद**	**आईपीटी / स्व–खपत**	**कुल**
1. गैर–फ्लैट उत्पाद				
बार्स एवं रॉड्स	6179	19619	108	25690
स्ट्रक्चरल्स / विशेष सेक्शन	809	5013	0	5822
रेल व रेलवे सामग्री	609	127	0	736
कुल (गैर–फ्लैट उत्पाद)	7597	24759	108	32248
2. फ्लैट उत्पाद				
प्लेट्स	2156	1164	74	3246
एचआर क्वॉयल्स / स्केल्प / स्ट्रिप्स	6544	15842	5033	17353
एचआर शीट्स	126	722	0	848
सीआर क्वॉयल्स / शीट्स / स्ट्रिप्स	1590	6682	2271	6001
जीपी / जीसी शीट्स	547	4903	0	5450
इलेक्ट्रिक शीट	33	121	0	154
टिन प्लेट्स	0	260	0	260
टीएमबीपी	0	0	0	0
टिन फ्री इस्पात	0	0	0	0
पाइपें (बड़ा व्यास)	43	1488	0	1531
कुल (फ्लैट उत्पाद)	11039	31182	7378	34843
कुल (तैयार गैर–मिश्र)	18635	55941	7486	67090
कुल तैयार इस्पात (मिश्र / स्टेनलेस)	119	6777	23	6873
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	18754	62718	7509	73963

स्रोतः जेपीसी, *अप्रै.–दिसं. (अनंतिम)

अनुलग्नक – X

श्रेणीवार लौह और इस्पात का आयात

('000 टन)

क्र.सं.	श्रेणी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17*
I	**अर्द्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)**					
	अर्द्ध–तैयार	517.5	43.2	331.3	512.1	270.3
	रि–रोलेबल स्क्रैप	243.9	208.1	329.2	426.3	250.1
	कुल अर्द्ध तैयार इस्पात	761.4	251.3	660.6	938.4	520.4
II	**तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)**					
	बार्स एंड रॉड्स	514.5	294.3	854.3	621.4	316.1
	स्ट्रक्चरल्स	90.9	43.0	52.9	24.6	45.1
	रेलवे सामग्री	18.8	4.4	15.5	11.7	29.9
	प्लेट्स	861.6	409.9	731.7	1059.7	531.7
	एचआर शीट्स	122.5	102.1	78.6	105.1	32.2
	एचआर क्वॉयल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स	1871.6	1104.3	2006.3	3400.6	1455.2
	सीआर क्वॉयल्स/शीट्स	1568.6	1278.9	1713.5	2235.1	695.1
	जीपी/जीसी शीट्स	432.7	368.1	444.1	586.2	406.7
	इलेक्ट्रिक शीट्स	386.7	346.5	417.9	318.2	226.5
	टीएमबीपी	0.9	0.8	1.4	3.8	1.0
	टिन प्लेट्स	183.8	188.4	217.7	170.5	196.3
	टिन फ्री स्टील	66.3	56.5	87.3	80.6	21.9
	पाइप्स	134.4	101.4	132.4	100.8	77.0
	कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	**6253.1**	**4298.6**	**6753.5**	**8718.2**	**4034.7**
	कुल इस्पात (गैर–मिश्र)	**7014.5**	**4549.9**	**7414.1**	**9656.6**	**4555.1**
	मिश्र/स्टेनलैस इस्पात					
	गैर–फ्लैट मिश्र	352.5	236.6	821.8	1119.5	394.3
	फ्लैट मिश्र	1319.1	914.6	1744.9	1874.5	1065.6
	अर्द्ध–तैयार मिश्र	31.1	7.1	35.8	42.4	5.8
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र)	1671.6	1151.2	2566.8	2993.9	1459.9
	कुल इस्पात (मिश्र)	1702.8	1158.3	2602.5	3036.3	1465.7
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र)	**7924.7**	**5449.8**	**9320.3**	**11712.2**	**5494.6**
	कुल इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	**8717.2**	**5708.2**	**10016.6**	**12692.9**	**6020.8**
III	**अन्य इस्पात मदें**					
	फिटिंग्स	340.0	298.0	419.4	482.5	386.5
	विविध इस्पात मदें	2293.7	3402.9	2327.3	1902.4	1024.6
	स्टील स्क्रैप	7772.7	4926.7	5784.3	6627.1	4117.7
IV	**लोहा**					
	कच्चा लोहा	20.6	34.2	23.4	21.9	29.9
	स्पंज लोहा	0.2	7.3	20.1	0.2	1.3
	एच.बी. लोहा	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0
V	**फेरो–अलॉयज**	**179.6**	**140.5**	**242.2**	**237.4**	**491.7**
	कुल योगः	**19324.2**	**14517.8**	**18833.3**	**21965.3**	**12072.4**

स्रोतः जेपीसी, *अप्रै.–दिसं. (अनंतिम)

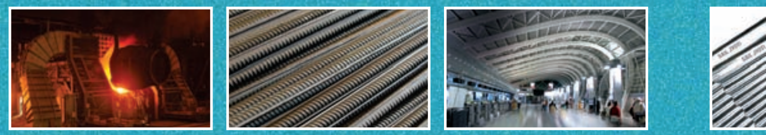

अनुलग्नक – XI

श्रेणीवार निर्यात

('000 टन)

श्रेणी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17*
अर्द्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	142.7	484.2	637.69	635.72	820.87
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)					
गैर–फ्लैट					
बार्स एवं रॉड्स	413.1	585.1	392.37	365.02	443.85
स्ट्रक्चरल्स	60.6	64.7	83.08	81.59	91.83
रेलवे सामग्री	2.7	1.2	2.76	1.86	38.68
कुल (गैर–फ्लैट)	**476.4**	**651.0**	**478.21**	**448.46**	**574.36**
फ्लैट					
प्लेट्स	246.3	154.9	559.34	266.16	192.88
एचआर क्वॉयल्स/शीट्स	1878.3	2130.2	1374.65	446.55	1364.21
सीआर शीट्स/क्वॉयल्स	411.9	560.6	584.69	655.24	955.60
जीपी/जीसी शीट्स	1543.8	1821.7	1629.31	1420.24	1301.30
इलेक्ट्रिक शीट्स	7.0	9.9	9.87	19.33	26.10
टिन प्लेटें	54.6	70.1	46.93	56.35	32.53
टिन मुक्त इस्पात	1.2	0.5	0.27	0.90	1.71
पाइप्स	136.7	109.3	223.07	162.10	106.42
कुल फ्लैट	**4279.7**	**4857.4**	**4428.13**	**3026.88**	**3980.75**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	**4756.1**	**5508.35**	**4906.34**	**3475.34**	**4555.11**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र)	**4898.8**	**5992.6**	**5544.03**	**4111.06**	**5375.98**
गैर–फ्लैट मिश्र	**215.8**	**227.9**	**336.14**	**165.27**	**113.24**
फ्लैट मिश्र	**396.2**	**249.1**	**353.26**	**438.71**	**306.96**
कुल तैयार इस्पात (मिश्र)	**612.0**	**477.0**	**689.40**	**603.98**	**420.20**
अर्ध–तैयार (मिश्र)	1.5	2.0	1.92	3.07	5.74
कुल इस्पात (मिश्र)	**613.5**	**479.0**	**691.32**	**607.05**	**425.94**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	**5368.1**	**5985.3**	**5595.74**	**4079.32**	**4975.31**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	**5512.3**	**6471.6**	**6235.35**	**4718.11**	**5801.92**
कच्चा लोहा	414.1	943.1	539.96	297.24	145.99
स्पंज आयरन	58.1	74.0	97.97	127.15	111.30

स्रोतः जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – XII

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसलों/आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

बोकारो स्टील संयंत्रः ओ.ए. सं. 051/85/2016 के अनुसार दुखन पासवान बनाम सेल/बीएसएल (विगत वेतन एवं नौकरी पर जाने की तिथि से 22/07/2011 तक की अवधि 18/11/106 को मामला खत्म किया और आदेश को अमल में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गये।

मेकॉन लिमिटेड

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), कोलकाता बेंच के दिनांक 15.02.2016 आदेश सं. ओ.ए. 350/00191/2014 के अनुसार मेकॉन लिमिटेड के योग्य कर्मचारियों को एरियर, पर्क्स और भत्ते की अदायगी का क्रियान्वयन दिनांक 26.11.2008 से 20.10.2009 की अवधि के लम्बित है।

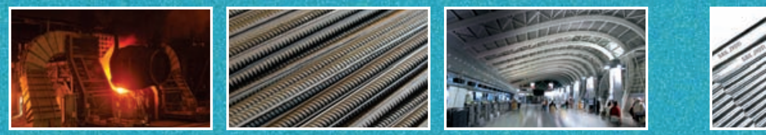

अनुलग्नक – XIII

इस्पात मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17* (अप्रै.–दिसं.)
1	सेल	3240.66	3225.00	2358.91	(-)7198.44	(-)3432.03
2	आरआईएनएल	526.47	549.15	103.35	(1417.23)	(1265.38)
3	एनएमडीसी	9465.12	9759.20	9767.84	4505.27	3310.00
4	मॉयल	636.78	769.33	650.57	270.26	208.79
5	एमएसटीसी	193.40	(-)107.37	131.47	91.34	58.18
6	एफएसएनएल	2.53	12.43	25.36	32.53	23.33
7	ओएमडीसी $	26.25	16.74	25.84	18.91	14.23
8	ईआईएल ##	1.96	0.24	(-)12.62	1.71	0.98
9	मेकॉन	150.73	68.69	33.01	(174.70)	(99.92)
10	केआईओसीएल	32.34	61.40	31.26	(77.66)	0.78
11	एचएससीएल	(-) 19.81	(-)18.67	(-)8.10	35.40	63.86
12	बीएसएलसी$	(-) 18.14	(-)18.77	(-)27.27	(16.17)	(10.27)

*अनंतिम

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि. (ईआईएल), $ ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) बर्ड ग्रुप कंपनीज के घटक हैं।

अनुलग्नक – XIII (क)

इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का तुलनात्मक पीएटी (कर पश्चात् लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17* (अप्रै.–दिसं.)
1	सेल	2170.35	2616.48	2092.68	(4137.26)	(2061.94)
2	आरआईएनएल	352.83	366.45	62.38	(1420.64)	(975.68)
3	एनएमडीसी	6342.37	6420.08	6421.86	3028.33	2202.00
4	मॉयल	431.72	509.56	428.01	172.98	183.61
5	एमएसटीसी	130.73	(-)70.03	90.99	59.88	38.04
6	एफएसएनएल	1.96	8.42	17.10	21.11	15.40
7	ओएमडीसी$	12.86	6.26	17.70	10.63	4.95
8	ईआईएल##	1.47	0.09	(-)12.72	1.44	0.67
9	मेकॉन	101.03	49.48	20.27	(162.41)	(99.70)
10	केआईओसीएल	31.05	39.93	30.82	(77.66)	0.51
11	एचएससीएल	(-) 19.81	(-)18.67	(-)8.10	30.19	41.76
12	बीएसएलसी$	(-) 18.14	(-)18.77	(-)27.27	(16.17)	(10.27)

*अनंतिम

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि. (ईआईएल), $ ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) बर्ड ग्रुप कंपनीज के घटक हैं।

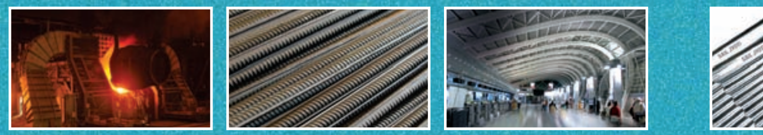

अनुलग्नक – XIV

केन्द्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17* (अप्रै.–दिसं.)
1	सेल	8599.06	8187.82	7667.00	5373.00	4030.00
2	आरआईएनएल	1775.24	1643.11	1428.96	1397.53	909.04
3	एनएमडीसी	6588.00	8952.00	6681.00	6655.78	8867.00
4	मॉयल	236.74	291.75	230.29	201.23	109.00
5	एमएसटीसी	83.22	81.41	84.70	70.37	68.00
6	एफएसएनएल	36.69	40.83	41.11	42.87	32.25
7	मेकॉन	151.08	92.96	87.47	86.62	39.30
8	केआईओसीएल	209.95	261.05	110.79	30.41	18.88
9	एचएससीएल	0.32	44.87	44.75	52.15	39.11
10	बीजीसी	2.58	10.28	5.85	1.86	1.49

*अनंतिम

अनुलग्नक – XIV (क)

राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17* (अप्रै.–दिसं.)
1	सेल	3524.25	3372.54	3443.00	3124.00	2279.00
2	आरआईएनएल	598.85	606.62	514.91	556.37	386.02
3	एनएमडीसी	901.00	932.00	1262.00	1070.67	591.00
4	मॉयल	77.27	83.24	69.41	62.17	70.37
5	एमएसटीसी	28.28	45.86	68.63	67.10	31.00
6	एफएसएनएल	0.35	0.73	1.40	0.32	0.48
7	मेकॉन	3.04	0.94	1.62	1.77	0.22
8	केआईओसीएल	29.66	30.44	6.13	2.33	0.48
9	एचएससीएल	2.21	26.67	38.87	40.76	30.56
10	बीजीसी	4.38	4.38	7.22	5.07	3.85

*अनंतिम

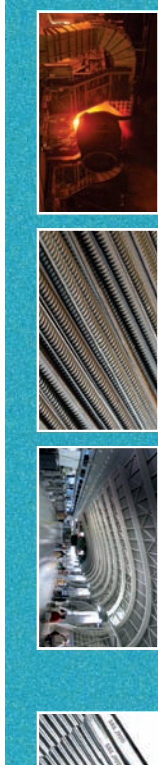

अनुलग्नक – XV

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों द्वारा सीएसआर संबंधी बजटीय व्यवस्था और व्यय

(रु. लाख में)

सार्वजनिक	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17	
क्षेत्र के उपक्रम	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय (अप्रै.–दिसं)*
सेल	4200.00	5329.00	4000.00	6206.00	7800.00	3504.00	10016.00	7616.00	2933.65	1694.00
आरआईएनएल	750.00	1600.00	750.00	2031.00	1423.00	1404.00	1137.00	873.00	1375.00	702.00
एनएमडीसी	14530.00	10110.00	17105.00	13142.00	25018.69	18865.00	298.20	210.09	248.32	54.00
मॉयल	680.00	1056.00	863.00	1036.34	1419.00	1357.57	1430.00	1447.39	1127.00	759.00
केआईओसीएल	283.00	79.00	93.00	227.00	110.00	101.00	96.50	64.00	43.50	12.53
एमएसटीसी	355.00	193.28	260.00	483.00	120.00	120.00	145.00	150.26	80.00	7.60
एफएसएनएल	9.00	9.00	4.00	4.50	25.27	22.10	26.80	26.83	46.80	लागू नहीं
मेकॉन	497.49	235.33	460.46	272.33	468.23	144.45	491.51	221.08	270.43	40.85
एचएससीएल	0.00	24.02#	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	6.67	0.00	0.00
बीजीसी	17.00	48.00	64.00	92.27	99.60	33.50	73.00	72.99	46.00	12.03

* अनंतिम

विगत वर्ष से अग्रेषित निधि में से व्यय किया।

अनुलग्नक – XVI

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार, 'नागरिक केन्द्रित सात सूत्रीय मॉडल–सेवोत्तम' का अंगीकरण

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट "नागरिक केंद्रित प्रशासन–शासन का हृदय" के पैरा 4.6.2 में नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी एवं आवश्यक बनाकर संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने की अनुशंसा की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (एआर एंड पीजी) ने जनसेवा आपूर्ति (सेवोत्तम) को बेहतर बनाने के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के विकास तथा उसके आकलन के लिए संगठन को एक फ्रेमवर्क उपलब्ध करता है। सूचना तकनीक के सहयोग से विकासशील व्यवसाय प्रक्रिया को अधिक जानकारी परक बनाने के लिए नवीन पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से यह नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं, इसके उद्देश्यों, सेवा की गुणवत्ता व गुणवत्ता में सुधार आदि की पहचान करता है।

इस्पात मंत्रालय ने अपना 'नागरिक चार्टर' प्रकाशित किया है और स्टेकहोल्डरों की आवश्यकता एवं उम्मीदों के आधार पर समय–समय पर इसे अद्यतन बनाया जाता है। इस चार्टर को मंत्रालय के वेबसाइट www.steel.nic.in पर दिया गया है। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों ने भी अपना नागरिक चार्टर बनाया है, जो उनकी वेबसाइट पर डाला गया है।

अनुलग्नक – XVII

हाल ही की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

पैरा संख्या	पैराग्राफ का शीर्षक	सारांश
5.1	कार्य का निष्पादन	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मुख्यतः लौह एवं इस्पात कार्यों एवं उसकी सहायक कंपनियों के लिए विनिर्माण परियोजनाओं में व्यस्त रहता है। इसके कामों का लेखा परीक्षण यह दिखाता है कि कंपनी को अनुमोदित दर संरचना (एआरएस) के आधार पर काम दिया जाता है, जो प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है और इसमें पारदर्शिता का अभाव भी है क्योंकि इन्हें अधिकांश काम पैनल में शामिल ठेकेदारों से निविदाएं मंगाए बिना ही केवल नामांकन के आधार पर दिए गए हैं। इस कंपनी को 133.59 करोड़ रुपये मूल्य के 14 ठेके दिए गए, जिसे 160 ठेकों में विभाजित किया गया और इसकी जिम्मेदारी 32 ठेकेदारों को अधिकतर अनुमोदित दर संरचना (एआरएस) की सीमित निविदा जांच पड़ताल द्वारा दी गई। नीलामी की बोली लगाने के लिए निमंत्रण शासी प्रक्रिया संबंधित ठेकेदारों को आकर्षित कर उनकी विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अनुकूल नहीं थी। लेखा परीक्षण से पता चलता है कि 241.46 करोड़ कीमत के 35 ठेकों के ठेकेदारों ने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दाखिल करने के लिए स्वीकृत समय से 10 दिनों से लेकर 288 दिनों तक की देरी की है। अनुबंध में त्रुटि के कारण कंपनी ग्राहकों से सेंटेज प्रभार/पीएमसी शुल्क के तौर पर 21.85 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं कर सकी।
5.2	विपणन गतिविधियां	सेल के केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) की विपणन गतिविधियों की समीक्षा से निम्न बातें सामने आई हैं: • क्षमता वृद्धि में देरी के कारण साल 2014–15 में बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी घटकर 14.2 प्रतिशत हो गई, जो साल 2009–10 के दौरान 18.5 प्रतिशत थी, जबकि 2009–15 के दौरान भारत में इस्पात की खपत में के 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। • कंपनी के पास निविदाओं में भागीदारी के माध्यम से व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रभावशाली रणनीति नहीं है और ऊंची कीमत डालने के कारण कंपनी के द्वारा भरी गई 224 निविदाओं में से 69 में इसे सफलता नहीं मिल पाई। • सक्रिय नेतृत्व के अभाव के कारण कंपनी की खुदरा बिक्री के साथ–साथ बाजार में इसकी हिस्सेदारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सेल की पिछले 6 सालों में वितरण व्यवस्था 26,058 करोड़ रही और प्रति टन औसत वितरण साल 2009–10 के 2241/– से बढ़कर 2014–15 में 5764/– हो गया। • कुल बिक्री प्राप्ति में पिछले पांच सालों में 13.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि बिक्री की कीमत में 31.16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेल के कच्चे माल की कीमत जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड तथा टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड की अपेक्षा कुल खर्च का क्रमशः 7–9 एवं 9–17 प्रतिशत प्वाइंट ज्यादा है। • कंवर्जन एंजेंट व वेट लीजिंग एजेंट द्वारा कंपनी की आपूर्ति एवं सेल के ब्रांड नाम के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई हैं।
5.3	एसपीयू बेतिया परियोजना में निष्क्रिय निवेश	अर्ध तैयार इस्पात को तैयार इस्पात में बदलने के लिए बेतिया में एसपीयू की स्थापना वित्तीय और व्यावसायिक दृष्टि से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था। इसके परिणामस्वरूप एसपीयू में 140.16 करोड़ रुपये का निवेश अनर्जक रहा और इस एसपीयू के 137 अधिकारियों की नियुक्ति बेकार रही।
5.4	परिहार्य खर्च	आंतरिक संगठन के बावजूद निजी कंपनियों से कोल समन्वय और मध्यस्थता सेवा प्राप्त करने के कारण कंपनी के 14.35 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, जिसे टाला जा सकता था।